षोडश माला, खंड 8, अंक 11

मंगलवार, 10 मार्च, 2015
19 फाल्गुन, 1936 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

**(हिन्दी संस्करण)**

**चौथा सत्र**
**(सोलहवीं लोक सभा)**

सत्यमेव जयते

*(खंड 8 में अंक 10 से 19 तक हैं)*

**लोक सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**

**© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

---

**अस्वीकरण**

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

# विषय-सूची

**षोडश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2015 / 1936 (शक)**

**अंक 11, मंगलवार, 10 मार्च, 2015 / 19 फाल्गुन, 1936 (शक)**


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| [1*]तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 186 | 13-41 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 187 से 200 | 42 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 | |


[1*]किसी सदस्य के नाम पर अंकित+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

**सभा पटल पर रखे गए पत्र** 43-44

**अंतर-संसदीय संघ (आई.पी.यू) की 130वीं सभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन** 45

**याचिका समिति**

पहले से तीसरा प्रतिवेदन 46

**कार्य मंत्रणा समिति**

13वां प्रतिवेदन 47

**सदस्य द्वारा निवेदन** 71

संसद सदस्यों के निवास स्थानों पर चोरी की बढ़ती घटनाओं के बारे में

**नियम 377 के अधीन मामले** 87-106

(एक) देश के उत्तरी क्षेत्र, विशेषकर हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाल की बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलों को क्षति हुई है उनको पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री रत्न लाल कटारिया 87-88

(दो) गुजरात के बारदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तापी नदी के किनारे कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा 89

(तीन) महाराष्ट्र में वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पुलगांव क्षेत्र में सेना शिविर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों के किसानों को जीविकोपार्जन हेतु उनकी भूमि के उपयोग की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास सी. तडस 90

(चार) देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार हेतु नीति और कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां 91

(पांच) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पान के पत्तों की खेती को कृषि गतिविधि समझे जाने और पान के पत्तों के उत्पादकों को आवश्यक लाभ दिए जाने की आवश्यकता

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल 92

(छह) प्राकृतिक उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.पी. चौधरी 93-94

(सात) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियां आयोजित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश 94

(आठ) राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित विकास योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी में सांसदों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 95

(नौ) गया-बोधगया-चतरा रेल लाइन के निर्माण हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह 96

(दस) मध्य प्रदेश में टूरिस्ट सर्किट में जबलपुर को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह 97

(ग्यारह) छत्तीसगढ़ में पेयजल आपूर्ति हेतु पम्पों के प्रचालन के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ताम्रध्वज साहू 98

(बारह) मदुरै और बोदीनायक्कनूर के बीच आमान परिवर्तन और डिंडीगुल-सबरीमाला के बीच नई रेल लाइन के निर्माण हेतु निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. पार्थिपन 99

(तेरह) तमिलनाडु के नल्लार और अनामलायर में बांधों के निर्माण हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. महेंद्रन 100

(चौदह) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना की पात्रता शर्तों में छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुवेन्दू अधिकारी 101

(पंद्रह) ओडिशा की विभिन्न प्रमुख योजनाओं हेतु आबंटित निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 102

(सोलह) प्रधान मंत्री जी ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के संबंध में संसद सदस्यों को अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामा किशोर सिंह 103

(सत्रह) बिहार में बंद चीनी मिलों को पुनः चालू किए जाने और भागलपुर में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 104

(अठारह) बिहार के भागलपुर में एम्स जैसी संस्था स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेश कुमार 105

(उन्नीस) प्रस्तावित इंडिया बेस्ड “न्यूट्रीनों ओब्जरवेट्री" हेतु चयनित पश्चिमी घाट के बोदी क्षेत्र के आस-पास रहने वाले लोगों का जीवन और उनकी आजीविका सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता

एडवोकेट जोएस जॉर्ज 106

**भूमि अर्जन, पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और** 107-639

**भूमि अर्जन, पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015**

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 107-111

श्री गौरव गोगोई 112 -114

श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा 114-117

| | |
|---|---|
| श्री एच.डी. देवगौड़ा | 117-129 |
| श्री दिनेश त्रिवेदी | 129-135 |
| श्री चिराग पासवान | 136-138 |
| कुँवर भारतेन्द्र सिंह | 139-141 |
| श्री दुष्यंत चौटाला | 142-145 |
| श्रीमती अनुप्रिया पटेल | 146-149 |
| श्री विजय कुमार हाँसदाक | 150-152 |
| श्री दिलीप सिंह भूरिया | 152-154 |
| श्री थोटा नरसिम्हम | 154-158 |
| श्री संतोष कुमार | 159-161 |
| श्री ओम बिरला | 162-164 |
| श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी | 164-165 |
| श्री असादुद्दीन ओवैसी | 166-169 |
| श्री पी.पी. चौधरी | 169-171 |
| श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन | 171-175 |

| | |
|---|---|
| डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक | 175-178 |
| श्री राजू शेट्टी | 178-179 |
| श्री रत्न लाल कटारिया | 180-181 |
| एडवोकेट जोएस जॉर्ज | 182-183 |
| श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा | 184-191 |
| श्री नन्दकुमार सिंह चौहान | 191-193 |
| श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह | 193-638 |
| खंड 2 से 12 और 1 | 255-638 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | 638-639 |

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्रीमती सुमित्रा महाजन

**उपाध्यक्ष**

डॉ. एम. तंबिदुरै

## सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी
श्री हुक्मदेव नारायण यादव
श्री आनंदराव अडसुल
श्री प्रहलाद जोशी
डॉ. रत्ना डे (नाग)
श्री रमेन डेका
श्री कोनाकल्ला नारायण राव
श्री हुकुम सिंह
श्री के.एच. मुनियप्पा
डॉ. पी. वेणुगोपाल

**महासचिव**

श्री अनूप मिश्र

# लोक सभा वाद-विवाद

---

---

लोक सभा

---

मंगलवार, 10 मार्च 2015 / 19 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुई*]

[हिन्दी]

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका):** अध्यक्ष महोदया, हमने स्वाइन फ्लू पर नोटिस दिया है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मुझे आपका नोटिस मिला है। मैं आपको बारह बजे बोलने का मौका दूंगी।

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

## *प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**(प्रश्न संख्या 181)**

**श्री राहुल शेवाले**: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न पूछने से पहले अपनी बात रखना चाहता हूं कि समाज के लिए जो व्यक्ति खतरा है, जिन्हें हम अपराधी कहते हैं, उन्हें हम समाज से अलग जेलों में रखते हैं और यह प्रयास करते हैं कि उनमें सुधार हो। हम उन्हें किसी कार्य में प्रशिक्षित करने का भी प्रयास करते हैं, ताकि बाहर आकर वे कुछ सकारात्मक कार्य कर सकें और उनके जीवन में सुधार हो सके।

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गयी मॉडल जेल मैनुअल, 2003 को समुचित रूप से संशोधित करने का जिक्र किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उससे कितना काम हुआ है और क्या-क्या सुधार हुआ है?

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रिसोर्सफुल लोग कभी मेडिकल ग्राउंड पर तो कभी पारिवारिक दायित्व के नाम पर पैरोल का लाभ उठाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में संजय दत्त का केस है। उसमें भी पैरोल का मिसयूज किया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पैरोल के मिसयूज को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**श्री किरेन रिजीजू:** अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कुछ स्पेसीफिक प्रश्न पूछा है। अगर पैरोल का मिसयूज हुआ है तो वहां कोर्ट है। अब जेल का मामला राज्य सरकार के अधीन आता है। किसी स्पेसीफिक मामले में अगर मिसयूज हुआ है तो वह हमारे आधिकार क्षेत्र में नहीं आता। क्योंकि अगर कोर्ट के माध्यम से किसी ने पैरोल का लाभ उठाया है तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जहां तक रिफार्म्स का सवाल है तो उस बारे में गृह मंत्रालय की तरफ से समय-समय पर हर राज्य को एडवाइजरी दी जाती है। नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से हमें जो रिकमेंडेशन्स मिली है, उसे भी हमने राज्य सरकार को सूचित कर दिया है।

**श्री राहुल शेवाले**: अध्यक्ष महोदया, हमारे मनोवैज्ञानिक और शोध शास्त्री अपराधियों को कुछ श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे जो अपने आस-पास के वातावरण के कारण अपराधी बनते हैं, जो किसी परिस्थिति के कारण अपराधी बनते हैं और कुछ मानसिक अपराधी होते हैं, जिनके सुधरने की उम्मीद कुछ कम होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारतीय जेलों में कुल कितने कैदी हैं और इन कैदियों पर सालाना कितना खर्चा किया जाता है? क्या हम तीसरी श्रेणी को को छोड़कर बाकी श्रेणियों के कैदियों को एक वर्क फोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनका सकारात्मक योगदान रहे?

**श्री किरेन रिजीजू:** माननीय अध्यक्ष जी, देश में कुल जेल की कैपिसिटी फिलहाल ओवरक्राउडिड है। जेल की जितनी कैपिसिटी है उससे ज्यादा लोग जेल में हैं। हमारी कोशिश है कि जितनी कैपिसिटी है, उसके हिसाब से ही हो। अंडर ट्रायल्स को जरूरत से ज्यादा समय में जेल में न रखा जाए। नैशनल एडवाइज़री कमेटी ऑन लीगल रिफार्म्स का मैं स्वयं सदस्य हूं, इसके माध्यम से हमारी कोशिश है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें

डायरेक्शन दी है कि जेल में जो लोग रहें, उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो और सही मायने में कानून व्यवस्था का भी प्रावधान हो। हम इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं।

**श्री विनायक भाऊराव राऊत**: माननीय अध्यक्ष जी, अच्छे इंसानों के हाथों से भी कभी अनजाने में अपराध हो जाते हैं। जब जेल में इस तरह के अपराधी जाते हैं तो बच्चों सहित सारा परिवार प्रभावित होता है। समाज में भी उनकी छवि खराब हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में दुर्भाग्य से उनके बच्चों का झुकाव अपराध की ओर हो जाता है। ऐसे अपराधियों के बच्चे भी देश के भविष्य का आधार हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके विकास के लिए क्या सरकार ने कोई प्रावधान किया है? यदि किया है, तो वह क्या है?

**श्री किरेन रिजीजू**: माननीय अध्यक्ष जी, जेलों का अलग-अलग प्रावधान है। बहुत सी कमेटियों की रिपोर्ट भी आई है। जहां तक बच्चों का सवाल है, खास तौर से महिलाओं और उनके छोटे बच्चों के लिए भी प्रावधान किया गया है। ऐसी बहुत सी व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों का मां से रिश्ता बना रहे, मैं माननीय सदस्य को इसकी डिटेल दे सकता हूं। मैं बच्चों की देखभाल और अन्य मसलों से संबंधित उचित कदम उठाने के बारे में सुझाव दे सकता हूं।

[अनुवाद]

**श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:** मैं जेल सुधारों पर वर्ष 1982-83 की न्यायमूर्ति मुल्ला समिति की प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसने हमारी हिरासत में ली गई आबादी के अधिकारों, कल्याण और पुनर्वास की वकालत की थी। इस समिति ने सुझाव दिया था कि एक जेल प्रबंधन कैडर स्थापित किया जाए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से बस यह पूछना चाहता हूं, कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है।

**श्री किरेन रिजीजू:** महोदया, न्यायमूर्ति मुल्ला समिति के अलावा, एक और समिति है जो न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर समिति है, जिसने माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में बात की थी। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था, जेल एक राज्य का विषय है, इसलिए यदि आवश्यकता हो तो एक अलग कैडर स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन अब तक जो हमने देखा है, वह यह है कि अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

हमारे द्वारा हाल ही में जारी किए गए जेल नियमावली को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं। हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कई सिफारिशें की थीं, जिनके आधार पर गृह मंत्री ने राज्यों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हुए पत्र लिखा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि ये निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से पालन नहीं किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री गौरव गोगोई**: माननीय अध्यक्ष जी, कल ही हमने संसद में चर्चा की थी कि दीमापुर की सैंट्रल जेल में 5,000 युवकों ने कैदी की जेल को तोड़कर बाहर निकाल लिया। यह प्रश्न प्रेजेंट रिफार्म के साथ जुड़ा है। माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। 5,000 लोगों ने जाकर, मॉब ने जाकर एक व्यक्ति को जेल से छुड़ाकर मारा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने स्टडी की है कि प्रेजेंट सिक्योरिटी में क्या फेल्योर था? देश में इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए मंत्रालय जेल में किस तरह का रिफार्म लाएगा? यह घटना क्यों हुई? सिक्योरिटी में क्या लैप्सिस थे? इस तरह की घटना किसी के साथ न हो, इसके लिए मंत्रालय क्या करेगा?

**श्री किरेन रिजीजू:** माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने अभी पिछली 5 तारीख की घटना के बारे में जिक्र किया है, उस घटना के बारे में मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हमने उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। यह सही बात है कि कम से कम पाँच हजार लोग जेल में गए और अंडर ट्रायल कैदियों को पकड़कर बाहर लाये और पब्लिकली जो घटना हुई है, उसकी जानकारी हम सबको, इस सदन को और पूरे देश को है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कपूर कमेटी, जिसका गठन वर्ष 1986 में हुआ, उसमें स्पेशियली सिक्योरिटी मेज़र्स के बारे में रिक्मेंड किया गया है। जेल में किस तरह का सिक्योरिटी मेज़र्स रखना चाहिए, ताकि वे सिक्योर्ड हों क्योंकि जेल से भागने या फरार होने के केसेज़ भी आते हैं और ऐसी घटना, जो बहुत ही कम होती है, जो मॉब के आने की घटना है, यह हम लोगों के लिए एक बहुत ही विचित्र घटना है कि जेल में इतने लोग घुसकर कैदी को बाहर लेकर आ सकते हैं। उसके बारे में कार्रवाई तो की गई है। वहां के डिप्टी

कमीश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया है और भविष्य में ऐसी घटना न हो, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे और राज्य सरकार के अधीन जो क्षेत्र आते हैं, उनके बारे में भी हम एडवाइज़री जरूर देंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो।

[अनुवाद]

**डॉ. ममताज़ संघमिता:** आदरणीय महोदया, मुझे अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं, कि क्या अपराधियों के सर्वेक्षण और मनोविश्लेषण के संबंध में कोई परियोजना है, खासकर यौन उत्पीड़न की घटनाओं के साथ-साथ हिंसक हमलों और हत्याओं में हाल ही में हुई वृद्धि के संदर्भ में। यदि हां, तो उनके रवैय्ये या मानसिकता को बदलने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? उस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को कितना फंड आबंटित किया गया है? और क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसा करने के बारे में सोच रही है?

**श्री किरेन रिजीजू:** महोदया, यह प्रश्न सीधे तौर पर पूछे गए मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन वित्त के संबंध में तेरहवें वित्त आयोग ने केवल सीमित राज्यों के लिए वित्तीय प्रावधानों की सिफारिश की थी और वर्ष 2009 के बाद केंद्र ने जेल या जेल सुधारों के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण या वित्तीय सहायता बंद कर दी है। चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों को उनकी गतिविधियों, विशेष रूप से जेल सुधारों से संबंधित कार्यों के लिए एक बड़े वित्तीय अवसर की बात की है। माननीय सदस्य ने जो भी अतिरिक्त जानकारी मांगी है, हम उसे बाद में उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल, मैं यह बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न सीधे तौर पर मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

**(प्रश्न संख्या 182)**

[हिन्दी]

**श्री रत्न लाल कटारिया:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, पहले तो मैं इन्हें बधाई देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष मानसून 15-20 प्रतिशत कम रहा, लेकिन उसके बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में साढ़े आठ लाख टन आधिक अनाज की पैदावार भारतवर्ष में हुई। इसमें इस सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।

माननीय मंत्री जी ने बहुत-सी योजनाओं का वर्णन किया है, जिन्हें भारत के किसानों के लिए हमारी सरकार ने जारी की हैं। मुझे हैरानी होती है कि नेशनल सैम्पल सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि 59 परसेंट किसानों को उन योजनाओं के बारे में अब भी जानकारी नहीं है, जो उनके हित के लिए बनाई गई हैं। छोटे किसानों तक भी इन योजनाओं की पहुंच हो, उसके लिए क्या किया गया है? करनाल में 12वीं एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस की कान्फ्रेंस किसानों के हितों को ले कर हुई है, उसके अंदर जो इश्यूज उठे हैं, वे मार्जिनल किसान का भला कर सकें, उसके बारे में सरकार की क्या नीति है, इस बारे में सदन को अवगत कराया जाए?

**डॉ. संजीव बालियान:** अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने इस प्रश्न के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त की है। केंद्र सरकार के पास किसानों तक अपनी बात पहुंचाने का कृषि विज्ञान केंद्र एक माध्यम है। हर जिले में एक ही कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके अलावा कृषि राज्य का विषय है इसलिए किसानों तक योजनाओं को पहुंचाने की ज्यादा जवाबदेही प्रदेश सरकार की होती है। केंद्र सरकार इसमें लगातार सहयोग करती रहती है। माननीय सदस्य ने जैसा जिक्र किया है, 12वीं एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस की कान्फ्रेंस तीन से छह फरवरी को करनाल में आयोजित हुई थी। उसने काफी अनुशंसाएं की हैं। इन अनुशंसाओं से पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अट्रेक्टिंग एंड रिटेंशन आफ यूथ इन एग्रीकल्चर (आर्या) स्कीम केंद्र सरकार

ने शुरू की है। इंडिजिनस एनिमल्स को बढ़ावा देने के लिए गोकुल मिशन शुरू किया है। सोयल हैल्थ कार्ड प्रधानमंत्री की योजना है, इस तरह की योजनाएं पहले भी शुरू की जा चुकी हैं। इसकी स्टडी होने के बाद योजनाएं जल्दी ही शुरू की जाएंगी।

**श्री रत्न लाल कटारिया:** अध्यक्ष जी, वैसे तो इस वर्ष भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिंचाई योजना के अंतर्गत एक हजार करोड़ रुपये सिंचाई के लिए बजट में रखा है। मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि देश की आजादी के बाद 70 हजार करोड़ रुपये सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च करने के पश्चात् भी हमारे देश का 35 प्रतिशत एरिया ही क्यों सिंचित है? विकसित राष्ट्रों में 90 प्रतिशत खेती मशीनीकरण द्वारा आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। भारत में यह खेती केवल 40 प्रतिशत ही क्यों है? खेती के विकास के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलोजी रांची में खोला गया है और नेशनल इंस्टीट्याूट आफ बायोटेक स्ट्रेस मनेजमेंट रायपुर में खोला गया है।

मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं और हिंदुस्तान के खाद्यान्न भंडार में हरियाणा सैकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। मेरा लोक सभा क्षेत्र अम्बाला आरक्षित क्षेत्र है और खाद्यान्न उत्पादन में रिकार्ड तोड़ उत्पादन करता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या टेक्नोलोजी पर आधारित इस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा, जिससे किसानों की उपज बढ़ सके, उन्हें बढ़िया किस्म के बीज मिल सकें और बढ़िया किस्म के उर्वरक उन्हें मिल सकें? क्या सरकार की कोई योजना मेरे लोक सभा क्षेत्र के लिए है?

**डॉ. संजीव बालियान:** माननीय सदस्य ने एक सवाल में ही बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में एक हजार करोड़ रुपये नहीं बल्कि 5300 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। मैं माननीय सदस्य को यह नहीं बता सकता हूं कि 70 हजार करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद भी अब तक हम सिंचाई तक निश्चित टार्गेट तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं। माननीय सदस्य ने पिछले 67 वर्षों का इतिहास मुझसे पूछा है, शायद वह मैं उन्हें न बता पाऊं।

मैं माननीय सदस्य को यह जरूर बताना चाहता हूं कि देश के अंदर कृषि में मशीनीकरण को जरूर बढ़ावा मिल रहा है। माननीय सदस्य ने दो इंस्टीट्यूट्स की बात कही है। एक इंस्टीट्यूट्स और पैस्ट मनेजमेंट के लिए खोला गया है और दूसरा इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलोजी का नई टेक्नोलोजी एग्रीकल्चर में नए सीड्स प्रोडक्शन, नए हाई ब्रीड सीड के लिए खोला गया है।

माननीय सदस्य ने जहां तक अपने संसदीय क्षेत्र की बात कही है, अभी-अभी हरियाणा में हार्टिकल्चर यूनीवर्सिटी खोलने का पिछले बजट में प्रावधान हुआ है।

**श्री रत्न लाल कटारिया**: आप अम्बाला के लिए घोषणा कर दीजिए।

**डॉ. संजीव बालियान:** मैं यह घोषणा नहीं कर सकता हूं, बल्कि प्रदेश सरकार यह घोषणा करेगी कि वह अम्बाला में खुलेगी या कहीं और खुलेगी, लेकिन हरियाणा में हार्टिकल्चर यूनीवर्सिटी खुलेगी। पहले भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है, जहां से मैं स्वयं पढ़ा हूं।

**श्री रत्न लाल कटारिया**: आप अम्बाला के लिए कुछ और दे दीजिए।

**डॉ. संजीव बालियान:** धन्यवाद।

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव**: माननीय अध्यक्ष महोदया, जो रिपोर्ट आई है, उसे हम लोगों ने देखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन की दिशा में अभी तक क्या प्रयास किया गया है एवं कितने केन्द्र के द्वारा धनराशि मुहैया की गयी?

**डॉ. संजीव बालियान:** महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका सीधा सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है। उन्हें आंकडों की जानकारी चाहिए, मैं बिहार के सम्बन्ध में ये आंकड़े उनको अलग से मुहैया करा दूंगा क्योंकि इस प्रश्न से उन आंकड़ों का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

**श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** अध्यक्ष महोदया, कृषि मंत्री जी ने जो जानकारी दी है और जिस प्रकार से कांग्रेस हुई और उसमें चर्चा हुई, उसके बाद अलग-अलग दृष्टिकोण से खेती में उत्पादन हुआ, वैसा मछली

में उत्पादन करने के लिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 95 करोड़ मुआवजा मत्स्य किसानों को देने का निर्णय दिया है। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि इसे खेती का दर्जा देना चाहिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्रालय मछली पालन व्यवसाय को खेती का दर्जा देने वाला है? इसके साथ-साथ, क्या आप उनको डीजल सब्सिडी देंगे, बोट देंगे या कोल्ड स्टोरेज देंगे और उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई योजना बना रहे हैं?

**डॉ. संजीव बालियान:** महोदया, माननीय सदस्य ने फिश प्रोडक्शन के बारे में प्रश्न किया है, डीजल और बोट पर सब्सिडी देने की केन्द्र सरकार की योजना पहले से जारी है। जहां तक मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देने की बात है, ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री वी. एलुमलाई।

वैसे नियम 193 के तहत इस विषय पर चर्चा होनी है।

[अनुवाद]

**श्री वी. एलुमलाई**: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे अनुमति देने के लिए धन्यवाद। हमारी मक्कल मुधलवर, माननीय अम्मा जी ने केंद्र सरकार से भारतीय मछुआरों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। सरकार को हमारे भारतीय मछुआरों पर होने वाले उत्पीड़न को रोकना चाहिए। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़े गए भारतीय नौकाओं को रिहा किया जाना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं, कि क्या सरकार भारतीय तट पर गहरे मछली पकड़ने वाले क्षेत्र के रखरखाव के लिए 1520 रुपये करोड़ और 10 रुपये करोड़ प्रति वर्ष का पैकेज प्रदान कर रही है? क्योंकि यह हमारे भारतीय मछुआरों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए आवश्यक है।

[हिन्दी]

**डॉ. संजीव बालियान:** महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

**माननीय अध्यक्ष:** फिशिंग पर बहुत चर्चा हो चुकी है।

प्रश्न संख्या- 183, श्री संतोष कुमार।

**श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:** मैडम, मुझे भी एक पूरक प्रश्न पूछना है।...(व्यवधा

**माननीय अध्यक्ष:** एग्रेरियन क्राइसिस के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी है।

...(व्यवधान)

**(प्रश्न संख्या 183)**

**श्री संतोष कुमार**: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ने और देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सरजमीन पर ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। जिस तरह का जवाब आया है, निश्चित रूप से सदन को गुमराह किया जा रहा है। जिले में गैर-सरकारी संगठन है, जो वित्तीय धनराशि के लिए रोना रोता है और कल्याणकारी योजना धनराशि के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश के प्रत्येक जिले में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या आप धनराशि उपलब्ध कराना चाहेंगे?

**श्री थावर चंद गहलोत:** अध्यक्ष महोदया, हमारे यहां हमारे विभाग की योजनाओं के तहत गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्ताव आते हैं। वे प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम से आते हैं। हमारे पास आने के बाद हम उनके गुण-दोष पर विचार करते हैं। सही पाए जाने पर धनराशि स्वीकृत कर देते हैं और अगर सही नहीं पाए जाते हैं तो उनको निरस्त कर देते हैं। माननीय सदस्य पूरे जिलेवार बात कह रहे हैं, अगर वह कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहें कि फलां एनजीओ ने प्रस्ताव दिया, उस पर कुछ हुआ या नहीं, तब मैं उसके बारे में जानकारी दे सकूंगा।

**श्री संतोष कुमार**: पिछले दिनों बिहार सरकार ने कई योजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं। जिन पर कुछ नहीं हुआ है।

**माननीय अध्यक्ष**: यह ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होता है। आप पहले प्रश्न देखें, वह एनजीओज़ के बारे में है।

**श्री संतोष कुमार**: मैडम, आप आदेश दे दें कि जाकर मिलकर करवा लें।

**माननीय अध्यक्ष**: आपके पास दूसरा पूरक प्रश्न पूछने के लिए कुछ नहीं है। आप तारांकित प्रश्न डालते हैं तो उस पर अच्छी तरह से अभ्यास करके आया करें, फिर पूरक प्रश्न पूछें।

**श्री निशिकान्त दुबे**: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि जो उत्तर है, यह कम है या नहीं के बराबर है। मैंने लिखित प्रश्न के भाग 'ग' में पूछा था कि क्या सरकार ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की आवधिक रूप से समीक्षा/आकलन/निगरानी कराती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, समीक्षा के दौरान किन खामियों का पता चला तथा कितने गैर-सरकारी संगठनों को कारण बताओ सूचना जारी की गई/काली सूची में डाला गया है? उसकी भी अलग-अलग सूची मुहैया नहीं कराई गई। इसलिए यह एक गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगली बार उत्तर देते हुए इसे मुहैया कराएं। एनजीओ एक व्यवसाय बन गया है। पिछले दो महीने में एनजीओ के बारे में यह मेरा तीसरा प्रश्न है और उसके उत्तर के लिए कभी गृह मंत्रालय से जवाब पूछना पड़ता है, कभी इन मंत्री जी से पूछना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई। वह पीआईएल कहती है कि इस देश में 943 व्यक्तियों पर एक पुलिस कांस्टेबल है, जबकि देश में 500 व्यक्तियों पर एक एनजीओ है। इस देश में 25 लाख एनजीओज़ हैं और यह सीबीआई की रिपोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। इसमें करीब 7,000 करोड़ रुपये है। इसका मतलब यह है कि पिछले छः साल में 7,000 करोड़ रुपये इन एनजीओज़ के पास गया यानि प्रत्येक साल करीब 1200 करोड़ रुपये प्रत्येक एनजीओ को दिया जाता है। इसके अलावा दो बिलियन यू.एस. डालर्स बाहर से एनजीओज़ को आता है यानि 8,000 करोड़ रुपये बाहर से आया है और 7,000 करोड़ रुपये इन्होंने दिया है। मेरे ही प्रश्न के जवाब में कहा गया कि उसमें एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री शामिल हैं। दिल्ली प्रदेश सरकार के उप मुख्य मंत्री इसमें शामिल हैं, जिनका सेक्युलरिज्म के नाम पर एनजीओ है। मेरा कहना है कि इस सिचुएशन में जिन एनजीओज़ को काली सूची में डालने वाला सवाल है, क्या मंत्री महोदय को पता है कि लॉ कमीशन ने 2004 में एनजीओज़ के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल की थी? उसमें सरकार को यह कहा गया कि जो मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड होता है, उसके लिए उन्होंने सीआरए बनाने के लिए अनुशंसा की। पिछली सरकार जो थी, वह एनजीओज़ से गाइडेड थी। सीआरए के बारे में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उनके खिलाफ क्रिमनल प्रोसीडिंग चलाने का मामला उन्होंने हटाया था, उसे कानूनीजामा पहनाने के लिए एनजीओज़ के बारे में मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

**श्री थावर चंद गहलोत:** अध्यक्ष महोदया, कितने प्रश्नों के उत्तर दूं, यदि आप कहें तो सभी के दे देता हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कोई निगरानी तंत्र है और कहीं कोई आनियमितता पाई जाती है तो क्या कोई कार्रवाई करने की व्यवस्था है? मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से निगरानी तंत्र भी है। अगर कहीं कोई आनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की व्यवस्था भी है और हमने की भी है। सामान्यतः जब प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से आते हैं तो निगरानी की व्यवस्था, उसकी जांच-पड़ताल की व्यवस्था उनके ही आधिकार क्षेत्र में ज्यादा है। हमारे मंत्रालय की ओर से हमारे आधिकारी भी समय-समय पर जाकर सरप्राइज निरीक्षण भी करते हैं और रूटीन निरीक्षण भी करते हैं। सामान्यतः दो-चार-पांच प्रतिशत तो हम रूटीन में निरीक्षण करते ही हैं। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार की आनियमितता पाई जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही कोई प्रस्ताव आया, उस पर स्वीकृति अगर दे दी जाती है तो हम पहली किस्त रिलीज करते हैं। दूसरी किस्त तब रिलीज करते हैं जब राज्य सरकार उसकी जांच-पड़ताल करके अनुशंसा के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजती है, वरना नहीं करते हैं। हमने जांच की और आनियमितता पाई गई, ऐसे 87 मामले हैं। हमने इन 87 एनजीओज़ को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उनमें से कुछ के जवाब आए हैं, जिनमें से दस को ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इन सबकी सूची मैं उनके पास भिजवा दूंगा। मेरे पास अभी भी है, यदि आप कहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं।

[अनुवाद]

**श्री के.एच. मुनियप्पा:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूरे देश में स्वैच्छिक संगठनों के बारे में जानना चाहता हूं। कुछ संगठन ऐसे हैं, जो समर्पित हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पिछले 20 वर्षों से परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं। मैं एक बैठक में शामिल हुआ, जिसमें श्री थावर चंद गहलोत जी भी उपस्थित थे। 50 प्रतिशत से अधिक एन.जी.ओ जो वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं, अभी भी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। ये स्थिति अभी से नहीं, बल्कि पिछले 20 सालों से है। क्या वह ऐसे एन.जी.ओ का पता लगाने का कोई तरीक़ा ढूंढ पाएंगे? एक तरीक़ा है, जिसमें अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं और जिला स्तरीय अधिकारी अपनी रिपोर्ट

भेज रहे हैं, जो व्यावहारिक रूप से सही नहीं है। आप उन संगठनों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि ऐसे संगठन जो काम नहीं कर रहे हैं, क्या वे उनकी संख्या का पता लगाने के लिए कोई तरीक़ा खोजेंगे? क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। मैं इस मुद्दे पर जवाब चाहता हूं।

दूसरा सवाल, क्या माननीय मंत्री जी उन संगठनों के संबंध में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए छात्रावास भवनों का निर्माण करेंगे, जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और जिनकी रिपोर्ट सही है?

[हिन्दी]

**श्री थावर चंद गहलोत:** अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जो गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ, जिस काम में रूचि रखता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि होस्टल के लिए धनराशि देंगे, अगर वे होस्टल के लिए प्रस्ताव भेजेंगे तो हम उनके गुण-दोष पर विचार करके स्वीकृति देंगे। अगर अवासीय विद्यालय चलाते हैं, नशा मुक्ति केन्द्र चलाते हैं, उसके लिए प्रस्ताव भेजेंगे तो उस पर भी देंगे। हमारी मुख्य रूप से सात योजनाएं हैं, उन सातों योजनाओं पर हम धनराशि आबंटित करते हैं। माननीय सदस्य अगर इस प्रकार की किसी एनजीओ की जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से गुण-दोष के हिसाब से विचार करके सकारात्मक सोच के साथ उनको स्वीकृति देने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

**डॉ. ए. संपत:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न वृद्ध लोगों के कल्याण के संबंध में है। हमारा देश आजकल एक बहुत ही अजीब स्थिति का सामना कर रहा है, जिसे भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है कि 100 मिलियन से अधिक लोग ऐसे हैं, जो या तो वृद्ध हैं या वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे रहे हैं।

महोदया, जब आप अध्यक्ष थीं, तो हमने इसी सत्र में इसी सदन में वृद्ध लोगों के कल्याण, वृद्धावस्था एवं उपशामक देखभाल के संबंध में भी बहुत चर्चा की थी। एक माननीय सदस्य, श्री भर्तृहरि महताब, जो इस समय सभा में उपस्थित हैं, ने भी इस विषय पर एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया था।

मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि, जबकि माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया है, लिखित वक्तव्य के पैराग्राफ (4) में उन्होंने कहा है:

"<u>वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम:</u>

> इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसके अंतर्गत उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सकीय देखभाल तथा मनोरंजन के अवसर प्रदान करना शामिल है। इसके साथ ही, सरकार/गैर-सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों एवं समुदाय को सक्षम बनाकर सक्रिय एवं सार्थक वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है।

महोदया, एक दिन हम सभी वृद्ध होते हैं। आज जबकि अनेक गैर-सरकारी संगठनों को प्रचार और जागरूकता जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, ऐसे में यह भी ज़रूरी है कि वृद्धजनों से प्रत्यक्ष और आत्मीय संपर्क स्थापित किया जाए। हमें यह दिखाना चाहिए कि हम यहाँ केवल नीति बनाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में उनके साथ खड़े होने के लिए भी हैं — क्योंकि उन्हें हमारी आवश्यकता है।

हमें ऐसा माहौल बनाना होगा, कि उन्हें जब भी हमारी ज़रूरत हो, तो हम उनके साथ खड़े हों। कुछ ऐसे संगठन या संस्थान या एन.जी.ओ. मौजूद हैं, जो सामुदायिक देखभाल, जैसे उपशामक और वृद्धावस्था देखभाल में अच्छी सेवा कर रहे हैं। क्या भारत सरकार इस प्रकार के संस्थानों या गैर-सरकारी संगठनों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने को तैयार है, जो स्वेच्छा से वृद्धावस्था के साथ-साथ उपशामक देखभाल में लगे हुए हैं?

[हिन्दी]

**श्री थावर चंद गहलोत:** अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले भी बताया अभी फिर बताना चाहूंगा कि वृद्धजनों के लिए हम समेकित एकीकृत कार्यक्रम आयोजित करते हैं, संचालित करते हैं। उसके अंतर्गत वृद्धजन गृह का निर्माण होता है, उनका संचालन होता है। सरकारी संस्थानों के माध्यम से स्थानीय निकाय या पंचायत के माध्यम से भी इस प्रकार के वृद्धजन गृह या वृद्धाश्रम संचालित होते हैं और यदि गैर सरकारी संगठन भी संचालित करते हैं तो उन्हें ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम धनराशि देते हैं। हमारा प्रयास है कि वृद्धजनों को प्रताडित नहीं होना पड़े, उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए वृद्धजन गृह योजना भी है, वृद्धाश्रम भी है। वहां वे सारी सुविधाएं, जो परिवार का वातावरण दिलाने जैसी हैं, उपलब्ध कराने का हम काम करते हैं। माननीय सदस्य अगर कोई एन.जी.ओ. या कोई संस्थान इस प्रकार के प्रस्ताव भेजता है तो मैं निश्चित रूप से विचार करके उन पर स्वीकृति का प्रयास करूंगा।

[अनुवाद]

**श्री भर्तृहरि महताब:** माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी इस पद की जिम्मेदारी संभालने के पश्चात् देशभर का भ्रमण कर रहे हैं और अपने मंत्रालय के अंतर्गत विभागीय कार्यों का अत्यंत कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। उन्होंने जब हमारे राज्य ओडिशा सहित अन्य राज्यों का दौरा किया, तब उन्होंने गहरी संवेदनशीलता और चिंता प्रकट की है।

मेरा सवाल थोड़ा अलग है। हमारे पास बच्चों के लिए एक आयोग, महिलाओं के लिए एक आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग है।

[हिन्दी]

सीनियर सिटीजन्स की दस करोड़ से ज्यादा की आबादी साठ साल से आधिक है और यह बढ़ने वाली है और पांच, दस साल या 2050 में ये और भी ज्यादा हो जायेंगे। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि क्या सरकार का कोई ऐसा विचार है कि वह इस तरह का एक कमीशन सीनियर सिटीजन्स के लिए बनायें?

**माननीय अध्यक्ष:** सजेशन पर विचार कर लीजिए।

**श्री थावर चंद गहलोत:** हमारी सरकार ने वृद्धजनों के हित संरक्षण की अनेक योजनाएं बनाई हैं, हम उनके लिए चिंतित भी हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है और ये आज युवा हैं, कल वृद्ध होने वाले हैं। उनके बारे में देश के प्रधान मंत्री जी ने भी योजनाओं की घोषणा भी की है, पेंशन की व्यवस्था भी की है। आप कमीशन की बात कर रहे हैं, हम वृद्धजन नीति भी बना रहे हैं और जो प्रश्न आपने किया है, हम उस पर गम्भीरता से विचार भी कर रहे हैं। परंतु आज की तारीख में मैं यह नहीं कह सकता हूं कि हम बना पायेंगे कि नहीं।

**श्री राजेश रंजन:** मैडम, इस पर आधा घंटे की चर्चा करा ली जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** आप लिखकर दे दें।

**(प्रश्न संख्या 184)**

[अनुवाद]

**श्री अर्जुन चरण सेठी:** माननीया अध्यक्ष महोदया, सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) ऐसी लागत है जो आवधिक रूप से उत्पन्न होती रहती है। पहले संबंधित राज्य सरकार भुगतान करती है और बाद में केंद्र सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करती है। लेकिन हाल ही में प्रेस में यह समाचार आया है कि सुरक्षा बलों, विशेषकर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की परिचालन आवश्यकताओं के लिए केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य सरकार से भुगतान करने का अनुरोध किया है।

विशेष रूप से, सी.आर.पी.एफ के लिए, उन्होंने सुरक्षा बलों की परिचालन आवश्यकताओं से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार से भुगतान मांगा है। यह एक तथ्य है कि यह सुरक्षा से संबंधित है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि वे राज्य सरकार से इस राशि का भुगतान कैसे मांग सकते हैं?

[हिन्दी]

**श्री हरिभाई चौधरी:** अध्यक्ष महोदया, ऐसी बात नहीं है, जो सिक्योरिटी रिलेटिड एक्पेंडीचर होते हैं, वे सिर्फ सुरक्षा के लिए ही होते हैं। जो खर्चा पुलिस की ट्रेनिंग के लिए होता है, उनके कैंप जाने-आने का जो खर्चा होता है, उसके लिए स्टेट को कुछ बताने का की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब सुरक्षा के बाबत होता है। इसलिए जो खर्चा पुलिस और सुरक्षा बल करते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार ही पैसा देती है।

[अनुवाद]

**श्री अर्जुन चरण सेठी:** उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने कुछ धनराशि व्यय की है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं, कि उन्होंने विशेष रूप से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास पर कितना व्यय खर्च किया है?

[हिन्दी]

**श्री हरिभाई चौधरी:** महोदया, रिहैबिलिटेशन की जो पॉलिसी है, वह राज्य सरकार डिसाईड करती है। जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से देना होता है, वह दिया जाता है। अभी जो सरेंडर करता है, उसको हम ढाई लाख रूपया देते हैं और डेढ़ लाख रूपये देते हैं तथा फिक्स डिपॉज़िट करते हैं। सरेंडर करने के तीन साल तक उसको हम चार हज़ार रूपये प्रति महीना वेतन भी देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं।

[अनुवाद]

**श्री अर्जुन चरण सेठी:** अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है?

**माननीय अध्यक्ष:** राज्य सरकार को एक योजना बनानी होगी और उसके बाद ही वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे।

[हिन्दी]

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे**: अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में उग्रवाद की घटनाएं कई राज्यों में होती हैं। उग्रवादी घटनाओं पर अंकुश रखने के लिए उनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। केंद्र सरकार, स्क्योरिटी रिलेटिड एक्सपेंडीचर स्कीम के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों को उग्रवाद से निपटने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा महाराष्ट्र सरकार की कितनी वित्तीय सहायता की मांग केंद्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी है, इसकी विस्तृत जानकारी दें तथा इस तरह की उग्रवाद की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**माननीय अध्यक्ष**: आपने एक ही प्रश्न में तीन सवाल पूछ लिए हैं।

**श्री हरिभाई चौधरी:** अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है तथा यह इसके संदर्भ में नहीं है।

**श्री अभिषेक सिंह**: महोदया, हमारा देश इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती वामपंथी उग्रवाद के रूप में हम देखते हैं। इस पूरी लड़ाई के केंद्रबिंदु में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, पूरे देश में इसका एक केंद्र बन चुका है। इस लड़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वह है वामपंथी उग्रवादरोधी रणनीति। वर्तमान में अलग-अलग राज्य अपनी-अपनी नीतियां बनाते हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पूरे भारत देश में इस समस्या के निदान के लिए इंटिग्रेटिड कोई एक ऐसी नीति बने जो सभी राज्यों को समाहित करते हुए बने। उस नीति के अंतर्गत विशेष रूप से वे महिलाएं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनका स्किल अपग्रेड कर के, उनको रोज़गार की सुविधाएं मुहैया करा कर, उनको हम समाज की मुख्यधारा से कैसे जोड़ सकते हैं? हम कैसे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन भाइयों और बहनों का विश्वास लोकतंत्र की ओर जुड़ा है, उनको हम इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि उनको देख कर जो बाकी भाई-बहन हैं, वे वापस समाज की मुख्यधारा में, लोकतंत्र की मुख्यधारा में लौट सकें।

**श्री हरिभाई चौधरी:** महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, उस प्रकार से हमने छह राज्यों को एक साथ बुलाकर अभी 9 तारीख को ही बैठक की थी। उसमें 6 केंद्रीय मंत्री थे, दो मुख्यमंत्री थे और सभी 6 राज्यों के डी.जी. भी शामिल थे। दस राज्यों और 106 जिलों का जो पूरा प्रभावित क्षेत्र है, उसके लिए हमने कड़ी नीति अपनाई है। इस एरिया के डेवलपमेंट का जो काम है, जो विकास का काम है, सिक्योरिटी के बारे में, रेल, बी.एस.एन.एल. आदि के बारे में, उसे हमने मिशन मोड पर लिया है और मीटिंग करके एक्शन टेकन भी किया है। आज तक 106 जिलों में 9 हजार करोड़ रूपया हमने दिया है। पूरी तरह से विकास होगा तो इस एरिया में वामपंथी उग्रवाद कम होगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी, विशेषकर महिलाओं के लिए।

**श्री हरिभाई चौधरी:** माननीय सदस्य ने कहा कि जो सरेंडर करते हैं, जो रिहैबिलिटेशन के लिए सरेंडर करते हैं, इन सारी स्कीम्स से हम उनकी मदद करते हैं। उनकी ट्रेनिंग करते हैं और उन्हें समझाते भी हैं।

**(प्रश्न संख्या 185)**

**श्री श्यामा चरण गुप्त**: महोदया, इलाहाबाद लोक सभा के नैनी औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार के कई बड़े-बड़े उद्योग हैं, जिसमें त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा डिफेंस के उत्पादन की कई इकाईयाँ इस क्षेत्र में बहुत दिनों से चल रही थीं। इनमें एक-एक इकाई में हजारों एकड़ जमीन की बाउन्ड्री बनी हुई है और एक-एक इकाई में पाँच-पाँच, छह-छह हजार श्रमिक काम कर रहे थे। विगत सरकार की नीतियों से अथवा गलत प्रबन्धन से ये सभी इकाईयाँ रूग्ण हो गई हैं और अब इनमें आधे इम्प्लाई भी काम नहीं कर रहे हैं। इनको बहुत दिनों से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों के बहुत से समूह हमारे सामने आकर रोते हैं, अपना बकाया माँगते हैं और कहते हैं कि आपकी सरकार है, अब हम कहाँ जाएं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिनों के लिए जो घोषणा की थी कि अब कोई भी अनइम्प्लॉइड नहीं हो पाएगा। हमारा इलाहाबाद स्मार्ट सिटी भी घोषित हो गया है। ऐसी स्थिति में हमें इम्प्लॉइमेंट देना है, अनइम्प्लॉइड लोगों को कहीं न कहीं एडजस्ट करना है। मैं माननीय भारी उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर इलाहाबाद की इन रूग्ण इकाईयों को पुनजीरवित करने के लिए क्या योजनाएं हमारे यहाँ दे रहे हैं या उन्हें इम्प्लॉइमेंट देने की आपकी कोई योजना है या नहीं है?

**श्री अनन्त गंगाराम गीते:** महोदया, माननीय सदस्य ने सदन के सामने जो जानकारी दी है, उस सारी जानकारी से मैं सहमत हूं। मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए दो उद्योग हैं, जो सदस्य के क्षेत्र में हैं। उनमें से एक भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड है और दूसरा त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड है। इन दो इकाईयों में से भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के लिए रिवाइवल पैकेज 156 करोड़ रूपए का दिया गया है और उसके रिवाइवल के लिए प्रयास चल रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड का रिवाइवल सही तरीके से हो पाएगा। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड एक दूसरी इकाई है जो मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई है। जो दो अन्य इकाईयाँ

हैं, जिनका मेरे मंत्रालय से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि उनके सन्दर्भ में कोई जानकारी आवश्यक हो तो उनसे सम्बन्धित मंत्रालयों से उपलब्ध कराई जा सकती है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड का मामला न्यायालय तक पहुँच गया था और न्यायालय के निर्णय के बाद अब प्रोवीजनल लिक्विडेटर उस कंपनी पर अपॉइंट किया गया है। लिक्विडेटर अपॉइंट होने के कारण कई समस्यायें, आज जो कर्मचारी उस कंपनी के हैं, उनके वेतन को लेकर या उनके वी.आर.एस. को लेकर कई समस्यायें हैं। मेरा मंत्रालय और मैं चाहता हूं कि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं, कई महीने से उनको वेतन नहीं मिला है, जिन समस्याओं या कठिनाइयों का वे सामना कर रहे हैं, मैं उनसे अवगत हूं। जिस प्रकार से वे सदस्य को मिले थे, उसी प्रकार ये सारे कर्मचारी, उनके नेता मेरे मंत्रालय में आकर मुझसे भी मिले थे। हमने मंत्रालय की ओर से यह प्रयास किया है। एक तो लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद वी.आर.एस. देना या उस प्रकार की घोषणा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कानपुर टैक्सटाइल मिल्स का एक प्रिसिडैन्ट है कि कानपुर टैक्सटाइल मिल्स लिक्विडेशन में जाने के बाद भी उस मिल के कर्मचारियों को वी.आर.एस. दिया गया है। जब यह प्रिसिडैन्ट मेरी जानकारी में आया है, तब हमने टैक्सटाइल मिनिस्ट्री से यह जानकारी मँगवाई है कि किस प्रकार से लिक्विडेशन में जाने के बाद भी कानपुर टैक्सटाइल मिल्स के कर्मचारियों को वी.आर.एस. दिया गया है। उसकी जानकारी हमने मँगवाई है। जैसे ही वह जानकारी आती है, आने के बाद निश्चित रूप में मंत्रालय की ओर से हम प्रयास करेंगे और उस प्रिसिडैन्ट को क्वोट करते हुए लॉ मिनिस्ट्री के पास उनकी सलाह के लिए निश्चित रूप से भेजा जाएगा। जो लॉ मिनिस्ट्री की सलाह आएगी, उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। सरकार कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखती है और भविष्य में भी रखेगी और उन कर्मचारियों को जितना भी सहयोग करने की आवश्यकता है, उसके लिए पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा।

**श्री श्यामा चरण गुप्त**: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन ईकाइयों को पुनजीरवित करने के भी प्रयास चल रहे हैं अथवा नहीं? अगर इन्हें पुनजीरवित नहीं करना है,

दोबारा नहीं चलाना है, रिवाइव नहीं करना है तो क्या इनको प्राइवेटाइज़ करने की भी कोई व्यवस्था बन रही है?

**माननीय अध्यक्ष:** दो के बारे में तो मंत्री जी ने बता दिया है।

**श्री अनन्त गंगाराम गीते:** माननीय अध्यक्ष जी, दो के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरी जो दो ईकाइयाँ हैं, उनका मेरे मंत्रालय से सीधा संबंध नहीं है। उस मंत्रालय से यदि इस संदर्भ में जानकारी चाहिए तो माननीय सदस्य अलग से उस पर यहाँ प्रश्न का नोटिस दे सकते हैं। दो के बारे में मैंने जानकारी दी है। भारत पंप्स एंड कंप्रैसर्स लिमिटेड के रिवाइवल के लिए आलरेडी मंज़ूरी दी गई है और रिवाइवल का काम चल रहा है और किसी भी प्रकार का निजीकरण का कोई निर्णय नहीं है या उस प्रकार का कोई विचार आज तक सरकार के पास नहीं है।

[अनुवाद]

**श्री एस.पी. मुदाहनुमे गौड़ा:** महोदया, यह दुख की बात है कि उत्कृष्ट अधोसंरचना और पर्याप्त जनशक्ति के बावजूद अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और संकटग्रस्त हो रहे हैं।

अगर हम एच.एम.टी की घड़ी बनाने वाली चार इकाइयों की बात करें, तो पूरे देश में चार ऐसी यूनिटें हैं। इन सबको मिलाकर देखा जाए तो ये सभी घाटे में चल रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तुमकुर में जो इकाई है, उसके पास बेहतरीन सुविधाएं, नई मशीनें और पर्याप्त कर्मचारी हैं। वह बहुत अच्छी जगह पर भी है। यदि हम इस यूनिट को स्वतंत्र रूप से चलाते हैं, तो यह लाभ कमाने में सक्षम है।

मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि सभी इकाइयों को एक साथ रखने और पूरी इकाई को रुग्ण बनाने के बजाय, भारत सरकार एच.एम.टी घड़ियों के ब्रांड मूल्य को संरक्षित करने के लिए तुमकुर स्थित इकाई को अलग कर सकती है। भारत सरकार कम-से-कम तुमकुर स्थित एच.एम.टी इकाई के संरक्षण के बारे में सोच सकती है, जो

लाभ कमाने में सक्षम है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, कि वह तुमकुर स्थित एच.एम.टी इकाई के प्रति उदारता दिखाएँ।

[हिन्दी]

**श्री अनन्त गंगाराम गीते:** माननीय अध्यक्ष जी, एच.एम.टी. वाच तुमकुर के बारे में माननीय सदस्य ने यहाँ प्रश्न किया है। जो प्राफिट में चलने वाले यूनिट्स हैं, उनके प्रति उन्होंने चिन्ता जताई है। लेकिन एच.एम.टी. लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, उसके तहत सारे यूनिट्स आते हैं। जो सूचना या सुझाव माननीय सदस्य ने यहाँ पर दिया है, उस पर कोई निर्णय करना आज तो संभव नहीं है, लेकिन प्रयास ज़रूर किए जाएंगे। मंत्रालय की कोशिश तो यही रही है कि जो अच्छे यूनिट्स हैं, वे चलते रहें और उनको पूरा सहयोग मिले।

**श्री सुल्तान अहमद**: मैडम स्पीकर साहब, यह सवाल सिक पी.एस.यूज़ के संबंध में है। पूरे देश में 65 पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज़ में से 11 बंगाल में हैं। टायर कार्पोरेशन, नेशनल जूट मैनुफैक्चरिंग, हिन्दुस्तान केबल्स और बर्न स्टैंडर्ड का नाम किसी ज़माने में देश के नामवर पी.एस.यूज़ में होता था, लेकिन आज इनके हज़ारों हज़ार वर्कर्स के दिन भुखमरी में गुज़र रहे हैं। इस सरकार ने बहुत ही स्वच्छता और ईमानदारी के साथ कोल ऑक्शन आदि का काम शुरू किया है। क्या सरकार की इस तरह की परिकल्पना है कि आने वाले दिनों में सिक पी.एस.यूज़. को भी ऑक्शन के जरिये हो, एफ.डी.आई. लाकर के हो या फॉरेन इन्वैस्टमेंट हो, उसको रिवाइव करने का कोई विचार है? इसलिए कि यह देखा जा रहा है कि इन पर हजारों-हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च होते हैं, तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। क्या इस तरह की सरकार ने कुछ परिकल्पना बनाई है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं?

**श्री अनन्त गंगाराम गीते**: मैं सदस्य की बात से पूरी तरह सहमत हूं। लगभग 65 इकाइयां हैं, जो हमारे सी.पी.एस.ईज़. हैं, वे सिक हैं, बीमार हैं। सरकार इस सन्दर्भ में निश्चित रूप में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर रही है। जहां तक मेरे भारी उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमने यह निर्णय किया है, पांच सी.पी.एस.ईज़. हैं, जो सिक हैं, जिन्हें हम चला नहीं पा रहे हैं या भविष्य में चला नहीं सकते हैं, उन्हें हमने बन्द

करने का निर्णय किया है। उन्हें अच्छा पैकेज वी.आर.एस. के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो अलग-अलग सी.पी.एस.ईज़. हैं, जो भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के तहत आते हैं, सभी मंत्रालयों को इस प्रकार से अध्ययन करने के लिए सुझाव दिये गए हैं। हर मंत्रालय इस विषय पर अध्ययन कर रहा है और भविष्य में जो सिक यूनिट्स हैं, उनके बारे में निश्चित रूप में योग्य कदम उठाये जाएंगे।

**माननीय अध्यक्ष**: भगत सिंह कोशियारी जी, आपके यहां तो कोई पी.एस.यू. नहीं है न।

**श्री भगत सिंह कोश्यारी**: माननीय अध्यक्षा जी, मेरे यहां भी एच.एम.टी. है। पिछली बार माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि हम इसे बन्द नहीं करेंगे। अब मुझे पता लगा है कि उसके बन्द होने की नौबत आ रही है। मेरा एक ही निवेदन है, वह सब ने उठाया है, रुग्ण पी.एस.यूज़. का बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, उन्होंने उसके रिवाइवल के लिए कहा है, मेरा यह निवेदन है कि हर क्षेत्र में, जहां-जहां भी इस प्रकार के संस्थान हैं, इस प्रकार के उद्योग हैं, माननीय मंत्री जी, क्या आप वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों को, वहां के माननीय सांसद जी के साथ मिलकर के कोई कमेटी बिठाएंगे ताकि वह बाहरी सम्पत्ति आप किसी को सस्ती दरों में न दे दें, आप उसमें केवल हस्तक्षेप करें। मेरा निवेदन है कि आप एक कमेटी बिठायें और संसद सदस्य उसमें रहें, उसके बाद आप उसके बारे में निर्णय लें, क्या आप ऐसा करेंगे?

**माननीय अध्यक्ष**: अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव दें तो उस पर विचार कर लेना।

**श्री अनन्त गंगाराम गीते**: अध्यक्षा जी, जब मैंने अपने पहले उत्तर में कहा कि हमने पांच सी.पी.एस.ईज़. बन्द करने का निर्णय लिया तो उनमें एच.एम.टी. के तीन यूनिट्स भी हैं, उनमें से जिसका जिक्र यहां पर सदस्य ने किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जब हमने यह निर्णय किया है तो बहुत अच्छा वी.आर.एस. पैकेज हम उन्हें देने जा रहे हैं। उन्हें 2007 के पे-स्केल से हम पैकेज दे रहे हैं और इसीलिए कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे। बहुत ही अच्छा पैकेज हम वी.आर.एस. के माध्यम से दे रहे हैं। ...(व्यवधान) सम्पत्ति के बारे में सदस्य ने जो चिन्ता यहां पर जताई है, निश्चित रूप में यह सरकार की सम्पत्ति है। इसका दुरुपयोग नहीं

होगा और न ही दुरुपयोग हम होने देंगे। जहां पर आवश्यकता होगी, निश्चित रूप में जो स्थानीय सांसद हैं या जन-प्रतिनिधि हैं, उनका सहयोग भी हम लेंगे।

**(प्रश्न संख्या 186)**

**श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी**: माननीय अध्यक्षा जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि कृषि मेले क्या देश में लगाये जा रहे हैं...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष**: आप थोड़े इधर हो जाइये, ताकि दिखाई दे सकें।

**श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी**: इसमें मुझे उत्तर मिला है कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर कृषि मेले या प्रदशरनियां इसलिए लगाई जाती हैं ताकि किसानों को जागरूक किया जाये, उन्हें आधिक से आधिक सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाये। मुझे लगता है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या संसदीय क्षेत्र स्तर पर, जिले स्तर पर और उसके नीचे गांव स्तर पर भी भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है कि चौपाल लगाकर के और मेला लगाकर के किसानों को आधिक से आधिक जानकारी सरकारी योजनाओं की दी जाये?

**श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया**: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय संसद सदस्य ने जो प्रश्न किया है, केन्द्र सरकार से आधिक से आधिक हर एक राज्य में कृषि मेला कैसे आयोजित होता है, 2012 से अब तक हर एक राज्य में कृषि मेले के लिए केन्द्र सरकार ने 72.62 करोड़ रुपये की धनराशि दी है।

**मध्याह्न 12.00 बजे**

अध्यक्ष जी, पूरे देश में 'आत्मा' योजना के तहत हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में 'कृषि मेला' के आयोजन का प्रावधान है। हमारे पास एक सुझाव है कि हर एक एम.पी. के संसदीय क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से कृषि मेले का आयोजन किया जाए। इसके बारे में सांसदों के सुझावों पर 'आत्मा' योजना के तहत विचार किया जा सकता है।

**श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी**: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों को उनकी उत्पादकता का लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? दैवी आपदाओं से जो उनका नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:** माननीय अध्यक्ष जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर किसानों को उनकी उपज के दाम मिलते हैं और हम उन्हें इसी आधार पर दे रहे हैं।

---

# [2*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 187 से 200,
अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300)

[2*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

**अपराह्न 12.01 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष** -- अब सभा पटल पर रखे जानेवाले पत्रों पर विचार करेगी।

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर):** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन देहरादून के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1923/16/15]

(3) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष - 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1924/16/15]

(5) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष - 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1925/16/15]

(7) पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 287(अ) जो 30 जनवरी, 2015 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त स्कीम के अंतर्गत यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 जून 2015 तक की अवधि के लिए फण्ड मैनेजर के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1926/16/15]

[हिन्दी]

**उपभोक्ता मामले**, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान):** अध्यक्ष महोदया, श्री रावसाहेब पाटील दानवे की ओर से, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015 जो 21 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1927/16/15]

**अपराह्न 12.02 बजे**

## अंतर-संसदीय संघ (आई.पी.यू) की 130वीं सभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

[अनुवाद]

**महासचिव:** महोदया, मैं 16 से 20 मार्च, वर्ष 2014 तक जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 130वीं बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

———

**अपराह्न 12.03 बजे**

## याचिका समिति

### पहला से तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

**श्री भगत सिंह कोश्यारी** (**नैनीताल - उधम सिंह नगर**): महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं-

(1) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 09 कमीशन वेंडरों के स्टॉल्स/ट्रॉलियों को मनमाने ढंग से बंद कर दिए जाने संबंधी रेलवे के आदेश के बारे में आखिल भारतीय रेल विक्रता संघ के महासचिव श्री रिंकू अग्रवाल से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के निर्णय को लागू न किए जाने के बारे में श्रीमती रीता कुनुर से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 7वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) क्रेडिट इंफार्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड में कृषि ऋण की अदायगी न करने वालों के नाम शामिल न किए जाने के बारे में श्री अमोल एम टोटे से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

**अपराह्न 12.04 बजे**

## कार्य मंत्रणा समिति

### 13वां प्रतिवेदन

**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं-

"कि यह सभा 9 मार्च, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष महोदया**: प्रश्न यह हैः

"कि यह सभा 9 मार्च, वर्ष 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 13वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अध्यक्ष महोदया:** अब सभा शून्यकाल पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका):** अध्यक्ष महोदया, देश में स्वाइन फ्लू एक गंभीर और जानलेवा बीमारी साबित हुई है। देश में और प्रदेश में हज़ारों लोगों की जानें इस बीमारी से गयीं हैं। दिन-प्रतिदिन स्थिति बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। स्कूलों में, कॉलेजों में आम नागरिकों की सुरक्षा को कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। हज़ारों लोग मौत के शिकार हुए हैं। खासकर, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडीशा में इस जानलेवा बीमारी से भारी खतरा उत्पन्न हुआ है। इसकी दवा का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है। इसे माननीय मंत्री जी और सरकार गंभीरता से लें। देश में चारों तरफ अफरा-तफरी मची हुई है। हॉस्पीटल्स में बेड की व्यवस्था नहीं है, दवा की व्यवस्था नहीं है, इसके परीक्षण की व्यवस्था नहीं है। स्वाइन फ्लू से देश में त्राहिमाम हो रहा है। इसलिए पूरा सदन और सभी माननीय सदस्य इस सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इसके लिए आपने क्या विशेष प्रोग्राम बनाए हैं? आपने क्या विज्ञापन दिए हैं? आपने इस जानलेवा स्वाइन फ्लू बीमारी से सुरक्षा के क्या इंतज़ाम कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

**डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, कल इस सभा में माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर में पी.डी.पी-बी.जे.पी सरकार बनने के कुछ दिनों के भीतर एक अलगाववादी की रिहाई के बारे में स्थिति स्पष्ट की।

हम सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार से क्या स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

इसके अतिरिक्त, अलगाववादी की रिहाई से उत्पन्न हुए विवाद की पूरी तरह अनदेखी करते हुए, स्थिति को और भी गंभीर बनाते हुए, मुख्यमंत्री ने कथित रूप से जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक को लगभग दर्जन भर अन्य अलगाववादियों तथा कई अन्य बंदियों को रिहा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस निर्णय पर उन्हें किसी से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस सूची में लगभग दर्जन भर आतंकवादी और कई कट्टर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति शामिल हैं।

अलगाववादियों और आतंकवादियों को रिहा करना एक राष्ट्र-विरोधी कार्य है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री जी हमारे राष्ट्र के हित और सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं।

अतः हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस सरकार से बाहर आकर राज्य में नए चुनावों की घोषणा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर की पीडीपी पार्टी को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों — जैसे कि अलगाववादियों, उग्रवादियों और आतंकवादियों की रिहाई — के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के विरुद्ध है।

**श्री ए. अनवर राजा (रामनाथपुरम):** धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में हम एक गंभीर राष्ट्रीय राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिसका कारण जम्मू-कश्मीर के श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा राजनीतिक बंदियों की रिहाई के संबंध में दिया गया गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य है। यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि उन बंदियों में कुछ आतंकवादी एवं आपराधिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं।

केंद्र सरकार का यह स्पष्टीकरण कि वह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री से इस विषय में संवाद कर रही है, देश की जनता को संतुष्ट नहीं करता। यद्यपि हमारी पार्टी, ए.आई.ए.डी.एम.के., सदैव राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध रही है तथा उसे सर्वोपरि मानती रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्ष 1962 के चीनी युद्ध के दौरान जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रक्षा कोष के लिए उदार योगदान देने की अपील की थी, तब हमारे संस्थापक नेता, *पुरात्ची थलाइवर एम.जी.आर.* ने राष्ट्र के लिए पहला योगदान चेक प्रस्तुत कर अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया था।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे नेता के इस सद्भावनापूर्ण कार्य की सराहना करते हुए तुरंत एक तार (टेलीग्राम) भेजा था। यह हमारे इतिहास का एक गौरवपूर्ण क्षण था। इसी प्रकार, भारत-पाक युद्ध के दौरान, हमारी प्रिय नेता, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी*, दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में सीमा पर गईं और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया।

उस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री भी उपस्थित थे। हमारी नेता, माननीय अम्मा ने अपने गले का हार, चूड़ियां और सभी आभूषण उतारकर राष्ट्रीय कार्य के लिए दान स्वरूप समर्पित कर दिए।

हम, इस सम्माननीय सभा में उपस्थित 37 संसद सदस्य, हमारे संस्थापक नेता, *पुरात्ची थलाइवर एम.जी.आर* और हमारी माननीय *पुरात्ची थलाइवी, अम्मा* द्वारा शुरू की गई इस देशभक्ति परंपरा में पले-बढ़े हैं।

देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध एक पार्टी के रूप में, हम केंद्र सरकार से मुफ्ती मोहम्मद की सरकार को हटाने का आग्रह करते हैं, जो हमारे देश की संप्रभुता के खिलाफ काम करती है।

[हिन्दी]

**डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण):** महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ध्यान मेडिकल डिवाइसेज में जो अंधाधुंध लूट चल रही है, उसकी तरफ दिलाना चाहूंगा। आज की डेट में चाहे वह कार्डीऐक इम्प्लांट्स हो, चाहे वह आर्थोपेडिक इम्प्लांट्स हो, जो मार्केट प्राइस होता है, उससे पांच गुना दाम लिया जाता है। अगर मरीज हार्ट अटैक से नहीं मरे तो वह इन इम्प्लांट्स की कीमत देखकर जरूर मर जाएगा।

मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जो इम्प्लांट होता है, उसे एबॉट कंपनी चालीस हजार रूपए में इंपोर्ट करती है और इसको बाजार में डेढ़ लाख रूपए में बेचा जाता है, एक इम्प्लांट को मेडिट्रॉनिक्स तीस

हजार रूपए में इंपोर्ट करती है, जबकि इसको मार्केट में एक लाख बासठ हजार रूपए में बेचा जाता है, ऐसे ही जानसन एंड जानसन पैंतालीस हजार रूपए में इंपोर्ट करती है और मार्केट में इसका प्राइज एक लाख पैंतीस हजार रूपए है। एक एंजियोप्लास्टी करने में कम से कम तीन से चार इम्प्लांट्स की जरूरत पड़ती है। एक पेशेंट को चार लाख रूपए तक देने पड़ते हैं। अगर आर्थोपेडिक इम्प्लांट की बात करें तो दस हजार रूपए की चीज पचास हजार रूपए में बेंची जा रही है। आई.वी. सेट की बात करें, तो अगर कोई दुकानदार सौ आई. वी. सेट खरीदता है तो उसे पांच सौ आई.वी. सेट फ्री में मिलते हैं। किस तरह से इन मामलों में मरीजों को डॉक्टर और दवाखाने के नेक्सस से लूटा जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से इसके प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब कॉस्मेटिक में एम.आर.पी. फिक्स होता है तो मेडिकल इम्प्लांट्स में भी हर हालत में एम.आर.पी. फिक्स होनी चाहिए, जिससे मरीजों को सहूलियत मिल सके। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री शिवकुमार उदासि, श्री निशिकान्त दुबे, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री देवजी एम. पटेल, श्री प्रेम दास राई, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री नारणभाई काछड़िया, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री पी.पी.चौधरी को डॉ. संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**डॉ. थोकचोम मेन्या (आंतरिक मणिपुर):** महोदया, कृपया याद करें कि मैंने इस विशेष मुद्दे को इस सत्र के दौरान 25 फरवरी को उठाया था, ताकि केंद्र सरकार से कुख्यात सशस्त्र बल (विशेष) शक्तियां अधिनियम, 1958 को निरस्त करने का आग्रह किया जा सके।

महोदया, जैसा कि आप जानती हैं, चार आयोगों/समितियों ने इस अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश की है, लेकिन हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश को अस्वीकार करने की सिफारिश की है।

यह विशेष अधिनियम अब जम्मू और कश्मीर राज्य सहित भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। इसके प्रभाव ने व्यापक प्रभाव डाला है, जिससे कथित फर्जी मुठभेड़ों में कई लोगों की जानें गईं और अनेक लोग लापता भी हो गए हैं। यदि एक बार गृह मंत्रालय द्वारा इस विशेष समिति के प्रतिवेदन को खारिज कर दिया जाता है, तो मुझे आशंका है कि स्थिति और भी अधिक गंभीर हो जाएगी। अतः मैं अत्यंत सम्मानपूर्वक सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर पुनः विचार किया जाए। इस संबंध में, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, कि वह तुरंत हस्तक्षेप करे और गृह मंत्रालय को निर्देश दे कि वह जनहित में जीवन रेड्डी समिति के प्रतिवेदन को अस्वीकार करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और सशस्त्र बल (विशेष) शक्तियां अधिनियम, 1958 को तुरंत निरस्त करे। धन्यवाद, महोदया।

**श्रीमती कविता कल्वकुंतला (निजामाबाद):** महोदया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीड़ी पैक पर छपी 'स्वास्थ्य चेतावनी' का आकार बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इससे हमारे देश में कार्यरत लाखों बीड़ी कर्मकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सिगरेट और बीड़ी को एक साथ एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोनों को एक ही श्रेणी में रखा है। सिगरेट उद्योग अत्यधिक यंत्रीकृत और बहुत महंगा है। यह श्रम प्रधान नहीं है। महोदया, मेरे तेलंगाना में भी लाखों बीड़ी श्रमिक हैं। उनकी वजह से उनका घर चलता है। उनको एक-दो हजार रुपये घर पर मिलता है। उनको इग्जैम्पशन देने के लिए मैं मांग करती हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** दोनों ही हानिकारक हैं।

**श्रीमती कविता कल्वकुंतला:** बेशक, धूम्रपान निषेध और इस तरह के अन्य मुद्दे गंभीर हैं। अगर आप सिगरेट वर्सेज बीड़ी देखेंगे, बीड़ी एक देशी उद्योग है। इसे बड़े समर्थन की जरूरत है। इसलिए, महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि बीड़ी उद्योग को प्रस्तावित अधिसूचना के दायरे से मुक्त रखा जाए। विशेषकर तेलंगाना में लाखों बीड़ी श्रमिक हैं। मैं चाहती हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और बीड़ी उद्योग को इस अधिसूचना से छूट दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री शिवकुमार उदासि, श्री देवजी एम. पटेल, श्री रवीन्द्र कुमार पांडे, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री हरिओम सिंह राठौर, श्री एम.बी. राजेश और श्री पी. करुणाकरन को श्रीमती कविता कल्वकुंतला द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा):** महोदया, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश में रबर उत्पादकों की शिकायतों के निवारण के लिए तत्काल कदम उठाए। प्राकृतिक रबर की कीमतों में गिरावट के कारण वे गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं।

महोदया, 90 प्रतिशत रबर उत्पादन और 90 प्रतिशत रबर किसान केरल से हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 90 प्रतिशत किसान रबर की खेती करते हैं और रबर उत्पादन का क्षेत्रफल लगभग एक लाख हेक्टेयर है।

आजकल रबर की कीमतें 240 रुपये से गिरकर 120 रुपये पर आ गयी हैं। व्यापारियों द्वारा लिए जाने वाले कमीशन के बाद किसान को प्रति किलोग्राम केवल 100 रुपये ही मिलते हैं। रबर के उत्पादन की लागत 150 रुपये प्रति किलोग्राम है।

बाजार में अब चिंताजनक स्थिति यह है कि व्यापारी बाजार से प्राकृतिक रबर खरीदने से पीछे हट रहे हैं। सच तो यह है कि 12 लाख रबर किसान अब भूख से मर रहे हैं। सरकार पहले ही रबर किसानों से उपकर के

रूप में 80 रुपये करोड़ से अधिक की धनराशि एकत्र कर चुकी है। सरकार अब उक्त धनराशि को मूल्य स्थिरीकरण कोष में सुरक्षित रख रही है।

यदि सरकार इस धनराशि का उपयोग अतिरिक्त रबर खरीदने के लिए बाजार से करने को तैयार हो जाए, तो 12 लाख गरीब किसानों की सहायता की जा सकती है। हमारे देश में पहले से ही 3.5 लाख मीट्रिक टन रबर का आयात होता है, और कुछ बड़े उद्योगपति जानबूझकर प्राकृतिक रबर की कीमतें गिरा रहे हैं।

महोदया, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि रबर किसानों को अच्छे दाम मिलें।

**माननीय अध्यक्ष:** एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, श्री पी. करुणाकरन, श्री एम.बी. राजेश, श्री जोस के. मणि, श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन और श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन को श्री एंटो एन्टोनी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):** सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वे एक बैठक बुलाएंगे। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपने पहले ही यह मुद्दा उठाया है। आप केवल मुद्दे से जुड़ें।

...(व्यवधान)

**श्री के.सी. वेणुगोपाल:** अभी तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। ...(व्यवधान)

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** महोदया, केरल में स्थिति बहुत गंभीर है। ...(व्यवधान) मंत्री जी से कहिए कि वे बैठक बुलाएं। … ...(व्यवधान)

**श्री के.सी. वेणुगोपाल**: पिछली बार जब मैंने शून्य काल में यह मुद्दा उठाया था, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। ...(व्यवधान) कृपया सरकार इस पर प्रतिक्रिया दे। ...(व्यवधान) सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई जाएगी। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** महोदया, कृपया मंत्री जी से एक बैठक आयोजित करने के लिए कहें। ...(व्यवधान) सरकार द्वारा माननीय अध्यक्षपीठ के निदेशों का सम्मान नहीं किया जा रहा है...(व्यवधान) अध्यक्षपीठ के निदेशों का सम्मान न किया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली बार जब हमने यह मुद्दा उठाया था, तो माननीय अध्यक्ष ने सरकार को सांसदों की बैठक बुलाने का निदेश दिया था। लेकिन अभी तक इसकी बैठक नहीं हुई है। कृपया कोई निदेश दें....(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. के.वी. थॉमस।

**प्रो. के.वी. थॉमस (एर्नाकुलम):** महोदया, देश में समुद्री कटाव के कारण जन-धन को भारी नुकसान हुआ है। समुद्री तट प्रभावित हो रहे हैं, घर ध्वस्त हो रहे हैं और मछुआरों की जानें भी जा रही हैं। इस समस्या का एकमात्र प्रभावी समाधान समुद्री दीवारों और लहर-रोधकों का निर्माण है।

इससे पहले, भारत सरकार राज्य सरकारों को सहायता देती थी। लेकिन अब इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है।

मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि तटीय क्षेत्रों में, जहां गंभीर समुद्री कटाव की समस्या है, राज्य सरकारों को सुरक्षात्मक समुद्री दीवारें एवं लहर-रोधक निर्माण हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी):** अध्यक्ष महोदया, मैं गंगा-जमुना की अंतर्वेदी में स्थित कौशाम्बी जनपद से चुनकर आया हूं। यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र की विशेषता को देखते हुए 4 अप्रेल, 1997 को एक अलग जनपद इलाहाबाद से काटकर बनाया जिसमें

कौशाम्बी जनपद की तीन तहसील - सिरातु, मंजनपुर, चैल है और प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील है। जब इन्हें इलाहाबाद जनपद से काटा गया तो इनके हिस्से में न कोई विश्वविद्यालय है, न मेडिकल कॉलेज है और न ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहां की जनता पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। इस विषय में भारत सरकार की मौनीटरिंग रिपोर्ट 2014-15 का भी संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें इन्होंने इस क्षेत्र को आति पिछड़ा घोषित किया है। यहां शैक्षिक व्यवस्था कोई नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय कौशाम्बी जनपद में खोलने की कृपा करें जिससे वहां जो लोग कृषि पर निर्भर हैं, उन्हें शिक्षित किया जा सके और आधुनिक खेती से जोड़ा जा सके। उस जनपद में पलायन है, बेरोजगारी है, क्योंकि वह जनपद पूरी तरह से उद्योगविहीन है, वहां एक भी उद्योग नहीं है। मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि वहां एक सरकारी कृषि विश्वविद्यालय खोलने की कृपा करें जिससे उस क्षेत्र का समुचित विकास किया जा सके।

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर):** अध्यक्ष महोदया, एक बहुत पिछड़ी हुई गरीब जाति नायक राजस्थान में निवास करती है। मैं उनके 60 सालों के दर्द को आपके साथ बांटना चाहता हूं। इसलिए आपका थोड़ा सा समय का संरक्षण चाहता हूं। पौराणिक रूप से जो नाग, निषाद, यक्ष प्रजाति के लोग हैं, उस प्रजाति से यह जाति आती है और ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की अन्य जातियां भील, गरासिया, कोल में से एक नायक जाति भी है। इन सारी जातियों को भारत सरकार की अनुसूची में एसटी के अंतर्गत दर्ज किया गया है। नायक समाज के लोगों की संस्कृति, रीति-रिवाज, पहनावा, परिधान सब कुछ एसटी के अनुरूप है। भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमैंट ने वर्ष 2003 में एक डौक्यूमैंट्री बनाई थी जिसमें नायक जाति को एसटी की जाति मानते हुए प्रदर्शित किया था। इसके आतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2008 के अपने एक फैसले में इसे एसटी जाति के अंतर्गत माना था। इसके साथ ही 1871 के क्रिमिनल जनजातियों के एक्ट में भी इस जाति को क्रिमिनल जनजाति मानते हुए उसके अधीन रखा गया था।

लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार का जब गजट नोटिफिकेशन हुआ, जब राजस्थान की अनुसूची बनाई गई, उस अनुसूची में इस समाज को 57वें नंबर पर रखा गया, इसे एस. टी. का दर्ज किया गया। इस जाति को एस.सी. में भी 10वें नंबर पर दर्ज किया गया, इस कारण उहापोह की स्थिति बन गई। कुछ स्थानों पर इस समाज के लोगों को एस.टी. का सर्टिफिकेट दिया जाता है जबकि कुछ स्थान पर एस.सी. का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक ही परिवार के सदस्य को एक ही स्थान पर कभी एस.सी. और कभी एस.टी. का सर्टिफिकेट दिया जाता है। वस्तुतः यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि जब इंग्लिश और हिन्दी में गजट का नोटिफिकेशन छापा गया, हिन्दी में तो नायक लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी वर्जन जब लिखा गया तब स्पेलिंग में नायका दर्ज कर दिया गया, जबकि नायका नाम की कोई जाति ऐसी नहीं है। अनेक बार भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच इस बारे में स्पष्टीकरण हुआ है और इस स्थिति को ठीक करने के लिए वार्ता हुई है। अनेक बार इसके लिए प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन उहापोह की स्थिति आज भी विद्यमान है। जिस कारण अत्यंत ही गरीब और पिछड़ी जाति के लोग जो छोटे-छोटे घरों में बहुत ही गरीबी की स्थिति में रहते हैं। उनको उनका जायज हक नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इन लाखों गरीब लोगों के दर्द को समझते हुए इस दिशा में तुरंत निर्णय होना चाहिए।

धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री देवजी एम. पटेल को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):** महोदया, मैं एक अत्यंत ही गंभीर विषय को आपके माध्यम से रेल मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। बेरोजगारी हमारे यहां एक जटिल प्रश्न है। 20 जून, 2013 को * नाम के एक शख्स ने बताया कि मंत्री महोदय का रेलवे रिक्रूटमेंट में कोटा होता है। ऐसा कहकर दिल्ली में उन लोगों को

बुलाया। दिल्ली में * नाम के शख्स से पहचान करा दी। नाम जानबूझकर ले रहा हूं क्योंकि जांच के लिए अच्छा होगा, ये बड़े लोग नहीं हैं, न विधायक हैं न नगर सेवक हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** नाम मत लीजिए।

**श्री अरविंद सावंत**: आप चाहें तो नाम निकाल दीजिए, मुझे कोई हर्ज नहीं है, इन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि रेलवे की रिक्रूटमेंट के बारे में कल अर्जी लाकर देता हूं, अर्जी लाकर दी गई, अर्जी लाकर देने के बाद बकायदा रेलवे रिक्रूटमेंट्स बोर्ड की तरफ से फोन आया कि आपने जो अर्जी भरी है वह स्वीकृत हुई है और आपको दो दिन में कॉल आ जाएगा। बाद में रेलवे रिक्रूटमेंट्स बोर्ड की साइट् से भी मेल आ गया कि आपका रिक्रूटमेंट्स फार्म मिला है। फिर उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया, रेलवे की अस्पताल में उनकी मेडिकल हुई। मेडिकल होने के बाद कृषि भवन में किसी आई.ए.एस. लेवल के किसी आधिकारी ने इंटरव्यू ली, उनके पास कृषि भवन का इंट्री पास आज भी उपलब्ध है, आठ दिन बाद उन्हें अप्वाइटमेंट लेटर मिला। अप्वाइटमेंट लेटर मिलने के बाद उनसे कहा गया कि आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। चंदौसी, मुरादाबाद में ट्रेनिंग हुई, उनसे कहा गया कि आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा, फिर कलकता के दत्तुबाग में उनकी ट्रेनिंग हुई। बेसिक पेमेंट मिला, आई-कार्ड मिला, सर्विस बुक बनाया गया। उसके बाद तहसील से चरित्र प्रमाणपत्र लाने के लिए कहा गया। तहसील से प्रमाणपत्र भी दिया गया। प्रमाणपत्र देने के बाद दानापुर बिहार में उनको तीन महीने स्टेशन पर ट्रेनिंग की ड्यूटी कराई गई, अप्रैंटिंस जैसी ट्रेनिंग कराई गई। दानापुर डिवीजन, ड्रेस कोड, नेम प्लेट, आई-कार्ड, पास, पेमेंट, पे-स्लिप सब दी गई, सब कुछ देने के बाद स्टेशन ड्यूटी का लेटर देने के लिए कहा गया, बिहार में अप्वाइटमेंट के लिए लेटर दे दिया गया। मेरे पास उनकी सारी फाइल है, आई-कार्ड है, रेलवे का ऑरिजनल लेटर है। इसमें महाराष्ट्र के 40 बच्चे हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फंसाया गया है, हरेक व्यक्ति से सात लाख रुपये लिए गए। जो लोग यह सब कर रहे थे वे आज कई महीने से गायब हैं, उनको पता चला कि अब फंस गए हैं, फंसने के बाद जांच शुरू हुई, * के लड़के से लेकर जो रेलवे का शख्स था, आज कोई नहीं मिलता है, सात लाख हरेक व्यक्ति से लिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जांच के लिए अनुरोध

करता हूं। अगर जरूरत पड़े तो सी.बी.आई. भी इसकी जांच करे। इन बच्चों को न्याय दें। ऐसी मांग जीरो ऑवर में मैं आपके माध्यम से करता हूं।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया। मेरा 'शून्य काल' निवेदन *प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)* के संबंध में संसद सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों से संबंधित है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा दिशा-निर्देश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सड़कों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जिला ग्रामीण सड़क योजना परामर्शदाता द्वारा तैयार की जा रही है — इसे सरकार नहीं, बल्कि परामर्शदाता और अधिकारियों के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। पीएमजीएसवाई के तहत किए गए कार्य के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार संसद सदस्यों की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा इस योजना की जांच नहीं की जाती है।

पहले संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सड़कों को उचित प्राथमिकता दी जाती थी। अधिकारियों द्वारा सड़कों के लिए निर्धारित उपयोगिता-मूल्य की संबंधित सांसद द्वारा पुनः जाँच नहीं की जाती है। संसद सदस्य द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर केवल अधिकारियों द्वारा सड़क योजना बनाते समय निर्धारित उपयोगिता-मूल्य के आधार पर ही विचार किया जाता है। सड़क योजना बनाते समय हमारा कोई भूमिका नहीं होती और हमसे कोई परामर्श भी नहीं किया जाता है। जहां तक हमारा सवाल है, पी.एम.जी.एस.वाई. का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों को आपस में जोड़ना है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में और जब वे उपयोगिता-मूल्य तय करेंगे, या जहां तक सबसे दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, यह उपयोगिता-मूल्य बहुत कम होगा। इसलिए, हमारे सुझावों और प्रस्तावों को बिना किसी न्यायोचित्य के नकार दिया जा रहा है और उनका एकमात्र न्यायोचित्य यह है, कि उपयोगिता-मूल्य कम है।

अतः, मेरा कहना यह है कि कार्य को प्राथमिकता देने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और विशेष आपातकालीन स्थितियों पर विचार नहीं किया जाता है। इसलिए, उपयोगिता-मूल्य के आधार पर संबंधित अधिकारियों के निर्णय सांसदों द्वारा दी गई प्राथमिकता प्रस्तावों की अवहेलना करते हैं। इसलिए, वर्तमान दिशा-निर्देश पहले अपनाए गए सिद्धांतों के विरुद्ध हैं।

इसलिए, मैं भारत सरकार, विशेष रूप से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि दिशानिर्देशों में परिवर्तन किया जाए, ताकि संसद सदस्यों के प्रस्तावों को भी ध्यान में रखते हुए ग्रामीण सड़कों के विकास को और प्रभावी बनाया जा सके। धन्यवाद, महोदया।

**अनेक माननीय सदस्यगण:** महोदया, हम श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध होना चाहते हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** हाँ, आप संबद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे माननीय सदस्य ने उठाया है। इसलिए, आप यहां उठाए गए मुद्दे से संबद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एम. बी. राजेश, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री एंटो एन्टोनी, डॉ. ए. संपत, श्री जोस के. मणि, एडवोकेट जोएस जॉर्ज और श्री शंकर प्रसाद दत्ता को श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री डी.एस. राठौड़ (साबरकांठा):** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। मेरे मत क्षेत्र साबरकांठा, नडियाद, कपदवंज-मोडासा से न्यू बोर्ड गेज

रेलवे लाइन शामलाजी रेलवे स्टेशन तक चलती है। यह रेल लाइन 1978 से पेंडिंग है, जिसकी वजह से वहां गुड्स ट्रेन का प्रावधान नहीं हो पा रहा। इस कारण सारा गुड्स( माल-सामान) रोड के माध्यम से जाता है। कपदवंज-मोडासा न्यू बोर्ड गेज लेन, जो शामलाजी तक पहुंचती है, उस 22 किलोमीटर लेन के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस रूट के चालू न होने से रोज करीब पांच हजार यात्रियों को रेल सुविधा नहीं मिल पाती, जिसका फायदा रेलवे को नहीं मिल पाता। इस रूट के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय से बहुत बार पत्र-व्यवहार करके आगे की कार्यवाही करने के लिए कहा गया, लेकिन आज तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

इस रूट से दिल्ली-उदयपुर और गुजरात के मोडासा-कपदवंज-नडियाद-वडोदरा-सूरत एवं मुम्बई के नागरिकों को बेहतर रेल सुविधा मिलने वाली है। हाल ही में अहमदाबाद में हुई वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर के साथ हुई बैठक में भी यही प्रश्न उठाया गया था...(व्यवधान)

गुजरात, खेडा, साबरकांठा और राजस्थान के सांसदों को भी यही डिमांड है कि यह लाइन जल्दी शुरू की जाये।

**माननीय अध्यक्ष**: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री डी. एस. राठौड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्री के.सी. वेणुगोपाल:** धन्यवाद, महोदया। श्रीलंका के प्रधान मंत्री श्री रानिल विक्रमासिंघे द्वारा की गयी विवादास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण अभ्युक्ति, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जलक्षेत्र में घुसपैठ करेंगे, तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। इससे तटीय क्षेत्रों के मछुआरा समुदाय में गहरी आशंकाएँ पैदा हो गई हैं।

**डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर):** महोदया, मैंने भी कल सदन में यह मुद्दा उठाया था। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** हां, मुझे इसके बारे में पता है। कल ही तो आपने यह मुद्दा उठाया था।

...(व्यवधान)

**श्री के.सी. वेणुगोपाल:** उन्होंने बाद में जो बयान दिया, उससे पता चलता है कि: "अगर कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश करता है, तो मैं गोली मार सकता हूं।" अगर वह मारा जाता है, तो कानून मुझे ऐसा करने की अनुमति देता है। यह मछुआरा समुदाय के लिए एक धमकी भरा वक्तव्य है, जो मछली पकड़ने के काम से अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को भारतीय जलक्षेत्र में मछुआरा समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। सरकार को भारतीय जलक्षेत्र में भटक रहे श्री लंकाई मछुआरों की रिहाई में सहायता करनी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं को श्रीलंका राज्य द्वारा रिहा कर दिया जाए।

श्रीलंका के प्रधान मंत्री की वर्तमान टिप्पणी न केवल एक धमकी है, बल्कि देश भर के मछुआरों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है।

महोदया, हमारे माननीय प्रधान मंत्री आज श्रीलंका में हैं। मुझे लगता है कि वे वहां भारत के लोगों की चिंता को अपने श्रीलंकाई प्रतिनिधि के सामने जरूर रखेंगे।

**कुछ माननीय सदस्यगण:** महोदया, हम इससे संबद्ध होना चाहते हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** आप सभी को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** प्रधानमंत्री, जो श्रीलंका में होंगे, इस बात को राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना के संज्ञान में ला सकते हैं ताकि यह सहायक हो और इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके।

**माननीय अध्यक्ष:** एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, डॉ. के. कामराज और डॉ. पी. वेणुगोपाल को श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़):** माननीय अध्यक्ष महोदया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने शिक्षा को भारतीय संविधान के अन्तर्गत एक मूल अधिकार बना दिया है। हालाँकि, आज इस अधिनियम के कारण पूरे भारत में हजारों बच्चों के मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।

पूरे भारत में विद्यालयों को बुनियादी ढांचे के मानदंडों का पालन न करने, कक्षा-कक्ष के आकार, खेल के मैदान न होने, व्यायामशाला न होने आदि के कारण बंद किया जा रहा है। अभी भी, ऐसे निजी स्कूल हैं, जो बहुत कम शुल्क लेते हैं और उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करते हैं, जिन्हें केन्द्रीय विद्यालयों या ऐसे ही अन्य विद्यालयों को छोड़कर, अधिकांश सरकारी विद्यालयों में उस स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती। शिक्षा की खराब गुणवत्ता के बावजूद, सरकार आर.टी.ई. के तहत इन सरकारी विद्यालयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

मेरे पास बहुत लोग काम के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं और कहते हैं कि मैं 8वीं, 10वीं, 12वीं पास हूं। जब मैं उनसे कहती हूं कि किसी पेपर या किताब की दो लाईन पढ़कर सुनाइए तो वे एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ पाते हैं। मेरा कहना है कि सरकारी स्कूल से सटीरफिकेट दिए जा रहे हैं लेकिन एजुकेशन नहीं मिल रही है।

[अनुवाद]

तो, जब अधिकांश सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की यह स्थिति है, तो निजी विद्यालयों में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी उचित जांच किए बिना, उन्हें क्यों बंद किया जा रहा है? इनमें से अधिकांश विद्यालयों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मान्यता नहीं दी जा रही थी। मान्यता प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले प्राचीन नियम और विनियम इतने प्रतिबंधात्मक हैं, कि उन्हें केवल बड़ी पूंजी वाले स्कूलों द्वारा ही संतुष्ट किया जा सकता है। त्रासदी यह है कि हमें जानकारी नहीं है, कि ऐसे कितने स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं, लाखों बच्चे, कम से कम पांच लाख बच्चे एजुकेशनली डिस्पलेस हो चुके हैं, कोई स्कूल नहीं है जहां वे जा सकें। एच.आर.डी. मिनिस्ट्री के पास सिवाय पंजाब, हिमाचल

प्रदेश के आंकड़े भी नहीं हैं। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसे उच्चतम स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम कहते हैं- पढ़ाओ - लिखाओ। अगर उन्हें सुविधा ही नहीं मिलेगी तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा?

[अनुवाद]

सबसे पहले, तो विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। क्या यह सही कारणों से किया जा रहा है? दूसरा, जब तक हम यह नहीं जानते, कि कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कैसे काम कर सकते हैं कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जो कि उनका मूल अधिकार है? हमें अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, न कि केवल एक कागज का टुकड़ा जिस पर 'मान्यता प्राप्त' लिखा हो। मैं सरकार से अनुरोध करूँगी, कि कृपया इस मामले को तत्काल देखिए और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करें क्योंकि इतने सारे बच्चे बिना किसी शिक्षा के रह रहे हैं। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. उदित राज, श्रीमती अंजू बाला, श्रीमती रेखा वर्मा, साध्वी सावित्री बाई फुले, श्री शिवकुमार उदासि, श्री देवजी एम. पटेल, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री दुष्यंत चौटाला और श्री शेर सिंह गुबाया को श्रीमती किरण खेर द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री आनिल शिरोले (पुणे)**: माननीय अध्यक्ष जी, देश में विगत दो महीने से स्वाइप फ्लू के कारण 1200 से आधिक मृत्यु हुई हैं और हजारों लोग बीमार हुए हैं। कई राज्यों में टैमी फ्लू की गोलियां भी कम हो रही हैं। मौसम बदलाव के कारण स्वाइन फ्लू बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में क्या सरकार ने देश भर में एलौपेथी उपचार के अलावा पारंपारिक उपचार पद्धति जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी में उपलब्ध चिकित्सा के इलाजों के उपयोग का प्रयास किया है? इसके लिए सरकार द्वारा जन जागृति तथा प्रसार माध्यमों से कितना प्रयास किया गया है? आयुर्वेद चिकित्सा में स्वाइन फ्लू, डेंगु, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू आदि संक्रमण से होने वाले रोगों का सटीक,

सस्ता और लाभदायक इलाज गरीबों के लिए उपलब्ध है। सरकार ने इसके उपयोग और प्रचार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**माननीय अध्यक्ष:** मैं माननीय सदस्यों को फिर बताना चाहती हूं कि आप स्टेट्स के मैटर यहां उठाते हैं, यह अलाउड नहीं है।

**श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए, यह दो राज्यों का मामला है। जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी है, वह झारखण्ड का है, जहां पर घटना घटी है, वह उत्तर प्रदेश है। किसान हर वर्ष धान कटने के बाद अयोध्या जाते हैं और श्री कृष्णदेव वर्मा 24 दिसम्बर को तीर्थयात्रा पर अयोध्या गए। वे 28 तारीख को वहां से लौट रहे थे। फ़ैजाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग उसे उठाकर ले गए। उसे ले जाकर, बेहोश करके उसकी दोनों आँखें निकाल ली। आँखें निकालकर बिना उसकी सिलाई किये हुए, उसे स्टेशन के बाहर फेंक दिया। वह रोता-चिल्लाता रहा। बाद में किसी पेट्रोलिंग पार्टी ने उठाकर उसे हॉस्पीटल में भर्ती कराया।

इस विषय पर मैंने फ़ैजाबाद के माननीय सांसद, वहां के डी.सी. तथा एस.पी. को फोन करके बताया, लेकिन अभी तक वे अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। मैं झारखण्ड सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, वहां के मुख्यमंत्री ने इस पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए की मुआवज़ा धनराशि दी। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अनुरोध पत्र भेजा कि वहां घटना घटित हुई है और अपराधियों ने ने इनकी दोनों आँखें निकाल ली। आप कल्पना नहीं सकते, मैं उस पीड़ित व्यक्ति के घर गया था, बड़ी दर्दनाक स्थिति है कि तीर्थस्थान पर दोनों आँखें निकाल ली गईं। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस परिवार को जिसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार है, उसे सहायता मिले, उसे सहयोग मिले और ऐसी दर्दनाक घटना पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

**श्री केसिनेनी श्रीनिवास (विजयवाड़ा):** महोदया, राष्ट्रीय हाइवे 65 का हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में एक महत्वपूर्ण गलियारा है, जो दो राजधानियों को जोड़ता है। तथापि, यह खंड अभी भी नंदीगामा और कांचीकाचेरला उपमार्ग में दो लेन का है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के नंदीगामा-विजयवाड़ा खंड का चार लेन का कार्य वर्ष 2002-2004 के दौरान पूरा हो गया था तथा नंदीगामा और कांचीकाचेरला कस्बों में केवल दो लेन का उपमार्ग बनाया गया था। यह हैदराबाद-विजयवाड़ा कॉरिडोर में एक बाधा बन गया है, जिसके कारण नंदगामा और कांचीचेरला शहरों में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इन उपमार्गों को चार लेन का बनाने का मुद्दा भारत सरकार के पास लंबित है, लेकिन अभी तक इन दोनों महत्वपूर्ण उपमार्गों को चार लेन का बनाने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आंध्र प्रदेश के विभाजन और विजयवाड़ा को राजधानी घोषित किए जाने के बाद, इन दो लेन वाले उपमार्गों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध है कि इन दोनों उपमार्गों को चार लेन का बनाने के लिए शीघ्र आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

[हिन्दी]

**श्री बदरुद्दीन अजमल** (**धुबरी**): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

**अध्यक्ष महोदया:** कल इस पर चर्चा हो चुकी है।

[अनुवाद]

**श्री बदरुद्दीन अजमल:** महोदया, मैं सभा का ध्यान दिल्ली में हुई एक दयनीय, क्रूर और निंदनीय घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें गुवाहाटी, असम के अरबाज उद्दीन अहमद नामक एक छात्र पर उसके पड़ोसियों द्वारा कथित 'नस्लीय हमला' किया गया। इस अमानवीय कृत्य के कारण वह अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है, जबकि अब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदया:** यह मामला कल ही उठ चुका है।

[अनुवाद]

**श्री बदरुद्दीन अजमल:** अरबाज उद्दीन अहमद आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए नई दिल्ली के लाजपत नगर की अमर कॉलोनी में किराए के कमरे में रह रहे हैं। चूंकि वे अकेले रहते थे, इसलिए उनके कुछ पड़ोसी अक्सर उनके विरुद्ध जातिवादी टिप्पणियां करते थे। ऐसा लगता था कि वे उसे उकसाने के लिए कारण ढूंढ रहे थे, लेकिन वह हमेशा इस मुद्दे को अनदेखा कर देते थे। 4 मार्च को वह बालकनी में खड़ा था, तभी चार-पांच लोगों का एक समूह उसके पास आया और उसे मारपीट करने लगा। मारने वालों का दावा है कि पीड़ित को कई बार चेतावनी देने के बावजूद वह अपने घर में मांसाहारी भोजन, विशेषकर चिकन आदि का सेवन करता था। उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके पैर, हाथ और दांत सहित कई अन्य अंग टूट गए। शुरुआत में पुलिस ने हमलावरों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने से इनकार कर दिया। बाद में, एक एफ.आई.आर. दर्ज किया गया और उसने अपराधियों की पहचान की, लेकिन घटना के पाँच दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लें तथा जांच के आदेश दें तथा अरबाज उद्दीन अहमद पर नस्लीय हमले में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई जघन्य घटना न हो। अरबाज उद्दीन उत्तर-पूर्व का छात्र था। पूर्वोत्तर के अन्य छात्र भी हैं, जो ऐसे हमलों का सामना कर रहे हैं। वे अपनी जान पर खेल कर इन हमलों का सामना कर रहे हैं। मुझे याद है कि पिछले साल दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश के एक 19 वर्षीय छात्र निडो तानिया की नस्लीय हमले में मौत हो गई थी। निडो तानिया की मृत्यु के बाद गठित समिति ने खुलासा किया, कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव में राष्ट्रीय राजधानी शीर्ष पर है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के हजारों लोग, पुरुष और महिला दोनों, लड़के और लड़कियां आगे की शिक्षा प्राप्त करने और अजीविका कमाने के लिए यहां रह रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद, पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों और लोगों पर

नस्लीय भेदभाव, यौन उत्पीड़न और हमले बंद नहीं हुए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री शंकर प्रसाद दत्ता और श्री राधेश्याम बिश्वास को श्री बदरुद्दीन अजमल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व):** महोदया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी उस मुद्दे का समर्थन करेंगी जिसे मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस सभा में भी जब हमारे खिलाड़ी किसी अंतरराष्ट्रीय आयोजन में पदक प्राप्त करते हैं, तो हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। मैं इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ उठाना चाहता हूं।

त्रिपुरा के युवाओं और राज्य सरकार द्वारा अगरतला में असम राइफल्स मैदान को अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहु-विधा खेल परिसर के विकास के लिए उपलब्ध कराने की लगातार मांग की जा रही है, ताकि वहां महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सके। राज्य के 3,500 से अधिक खेल प्रतिभागियों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने तत्कालीन भारत सरकार के प्रधान मंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें उस मैदान को सौंपे जाने का अनुरोध किया गया था, जिसका उपयोग 1971 के भारत-पाक युद्ध से पूर्व महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों के लिए किया जाता था। उग्रवादी/विद्रोही गतिविधियों से प्रभावी तरीके से निपटने तथा युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक उद्देश्यों के लिए दिशा देने के लिए, एक एकीकृत रणनीति के रूप में खेलों को बढ़ावा देने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह मामला अप्रैल, 2011 में तत्कालीन प्रधान मंत्री के समक्ष उठाया गया था तथा दिसंबर, 2014 में जब हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने त्रिपुरा का दौरा किया था, तो मंत्रीपरिषद ने प्रधान मंत्री जी को इसी प्रकार का एक ज्ञापन सौंपा था। इसलिए, मैं रक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा, कि अगरतला शहर के मध्य में 49.90 एकड़ भूमि बिना किसी प्रीमियम के सौंप दी जाए। जैसा कि आपको पता है, हमारे पहाड़ी राज्य में भूमि की अत्यधिक कमी है। मंत्रालय 300 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने की मांग कर रहा है। सरकार युवाओं के लिए खेल परिसर के विकास के लिए धन क्यों मांग रही है? चूंकि यह अगरतला शहर और पूरे त्रिपुरा राज्य के लोगों का भावनात्मक मुद्दा रहा है, इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध

करता हूं, कि वे इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखिए और संपूर्ण असम राइफल्स ग्राउंड परिसर को एक बहु-विधा खेल परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकार को निःशुल्क सौंप दिया जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री शंकर प्रसाद दत्ता और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्री जितेन्द्र चौधरी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। [3*]**श्री के. परसुरमन (तंजावुर):** माननीय अध्यक्ष महोदया। वणक्कम। तंजावुर शहर, जिसे अक्सर तमिलनाडु का अन्न भंडार कहा जाता है, को यूनेस्को द्वारा अच्छी मान्यता दी गई है। विश्व प्रसिद्ध तंजावुर शहर को देश के विरासत शहरों में से एक घोषित किया जाना चाहिए। मैं इस अवसर के लिए मक्कल मुथलवार माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी को धन्यवाद देता हूं और जिनके आशीर्वाद से मैं अब लोक सभा में तंजावुर निर्वाचन- क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य हूं। केंद्र सरकार ने देश के 12 शहरों को एच.आर.आई.डी.ए.वाई. (विरासत शहर विकास योजना) के तहत विरासत शहरों के रूप में चुना है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, कि एच.आर.आई.डी.ए.वाई. योजना के तहत तंजावुर शहर को शामिल किया जाए और देश के 13$^{वें}$ विरासत शहर के रूप में घोषित किया जाए। राजा करिकाला चोला ने कल्लनई बांध (ग्रैंड एनीकट) का निर्माण किया था, जिससे इस क्षेत्र के लाखों लोगों को अब भी लाभ हो रहा हैं। राजा राजचोल महान ने 1000 वर्ष पहले तंजावुर में भगवान ब्रहदीश्वर का मंदिर बनवाया था। यह भव्य मंदिर विशेष रूप से ग्रेनाइट से बनाया गया था। इस मंदिर के निर्माण के लिए आधुनिक समय का सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि यह मंदिर चोल वंश के वास्तुशिल्प चमत्कार का प्रमाण है। चोल, नायकर और मराठों ने अतीत में कई दशकों तक तंजावुर पर शासन किया और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करके अपनी महिमा को बढ़ाया। तंजावुर एक मंदिरों वाला शहर है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष तंजावुर के मारियम्मन मंदिर का भ्रमण किया था। इस शहर में और इसके आस-पास कई नदियाँ बहती हैं। तंजावुर चित्रकारी, तंजावुर वीणा (एक संगीत वाद्य यंत्र), कलात्मक प्लेटें, नृत्य करती गुड़िया और कई अन्य सांस्कृतिक कला कौशल इस शहर का गौरव बढ़ाते हैं।

---

[3*] मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

**माननीय अध्यक्ष:** जी, हम जानते हैं कि तंजावुर महत्वपूर्ण है।

**श्री के. परसुरमन:** शहर अपनी समृद्ध परंपरा, मंदिरों, ऐतिहासिक स्मारकों, नृत्य रूपों, कलाकृति आदि के लिए जाना जाता है। अतः मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि हज़ारों वर्षों के पारंपरिक गौरव वाले तंजावुर शहर को हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए और उसे विरासत शहर घोषित किया जाए। धन्यवाद।

**अपराह्न 12.47 बजे**

## सदस्य द्वारा निवेदन

### संसद सदस्यों के निवास स्थानों में चोरी की बढ़ती घटनाओं के बारे में

**श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):** महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं दिल्ली में संसद सदस्यों के निवास स्थानों में चोरी, लूट और असुरक्षा के संबंध में एक मुद्दा उठा रहा हूं। हमारे नेता श्री सुदीप बन्दोपाध्याय जी बीमार हैं। वे कोलकाता में है। पिछले हफ्ते भी वे संसद में उपस्थित नही हो सके थे।

7 मार्च को, उनके निवास स्थान सं.18 मौलाना आज़ाद रोड, से सब कुछ चोरी हो गया था। चोर आए और *पूजा घर* के सामान सहित घर से सब कुछ चोरी कर के ले गए। उन्होंने 7 मार्च को एक एफ़.आई.आर. दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया है। कल शाम लगभग 5 बजे या 5.30 बजे, एक व्यक्ति ने दोबारा वहां से कुछ समान चुराने का प्रयास किया, लेकिन उसके प्रयास को विफल कर दिया गया।

मुझे यह कहना आवश्यक है कि पूर्व में हमारे संवास सदन समिति के अध्यक्ष ने सभी संसद सदस्यों के घरों की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से पुनः आग्रह करता हूं कि जब संसद सदस्य अपने फ्लैट या निवास स्थान पर नहीं होते हैं, तब भी उनकी सुरक्षा पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब संसद सदस्य अपने आवास या निवास स्थान पर मौजूद न हों, तब भी वहां पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कई संसद सदस्य अपने फ्लैटों में नहीं रहते, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए।

उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसका संदर्भ मैंने प्रस्तुत किया है। हम चाहते हैं कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)**: मैडम, श्री सुदीप बन्दोपाध्याय जी के घर का मामला हमारी जानकारी में है। निश्चित रूप से जब सदन का सत्र खत्म हो जाता है तो कई माननीय सदस्य वापस चले जाते हैं। कई बार ऐसी सूचना आती है कि घरों में छोटी-मोटी चोरियां हो जाती हैं और जैसा माननीय सदस्य ने बताया, सुदीप बन्दोपाध्याय जी के यहां काफी सामानों की चोरी हुई है। हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन ने इसके बारे में आधिकारियों की बैठक की थी। हम फिर से सम्बन्धित आधिकारियों और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ समीक्षा बैठक करके यह तय करेंगे कि आधिक से आधिक सुरक्षा हो। जिस केस को माननीय सदस्य सदन के संज्ञान में लाए हैं, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ)**: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदया, बिजली विभाग के आधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही तथा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले तीन-चार महीनों में घटित हुई कुछ प्रमुख घटनाओं को मैं यहां सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। 23 सितम्बर, 2014 को मेरठ के पंचगांव में सुरेश तोमर, बनवारी, रमेश और मनोज नामक किसानों की लगभग छः बीघे खेत की खड़ी फसल तार गिरने की वजह से जल गयी। दिनांक 28 नवम्बर, 2014 को ग्राम जई में जमशेद के घर में तार टूटकर गिर जाने से नौ पशु जल कर मर गए। 2 दिसम्बर, 2014 को ग्राम लडपुरा में तार टूटकर गिर जाने से 18 साल के सोनू की मृत्यू हो गयी। 3 दिसम्बर, 2014 को ग्राम स्याल में कालू नामक किसान की आठ बीघे खेत की खड़ी गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गयी। 28 फरवरी, 2015 को ग्राम माछरा में बिजली का तार गिरने से खेत में काम कर रहे किसान मुनिराज शर्मा की मृत्यू हो गयी।

अभी दिनांक 5 मार्च, 2015 को हापुड़ के ग्राम सिमरौली में तार टूटने से लोकेन्द्र कुमार शर्मा की मौके पर मृत्यु हो गई एवम् उसकी पत्नी और बेटा झुलस गए। अध्यक्ष महोदया, ये घटनाएं बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और काम न करने का नमूना हैं। जर्जर तारों को बदलने का बार-बार अनुरोध किया जाता है, परंतु आधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। होता यह है कि तारों को बिना बदले ही बदला हुआ दिखा दिया जाता है। इन सारी दुर्घटनाओं के बीच आधिकारियों की संवेदनहीनता और भी आधिक निंदनीय है। ग्राम सिमरौली में 5 मार्च को हुई दुर्घटना के सिलसिले में मैं दिनांक 7 मार्च को पीड़ित के घर गया। जब मैंने क्षेत्र के आधिशासी आभियंता से पूछा कि क्या उन्हें इस घटना की जानकारी है और वह इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस परिवार के लोग उनसे मिले नहीं हैं। मैंने जब पुनः पूछा कि क्या वह स्वयं या विभाग का कोई आधिकारी पीड़ित के परिवार से मिलने गया है, तो उन्होंने बताया कि अभी तक नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदया, दुर्घटनाओं से पीड़ित परिवार इसी प्रकार की संवेदनहीनता का शिकार होते हैं। आशिक्षा एवम् अल्पशिक्षा के कारण ये गरीब ग्रामीण अपना पक्ष भी ठीक से नहीं रख पाते। इस तरह किसी भी प्रकार के दंड के भय से मुक्त ये संवेदनहीन आधिकारी इन्हें प्रताड़ित करते रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन घटनाओं की व्यापक जांच कराई जाए, पीड़ितों को शीघ्र उचित मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जाए और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार आधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये सब लोग पीड़ित हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष**: ठीक है। श्री पी. करुणाकरन। मेरा सबसे अनुरोध है कि वे थोड़े शब्दों में अपनी बात कहेंगे तो मैं ज्यादा सदस्यों को एकोमोडेट कर सकूंगी।

[अनुवाद]

**श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड):** महोदया, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा इस सभा के सामने रखना चाहता हूं।

विदेशों, विशेषकर खाड़ी देशों में लाखों भारतीय कार्यरत हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या केरल राज्य से संबंध रखती है। वे भारत को प्रेषण के माध्यम से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है। किंतु यह अत्यंत खेदजनक है कि हम उनके इस योगदान के बदले उन्हें कुछ भी लौटाने में विफल रहे हैं — यहां तक कि हालिया बजट में भी उनके हित में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया।

महोदया, यह कहना अत्यंत चौंकाने वाला है कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने हाल ही में अपनी उड़ानों के किराए बढ़ा दिए हैं, जबकि इसके पीछे कोई उचित कारण नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में, विशेष रूप से विमान ईंधन की कीमतों में, गिरावट आई है। साथ ही, भारतीय विमान कंपनी और एयर इंडिया द्वारा कहा जाता है कि उनके खर्च का 40 प्रतिशत ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण है। यदि आप देखें, तो यह कम हो गया है। वे यात्रियों से ज़रूरत से ज़्यादा किराया वसूल रहे

हैं। अधिकत लोग पूजा या क्रिसमस के समय भारत आते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई त्योहार नहीं है। फिर भी, एयरलाइन इसे त्योहार का समय बताकर गरीब यात्रियों से ज़्यादा पैसा ले रही है, जो बिल्कुल गलत है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। हम उन्हें और कुछ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें उन्हें सस्ती या न्यूनतम दर पर परिवहन सुविधा तो उपलब्ध करानी ही चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** एडवोकेट जोएस जॉर्ज और श्री शंकर प्रसाद दत्ता को श्री पी. करुणाकरन द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री शिवकुमार उदासि (हावेरी):** माननीय अध्यक्ष महोदया का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस देश में कपास की कीमतों में गिरावट का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर दिया।

हमारे यहां 14 करोड़ किसान हैं, जिनमें से 11 करोड़ छोटे और सीमांत किसान हैं। महोदया, विशेष रूप से कपास के बारे में बात करने के लिए, हम हर साल लगभग 4 करोड़ कपास की गांठ उगाते हैं। पिछले एक सप्ताह या 15 दिनों में कपास की कीमत में तेजी से कमी आई है और वे इससे प्रभावित हुए हैं। कपास की प्रति गांठ की कीमत लगभग 15,000 रुपये है। तो, पूरा कपास बाजार 60,000 करोड़ रुपये के आसपास होगा। पहले, कीमत 20,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति गांठ से अधिक थी। अतः, हमारे देश में उगाए जाने वाले कुल कपास का बाजार लगभग 80,000 रुपये से 1,00,000 करोड़ रुपये का था। किसानों को इतना पैसा गंवाना पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार को सी.सी.आई. के माध्यम से हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और कपास खरीदना पड़ रहा है ताकि किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

मैं यहाँ एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं — कृषि को भी उद्योग के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। जब किसानों को सहायता दी जाती है, तो हम उसे राजसहायता कहते हैं; जब कॉरपोरेट क्षेत्र को लाभ मिलता है, तो उसे प्रोत्साहन और जब मध्यम वर्ग को राहत मिलती है, तो उसे रियायत कहा जाता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अब कृषि को भी उद्योग का दर्जा देकर उसके साथ समान व्यवहार किया जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री देवजी एम. पटेल को श्री शिवकुमार उदासि द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**प्रो. ए.एस.आर. नाईक (महबूबाबाद):** महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में स्थित बल्लारपुर उद्योगों के लगभग 3000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रधानमंत्री साहब जब भी बात करते हैं तो आदिवासियों के कल्याण और स्वदेशी की बात ज्यादा होती है।

यह बल्लारपुर उद्योग, थापर इंडस्ट्रीज समूह द्वारा शुरू किया गया था। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ इसकी लुगदी खरीदते थे, जो धागे को बनाने के लिए उपयोग में लायी जाती थी। लेकिन अब इसका आयात किया जाता है। अब लुगदी के आयात के कारण, बल्लारपुर उद्योग बंद होने की स्थिति में है। वे अब इसे बंद करने के लिए सरकार की अनुमति मांग रहे हैं, जिसके कारण कंपनी के 3000 कर्मचारी जिनमें *आदिवासी* शामिल हैं, पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर हैं।

मैं सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। वहां पानी उपलब्ध है। 40 किलोमीटर की परिधि के भीतर, पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। यदि कंपनी चाहे तो वहां तापीय बिजली संयंत्र भी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है और इसके कारणों की जानकारी नहीं दी गई है। [हिन्दी] आज स्वदेश में विदेशियों के लिए मेक इन इंडिया की बात चल रही है तो फिर सरकार विदेश से इसका इम्पोर्ट क्यों कर रही है? इसकी वजह से आदिवासी एरिया में स्थित कम्पनी क्लोज़र की स्थिति में है।

**श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):** महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र गुजरात में अफ्रीकन-एशियन सिंह की संख्या गुजरात में और खास कर सौराष्ट्र में सासन-गिर में इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गयी है कि वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए रहने की बहुत दिक्कत रहती है। सासन-गिर 1412 किलोमीटर का अभ्यारण्य का क्षेत्र है। इसमें छः राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं और कई छोटे-छोटे रास्ते भी निकलते हैं। इसकी वजह से शेरों के विचरण में बाधा पहुंचती है और उनका शिकार भी हो सकता

है। गुजरात सरकार ने वन्य जीव बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2011 में एक प्रपोज़ल केन्द्र सरकार को भेजा था कि 270 किलोमीटर का वहां रिंग रोड बनाया जाए, जिसकी लागत छः सौ करोड़ रुपये है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि गुजरात सरकार द्वारा भेजे गए प्रपोज़ल को केन्द्र सरकार जल्द से जल्द मंजूरी दे।

**श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार):** अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदया, हम भारतीय रेल की बात देश की प्रगति के लिए करते हैं कि यह देश की प्रगति में सबसे कामयाब है। भारतीय रेल बजट जिस प्रकार से पेश किया गया, एक चीज सामने आयी कि हम नई ट्रेनों की ओर नहीं, बल्कि डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि रेलवे को आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो थर्ड और फोर्थ क्लास कर्मचारियों का है।

**माननीय अध्यक्ष:** आप इस बात को रेल बजट डिसक्शन में बोलिए। रेल बजट पर अभी डिसक्शन होना है।

**श्री दुष्यंत चौटाला:** हिसार में 115 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। मुझे वहां के कर्मचारियों के पास पिछले दिनों जाने का मौका भी मिला था, जहां मैंने हालात देखे कि वहां पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल फेसिलिटिज़ नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि जिस तरह से सरकार रेलवे का प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं, थर्ड और फोर्थ क्लास के रेलवे के इम्पलोइज़ की अक्मॉडेशन पर भी ध्यान रखें और उनके इनफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का काम करें।

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत):** मैडम, आपकी कृपा दृष्टि हुई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** यह होती रहती है, अगर आप थोड़े में बोलेंगे और समय का ध्यान रखेंगे।

**डॉ. सत्यपाल सिंह**: मैडम, मैं हाथ उठाता रहता हूं, लेकिन कई दिनों से आपकी कृपा दृष्टि नहीं होती।

मैडम, मेरा बागपत क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीज़न का पार्ट है और दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर से शुरू होता है। दिल्ली के चारों तरफ सबसे खराब रोड अगर किसी क्षेत्र की है तो मेरे क्षेत्र की है। मैं इसे दिल्ली-

सहारनपुर नेशनल हाईवे बनाने के लिए कई महीनों से प्रयत्न कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी से मैंने पत्र व्यवहार किया। उनके पर्सनल ट्विट हैं, वह कहते हैं कि जिस कम्पनी को उन्होंने ठेका दिया, यह स्टेट हाईवे है, वह कम्पनी बना नहीं सकती है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है।

**अपराह्न 1.00 बजे**

और वे पुरानी सरकार को कोसते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी मैंने उन्हें लिखा कि इसे निरस्त करके नेशनल हाईवे अथारिटी को दिया जाए। भारत सरकार ने उसके लिए 343 करोड़ रुपये सैंक्शन किये हैं और जब तक स्टेट गवर्नमैन्ट उसके लिए नो ऑब्जैक्शन नहीं देगी, नेशनल हाईवे अथारिटी उसे बना नहीं सकती। मेरा यह प्रिविलेज मोशन है, क्योंकि एक सांसद को उन्होंने गलत इंफोर्मेशन दी है और राइटिंग में दी है। एक तरफ ये बातें हैं और दूसरी तरफ मुझे लिख रहे हैं कि कंपनी को 721 दिन, लगभग दो साल के लिए बढ़ाकर कांट्रैक्ट दे दिया है। उनका कांट्रैक्ट सितम्बर, 2014 में खत्म हो गया था। दो साल के बाद वहां समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रहेगी तो दो साल तक कुछ नहीं होगा। वहां लाखों लोग रहते हैं, उन लाखों लोगों ने क्या पाप किया है कि न भारत सरकार उस पर ध्यान देती है और न यू.पी. सरकार उस पर ध्यान देती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी तरफ से भारत सरकार को एक डायरेक्शन जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसे नेशनल हाईवे में परिवर्तित किया जाए। धन्यवाद।

**श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर):** मैडम, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर पिछले दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल सका। एन.डी.ए. की सरकार में मोदी साहब ने नारा दिया है कि मेक इन इंडिया स्किल्ड करके हमारे नौजवानों को रोजगार देना है। पांच तारीख के पंजाबी ट्रिब्यून के फ्रंट पेज पर खबर छपी है कि पंजाब में आठ हजार से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और लगभग 600 इंडस्ट्रीज का पता नहीं चल रहा है कि वे कहां गईं। जो इंडस्ट्रीज वहां बंद हो गई हैं, उसके कारण मजदूर, इंजीनियर्स, स्किल्ड वर्कर्स और कुछ डिप्लोमा होल्डर्स के साथ-साथ हजारों, लाखों की संख्या में कामगार बेकार हो गए हैं और उनकी रोटी-रोजी खत्म हो गई है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उन इंडस्ट्रीज का क्या होगा, क्या उसमें बैंक सैक्टर का फाल्ट है या किसी और स्कीम का फाल्ट है, जिसके कारण वे इंडस्ट्रीज बंद हो गई। पिछली यू.पी.ए. की सरकार ने पंजाब के साथ इनजस्टिस किया था, उन्होंने नेबरिंग स्टेट को इनसैन्टिव्ज दे दिये, लेकिन पंजाब को नहीं दिया। मैं समझता हूं कि यह भी इसका एक मुख्य कारण है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब को भी दूसरी स्टेट्स की तरह इंसैन्टिव्ज दिये जाएं, ताकि पंजाब में भी इंडस्ट्रीज चल सकें, कामगार काम पर वापस आ सकें और वहां के सब लोगों की रोजी-रोटी चल सके। धन्यवाद।

**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद):** अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं इस बात के लिए अपने आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय शिक्षा मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष 2014 के बजट में बिहार प्रदेश को एक आई.आई.एम. दिया। लेकिन उसमें अभी परेशानी यह है कि बिहार के गया जिले में आई.आई.एम. की स्थापना होनी है, वहां राज्य का मगध विश्वविद्यालय है। उसके परिसर में जमीन मिलनी थी और उसी जमीन पर आई.आई.एम. की स्थापना होनी थी। लेकिन इसमें काफी विवाद उठ खड़ा हुआ है, उस विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ और अन्य लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ये बातें वहां के स्थानीय अखबारों में भी आई हैं और काफी प्रयास हुआ कि वे जमीन दे दें, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक सुझाव है कि उसी जिले में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जमीन है, जो रक्षा मंत्रालय की है, यह लगभग 1700 एकड़ जमीन है, जो सालों-साल से परती है। वहां रक्षा मंत्रालय की अनुमति से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है, जिसमें 300 एकड़ जमीन उसे दी गई है। बाकी की लगभग 1400 एकड़ जमीन वहां अभी उपलब्ध है। वह जमीन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की है, उसी जमीन का उपयोग करके आई.आई.एम. की स्थापना वहां हो जाए, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

**श्री पी.पी. चौधरी (पाली):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं सदन का ध्यान राष्ट्रीय पक्षी मोर की वास्तविक स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मोर को देखते ही विश्व भर में भारत की छवि दीखने लगती है, लेकिन भारत देश में मोर की संख्या में दिन-प्रतिदिन कमी दर्ज की जा रही है। मोर की घटती संख्या का सबसे बड़ा कारण इसका शिकार किया जाना है। साथ ही जल स्त्रोतों का आतिक्रमण और जंगलों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी हमारा राष्ट्रीय पक्षी खतरे में है। सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दे रखा है। सभी राज्यों के वन विभागों ने भी इसे संरक्षित वन्य जीवों की अनुसूची में प्रथम शामिल कर रखा है। परंतु फिर भी मोर के शिकार की बढ़ती घटनाओं के बावजूद इनके रोकथाम की कोई कारगर योजना नहीं बन सकी है। वर्तमान में मोरों का शिकार जहरीला दाना खिला कर किया जा रहा है। राजस्थान राज्य के वन्य जीव प्रेमियों द्वारा मोर चालीसा लिख कर इनके संरक्षण और जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। इसी तर्ज पर मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जागरूकता का आभियान चलाया जाए और शिक्षा पाठ्याक्रमों में भी वन्य जीव संरक्षण को शामिल किया जाए।

**श्री भगवंत मान (संगरूर)**: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान नैशनल हाईवे-1 की ओर दिलाना चाहता हूं। नैशनल हाईवे-1, जो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, उस पर जगह-जगह जो टोल प्लाजा हैं, वहां पर बहुत भारी रकम वसूल की जाती है। वहां जगह-जगह डाईवर्ज़न लिखा रहता है। जो पुल हैं, वे अनकंप्लीट हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं और सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। टोल प्लाजा के आस-पास दो-तीन किलोमीटर सड़क ठीक है। अमृतसर तक इतनी भारी रकम वसूल की जाती है कि जितना गाड़ी का तेल लगता है उतना ही हमें टोल टैक्स देना पड़ता है यानि तेल की कीमत डबल मानी जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दें कि पहले सड़क कंप्लीट करो, फिर आप उस पर टोल लगाना। पंजाब में भी जो राजमार्ग हैं, वहां भी जगह-जगह टोल बहुत ज्यादा हो गए हैं। जब नई गाड़ी खरीदी जाती है, तब लाखों रूपये रोड टैक्स के रूप में लिए जाते हैं तो वह कौन सी सड़कों

का है? अगर हमने 24 घंटे के लिए सड़क रैंट पर लेनी है, तो वे कौन सी सड़कें हैं। जब गाड़ी खरीदते हैं, तब रोड़ टैक्स लिया जाता है? इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस मामले में बहुत भारी लूट हो रही है।

**डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली):** अध्यक्ष महोदया, एंटरप्राइजेज़ में एससी और एसटी का जो पार्टिसिपेशन है, वह बहुत ही कम है। वह पहले 11-12 पर्सेंट हुआ करता था, अब घट कर 9 पर्सेंट के आस-पास हो गया है और दिनों-दिन घटता चला जा रहा है, जबकि रजिस्ट्रड एंटरप्राइजेस केवल 7 पर्सेंट के आस-पास ही हैं। हम आपके माध्यम से एम.एस.एम.ई. मिनिस्टर से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए और ज्यादातर ये लोग एपेरल में, लैदर में काम करते हैं, अनक्लीन और अनहाईजीनिक पेशे में भी अभी लगे हुए हैं। इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इनका पर्सेंटेज बढ़ाया जाना चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री राधेश्याम बिश्वास को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**डॉ. बूरा नरसैय्या गौड़ (भोंगीर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, संसद सदस्य बनने के बाद मैंने छह बार केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) का दौरा किया। मैंने उनके लिए दस एकड़ भूमि भी उपलब्ध करवाई है और सभी आवश्यक मापदंड पूरे किए गए हैं। वास्तव में, के.वी.एस. की ओर से एक पत्र भी दिया गया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हमारे क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए सभी मानदंडों के अनुसार आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, और यहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या भी पर्याप्त है। मैंने विभिन्न राज्यों की सूची देखी है, जिन्हें केंद्रीय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं। मैंने उस सूची को पढ़ा है। उन्होंने कई ऐसे स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत कर दिए हैं, जहां एक वर्ष बीत जाने के बाद भी भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि मैंने स्वयं पूरे क्षेत्र का दौरा किया है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने प्रमाण पत्र भी दिया है कि

मेरे क्षेत्र में के.वी. स्थापित करने हेतु सभी शर्तें पूरी की गई हैं। अतः, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति दी जाए।

दूसरी बात, अब प्रत्येक संसद सदस्य को केंद्रीय विद्यालय में छह सीटें दी जाती हैं। विधायकों और संसद सदस्यों की सीटों की तुलना में केंद्रीय विद्यालय की सीटों की मांग अधिक है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 16 लाख मतदाता हैं। आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक लाख लोगों के लिए कम-से-कम एक सीट दी जाए। छह सीटों के बजाय, वे हमें 16 सीटें उपलब्ध कराएं ताकि अस्थायी रूप से हम लोगों की मांगों को पूरा कर सकें।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. बी.एन. गौड़ द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** अध्यक्ष महोदया, मैं जिस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उससे संसद के हर सदस्य का संबंध रहता है। एनडीए की सरकार के समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब देश के प्रधान मंत्री थे, उस समय सांसद संसदीय क्षेत्र स्वास्थ्य मेले की शुरूआत की गई थी। आदरणीया सुषमा स्वराज जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थीं। उन स्वास्थ्य मेलों के कारण संसदीय क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद, संपर्क और चिकित्सा सेवाओं में उनका सहयोग करने का एक बहुत महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम मिला था। उसमें मेडिकल कॉलेज से भी विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ आते थे और हर स्वास्थ्य मेले में दस हजार से बीस हजार तक क्षेत्र के मरीज एकत्रित होते थे। सांसदों को उस मेले का संयोजक बनाया जाता था।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से स्वास्थ्य मेलों का आयोजन उस समय प्रारम्भ किया गया था, उन स्वास्थ्य मेलों का फिर से आयोजन प्रारम्भ किया जाना चाहिए। उसके लिए आठ लाख रूपए की धनराशि भी दी जाती थी, आठ लाख रूपए का बजट एलोकेशन किया जाता

था, अब उसे बढ़ाकर पच्चीस लाख रूपए का बजट एलोकेशन किया जाना चाहिए। हर संसदीय क्षेत्र में फिर से उसी तरह के स्वास्थ्य मेलों के आयोजन की केन्द्र सरकार के द्वारा शुरूआत की जानी चाहिए। मेरी आपके माध्यम से यही माँग है।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री आश्विनी कुमार चौबे अपने आपको श्री वीरेन्द्र कुमार जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

**श्री के.आर.पी. प्रभाकरन (तिरूनेलवेली):** माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मेरे तिरूनेलवेली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मुक्कुदल, तमिलनाडु बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के और आस-पास लगभग दो लाख कर्मचारी बीड़ी उद्योगों में लगे हुए हैं। चूंकि यह व्यवसाय स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण होने के कारण, मुक्कुदल में एक बड़ा अस्पताल स्थापित किया गया है, जो 2004-05 से कार्यरत है। इस अस्पताल में तीस बिस्तरों की क्षमता के साथ आउटपेशेंट और इनपेशेंट सेवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही आधुनिक निदान उपकरण जैसे एक्स-रे, स्कैन, ई.सी.जी., ऑपरेशन थिएटर और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं।

लेकिन इस बीड़ी मजदूरों के केंद्रीय अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारी की संख्या पर्याप्त नहीं है। एक्स-रे, स्कैन और ई.सी.जी. मशीनें काम नहीं कर रही हैं। एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप, गरीब बीड़ी मजदूर और उनके परिवार के सदस्य बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और वे बाहर से दवाओं और इलाज की भारी लागत भी वहन नहीं कर पा रहे हैं।

इसलिए, मैं संयुक्त रूप से श्रम मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे मुक्कुदल, तिरूनेलवेली जिले, तमिलनाडु के बीड़ी मजदूर केंद्रीय अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाएं। इसमें पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, नर्स, और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाए तथा आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इससे न केवल इस क्षेत्र के गरीब बीड़ी

मजदूरों को बेहतर उपचार मिलेगा, बल्कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ भी कम होंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री देवजी एम. पटेल (जालौर)**: महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं राजस्थान के जालौर सिरोही क्षेत्र से आता हूं। मेरे क्षेत्र के एक साइड में पाकिस्तान का बार्डर है और दूसरी साइड में गुजरात है। हमारे यहाँ से प्रवासी बहुत बाहर जाते हैं। मेरे यहाँ जालौर-समदड़ी-भीलड़ी रूट में ट्रेन का आवागमन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रानी की वाऊ से कुछ अवरोध आ रहा है। प्रवासी ज्यादा होने के कारण मानपुर हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए हमने एक प्रपोजल भेजा है। अम्बा जी धाम बगल में बना हुआ है, बृह्म कुमारी का माउंट आबू के अन्दर बहुत बड़ा सेंटर है, आप भी वहां पधार चुकी हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आबू रोड में हवाई अड्डे को विकसित करके अगर वहां हवाई सेवा शुरू करें तो मेरे क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में बहुत सुविधा होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से इसके लिए माँग करता हूं। धन्यवाद।

**श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद):** महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस वर्ष के रेलवे बजट में फुल फ्लैज्ड रेलवे यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है। आपको पता ही है कि मराठवाड़ा महाराष्ट्र का बहुत इंपोर्टेंट क्षेत्र है और मेरे संभाजी नगर, औरंगाबाद एडब्ल्यूबी में सारी लैंड वगैरह उपलब्ध है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से माँग करूँगा कि यह रेलवे यूनिवर्सिटी मेरे संसदीय क्षेत्र में खुलनी चाहिए। इसका कारण यह है कि यह एशिया में सबसे बड़ी ग्रोइंग सिटी है और यह दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरीडोर का बहुत बड़ा सेन्टर होने जा रहा है। इससे उसका आधिक विस्तार हो जाएगा।

**माननीय अध्यक्ष:** रेल मंत्री आपके यहीं के हैं।

**श्री चन्द्रकांत खैरे:** महोदया, यह रेलवे यूनिवर्सिटी के लिए आदर्श शहर है, क्योंकि यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। दस एकड़ लैंड तो रेलवे की सिटी में ही है। उस पर इन्क्रोचमेंट होता जा रहा है। वहां पर और भी बहुत जमीन उपलब्ध है।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग है कि रेलवे यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ संभाजीनगर (औरंगाबाद) में ही खुलनी चाहिए। धन्यवाद।

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा):** महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी लैंड एक्ट की चर्चा चल रही है, मेरे यहाँ सन्थाल परगना टेनेन्सी एक्ट है, जिसके कारण भाई न तो भाई की जमीन खरीद सकता है और न ही बेच सकता है। इस कारण से यदि वहां स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है तो वह सरकार ही बना सकती है। मेरे यहाँ की जो स्थिति है, 35 परसेंट महिलाएं ही केवल लिटरेट हैं, अभी 8 मार्च को आपने महिला दिवस मनाया है। हमारे यहाँ 70 परसेंट बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहां 80 परसेंट से ज्यादा लोग गरीब हैं, 70 परसेंट से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, महिलाओं का लिट्रेसी रेट 35 परसेंट है, मेरा पूरा इलाका शैड्याूल 5 का इलाका है जिसमें सैन्ट्रल गवर्नमैंट का ही दायित्व बनता है कि वह डैवलपमैंट करे। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की मांग आई है, उसमें सैन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मेरे इलाके में खुले। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** सभा की कार्यवाही अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 1.16 बजे**

*तत्पश्चात लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर पंद्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.16 बजे**

*लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर सोलह मिनट पर पुन: समवेत हुई।*

[**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

# नियम 377 के अधीन मामले [4*]

**माननीय उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो सदस्य इसे सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर विषय का पाठ सभा पटल पर रख सकते हैं।

केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा, जिनका पाठ निर्धारित समय के भीतर पटल पर प्राप्त हो गया हो। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

## (एक) देश के उत्तरी क्षेत्र, विशेषकर हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाल की बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलों को क्षति हुई है उनको पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला):** मैं इसे माननीय कृषि मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारी बारिश और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तेज हवा ने न केवल उत्तर भारत में आम आदमी के जीवन को लाचार बना दिया है, बल्कि उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में गेहूं की फसलों को भी नष्ट कर दिया है। 70 प्रतिशत गेंहू अज्ञेती (उन्नत) प्रकार का गेहूं है। गेहूं की उक्त किस्मों को तेज़ हवाओं के कारण जमीन पर गिरा दिया गया है। अधिकांश क्षतिग्रस्त फसलें पुनः उगने की संभावना रखती हैं, किंतु अनुमानित क्षति 10-20 प्रतिशत के दायरे में सीमित रहने की उम्मीद है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने 20 मि.मी. से 55 मि.मी. तक बारिश रिकॉर्ड की है, जो सामान्य बारिश से अधिक है। यह अतिरिक्त बारिश न केवल किसानों को आर्थिक रूप से

[4*]सभा पटल पर रखा माना गया।

नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि इससे येलो रस्ट और करनाल ब्लंट जैसी फसल की बीमारियां हो सकती हैं। अधिक बारिश फसलों के लिए लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि तेज हवा और ओलावृष्टि से फसलों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मैंने स्वयं 1 मार्च को अपने अम्बाला लोक सभा के कई क्षेत्रों का दौरा किया है और किसानों के साथ बातचीत की है। वे पर्याप्त वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जमीन पर गिर चुकी फसल न केवल फसलों के आगे विकास में बाधा डालेगी, बल्कि किसानों के लिए उन्हें काटना भी मुश्किल हो जाएगा। बिना मौसम की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अल्पकालिक अनुकूल मौसम के बाद किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन असामयिक भारी वर्षा एवं ओलों ने किसानों के सपनों को ध्वस्त कर दिया है। न केवल गेहूं, बल्कि आलू, दलहन एवं सरसों जैसी फसलों को भी गंभीर क्षति पहुंची है।

बिना मौसम की बारिश के कारण दो किसानों की पहले ही मौत हो चुकी है और एक ने आत्महत्या कर ली है। इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, कि मंत्री महोदय सभी उत्तरी राज्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में विशेष प्रावधान जारी करने का निदेश दें। मैं यह भी मांग करता हूं, कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उसका आकलन करने के बाद, उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएं।

## (दो) गुजरात के बारदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तापी नदी के किनारे कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

**श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली):** हमारा संसदीय क्षेत्र बारदोली सूरत जिले में आता है। यहाँ पर वर्षों पहले से कृषि विज्ञान केन्द्र खुला है। यह कृषि विज्ञान केन्द्र मौजूदा समय में शहर के अन्दर हो गया है जिससे किसानों को शहर में आने-जाने में परेशानी होती है। इस परेशानी का मुख्य कारण है कि शहर के अन्दर अत्यधिक ट्रैफिक हो गया है और कृषि विज्ञान केन्द्र का ज्यादा से ज्यादा उपयोग ग्रामीण किसानों के लिए होता है।

अतः मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे जिले में तापी नदी के किनारे मांडवी में राज्य सरकार की जमीन उपलब्ध है, वहां पर किसानों के हित में देखते हुए एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार किया जाए।

## (तीन) महाराष्ट्र में वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पुलगांव क्षेत्र में सेना शिविर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों के किसानों को जीविकोपार्जन हेतु उनकी भूमि के उपयोग की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

**श्री रामदास सी. तडस (वर्धा):** मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा के पुलगांव में बने आर्मी कैम्प की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि यह आर्मी कैम्प एशिया का सबसे बड़े कैम्पों में से एक है। इस कैम्प के परिधि में लगभग 50 गांवों को आर्मी संरक्षण जोन में रखा गया है जिस कारण से यहां के किसान अपनी जमीन को न तो बेच सकते हैं और न ही किसी तरह के उद्योग धंधे लगा सकते हैं। किसानों की हालत दयनीय हो गई है। आये दिन किसान लोग कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर रहे हैं। जब किसान कर्ज के बोझ को दूर करने हेतु अपनी जमीन बेचना चाहते हैं तो प्रशासन रोड़ा बनकर खड़ा रहता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि किसानों को उनकी माली हालत को देखते हुए उनके जमीन को जो संरक्षण जोन में रखा गया, उसे आम जमीन की तरह हर कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट किया जाए एवं आर्मी कैम्प में और आधिक सुविधा एवं विद्यालय तथा कॉलेज की स्थापना करने में सहयोग कराने की कृपा की जाए।

## (चार) देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार हेतु नीति और कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता

**श्री राहुल कस्वां (चुरू):** भारत में किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अगर कृषि के विषय पर गंभीरता से कार्य नहीं किया गया तो भविष्य में ओर भी विकराल रूप धारण कर लेगी। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 6 प्रतिशत अर्थात् 75 करोड़ लोग कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों पर जीवन-यापन करते हैं। वर्ष 2013 के अनुसार कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों का सकल घरेलू उत्पाद में केवल 13.7 प्रतिशत ही योगदान है व प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 18266 रूपये ही है जो गैर कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1 लाख 74 हजार रूपये है, जो कृषि आधारित जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 10 गुणा आधिक है। अमेरिका में कुल जनसंख्या का 1 प्रतिशत (मात्र 25 लाख) लोग कृषि पर आधारित है और अमेरिका का कुल कृषि उत्पाद 46 लाख 54 हजार करोड़ रूपये है अर्थात कृषि पर आधारित लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1.86 करोड़ रूपये वार्षिक से भी आधिक है जो भारत की तुलना में हजार गुणा से भी आधिक है। भारत में फसल बीमा के लिए वर्ष 2013 में मात्र 3 हजार करोड़ रूपये दिया गया है जो कुल कृषि उत्पाद का 0.23 प्रतिशत ही है जो कुल उत्पादन की तुलना में नगण्य है। यह धनराशि किसान की मदद करने में अपर्याप्त है। अमेरिका में वर्ष 2013 के अनुसार 7.20 लाख करोड़ रूपये का फसल बीमा किया गया है जो कुल कृषि उत्पाद का 16 प्रतिशत के लगभग है। भारत में व्यापक स्तर पर कृषि आधारित आधारभूत संरचनाएं जैसे सिंचाई का विकास, उत्तम किस्म के बीज आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा कृषि संबंधित नई तकनीकों एवं विधियों का प्रयोग केवल प्रयोगशालाओं में ही न करके किसानों के खेतों में जाकर किया जाना चाहिए ताकि किसान एक-दूसरे को देखकर उसका अनुसरण कर आधिक से आधिक लाभान्वित हो सके जिससे किसान की दयनीय स्थिति में सुधार हो सके।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि किसान की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए जाएं।

## (पांच) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पान के पत्तों की खेती को कृषि गतिविधि समझे जाने और पान के पत्तों के उत्पादकों को आवश्यक लाभ दिए जाने की आवश्यकता

**कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल** (**हमीरपुर**): मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) में बहुत बड़ें पैमाने पर पान की खेती होती है और लाखों लोग पान व्यवसाय में लगे हुए हैं और कड़ी मेहनत व लगन से महोबा के प्रसिद्ध पान प्रजाति को जीवित रखे हुए हैं। विगत वर्ष हुई दैवीय आपदा से हुए भयंकर नुकसान को भी झेलकर गरीबी व अभाव का जीवन जीने को मजबूर हैं क्योंकि पान की खेती कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं हैं इस वजह से कृषि क्षेत्र से मिलने वाली सुविधाएं (बीमा आदि) का लाभ नहीं मिल पाता है जिसकी वजह पान कृषक दिन-प्रतिदिन पलायन को मजबूर हो रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पान की खेती को कृषि क्षेत्र में शामिल किया जाए ताकि बुंदेलखण्ड के गरीब पान किसानों को उनका हक मिल सके।

## (छह) प्राकृतिक उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

**श्री पी. पी. चौधरी (पाली):** कैमिकल फर्टिलाइजर अर्थात् यूरिया और पेस्टीसाईड्स एंड कैमिकल पर सब्सिडी हेतु पिछले 3 वर्षों में कुल यूरिया पर 168788.04 करोड़ रूपये की सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को जारी की गई जिसमें 66270.27 करोड़ रूपये आयातित कंपनी तथा 102517.77 करोड़ रूपये स्वदेशी यूरिया कंपनियों को दिए गए हैं। इसी प्रकार आयातित पेस्टीसाईड्स एंड कैमिकल हेतु 52780.87 करोड़ रूपये विदेशी तथा 63355.65 करोड़ रूपये स्वदेशी पेस्टीसाईड्स एंड कैमिकल कंपनियों को सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि कैमिकल फर्टिलाइजर के रूप में तो सब्सिडी जारी की जाती है लेकिन प्राकृतिक उर्वरकों पर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी जारी नहीं की जाती है जिसके चलते किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित नहीं होते।

रासायनिक खाद का प्रयोग पारंपरिक प्राकृतिक खाद्य के तरीके की जड़ से खत्म करता जा रहा है। रसायनों के प्रभाव से जमीन भी धीरे-धीरे बंजर होने लगती है और कीड़ों के आधिक पनपने की संभावना बनी रहती है जिससे बचने के लिए किसान अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करने लगते हैं। कुछ कीटनाशक तो सिस्टमेटिक होते हैं जो पानी या खाद के साथ घोलकर प्रयोग में लिए जाते हैं जिसका असर प्लांट के अंदर और उपज के अंदर तक हो जाता है। ये कीटनाशक ऊपर से स्प्रे किए जाने वाले कीटनाशकों से कहीं आधिक हानिकारक होते हैं। ऐसे कीटनाशक मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या से किसान को निजात दिलाने के लिए हाल ही में राजस्थान में 'भूमि स्वास्थ्य कार्ड स्कीम' जारी की है जो अपने आप में पहला निर्णय है जिससे किसानों को अपनी जमीन में रसायनिक खाद के प्रयोग की जानकारी मिल सकेगी और किसान कम लागत में आधिक उत्पादन कर सकेगा। इसके साथ-साथ आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकेगी। किसान चाहते हुए भी जैविक खाद और स्प्रे का प्रयोग

नहीं कर पा रहा क्योंकि ये कैमिकल खाद व स्प्रे से आधिक महंगे हैं। जैविक खाद पर सब्सिडी नहीं दी गई तो हम चाहते हुए भी जैविक खेती को प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खाद को सब्सिडी देने की कृपा की जाए।

## (सात) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियां आयोजित किए जाने की आवश्यकता

**श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):** भारत में कई ऐसे मेधावी छात्र या व्यक्ति हैं जिनको कुछ न कुछ नया करने का शौक होता है। कई बार ऐसी खोज कर देते हैं कि अगर उसे सुनिश्चित तौर पर देश के विकास में या लोगों की भलाई में लगाया जाए तो उसके देश को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, पर उनके समक्ष संसाधनों की कमी रहती है। मेरा आग्रह है कि देश में इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए ताकि वे उनके ऐसे प्रोजेक्ट का डेमेन्स्ट्रेशन पूरे देश के सामने कर सकें और उनके ज्ञान एवं प्रतिभा को देश के हित में उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाए। मसलन जिस तरह 'पुस्तक मेला' लगता है, उस प्रकार 'वैज्ञानिक मेला' या 'मॉडल मेला' या 'इंजीनियरिंग एक्जीविशन' लगे जिसमें सिर्फ विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट का प्रदर्शन हो और उनके बीच में स्पर्धा हो। ऐसी बेवसाइट शुरू करें जिससे देशभर में यदि किसान किसी भी क्षेत्र में ऐसा कार्य या शोधन किया हो, उसे वह प्रदर्शित कर सकें।

**(आठ) राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित विकास योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी में सांसदों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता**

**श्रीमती रमा देवी (शिवहर)**: आज देश में केन्द्र प्रायोजित योजनाआं की संख्या 66 है और केन्द्र सरकार अपने बजट में इनके लिए ढाई लाख करोड़ रूपये से आधिक आबंटन करती है। केन्द्र सरकार के कुल योजनागत बजट का 44 प्रतिशत इन्हीं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से खर्च होता है। फिलहाल केन्द्र सरकार के 33 मंत्रालय और विभाग केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश तैयार करते हैं जबकि इनका क्रियान्वयन राज्यों में होता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना से पहले केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 147 थी परंतु अब इनकी संख्या घटाकर 66 कर दी गई है। राज्यों को आधिक वित्तीय स्वायत्तता देने के नाम पर सांसदों के आधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। आज व्यवहारिक रूप से राज्य सरकारों की नजर में वास्तविक रूप से सांसदों की कोई अहमियत नहीं है। जन-समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से जन-प्रतिनिधियों विशेषकर सांसदों की होती है क्योंकि आम जनता को अपने सांसद को सम्पर्क करना ज्यादा आसान होता है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर अगर केन्द्र प्रायोजित 66 योजनाओं में स्थानीय सांसद को योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण के कार्य से जोड़ा जाता है तो इसका अच्छा परिणाम होगा। इसके लिए केन्द्र सरकार को खासकर प्रधानमंत्री कार्यालय को विशेष रूचि लेकर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में सांसदों के अहम रोल का प्रावधान कानूनी रूप से होना चाहिए। अर्थात् योजनाओं को चयनित करते समय सांसदों के द्वारा उन योजनाओं का अनुमोदन जरूरी कर देना चाहिए। ऐसा करने से राज्य सरकार के जो आधिकारी योजनाओं में गोलमाल करते हैं, उस पर लगाम लगेगा और यह देश हित एवं व्यापक जनहित में होगा। सांसदों को खोई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी और संसदीय प्रजातंत्र मजबूत होगा।

अतः मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के चयन से लेकर क्रियान्वयन तक में स्थानीय सांसद के द्वारा समीक्षा एवं अनुश्रवण कानूनी रूप से जरूरी कर दिया जाए।

**(नौ) गया-बोधगया-चतरा रेल लाइन के निर्माण हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता**

**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):** मेरा संसदीय क्षेत्र चतरा (झारखण्ड) बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। आवागमन की सुविधाओं का अत्यंत अभाव है। पूरा चतरा जिला रेलवे से अछूता है। चतरा से गया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का अंतिम सर्वेक्षण पूरा हो गया है। चतरा जिले में 37.672 एकड़ भूमि के लिए भूमि आधिग्रहण का कार्य भी लगभग हो चुका है। 2007-08 के बजट में चतरा-गया रेल लाइन निर्माण के सर्वे की स्वीकृति दी गई थी। तत्पश्चात 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा इस रेलवे का शिलान्यास बिहार में किया गया था।

गया-बोधगया-चतरा लाइन की कुल लागत 549.75 करोड़ है जिसमें वर्ष 2013-14 में 1860.28 लाख तथा 2014-15 में 10 लाख आबंटन के बाद शेष 53104.72 लाख रूपयों की आवश्यकता है।

रेल बजट 2015-16 में 1 करोड़ रूपये तथा 2014-15 का संशोधित परिव्यय 1 करोड़ रूपये किया गया है। शेष 531 करोड़ धनराशि अगर प्रतिवर्ष 1 करोड़ रूपये दिए जाएंगे तो 531 वर्ष इसे पूरा होने में लगेंगे। इस गति से पांच सदी लग जाएंगी। चतरा व गया दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां जैन, बौद्ध व हिन्दू सबके आस्था का केन्द्र है।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि गया-बोधगया-चतरा रेल लाइन के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन कर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाए तथा घोषित समय सीमा पांच वर्ष में कार्य को पूर्ण करवाने की व्यवस्था की जाए।

## (दस) मध्य प्रदेश में टूरिस्ट सर्किट में जबलपुर को शामिल किए जाने की आवश्यकता

**श्री राकेश सिंह (जबलपुर):** मेरा संसदीय क्षेत्र जबलपुर (म0प्र0) पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। सम्पूर्ण भारत के केन्द्र स्थल भी जबलपुर के नजदीक ही है। पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट जहां संगमरमर की चट्टानों के बीच वॉटरफॉल है। इसके आतिरिक्त बरगी डेम, डुमना नेचर रिजर्व, रानी दुर्गावती समाधि स्थल, मदन महल का किला इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण स्थानों के साथ जबलपुर से 200 किलोमीटर के रेडियस में देश के प्रसिद्ध नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, घुघवा फॉसिल्स पार्क, पंचमढ़ी, खजुराहो, अमरकंटक, चित्रकूट इत्यादि स्थित है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इन क्षेत्रों में पर्यटन के सभी फ्लेवर सम्मिलित हैं।

जबलपुर में जहां धार्मिक एवं ऐतिहासिक टूरिज्म तथा एडवेंचर टूरिज्म हैं वहीं कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तथा इको टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं। खजुराहो में हेरिटेज टूरिज्म हैं जहां पूरे विश्व के पर्यटक अमरकंटक में धार्मिक तथा इको टूरिज्म हैं, घुघवां फॉसिल्स पार्क में डायनासोर के करोड़ों वर्ष पुराने फॉसिल्स हैं। इस तरह पर्यटकों हेतु सभी आवश्यक पर्यटनीय आकर्षण इस सर्किट में उपलब्ध हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में पर्यटन के 50 नए सर्किट निर्माण तथा उनमें आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने की घोषणा की है जो अत्यंत सराहनीय है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जबलपुर (म0प्र0) को टूरिस्ट सर्किट शामिल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट किया जाए।

## (ग्यारह) छत्तीसगढ़ में पेयजल आपूर्ति हेतु पम्पों के प्रचालन के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

**श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग):** वर्तमान समय में पूरे देश में आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक कठिन एवं चुनौती भरा कार्य हो गया है। केन्द्र व राज्य की सरकारें अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर इस कार्य को कर रही हैं जो विभिन्न कारणों से अपर्याप्त होता है।

विशेषकर छत्तीसगढ़ में नल-जल योजना, स्पॉटसोर्स आदि के माध्यम से गाँव में पेयजल उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। इस कार्य में लगने वाले बिजली बिल सरपंचों को पटाने का जिम्मा दिया गया है। सरपंचों के पास इस हेतु अलग से कोई फंड नहीं होता। बिजली बिल नहीं पटने के कारण विद्युत विभाग लाइन काट देता है। गाँव वालों को पीने का पानी 1-2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक गाँव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक गाँव में 1 एचपी या 2 एचपी के पम्प को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने हेतु योजना बनाकर तत्काल आवश्यकता वाले राज्यों को आदेश जारी करेंगे जिससे आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

## (बारह) मदुरै और बोदीनायक्कनूर के बीच आमान-परिवर्तन और डिंडीगुल-सबरीमाला के बीच नई रेल लाइन के निर्माण हेतु निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

**श्री आर. पार्थिपन (थेनी):** मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मदुरै - बोदीनायक्कनूर रेलवे लाइन मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है। वर्ष 2010 में ब्रॉड-गेज में बदलने के कारण इस रेल मार्ग पर रेल सेवाएं बंद कर दी गई थीं। वित्तीय अनुमान के लिए एक अध्ययन वर्ष 2011 में किया गया था और तब से काम शुरू नहीं हुआ है। लोगों की परिवहन सम्बन्धी और कई व्यापर गतिविधियां इससे प्रभावित हुई हैं। भले ही डिंडीगुल-सबरीमाला (केरल) के बीच एक नई रेल लाइन की घोषणा की गई थी, लेकिन इस संबंध में कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ है। सबरीमाला के लिए पर्याप्त रेल संपर्क न होने के कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित कई लाख तीर्थयात्री और श्रद्धालु जो भगवान श्री अयप्पा के दर्शन के लिये आते हैं, प्रभावित हुए हैं। तीर्थयात्री अब भीड़-भाड़ वाली बसों से यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी उम्मीद थी, कि 26 फरवरी 2015 को पेश किए गए रेल बजट में इस संबंध में घोषणाएं की जाएँगी। यह अत्यधिक निराशाजनक है कि वर्तमान बजट में इन रेल परियोजनाओं के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है। इसलिए, मैं रेल मंत्रालय से इन परियोजनाओं के लिए धन आबंटित करने और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने का अनुरोध करता हूं।

## (तेरह) तमिलनाडु के नल्लार और अनामलायर में बांधों के निर्माण हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

**श्री सी. महेंद्रन (पोलाची):** तमिलनाडु सरकार ने 1,540 करोड़ रुपये की लागत से नल्लार और अनामलयर में दो बांधों के निर्माण के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया है। 9.5 टी.एम.सी. की क्षमता वाले ये बांध ऊपरी निरार और निचले निरार बांधों दोनों से पानी का पूरी तरह से उपयोग करेंगे, जो क्रमशः 7 टी.एम.सी. और 2.5 टी.एम.सी. जारी करते हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून से पानी प्राप्त करने वाले ऊपरी निरार बांध, जो वर्तमान में सोलायार बांध, परमबिकुलम और थुनक्कड़वु बांधों के माध्यम से मोड़ा जाता है, 120 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए कंटूर नहर के माध्यम से तिरुमूर्ति बांध तक पहुंचता है। बरसात के मौसम में यहाँ बहुत अधिक पानी आता है। इस अतिरिक्त पानी को नहर और सुरंग के माध्यम से 14.4 किलोमीटर की दूरी तक नल्लार पर बनने वाले बाँध तक ले जाया जा सकता है, जो समुद्र तल से 3214 फीट ऊपर है। वहां 125 मेगावाट की क्षमता वाले दो उप-केंद्रों को 200 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए स्थापित किया जा सकता है। पानी को आगे तिरुमूर्ति बांध तक ले जाया जा सकता है, जो समुद्र तल से 1336 फीट की ऊंचाई पर है। यह पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने के साथ 5,000 एकड़ सूखी भूमि की सिंचाई भी करेगा। इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट क्षमता बिजली उत्पादन इकाई भी, वहां स्थापित की जा सकती है। जिस से जल पारेषण हानि को कम किया जा सकता है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से नल्लार और अनामलायर बांध परियोजनाओं के निर्माण के लिए केंद्रीय जल प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त करने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

## (चौदह) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना की पात्रता शर्तों में छूट दिए जाने की आवश्यकता

**श्री सुवेन्दू अधिकारी (तामलुक):** मैं यह जानकारी साझा करना चाहता/चाहती हूं कि भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना — राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हमारे संविधान के अनुच्छेद 41 की भावना के अनुरूप एक महान उद्देश्य के साथ की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के पाँच प्रमुख घटकों में से एक है। वर्तमान नियमों के अनुसार, इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जो बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से हो, जिसकी उम्र 18 से 64 वर्ष के बीच हो, और जिसे 80 प्रतिशत या उससे अधिक की गंभीर या एक से अधिक प्रकार की विकलांगता हो। यदि ये सभी मानदंड पूरे होते हैं, तो लाभार्थी को 300 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। लेकिन, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा, कि जब भी सामाजिक सहायता कार्यक्रम तैयार किया जाता है, तो इसकी सोच बड़ी होनी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को सहायता पहुंचनी चाहिए और अधिक सटीक रूप से यह सभी जरूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन मेरे विचार से यदि वर्तमान मानदंडों को उपयुक्त रूप से नहीं बदला जाता है, तो वर्तमान विकलांगता भत्ता योजना सभी ज़रूरतमंदों को शामिल करने में सक्षम नहीं है। निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका नहीं कमा सकते हैं। लेकिन पेंशन के रूप में दी जाने वाली वर्तमान धनराशि उनके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, 80 प्रतिशत से कम विकलांगता वाला व्यक्ति भी बिना सामाजिक समर्थन के अपना जीवन अनिश्चितताओं से घिरा हुआ पाते हैं और ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को, यदि वह न्यूनतम 18 वर्ष का नहीं है, तो ऐसे समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि किसी व्यक्ति को योजना के लिए पात्र बनने के लिए आयु सीमा वापस लेने और न्यूनतम निशक्तता प्रतिशत को वर्तमान 80 प्रतिशत के बजाय 10

प्रतिशत के रूप में निर्धारित करें। मैं आगे मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ी पेंशन की धनराशि को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

**(पंद्रह) ओडिशा की विभिन्न प्रमुख योजनाओं हेतु आबंटित निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता**

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** ओडिशा के विकास की प्रक्रिया को प्रमुख योजनाओं के लिए अपर्याप्त आबंटन से नुकसान हो रहा है। यह त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रभावित कर रहा है। इस तरह की बड़ी कटौती ने ओडिशा सरकार के पास उपलब्ध नकदी (पैसे) की स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया है और इससे उन योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करना मुश्किल हो जाएगा, जिनके लिए पहले से खर्च करने का वादा या योजना बनाई जा चुकी है।

ओडिशा ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आ.ई.बी.पी.) के कार्यान्वयन के लिए 2012-13 में 1088.62 करोड़ रुपये और 2013-14 में 967.57 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। भारत सरकार ने 2012-13 में केवल 38.24 करोड़ रुपये तथा 2013-14 में 15.23 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि 2012-13 में 1036.66 करोड़ रुपये तथा 2013-15 में योजना आयोग द्वारा 850 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 से संबंधित ए.आ.ई.बी.पी. के अंतर्गत लगभग 970 करोड़ रुपये का प्रतिपूर्ति दावा लंबित है।

इसी प्रकार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 522 करोड़ रुपये की कमी है। आई.सी.डी, आर.ए.एम.एस.ए., आर.यू.एस.ए., एन.आर.एल.एम. जैसी अन्य प्रमुख योजनाओं के लिए भी केंद्रीय सहायता जारी करने में पर्याप्त कमी देखी गई है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि वह तत्काल उन योजनाओं के लिए धनराशि जारी करे, जिनके लिए वित्तीय प्रतिबद्धताएं की गई थीं।

## (सोलह) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के संबंध में संसद सदस्यों को अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री रामा किशोर सिंह (वैशाली):** हमारा संसदीय क्षेत्र वैशाली (बिहार) विश्व प्रसिद्ध पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल है परंतु इस क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों की स्थिति जर्जर है। इसके आतिरिक्त क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सड़कें बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़ी हैं और कई अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है परंतु धनराशि संबंधित राज्य सरकार को आबंटित और विमुक्त की जाती है जिसके कारण संवेदकों और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण आम लोगों को कठिनाई होती है। अतः संबंधित सांसदों को उक्त योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण की अनुशंसा का आधिकार देना बेहतर होगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि क्षेत्र की निर्माणाधीन और अधूरी सड़कों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की व्यवस्था करते हुए माननीय सांसदों को उक्त योजना के अंतर्गत नई सड़कों के निर्माण कराने का आधिकार प्रदान कराने की व्यवस्था की जाए।

## (सत्रह) बिहार में बंद चीनी मिलों को पुनः चालू किए जाने और भागलपुर में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** आम चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों से वायदा किया था कि मैं ही बिहार को उन्नति के पथ पर ला सकता हूं और यह भी कहा था कि बिहार की सभी बन्द पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा। इसी प्रकार भागलपुर, जो कि रेशम उद्योग के लिए विख्यात था, आज अपना आस्तित्व खोता जा रहा है। उसे भी विकसित किया जाएगा, जिससे कि वहां के करीब पाँच लाख बुनकरों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। वे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विशेषकर बुनकरों के लिए योजनायें बनवा रहे हैं, उसी के साथ भागलपुर को भी जोड़ा जा सकता है।

उत्तर बिहार की बन्द पड़ी चीनी मिलों में लाखों लोग कार्यरत थे। वे आज भुखमरी के कगार पर हैं। किसानों की हालत दयनीय होती जा रही है। गन्ना का उत्पादन बन्द करना पड़ा, क्योंकि चीनी मिलें बन्द हो चुकी हैं। बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इसका विकास नहीं कर सकती है।

अतः मेरी माँग है कि केन्द्र सरकार विशेष पहल कर बिहार की बन्द पड़ी चीनी मिलों को आर्थिक मदद प्रदान करे। साथ ही साथ भागलपुर में भी रेशम आधारित उद्योगों की स्थापना और विकास हेतु बिहार राज्य के लिए विशेष पैकेज मुहैया कराये, जिससे कि वहां का सर्वांगीण विकास किया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

## (अठारह) बिहार के भागलपुर में एम्स जैसी संस्था स्थापित किए जाने की आवश्यकता

**श्री शैलेश कुमार (भागलपुर):** बिहार राज्य के लिए बजट 2015-16 में भारत सरकार द्वारा दूसरे एम्स के लिये घोषणा की गई है। बिहार राज्य के भागलपुर जिला सहित आस-पास के कई जिलों में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल नहीं हैं जिसके चलते गंभीर रूप से घायल, बीमार व्यक्तियों का इलाज नहीं हो पाता है। बिहार राज्य के पूर्वी सीमा पर स्थित भागलपुर में आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के खोले जाने की आवश्यकता है अगर यह संस्थान भागलपुर में स्थापित किया जाता है तो बिहार सहित झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल के गरीब मरीजों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। इस क्षेत्र में एम्स जैसे संस्थान की सुविधा नहीं होने से गंभीर बीमारियों तथा दुर्घटना में घायल लोगों को पटना तथा दिल्ली ले जाना पड़ता है जिससे गरीब मरीजों का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। साथ ही साथ लम्बी दूरी तक इलाज के लिए जाने के क्रम में मृत्यु हो जाती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि बिहार राज्य के भागलपुर में आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की इकाई खोले जाने को मंजूरी देने का कार्य किया जाए जिससे गंभीर बीमारियों तथा दुर्घटना में घायल लोगों का आति तत्काल समुचित इलाज कराया जा सके।

**(उन्नीस) प्रस्तावित इंडिया बेस्ड" न्यूट्रीनों ओब्जरवेट्री" हेतु चयनित पश्चिमी घाट के बोदी क्षेत्र के आस-पास रहने वाले लोगों का जीवन और उनकी आजीविका सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

**एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की)**: प्रस्तावित इंडिया-बेस्ड न्यूट्रीनो ओब्जरवेट्री (आई.एन.ओ.), दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत विज्ञान प्रयोगशाला, पश्चिमी घाट के बोदी पहाड़ियों में बनाई जा रही है ,जो सुरुली नमनीय कतरनी क्षेत्र के अत्यधिक विकृत हिस्से में है। प्रस्तावित वेधशाला बोदी पहाड़ियों के नीचे चट्टानों के भारी विस्फोट और अव्यवस्था का कारण बनेगी। प्रस्तावित स्थल के 50 कि.मी. के दायरे में कई जलाशय हैं। क्षेत्र के लोग चिंतित हैं क्योंकि चट्टानों के विस्फोट से जलभृत, नदियों और जलाशयों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, स्थानीय आबादी विकिरण खतरों के बारे में भी चिंतित है। आई.एन.ओ. परियोजना के खिलाफ क्षेत्र में कई आंदोलन हुए हैं। आज तक परियोजना के बारे में पड़ोसी राज्य केरल के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया है, भले ही आई.एन.ओ. साइट केरल-तमिलनाडु सीमा पर थी। मैं सरकार से इस क्षेत्र के लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं।

**अपराह्न 2.17 बजे**

## भूमि अर्जन, पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा भूमि अर्जन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 – जारी

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी।

[हिन्दी]

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल** (**दमोह**): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता आधिकार आधिनियम, 2013 का संशोधन करने वाले विधेयक के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए यहां पर खड़ा हूं।

हमारी सरकार के नेतृत्व के प्रति हमारा अपना भरोसा मेरे समर्थन का एक बड़ा आधार है। इस सरकार का काम-काज और सरकार की विश्वसनीयता, जो हम पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वह कभी किसान विरोधी नहीं हो सकती। हम यह मानते हैं कि जो 1894 से लेकर 2013 तक 100 वर्ष के बाद उस कानून में संशोधन करने की जो गति हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में रही है, वह किसान के लिए सवारधिक कष्टकारी समय रहा है। मैं यह मानता हूं कि इसमें जो सत्य और तथ्य है, उससे परे जो भ्रमों की बात हो रही है, उस पर इस सदन को जरूर पारदर्शिता के साथ विचार करना चाहिए। हम पूरे विश्वास के साथ यह कहते थे कि किसी उद्योगपति को लाभ देने की कोई जरूरत नहीं है या किसी प्रकार का संदेह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी वक्ता इसके पहले बोले, जो हमारे प्रतिपक्ष में थे, उन्होंने इस बात का आरोप लगाया, लेकिन आज सरकार ने उस मंशा को भी साफ कर दिया कि अगर कोई शब्दावली है तो उसको संशोधनों के माध्यम से स्पष्ट

कर दिया कि हम किसी प्राइवेट संस्था के लिए भी किसान की जमीन का आधिग्रहण नहीं करेंगे, जो सदन में सरकार लेकर आ रही है।

दूसरे सबसे बड़ी बात होती है कि जब कानून बनता है तो राज्य उसके नियम बनाते हैं। कुछ परम्पराएं हैं, जो हम सब राजनेताओं के साथ चलती हैं। हम जन-प्रतिनिधि हैं, कानून तो 100 साल तक अंग्रेजों का चलता रहा, लेकिन न्याय के लिए हम सब लड़ते रहे, हम जैसे लोग किसानों का आन्दोलन चलाते रहे, क्योंकि, वह कानून, जिसकी यह बात की जा रही है, 2013 में जिसका संशोधन लाया गया था, उसको 118 साल तक इस कष्ट को देश के किसानों ने झेला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका फैसला यह सदन करेगा, देश करेगा, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो कानून लाया जा रहा है, जो संशोधन के साथ आपके सामने, सदन के सामने है, इसमें किसान का विरोध नहीं हो सकता। यह कानून संरक्षण देता है। किसान की जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, यह जुमला भी चलता रहा है। हम लोग भी इस बात की वकालत करते रहे हैं, लेकिन रकबा घटने के बाद अब वह इस देश में संभव नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि उसका मूल्य उसे मिलेगा या नहीं? विस्थापन के बाद उसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे उसे मिलेंगी या नहीं? यह राज्य के नियम के तहत तय होगा कि वह उसकी भरपाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, उसके बाद भी यह बचेगी कि हम सब मिल कर कुछ ऐसी परंपराओं को स्थापित करें कि गरीब किसान को उसका नुकसान न हो। उसके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। इसका साफ परिणाम है कि इस विधान के बाद जो सरकार संशोधन लेकर आना चाहती है, उसमें कहा गया है कि जो पूर्णतः कृषि पर आश्रित हैं, अगर उस परिवार की जमीन ली जाएगी तो उसी प्रतिष्ठान में उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। यह सरकार का वादा है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम किसानों का हित नहीं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि बात यह आती है कि जब कभी हम विस्थापन करते हैं या उन्हें मुआवज़ा देते हैं तो हम उन्हें उसकी कीमत दे पा रहे हैं या नहीं।

उपाध्यक्ष जी, हमारे मित्र सिंधिया जी अभी यहां नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं। हम मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश में एक समय चरनोई भूमि, जो मवेशियों के लिए हुआ करती थी, वह 7.5% थी। इन लोगों

ने सारी भूमि को बांटकर उसे 2% पर लाकर खड़ा कर दिया। कानून होने के बावज़ूद भी ये राज्य सरकारों के कामकाज हैं। आज सरकारी जमीन नहीं है। मैंने ही यह प्रश्न उठाया है कि इस देश में ऐसी कितनी ग्राम पंचायत हैं, जहां पर स्कूल और किसी भी प्रकार के मैदानों को बनाने के लिए एक एकड़ भी सरकारी जमीन नहीं हैं? उसका जवाब आ रहा है। पर, मेरे पास जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार लगभग बीस हजार से ज्यादा ऐसी पंचायतें हैं, जिनके पास एक एकड़ जमीन भी सार्वजनिक हित के लिए नहीं है। कभी तो आपको इसे लेना पड़ेगा। लेकिन आप जमीन के बदले उन्हें क्या देंगे? यह सबसे अहम सवाल है। जब कभी कानून बना था कि हम मार्केट रेट का चार गुणा देंगे। वह आज भी है, बल्कि उससे भी बढ़कर इसमें मिला है।

महोदय, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। वर्ष 2013 का कानून बना। कानून बनने के पन्द्रह महीनों के बाद भी देश की कोई भी राज्य सरकार एक डेसिमल जमीन भी आधिग्रहित करने का साहस नहीं जुटा सकी। यह उसका प्रमाण है। लेकिन जैसे ही यह सरकार वर्ष 2014 में यह अध्यादेश लेकर आयी, उसके बाद मेरे पास एक आंकड़ा है कि एन.एच.ए.आई. के लिए किसानों की जमीन आधिग्रहित की गयी, जो राज्य सरकारों के माध्यम से की गयी। उन्हें जो पहले मुआवज़े के रूप में 60,000-70,000 करोड़ रुपये मिलना था, इस कानून के तहत उन्हें लगभग 1,40,000 करोड़ रुपये मुआवज़े के तौर पर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें किसानों का हित नहीं है? हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम देश को क्या बताना चाहते हैं, देश के सामने क्या संदेश देना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक बाणसागर परियोजना थी। मोरारजी देसाई जी ने उसका भूमि पूजन किया था, अटल जी ने उसका लोकार्पण तब किया जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गयी। भूमि विवाद के कारण वह लगभग 40 सालों तक पड़ी रही। जहां से मैं आता हूं, रानी अवन्तिबाई सागर, जिसे वर्ष 1982 में पूरा हो जाना चाहिए था, सिर्फ़ जमीन के विवाद के कारण वह आज भी पूरा नहीं हो सका है। गोल्डेन क्वाडिलेटरल परियोजना, जो अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे, दक्षिण से लेकर उत्तर तक का जो कॉरिडोर है, आज वह मेरे प्रदेश में और महाराष्ट्र में पेंच अभ्यारण्य के कारण रूका है और वह सिर्फ़ और

सिर्फ़ जमीन विवाद के कारण ही रूका है। अगर उसका जिम्मेदार कोई है तो मैं कह सकता हूं कि उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मैं यह केवल आरोप की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं।

हमारे सिंधिया जी उस दिन इस पर भाषण कर रहे थे। अभी वह यहां नहीं हैं। मणिखेरा बांध उनके लोक सभा क्षेत्र में आता है। श्री सक्लेचा जी ने उसका भूमि पूजन किया था, शिवराज जी ने उसका लोकार्पण किया। सरकारें आती गयीं और चली गयीं, लेकिन हम जमीन का विवाद नहीं निपटा पाए। अगर वह काम किसी ने किया तो हमारी पार्टी की राज्य सरकारों ने किया। नियम बनाने में हम सिर्फ लीक पर चलने के आदी नहीं हैं। हम ऐसा नहीं करते कि जो कानून में लिखा है, वही कर दो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कहूंगा कि पंजाब में एक तरीका अपनाया गया। उसे सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए। सर्किल रेट और मार्केट रेट के बीच में कई ज़गहों पर बहुत अन्तर होता है। हम जनप्रतिनिधियों को उसमें जरूर रखें, क्योंकि मैंने कहा कि कानून, नियम और कई परंपराएं भी होती हैं। अगर कभी हमें राज्य सरकारों को कोई हिदायत देनी पड़े तो हमें देनी चाहिए कि सिर्फ कलक्टर के भरोसे नहीं, कहीं न कहीं उसमें जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी भी करनी चाहिए। तब जाकर उसका ठीक प्रकार से मुआवज़ा बंटेगा।

महोदय, मैं आपको इसका भी एक उदाहरण देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि इस विधेयक पर जल्दी ही मतदान होने वाला है। मेरे पास लगभग 20 सदस्यों की लंबी सूची है जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप बहुत संक्षेप में बोलें और पांच मिनट से अधिक समय न लें।

[हिन्दी]

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** उपाध्यक्ष जी, मैं दो या तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, आपको दोबारा घंटी नहीं बजानी पड़ेगी।

मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरी ही सरकार है, मैं एक आंदोलन सिंगरौली में चला रहा था। एक एस्सार नाम की वहां कंपनी है। वहां जमीन आधिग्रहीत की गई, आधिकारी ने उसका पंचनामा बना लिया। आधिकारी ने सब जमीन के आगे सिंचित लिख दिया। आधिकारी ने घर जाकर अपनी हैंडराइटिंग में उसके पहले अ लिख दिया तो वह आसिंचित हो गया। ये जो प्रक्रियाएं हैं, राज्य के नियमों के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, इनको कैसे रोकेंगे, यह राज्य का विषय है। मैं समझता हूं कि सदन को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि किसान लुटता कहां है, किसान की तकलीफ कहां है। मुझे लगता है कि अगर हम इस पर सार्थक बहस करेंगे तो इस आधिनियम पर जो चर्चा होगी, वह देश के किसान के हित में होगी। अगर हम एक-दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, इससे कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, जो कानून समझने वाले हमारे मित्र हैं, वे उस पर अपनी बात कहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम सब यहाँ पर किसान और मजदूर के लिए जवाबदेह हैं। मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की थी, लेकिन जो वास्तव में तकलीफ है, वह है हमारे मनों की खटास। मुझे लगता है कि हम सब एक-दूसरे के बारे में सिर्फ राजनीतिक तरीके से विरोध करने के लिए हैं। हम जब सेन्ट्रल हॉल में बैठते हैं, तो हमें पता चलता है कि बड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन चाहिए, विकास के लिए जमीन चाहिए। लोग कह सकते हैं कि किस कीमत पर चाहिए। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर में एक पाई भी कहीं और से नहीं आती है।

अंत में, मैं दुष्यंत कुमार जी की बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इसे पहले बोलता, लेकिन आखिर में बोल रहा हूं कि कुछ बहुत गहरी दरारें पड़ गई हैं मन में, मीत अब यह मन नहीं है एक धरती है। हम एक बच्चे की तरह पढ़ते थे, 'वीर भोग्य वसुंधरा'। हमारी सरकार का जो मत है, मेरे गुरूदेव ने मुझसे कहा था, 'वीर योग्य वसुंधरा'। हम ऐसे कानून बनाएं, जो आम गरीब आदमी को हित पहुँचाने वाले हों, संरक्षण करने वाले

हों, इस खुले मन से आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि इस अध्यादेश का आप भी समर्थन करेंगे। मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर)**: महोदय, वर्ष 2013 में इस संसद में एक ऐतिहासिक बिल पारित हुआ। एक ऐसा बिल जिसमें उद्योग और किसानों के बीच में एक सन्तुलन लाया गया। एक ऐसा बिल जिसमें प्रगति, विकास और आधिकार को बराबर देखा गया। इससे पहले यदि भूमि का आधिग्रहण होता था तो वर्ष 1984 के कानून के हिसाब से होता था। उस बिल में किसानों की जमीन जबरन ली जाती थी और उनको मुनासिब मुआवजा भी नहीं दिया जाता था। लेकिन वर्ष 2013 में ऐसा भूमि आधिग्रहण बिल आया, जिसने किसानों के सालों के संघर्ष को सुना और किसानों को मजबूत बनाने के लिए उसकी तरफ सम्मान और दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और सहमति, सामाजिक प्रभाव का आकलन, पुनर्वास, पुर्नस्थापन, जमीन वापसी का प्रावधान और अन्य कई ताकत किसानों की दी गई। इसमें कोई शक नहीं है कि इस ऐतिहासिक बिल में जिसे हम भारत में लाए, वर्ष 1984 के बाद इस बिल को लाने में किसानों के साथ अगर कोई कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा था तो वे राहुल गाँधी जी थे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। भारत में जब भी कोई गरीब और कमजोर अपनी आवाज उठाता है तो उसको अमीर और ताकतवर कुचल देते हैं। ...(व्यवधान) आज यही हुआ। इस नई सरकार को सात महीने भी नहीं हुए और उन्होंने वर्ष 2013 के भूमि आधिग्रहण बिल को सात महीने में नकार दिया। जिस आधिनियम को लाने में सात साल तक चर्चा हुई, दो स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट आयीं और विभिन्न संशोधनों के बाद लाया गया, उसे आपकी सरकार ने 9 महीने में ही निकाल दिया। सहमति और सामाजिक प्रभाव का आकलन, जो पिछले आधिनियम के दायें और बायें बाजू थे, इन दायें और बायें बाजू को नई सरकार ने काटकर फेंक दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या किसान आन्दोलन पर आ गया था, क्या किसान आपके घर के बाहर आन्दोलन कर रहे थे कि सहमति का क्लॉज हटा दीजिए, क्या किसान आन्दोलन पर आया था कि सामाजिक प्रभाव का आकलन हटा दीजिए, नहीं, किसानों की यह माँग नहीं थी। किसान चाहता था कि ये दो मूल तत्व इस संशोधन में रहें। आपने किनकी आवाज सुनी, आपने बड़े उद्योगपतियों की आवाज सुनी, बड़े पूंजीपतियों की आवाज सुनी, जो कॉरपोरेट बोर्ड रूम में बात करते हैं, जो कहते हैं कि लैंड एक्वीजिशन में बहुत समय लग रहा है, कन्सेंट के कारण बहुत समय लग रहा है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट

बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। आज उन कॉरपोरेट बोर्ड रूम की आवाज संसद के इस मन्दिर में सुनाई दे रही हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है।

लेकिन, मैं कहना चाहूंगा कि बी.जे.पी. सरकार को इस नये आधिनियम को लाने के लिए बहुत काम करना पड़ा है। सबसे पहला काम वर्ष 2013 के आधिनियम पर कीचड़ फेकने का काम शुरू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी अर्जेन्सी क्या थी? आपकी सरकार नई आयी है। आप पहले वर्ष 2013 के आधिनियम को लागू करते। आप पहले उसे अघ्ययन करते कि कितने प्रोजैक्ट्स लैण्ड ऐक्विजिशन के कारण रुके हुए हैं। आप उसे अध्ययन करते कि कितने रेलवे प्रोजैक्ट्स और डिफेन्स प्रोजैक्ट्स भूमि आधिग्रहण के कारण रुके हुए हैं, उसके बाद आप उनके लिए रास्ता निकालते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। प्राइवेट कम्पनी, वन मैन कम्पनी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप, एन.जी.ओज. सोसायटी, ऐसे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उसमें घुस सकते हैं। आपने उनके लिए आपने रास्ता खोल दिया है, उनके लिए आपने दरवाजे खोल दिए हैं। उद्योगपति ने इस सरकार को सिर्फ झुकने के लिए कहा। आपने किसानों की अमानत को बलिदान कर दिया। आप जिन किसानों के विश्वास से इस संसद में आए हैं, आज आपने उनको पीठ दिखा दी।

मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा था कि हमें उद्योग को बुरा नाम नहीं देना चाहिए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि किसानों और कृषि को भी बुरा नाम नहीं देना चाहिए। अगर एक सिपाही हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करता है तो एक किसान हमारे भारत के भविष्य, बढ़ती आबादी के लिए खाद्य की सुरक्षा करता है। आज किसान और जवान को विपरीत पक्ष में न रखिए। यह न कहें कि आज किसान उन्नति के खिलाफ हैं। किसान भारत की उतनी ही चिन्ता करते हैं, जितनी भारत की चिन्ता सिपाही करते हैं।...(व्यवधान) आज बहुत सारे संशोधन आए हैं, लेकिन ये कॉस्मैटिक चेन्जेज हैं। वर्ष 2013 के विधेयक की जो मूल आत्मा है - सोशल इम्पैक्ट असेसमेन्ट और कन्सेन्ट, आज वे दो आत्मायें हैं लेकिन वह आवाज आपकी अमैण्डमेन्ट में सुनायी नहीं पड़ रही है।

मैं आपसे विनम्रता से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अभी कुछ समय बाद वोट करेंगे। आप वोट करने से पहले गांधी जी का मूल मंत्र याद करिए, किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी गरीब आदमी के बारे में चिन्ता करिए। आज मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वोट करने से पहले अपनी आंख बंदकर, अपने संसदीय क्षेत्र के किसी एक किसान के घर के बारे में चिन्ता करिए, उसके बाद आप गरीब और कमजोर के पक्ष में वोट करिए, न कि अमीर और ताकतवर के पक्ष में। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

[अनुवाद]

[5*]**श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा (खडूर साहिब):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अर्जन विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, पंजाब को इस देश का अन्नभंडार कहा जाता पंजाब राष्ट्रीय केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में 40 से 50 प्रतिशत तक खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। यद्यपि पंजाब का क्षेत्रफल पूरे देश के कुल भू-भाग का मात्र 1.54 प्रतिशत है, फिर भी इस क्षेत्र के कृषक परिश्रम एवं समर्पण के बलबूते उत्कृष्ट फसल उत्पादन करने में सक्षम हैं। पंजाब की भूमि कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ एवं अनुकूल है।

महोदय, बढ़ती जनसंख्या और कस्बों तथा शहरों के विस्तार की वजह से किसानों की उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। यह गंभीर रूप से एक चिंता का विषय है। अतः औद्योगिक प्रयोजनों के लिए गैर कृषि भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए।

महोदय, यद्यपि खाद्यान्न के संबंध में भारत व्यापक रूप से आत्मनिर्भर है, लेकिन यदि मानसून विफल हो जाता है, तो खाद्यान्नों का उत्पादन प्रभावित होता है और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता एक नुकसान बन जाती है। इसलिए, पंजाब सरकार की नीति है कि उन लोगों की सहमति ली जाए जिनकी भूमि अर्जित की जा

[5*] मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

रही है। उन्हें प्रचलित बाजार दर पर पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाता है। परिणामस्वरूप, पंजाब में भूमि अधिग्रहण नीति को बिना किसी शिकायत या समस्या के सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

महोदय, पंजाब की भूमि अधिग्रहण नीति का लम्बे समय से पालन किया जा रहा है। इसमें बड़ी सफलता मिली है। मैं पंजाब के अपने अनुभव को देखते हुए यह मांग करता हूं कि वर्तमान विधेयक में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

महोदय, भूमि अर्जन विधेयक, 2013 और संशोधित विधेयक नहीं हैं, किसानों को बाजार दर पर पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। पंजाब की नीति किसानों की सहमति चाहती है और उनके साथ अन्याय नहीं करती है। भूमि का जबरन अधिग्रहण कभी नहीं किया गया है। अत: भू-स्वामियों, जिनकी भूमि का अर्जन किया जा रहा है, की सहमति लेना आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण का कोई अन्य तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

महोदय, उन भू-स्वामियों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिनकी भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उन्हें अर्जित भूमि के लिए प्रचलित बाज़ार दर का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्हें निकासी भत्ता प्रदान किया जाना अनिवार्य है तथा भूमि-पूलिंग प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही, उन्हें निर्णय-प्रक्रिया में सम्मिलित कर साझेदार के रूप में सम्मानपूर्वक माना जाना चाहिए।

महोदय, मुआवजा पैकेज निर्धारित करने के लिए क्षेत्र के डी.सी. के अधीन एक जिला समिति का गठन किया जाता है। क्षेत्र के लोक सभा सदस्य, क्षेत्र के विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष, स्थानीय ग्राम प्रधान या महापौर आदि समिति का हिस्सा होते हैं। यह समिति संबंधित भू-स्वामियों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श भी करती है।

महोदय, पंजाब ने भूमि अधिग्रहण के लिए इस समिति प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया है और हमें इस प्रक्रिया में कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। किसी भी भू-स्वामी को कभी नहीं लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। दूसरे विकल्प के अनुसार, सभी भूमि मालिक लैंड-पूलिंग प्रणाली का पालन

करते हैं। इस नीति के अनुसार, भू-स्वामियों को व्यापार और व्यापार क्षेत्रों में 50% हिस्सा दिया जाता है। इसलिए, भू-स्वामी इस प्रक्रिया में इच्छुक हितधारक और भागीदार बन जाते हैं। बहु-फसली भूमि का अधिग्रहण केवल तभी किया जाता है जब ऐसा करना नितांत आवश्यक हो।

महोदय, हमारा सुझाव है कि केन्द्र सरकार को केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण नीति को अंतिम रूप देते समय पंजाब की सफल भूमि अधिग्रहण नीति को ध्यान में रखना चाहिए। सरकार को मात्र जनहित प्रयास के लिए ही भूमि अर्जित करनी चाहिए। जहां तक भूमि अधिग्रहण का संबंध है सरकार को निजी उद्योगपतियों की ओर से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भू-स्वामियों को इस प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाना चाहिए।

महोदय, पहले विकल्प के अनुसार, भू-स्वामियों जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें प्रचलित बाजार दर और बेदखली भत्ता दिया जाना चाहिए। अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तय करने के लिए क्षेत्र के डी.सी. के अधीन एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। क्षेत्र के सांसद और विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम प्रधान या महापौर आदि को इस समिति का हिस्सा होना चाहिए, जैसा कि पंजाब में होता है। मुआवजे की दर निर्धारित करने से पहले हितधारकों से भी परामर्श किया जाता है। पंजाब में कोई समस्या नहीं हुई और यह प्रक्रिया सफल रही है।

महोदय, दूसरा विकल्प पंजाब भूमि नीति के अनुसार लैंड-पूलिंग प्रणाली से संबंधित है। मैंने पहले ही इसका उल्लेख किया है। राज्यों को अधिग्रहित भूमि का बाजार-दर निर्धारित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और यह राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए।

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री रणजीत सिंह, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री रनजीत सिंह ब्रहमपुरा:** महोदय, यह मेरा पहला भाषण है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, किसानों को शिकायतों के निपटान के लिए न्यायालय जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। सभी प्रभावित लोगों को चाहे वे किसान हो, भू-स्वामी

हो, भूमिहीन मजदूर अथवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस भूमि पर आश्रित हों, इन सभी को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

**श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और पूरी सभा से अनुरोध कर रहा हूं कि वे मेरी बात सुनें। यह मुद्दा किसानों से संबंधित है। कल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने हमें यह आश्वासन देने की कृपा की थी कि हम विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर सभा उनका समर्थन देने की सराहना करेगी। इस पृष्ठभूमि के साथ, मैं किसानों के हितों के लिए अपनी लड़ाई के साथ अपने कुछ अनुभवों को उजागर करना चाहूंगा। मैं अभी भी किसानों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। महोदय, मेरे समक्ष दो विधेयक हैं, एक वर्ष 2013 का है और दूसरा वर्ष 2015 का है। जब वर्ष 2013 का विधेयक पारित किया गया था, मैं सभा में नहीं था। मेरी तबीयत खराब थी। और सच कहूं, तो मैं 2015 या 2013 के विधेयक की वकालत नहीं कर रहा हूं। मुद्दा यह है कि वर्ष 2013 के विधेयक के पारित होने के बाद, द *हिंदू* ने एक लेख छापा था। मैं उसी में से उद्धृत करूंगा। वे कहते हैं, अब मैसूर-बंगलौर अवसंरचनात्मक गलियारे के लिए किसानों को खोई गई भूमि का उचित मूल्य मिलेगा। यह द *हिंदू* द्वारा लिखा गया है, किसी और के द्वारा नहीं। 2013 के अधिनियम में किसानों के लिए बहुत सी बातों का प्रावधान किया गया था। मैं इस पर खंडश चर्चा नहीं करना चाहता। जब संशोधनों पर मत लिया जाएगा, उस समय मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं।

कल, मैं कल बेंगलुरु से इस सभा में विलंबित होकर उपस्थित हुआ। मैंने *फ्रंटलाइन* द्वारा लिखे गए एक लेख को पढ़ा। पुन: यह उसी समाचार पत्र द *हिन्दू* का प्रकाशन है। यह लेख *हिंदू* समूह द्वारा प्रकाशित किया गया है। वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है। मैं यह पूरी सभा के लाभ के हित में कह रहा हूं। हम सब किसान हैं। हम सभी किसान समुदाय से आते हैं। इसलिए 'एक्स', 'वाई', 'जेड' जैसी अलग-अलग बातें यहाँ मायने नहीं रखतीं। आइए इस मुद्दे पर पूरी खुलकर चर्चा करें और समय को कम न करें। मैं समय की कीमत जानता हूं। मैं अनावश्यक रूप से अपना समय और सभा का बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं।

"लोक सभा की वर्तमान अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता वाली ग्रामीण विकास सम्बंधी संसदीय स्थायी समिति में भी 'सार्वजनिक उद्देश्य' की परिभाषा पर पूरी तरह से चर्चा हुई थी, जिसे सरकार के लिए निजी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण को संभव बनाने के लिए बदल दिया गया था..." "और, कंपनी अधिनियम की धारा 3 अध्यादेश के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करने का प्रावधान करती है। 'निजी कंपनियों' की परिभाषा में स्वामित्व, साझेदारी, निगम और गैर-लाभकारी संगठन जैसी सभी प्रकार की निजी कंपनियां शामिल हैं।"

लेख बहुत दिलचस्प था। मैं प्रबुद्ध हुआ। बंगलौर से आते समय मैंने पूरा लेख पढ़ा था। यह बताता है कि कैसे 2013 के अधिनियम ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए हैं। उन्होंने किसी भी विकास का विरोध नहीं किया है। कल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमें बता रहे थे कि हम किस प्रकार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। श्री अनंत कुमार, आप भी कर्नाटक से हैं। क्या सिंचाई परियोजनाओं में कोई समस्या है? चाहे कावेरी बेसिन में हो या कृष्णा बेसिन में, क्या कोई इसका विरोध करता है? मैं छह वर्ष तक सिंचाई मंत्री रहा हूं। जहां तक बड़े, मझौले या छोटी सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का संबंध है, मुझे उनके लिए भूमि अधिग्रहण में कभी कोई समस्या नहीं आयी। क्या किसी ने रेलवे परियोजनाओं का विरोध किया है? मुझे नहीं लगता, कि इस सभा का कोई भी सदस्य किसी भी पक्ष की रेल परियोजनाओं या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का विरोध करता है।

महोदय, अपने थोड़े से अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि किसी ने भी रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध नहीं किया है; किसी ने भी किसी सिंचाई परियोजना के निर्माण का विरोध नहीं किया है; किसी ने भी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का विरोध नहीं किया है। इनमें से कुछ परियोजनाओं में निवेश करने के लिए कुछ विदेशी निवेशक हमारे देश में आने वाले हैं।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण 2013 के विधेयक में दिए गए विवरण के समान है। लेकिन किसानों के संरक्षण के लिए कतिपय उपबंध थे, जिनमें वे संशोधन करना चाहते हैं। किसानों की सहमति उनमें से एक है। किसानों की सहमति में सरकार का डर कुछ मामलों में 80 प्रतिशत और कुछ अन्य मामलों में

70 प्रतिशत है। यह मुश्किल हो सकता है। ऐसा क्यों? यदि उचित मुआवजा दिया जा रहा हो, तो कोई भी किसान किसी भी परियोजना का विरोध नहीं करेगा। प्रधान मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में मेरा अनुभव, यद्यपि सीमित अवधि का था — यहाँ साढ़े दस महीने और कर्नाटक में डेढ़ वर्ष तक — अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।

श्री नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उस समय, उन्होंने भी निर्णय लिया था, क्योंकि जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था का संबंध है, देश एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा था। हम एक ऋण जाल में फंसने वाले थे क्योंकि 150 टन सोना गिरवी रखा गया था। यह कदम देश के हितों की रक्षा तथा देश की छवि को बनाए रखने के लिए उठाया गया था। उस समय विश्व बैंक या आई.एम.एफ. ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें रखी थीं। हमें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ लोगों ने इस पक्ष का विरोध किया था और कहा था कि यह विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया बजट है। मैंने उस समय उन सभी भाषणों को सुना है।

महोदय, इस पृष्ठभूमि के आधार पर, हमने कर्नाटक में कुछ विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए कई निर्णय लिए हैं। मैंने श्री अनंतकुमार का नाम इसलिए लिया क्योंकि वे वर्तमान में मंत्री हैं।

महोदय, कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का केन्द्र है। जब सिंगापुर के प्रधान मंत्री और श्री रतन टाटा कर्नाटक आए, तो मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने एक परियोजना की आधारशिला रखी थी।

आज यहाँ कई आईटी कंपनियां हैं। यदि मुझे कल बजट पर सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया जाता है, तो मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात समाप्त कर लूंगा। मैं लंबा भाषण देना नहीं चाहता। कितनी कंपनियां आई हैं? हमने कोई शिकायत नहीं की है। हमने भूमि प्रदान की है। महोदया, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने हॉस्पेट इस्पात संयंत्र की आधारशिला रखी थी। यह भूमि कब प्रदान की गई थी? यह हमारे कार्यकाल में प्रदान की गई थी। टोयोटा ऑटोमोबाइल कंपनी को भूमि देने का निर्णय कब लिया गया था? क्या हमें भूमि देने में कोई संकोच हुआ था? नहीं। मैं अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। बुनियादी ढांचे के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर कोई

विवाद नहीं है, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो, विनिर्माण क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो। इतने सारे फाइव-स्टार्ट होटल बने, लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ। इतने बड़े-बड़े अस्पताल बन गए, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2007 में ही 1,200 एकड़ भूमि आरक्षित कर ली गई थी, इस आशय के साथ कि उस समय वहां एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित होगा, क्योंकि मैंने यूपीए-1 सरकार का समर्थन किया था। अतः मैं इस विषय को वर्तमान समय में पुनः उठाना उचित नहीं समझता। मैं समस्त सदन के अवलोकनार्थ एक विशिष्ट अध्ययन प्रस्तुत करना इच्छुक हूं — जिसे वर्तमान में एक केस स्टडी के रूप में ही वर्णित किया जा सकता है — जो बेंगलुरु-मैसूर अधोसंरचना गलियारे से संबंधित है, जिसका प्रारंभ मेरे कार्यकाल के दौरान हुआ था। मैं आपके दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हूं। मैं इस कंपनी के संबंध में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप लगाने का इच्छुक नहीं हूं। यह केवल एक केस स्टडी है। महोदय, मैंने इस पुस्तक की एक प्रति उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को भेजी थी। मैं तंग आ गया था। मैंने इस पुस्तक की एक प्रति सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी भेजी थी ताकि वे इस मामले में हुई घटनाओं से अवगत हो सकें। इसलिए जब कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया, कि इस पूरे मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश संतोष हेगड़े की अध्यक्षता वाले लोकायुक्त से कराई जाए, तो उस पर रोक लगा दी गई। जनता दल भाजपा सरकार के दौरान, हमने इस पूरे विवाद की जांच सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग से कराने का निर्णय लिया था। उस पर भी रोक लगा दी गई। फिर उसी जनता दल-भाजपा सरकार ने इस परियोजना को रद्द करने और वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2002 तक एक भी रुपये जमा नहीं कराया था।

इसलिए, आपकी अनुमति से बिना किसी के प्रति कोई आक्षेप किए, मैं अपना लिखित भाषण पढ़ने जा रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा।

**माननीय उपाध्यक्ष:** आप इसे बहुत संक्षेप में कहें तो बेहतर होगा क्योंकि समय कम है।

**श्री एच.डी. देवगौड़ा:** अब मैं उस गति से पठन करने में सक्षम नहीं हूं, जैसी गति वर्ष 1991 में हुआ करती थी।

**माननीय उपाध्यक्ष:** नहीं तो आप मुख्य विशेषताएं बताइये।

**श्री एच.डी. देवगौड़ा:** जी हां, महोदय।

महोदय, भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बोलते हुए मैं पूरे सभा का ध्यान सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए भूमि अधिग्रहण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिन पर यदि पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो यह कानून बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर लूट का साधन बन जाएगा।

मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं और कुछ समय के लिए प्रधान मंत्री भी रहा हूं। मैं देश की विकास संबंधी जरूरतों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से अनभिज्ञ नहीं हूं। मैं सिद्धांत रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के विरुद्ध भी नहीं हूं। मैं बुनियादी ढांचे के विकास और देश को मौजूदा सरकार जितनी ही प्रगति करते देखना चाहता हूं।

साथ ही, मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से कर्नाटक राज्य के एक अत्यंत कटु एवं हानिकारक अनुभव को साझा करना चाहता हूं, जिसकी जानकारी देशवासियों को होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कानूनों का ऐसा निर्माण हो, जो नौकरशाहों, राजनेताओं एवं धोखेबाज़ उद्यमियों के नापाक गठजोड़ द्वारा दुरुपयोग से उन्हें प्रभावी रूप से संरक्षित कर सके। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से नौकरशाहों को यह संरक्षण प्रदान किया गया है कि राज्य या केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस विशेष परियोजना के संदर्भ में यह गंभीर प्रश्न उठता है कि किस प्रकार कुछ नौकरशाहों ने संदिग्ध मिलीभगत के माध्यम से संबंधित कंपनी से स्वंय अथवा अपने परिजनों — जैसे पत्नी या बच्चों — के नाम पर भूमि अथवा शेयर प्राप्त किए? वर्ष 1995 में जो जमीन 80,000 रुपये में उपलब्ध थी, उसकी कीमत आज 20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है। हम इसे कैसे अनुमति दे सकते हैं? इसलिए, हम इस संशोधन का पुरजोर विरोध करेंगे। अधिकारियों को संरक्षित किया जाना चाहिए! इसी कारण मैं इस माननीय सभा के समक्ष यह तथ्य

प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वर्तमान कानून द्वारा स्थापित सुरक्षा उपायों को कमजोर करने की कोई आवश्यकता क्यों नहीं है। वास्तव में, ऐसी सशक्त और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित कर सकें कि न तो गरीबों का शोषण हो, न ही किसानों को बर्बादी के कगार पर धकेला जाए, और न ही उन्हें कुछ व्यक्तियों के असीम व निर्मम लालच की बलि चढ़ने दिया जाए।

इस देश के निर्धन नागरिक एवं अन्नदाता किसान सदैव अपने संघर्षों और कष्टों की कीमत पर राष्ट्र की सेवा करने का प्रयास करते हैं। यदि उनसे किसी व्यापक सार्वजनिक हित में बलिदान देने का आह्वान किया जाता है, तो वे नि:संकोच सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। अन्यथा, इतनी सारी सड़कें, बांध, सिंचाई टैंक और अन्य सभी सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे कैसे अस्तित्व में आ पाते? हम उनके बलिदान को न पहचानने के दोषी हैं और उन्हें न्यूनतम मुआवजा देने में भी विफल रहे हैं। देश के लिए उनका बलिदान उन लोगों से कम नहीं है, जो सीमा पर या युद्ध में अपनी जान देते हैं। वास्तव में, हमारे अधिकांश सैनिक किसान परिवारों और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं।

वर्ष 1995 में, जब मैं कर्नाटक का मुख्यमंत्री था, मैसाचुसेट्स के गवर्नर अमेरिकी व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दौरे पर आए थे। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अमेरिकी कंपनियों के एक परिसंघ के साथ बैंगलोर और मैसूर के बीच राजमार्ग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, इस आधार पर कि कर्नाटक राज्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई योगदान की आवश्यकता नहीं होगी। अब, वे मुझे कोस रहे हैं। यह परिसंघ विदेशी निवेश लाएगा और वैज्ञानिक पद्धति से पहचानी गई सरकारी और निजी दोनों भूमियों को बाजार दर पर खरीदेगा ताकि उत्पादक कृषि भूमि का न्यूनतम उपयोग हो।

परिसंघ को वित्तीय प्रतिवेदन के साथ एक तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। एक सरकारी आदेश के माध्यम से, इस परियोजना को भारत सरकार की उस नीति के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था, जो वर्ष 1991 में विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। यह परियोजना बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर (बी.ओ.ओ.टी) आधार पर प्रस्तावित थी, जिसमें कुल 18,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता

निर्धारित की गई थी, तथा पाँच टाउनशिप विकसित करने का अधिकार भी दिया गया — जिन्हें वर्तमान में स्मार्ट सिटी कहा जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं। उस समय, हमने निर्धारित किया था कि पांच टाउनशिप किस प्रकार निर्मित की जानी हैं, और मैं इस से आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके साथ ही, निवेश पर संयुक्त रिटर्न 17.4 प्रतिशत रखने का प्रावधान भी था। ये टाउनशिप बेंगलुरु से दूर, एक प्रकार के काउंटर मैग्नेट के रूप में विकसित की जानी थीं ताकि बेंगलुरु शहर का दबाव कम हो सके और कर्नाटक के इन दोनों महत्वपूर्ण शहरों के बीच के क्षेत्रों में विकास और रोजगार सृजन हो सके। टाउनशिप्स में सड़कों तथा सामान्य अवसंरचना के रूप में निर्मित सम्पूर्ण आधारभूत संरचना, बी.ओ.ओ.टी. अवधि समाप्त होने पर सरकार को लौटानी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि सड़कों के लिए आबंटित संपूर्ण भूमि एवं टाउनशिप्स के लिए आबंटित कुल भूमि का 55 प्रतिशत हिस्सा सरकार को पुनः प्राप्त हो जाएगा।

**<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>**

वर्ष 1995 से लेकर आज तक जो कुछ हुआ, वह कर्नाटक के लिए एक जीता जागता दुःस्वप्न है।

सन् 1996 में, नियति के एक अप्रत्याशित मोड़ के कारण मुझे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली आना पड़ा। इस अवसर का दुरुपयोग परियोजना के प्रमोटरों तथा कर्नाटक की नौकरशाही में मौजूद कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा किया गया, जिन्होंने इस परियोजना को एक पूर्णतः रियल एस्टेट परियोजना में परिवर्तित कर दिया, जिसमें न तो विदेशी और न ही भारतीय निवेश था। उक्त कंपनी का एकमात्र प्रयास केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग कर सरकारी भूमि का अवैध अधिग्रहण सुनिश्चित करना था।

दूसरी बात, अमेरिकी भागीदारों ने कुछ परामर्श शुल्क लेने के बाद परियोजना से अपना हस्तांतरण कर दिया और परियोजना को एक एस.पी.वी. को सौंप दिया गया, जिसमें कोई विदेशी भागीदारी या इक्विटी नहीं थी, तथा जिसे सात शेयरों के साथ केवल 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर स्थापित किया गया था। मैसाचुसेट्स

के गवर्नर की यात्रा का उपयोग मात्र एक दिखावा कर इस परियोजना को कब्जाने के लिए किया गया था। कोई विदेशी निवेश नहीं आया और न ही लाने का कोई इरादा था। यही इस धोखाधड़ी का प्रथम स्तर था।

धोखाधड़ी का दूसरा मामला तब सामने आया, जब वर्ष 1997 में एक निजी व्यक्ति द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें सड़क और टाउनशिप विकसित करने के लिए एक निजी पार्टी को परियोजना देने की सरकार की शक्तियों को चुनौती दी गई थी, जिसके बारे में जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह राज्य में निहित शक्तियों को एक निजी पक्ष को सौंपने के समान है।

महोदय, यह कोई *न्यायालय में विचाराधीन* मामला नहीं है। संभावित कर्मचारियों की सहभागिता से एक बेदाग रिकॉर्ड तैयार किया गया था। तत्कालीन लोक निर्माण विभाग के सचिव ने उच्च न्यायालय के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत करते हुए परियोजना की औचित्य की पुष्टि की, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि टोल रोड के लिए आबंटित संपूर्ण भूमि तथा टाउनशिप्स की 55 प्रतिशत भूमि परियोजना की अवधि समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित की जाएगी।

**माननीय उपाध्यक्ष:** बिलकुल ठीक है। आप पहले ही उस बात का उल्लेख कर चुके हैं।

**श्री एच.डी. देवगौड़ा:** मैं कोई *तात्कालिक* भाषण नहीं देना चाहता।

कंपनी ने भूमि अधिग्रहण निकाय यानी कर्नाटक औद्योगिक विकास प्राधिकरण से भी रियायतें मांगीं, जिसमें कहा गया कि 20,193 एकड़ में से 6,999 एकड़ टोल रोड के लिए है और टाउनशिप की 55 प्रतिशत भूमि यानी 20,193 एकड़ में से 14,255 एकड़ भूमि या लगभग 70 प्रतिशत भूमि सरकार को वापस कर दी जाएगी। परियोजना के इन लाभकारी पहलुओं से आश्वस्त होकर उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया और सरकार के नीतिगत निर्णय को बरकरार रखा। न्यायालय ने भूमि की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि तब तक भूमि अधिग्रहण शुरू नहीं हुआ था।

वर्ष 1999 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका को खारिज करने के खिलाफ़ एस.एल.आई.पी. के खारिज होते ही धोखाधड़ी का तीसरा मामला सामने आया। एक-एक कर, इस परियोजना को न्यायिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सभी मूल आधारों को योजनाबद्ध रूप से विकृत किया गया, जिससे राज्य को प्रतिकूल हानि हुई। यह कार्य रिकॉर्ड में अनुचित हस्तक्षेप कर, तथा प्रारंभिक निर्णयों को संशोधित या प्रच्छन्न कर, छलपूर्ण तरीके से किया गया। सरकार एवं के.आई.ए.डी.बी. का परियोजना समन्वय कार्यालय सुविधा की दृष्टि से प्रत्यक्षतः उसी परिसर में स्थापित किया गया था, जहां संबंधित कंपनी का मुख्यालय स्थित था।

**माननीय उपाध्यक्ष:** कृपया मुद्दे पर आएं। आप कहना क्या चाहते हैं? ये बातें तो आप पहले ही बता चुके हैं। कृपया बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं।

**श्री एच.डी. देवगौड़ा:** केवल एक प्रशासनिक टिप्पणी (ब्यूरोक्रेटिक नोट) तैयार कर, सरकार को प्रत्यावर्तित की जाने वाली भूमि की मात्रा को 14,255 एकड़ से घटाकर लगभग 11,800 एकड़ कर दिया गया। बेंगलुरु में टोल रोड के लिए अधिग्रहित भूमि को भी बेचने के लिए एक धोखाधड़ी का आधार बनाया गया, जबकि टोल रोड की सारी भूमि सरकार को वापस करनी पड़ी, जिससे 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध और धोखाधड़ी वाले लाभ की गुंजाइश बन गई। यह हलफनामा मुख्य सचिव द्वारा बेईमान लोगों के विरुद्ध दायर किया गया था। ...(व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, यह ठीक है। अब कृपया आप अंततः जो कहना चाहते हैं, वह स्पष्ट रूप से कहिए।

...(व्यवधान)

**श्री एच.डी. देवगौड़ा:** मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। अगर कोई मामला *न्यायालय में विचाराधीन* है, तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** मुद्दा यह नहीं है।

...(व्यवधान)

**श्री एच.डी. देवेगौड़ा:** इस कंपनी ने एक भी पैसा निवेश नहीं किया। सरकारी जमीन को बाजार मूल्य पर आबंटित करने के मूल निर्णय को बदलकर, इसे 10 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष उपलब्ध कराया गया। श्री येदियुरप्पा जी यहां बैठे हैं। उन्हें यह पता है।

**श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):** वे नोट्स बना रहे हैं। ...(व्यवधान)

**श्री एच.डी. देवेगौड़ा**: यह उनके द्वारा नहीं किया गया है। यह पिछली सरकार द्वारा किया गया है। मैं किसी पार्टी या सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं। पट्टे वाली जमीन को गिरवी रखने के लिए एक आश्वासन पत्र लिया गया ताकि उस जमीन के आधार पर बैंक से कर्ज़ मिल सके। इस कर्ज़ की पहली किस्त लगभग 180 करोड़ रुपये केआईएडीबी को निजी जमीन खरीदने के लिए दी गई। इसके अलावा, इस पैसे का कुछ हिस्सा विदेशी कंपनी के सदस्यों को उनकी हिस्सेदारी वापस खरीदने में और कुछ हिस्सा फर्जी सलाहकार सेवाओं के नाम पर जुड़ी कंपनियों को खर्च किया गया। इसके अलावा, कंपनी को सुविधा दी गई कि वह शुरू में छह लेन कंक्रीट सड़क बनाने के बजाय चार लेन टार रोड बनाए, जिससे उसकी लागत कम हुई। मैंने लगभग सभी मुख्यमंत्रियों को, जिनमें डॉ. अम्मा जी भी शामिल हैं, पत्र लिखा है। कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने प्रधान मंत्री को भी एक विस्तृत पत्र लिखा है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। यदि प्रधान मंत्री यहां होते, तो मैं उनसे यह प्रश्न अवश्य पूछता।

कंपनी ने टार रोड का केवल एक हिस्सा विकसित करके देश में सबसे अधिक टोल शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। इस परियोजना को चुनौती देते हुए नए सिरे से जनहित याचिकाएँ दायर की गईं। उच्च न्यायालय ने यह मुद्दा नहीं लिया कि वास्तव में कितनी भूमि आवश्यक है, क्योंकि यह एक संविदात्मक तथ्यात्मक मामला है जिसे रिट याचिका की सीमा में नहीं आंका जा सकता।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंघ का है। हमारी सरकार यानी जे.डी.एस.-भाजपा ने इसे रद्द करने का फैसला लिया था। ...(व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** आप जो कहना चाहते हैं, कृपया कहें। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

**श्री एच.डी. देवगौड़ा:** मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता।

**माननीय उपाध्यक्ष:** आपने पहले ही कई मामलों का हवाला दिया है।

...(व्यवधान)

**श्री एच.डी. देवगौड़ा:** वे अब तक निवेश की गई पूरी धनराशि का भुगतान करने के साथ-साथ परियोजना का पूर्ण निर्माण करने के लिए भी तत्पर हैं। इसके अतिरिक्त, वे शहर के भीतर स्थित 1,250 एकड़ के प्रमुख क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में निर्माण कार्य करने के लिए भी सहमत हैं। वर्तमान में, इस भूमि की लागत लगभग 20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है।...(व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** आपने परियोजना के बारे में जो कुछ भी कहा है वह ठीक है। कृपया समाप्त करने का प्रयास करें।

*.....(व्यवधान)*

**श्री एच.डी. देवगौड़ा:** इसने बेंगलुरु में टोल रोड की भूमि विकास के लिए संयुक्त विकास समझौते के माध्यम से पहले ही भारी पूंजी जुटा ली है, जिसका तात्पर्य है कि किसानों से लगभग 2 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिग्रहीत भूमि को 15 से 20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से बेचा जा रहा है।...(व्यवधान) मैं इसे भेजूंगा। मैं पूरी किताब भेजूंगा। यदि आप ऐसे धोखेबाजों का समर्थन करना चाहते हैं, तो हम इस सभा में कैसे बैठ सकते हैं? कोजेन्ट्रिक्स का क्या हुआ? एनरॉन का क्या हुआ? हमारे वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। जी, महोदय। नई सरकार जो सत्ता में आई, उसने उनके द्वारा लिए गए फैसले में हस्तक्षेप नहीं

किया। आखिरकार क्या हुआ? परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई और सी.ई.ओ. को 30 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। क्या आप इस तरह के लोगों को यहां लाना चाहते हैं? यही कारण है कि आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं। अब आप रेलवे, राजमार्गों और कई अन्य परियोजनाओं के निर्माण में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या हम इसका विरोध कर रहे हैं? मूल प्रश्न यह है कि हमें उन धोखेबाजों के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए, जो देश में आकर हमारी भूमि हड़प लेते हैं। गरीब जनता को अत्याचार और कष्ट सहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

मैं राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे मुद्दे पर पहल की थी। वे वहां गए और किसानों के साथ संघर्ष किया। मुझे याद है, राजनाथ सिंह जी और अरुण जेटली जी भी वहां गए थे और उन किसानों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जो जमीनें हड़प रहे थे। दोनों ने वर्ष 2013 का विधेयक लाने पर सहमति व्यक्त की। अब यह संशोधन क्यों? मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मैंने महोदया गांधी को एक पत्र लिखा है और उन्होंने जवाब में कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और हमारी पार्टी इस तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी। यह वह पत्र है, जो मुझे मिला है।

परियोजनाओं में उनके द्वारा कुछ लोगों की हत्या की जा रही है। मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं। उनके द्वारा मामले दर्ज कराए गए हैं। यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरे खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मैंने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन वे भाग गए। यह कंपनी भाग गई है। क्या आप ऐसे लोगों की रक्षा करके शर्मिंदा नहीं होते? सही निर्णय यह था कि एक वैश्विक निविदा प्रक्रिया बुलाई जाए। वे बिना अतिरिक्त भूमि मांगे पूरे परियोजना का निर्माण करना चाहते हैं। श्री येदियुरप्पा जी ने कोई भी अतिरिक्त भूमि न देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मेरे समक्ष मौजूद है। फिर भी, समस्या वह नहीं है।

हम न केवल इसका विरोध करते हैं, बल्कि हमें आगे भी कदम उठाने पड़ सकते हैं। हम यहां सार्वजनिक उपभोग के लिए भाषण देने नहीं आए हैं। कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, आप सार्वजनिक रूप से या यहाँ जो

कुछ भी कह सकते हैं, कहें, हमारे पास विधेयक पारित करने का अपना तरीका है; क्योंकि हमारे पास यहाँ 282 सदस्य हैं, और अन्य गठबंधन साझेदारों के सहयोग के बिना भी हम विधेयक पारित कर सकते हैं। मुझे यह पता है। आप संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं और विधेयक पारित करवा सकते हैं। यह मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। यदि यह विधेयक पारित होता है, तो यह उनके खिलाफ विपरीत प्रभाव डाल सकता है। मैंने कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। साथ ही, मैं उन्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि आर.एस.एस. प्रमुख ने इस विधेयक के संबंध में क्या अभिव्यक्ति दी है। मैं स्वयं आर.एस.एस. प्रमुख पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु उन्होंने वर्तमान सरकार को इस प्रकार के जटिल मुद्दों से निपटने में विशेष सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है।

हम न केवल इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे और अंत तक इसके लिए लड़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर):** महोदय, मैं आपको इस अवसर के लिए आभार प्रकट करता हूं और मुझे आशा है, कि आप मेरे साथ उतने ही धैर्य से सुनेंगे, जितना कि आप अभी-अभी हमारे माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जी को सुना है।

**माननीय उपाध्यक्ष:** मैं कुछ सदस्यों के प्रति धैर्य रख सकता हूं, पर सभी के साथ यह संभव नहीं है। अतः कृपया अपने विचारों को संक्षिप्त एवं सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करें।

**श्री दिनेश त्रिवेदी:** महोदय, माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ भी कहना था, वह बहुत विस्तार से कह दिया है। मेरे सम्मानीय सहयोगी श्री कल्याण बंदोपाध्याय ने कल इस विधेयक के न केवल कानूनी बिंदुओं पर बल्कि इसके मूलभूत मुद्दों पर भी बात की।

महोदय, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। [हिन्दी] हम इस बिल का अपनी पार्टी की तरफ से जोर-शोर से विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के साथ ही साथ, हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इनका शुक्रिया अदा करें, इनके आभारी हों या इनको बहुत-बहुत धन्यवाद दें कि ये इस बिल को लेकर आए हैं। हम यह बात क्यों कह रहे हैं? इस बिल से आपने क्या किया है, हम आपको बताएं कि पूरे विपक्ष को एक साथ

युनाइट कर दिया है और इस बिल के द्वारा आप में भी, आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिएगा कि डिसयुनिटी आ गई है...(व्यवधान) आप सदन से बाहर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा।...(व्यवधान) महोदय, यह बहुत सरल प्रश्न है। आपकी नीयत में हमें कोई शंका नहीं है कि आप जो भी कर रहे हैं आपकी समझ भी वही है कि शायद देश का भला हो। आपकी नीयत पर हमें कोई शक या शुबाह नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पूंजीपति को ज्यादा पैसा दिलाना चाहते हैं। इस बारे में मेरे दिल में कोई शंका नहीं है। आप इस बारे में ताली तो बजा दीजिए। महोदय, यह एक बहुत ही मूल प्रश्न है। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। मुझे कहा गया है कि मेरे पास बोलने के लिए सिर्फ दस मिनट का समय है। दस मिनट में तो कोई चाय भी नहीं पी सकता है।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** आपके पास केवल 5 मिनट हैं, 10 मिनट नहीं।

[हिन्दी]

**श्री दिनेश त्रिवेदी:** मेरे पास मेरी पार्टी का दस मिनट का समय है।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** यह पहले से ही खत्म हो गया है।

**श्री दिनेश त्रिवेदी**: यह सही नहीं है। मुझे 10 मिनट का समय मिला है और मैं पूरे सम्मान के साथ अपना अधिकार प्रयोग कर रहा हूं। मैं मूल विषय पर बात करूंगा। विधेयक के प्रत्येक खंड पर सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी है और उसे विस्तार से खंडित किया है। मैं उन बिंदुओं पर नहीं जाऊंगा। मैं लोकतंत्र की मूलभूत प्रक्रिया पर अपनी बात रखूंगा। लोकतंत्र की मूलभूत प्रक्रिया को ही विकृत किया जा रहा है, और मैं इसे अत्यंत संयमपूर्वक आपके समक्ष रखूंगा। मैं इस पर उत्तेजित नहीं होना चाहता, लेकिन तथ्य यह है कि यह विषय हम सभी के लिए, हमारे देश के लिए, और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सिम्पल बात है। यह एक व्यक्ति का अधिकार है, राज्य की ताकत के खिलाफ एक व्यक्ति का अधिकार है। आज भी नरीटा एयरपोर्ट पर एक किसान बैठा हुआ है। इसके मुद्दे बहुत सिम्पल हैं कि आप किस प्रकार से कानून बनाना चाहते हैं और उसकी प्रतिक्रिया क्या है। कानून बनाने का प्रक्रम क्या है? मैं कानून बनाने की मूल प्रक्रिया पर प्रहार कर रहा हूं। यहां तक कि भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि यह कोई तरीका नहीं है कि आप एक के बाद एक अध्यादेश लाते रहें। महोदय, क्या हितधारकों के रूप में लोगों को यह समझने का अधिकार है, कि क्या हो रहा है या हम सिर्फ एक विधेयक को जबरन पारित कराना चाहते हैं? सबने पूछा कि इतनी जल्दी क्या है। आपको इस प्रारूप को हितधारकों तक परिचालित करना होगा। क्या आपने उन लोगों से परामर्श किया है, जो इससे प्रभावित होने वाले हैं? क्या आपने राजनीतिक दलों से परामर्श किया है? हम हमेशा से बात करते रहे हैं, कि भारत का मतलब 1.2 अरब लोग हैं। यह विधेयक इतना जटिल है कि गरीब किसान को इसे समझने में कुछ समय लगेगा। प्रारूप कहां परिचालित किया गया है? प्रारूप परिचालित करने से पहले ही आप अध्यादेश ला चुके हैं। मैं आपको जनवरी 2014 में सचिवों की समिति की बैठक में ले जाना चाहता हूं। सचिवों की समिति ने पूरी तत्परता और सरकार की अनुमति के साथ घोषणा की थी, कि अब से जो भी कानून अस्तित्व में आएगा, उसे पहले प्रारूप के रूप में परिचालित किया जाएगा। इस पर व्यापक चर्चा होगी और उसके बाद ही कानून आएगा, विधेयक आएगा और हम वाद-विवाद करेंगे।

मैं आपको केवल व्यापक मुद्दों पर ले जाना चाहता हूं। हम सभी यहां संसद में हैं। मैंने उपभोक्ता संरक्षण में सार्वजनिक जीवन में अपना करियर शुरू किया। उपभोक्ता संरक्षण में क्या होता है? ...(व्यवधान) मैं केवल तथ्यात्मक चीज़ों पर बात कर रहा हूं। हम एक चीज का इश्तिहार देते हैं। हम एक चीज के लिए इश्तिहार देते हैं, लेकिन फिर उससे पूरी तरह विपरीत उत्पाद प्रदान करते हैं। तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि यह धोखाधड़ी है, क्योंकि आपने इश्तिहार तो इस चीज का दिया और आपने कहा...(व्यवधान) आपको सुनना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** कृपया ध्यान मत भटकाइये।

*.....(व्यवधान)*

**श्री दिनेश त्रिवेदी**: मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला हूं। उनमें धैर्य होना चाहिए। यह लोकतंत्र है। आप मुझे चिल्लाकर चुप नहीं करा सकते। कृपया समझिए। ...(व्यवधान) [हिन्दी] यहां न तो रावण की चली है, न दुर्योधन की चली है, न तो कंस की चली है, अहम् किसी का नहीं चलता है, यह बात आप याद रखिये।

सर, हमने इश्तिहार की बात की। [अनुवाद] मैं एक मूल दस्तावेज पर आ रहा हूं। मूल दस्तावेज क्या है? मैं आपसे आग्रह करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि कृपया ध्यान से सुनें। यह मूल दस्तावेज एक घोषणापत्र है। यह *इश्तिहार* है। हम घोषणापत्र नामक मूल दस्तावेज के साथ मतदाताओं के पास जाते हैं। आपकी अनुमति से, मैं इस घोषणापत्र को पढ़ने के लिए दो मिनट का समय लूंगा। इसमें कहा गया है**:**

> "अनाज उत्पादन को प्रोत्साहित करना और संदिग्ध औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उपजाऊ कृषि भूमि के परिवर्तन को हतोत्साहित करना।

मैं आपको बताऊंगा कि यह किसका घोषणापत्र है। इसमें कहा गया है**:**

बुनियादी ढांचे के लिए भूमि अधिग्रहण, किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी।

मैं पढ़ूंगा; इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा:

"केंद्र और राज्य सरकारों ने लंबे समय से एक अपारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया है और इसे सार्वजनिक प्रयोजन की छत्रछाया में निजी पक्षों को सौंप दिया है। यू.पी.ए. सरकार ने 572 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मंजूरी दी है, जो 50,000 एकड़ में फैले हुए हैं, जो सिंगापुर के आकार का तीन गुना है। यह स्पष्ट रूप से बेतुका है और कृषि क्षेत्र के लिए आपदा का संकेत है।"

अब, मैं महत्वपूर्ण भाग पर आता हूं और इसमें कहा गया है

"भाजपा एक राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति अपनाएगी, जो किसानों के हितों की रक्षा करेगी। इसके कार्यान्वयन की निगरानी एक राष्ट्रीय भू-उपयोग प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, जो भूमि प्रबंधन को विनियमित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य भू-उपयोग प्राधिकरणों के साथ काम करेगा। राष्ट्रीय भू-उपयोग प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य नियामक निकायों के समान होंगे। भाजपा मौजूदा कानूनों में संशोधन लाएगी ... भाजपा उपजाऊ कृषि भूमि को औद्योगिक/वाणिज्यिक परियोजनाओं या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बदलने की अनुमति नहीं देगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों और औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण के पूरे मुद्दे को संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन की सावधानीपूर्वक जांच के बाद संबोधित किया जाएगा।..."

इसमें कहा गया है कि संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन की सावधानीपूर्वक जांच करने, कृषि क्षेत्र के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और हितधारकों के साथ उचित चर्चा के बाद इसका समाधान किया जाएगा। आपका घोषणापत्र यही कहता है। मुझे डर है क्योंकि आप अपने घोषणापत्र के बिल्कुल विरुद्ध जा रहे हैं।

मुझे उपभोक्ता संरक्षण के दिनों की याद है। यदि कोई निजी कंपनी यह कहकर कोई विशेष उत्पाद बेचने का दावा करती थी, लेकिन उसके स्थान पर बिल्कुल विपरीत उत्पाद बेचती थी, तो आप जानते हैं कि उस स्थिति में क्या होता था। मैं कोई कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा...(व्यवधान)

यह देश *महाभारत* का देश है; यह देश *रामायण* का देश है; यह देश *गुरु ग्रंथ साहिब* का देश है; यह देश *कुरान शरीफ* का देश है। मैं आपको *महाभारत* के दिनों की याद दिलाता हूं। जब पांडवों ने कौरवों से थोड़ी जमीन देने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन के अलावा कुछ नहीं चाहिए तो कौरवों ने कहा कि "सुई की नोक तक की जमीन नहीं देंगे। आपको लड़ाई करनी है तो लड़ाई कर लीजिए। लड़ाई तो फारमर्स करेंगे। "यह वही लड़ाई है। तैयारी आपकी होनी चाहिए। ...(व्यवधान) मुझे अपनी बात का समापन करने दीजिए। मैं बस समाप्त कर रहा हूं। मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा और मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। महोदय, मैं आपको जो उदाहरण देने जा रहा हूं वह पूंजीपति, कॉरपोरेट सैक्टर और उन सभी चीजों के बारे में है। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। दिल्ली के दिल में एक बहुत ही खूबसूरत क्लब का मामला लीजिए जिसे दिल्ली गोल्फ क्लब कहा जाता है। मैं वहां गोल्फ खेलने भी जाता हूं। वह *जमीन* सरकार की है। [हिन्दी] यह सरकारी जमीन है। हमारे एक दोस्त हैं, जो मुझे कह रहे थे कि आप इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैंने अपने दोस्त को कहा कि एक काम करते हैं कि यह तो सरकारी जमीन है, कल उठ कर यदि सरकार कहती है कि इस दिल्ली गोल्फ क्लब में हम एम्स की एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, गोल्फ को बंद करना चाहते हैं, फिर देखिए क्या मज़ा आता है। आप इसे एक टैस्ट केस ले लीजिए कि यह आप कर सकेंगे कि नहीं। यदि आप वह कर सकते हैं तो हम भी कहेंगे कि हमारी भी मंजूरी है। पूंजीपति अपनी जगह है। ...(व्यवधान) सर, मैं आखिर में एक शेयर कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक *शेर पढ़ना चाहता हूं।* सर, यह क्या होता है कि जब हम यहां आ जाते हैं तो हम अपने आपको भगवान समझते हैं, खुदा समझते हैं, ईश्वर समझते हैं, तो हम खुदा हैं, ...(व्यवधान) हम सबकी किताब लिखते हैं, मतलब हम सब यहां लॉ बनाते हैं। हम खुदा हैं, हम सबकी किताब लिखते हैं, तुम कौन हो, अपोजिशन को आप पूछेंगे कि तुम कौन हो कि हमसे पूछो हम अपना हिसाब कैसे लिखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। ...(व्यवधान)

आपको मैं यह कहूंगा कि मेहरबानी कर के [अनुवाद] इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजें। यह किसानों के हित में है। यह देश के हित में है और यदि मैं कहूं कि यह आपके अपने हित में है तो यह गलत नहीं होगा। कृपया इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेज दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अपराह्न 3.28 बजे** (श्री कोनाकल्ला नारायण राव *पीठासीन हुए* )

[हिन्दी]

**श्री चिराग पासवान (जमुई):** सभापति महोदय, आपने मुझे भूमि आधिग्रहण बिल पर जो चर्चा चल रही है, उस पर मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम विलास पासवान और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अपने विचारों को रखने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उपाध्यक्ष जी, भूमि आधिग्रहण के इस बिल पर तमाम तरीके की चर्चाएं हुईं और चर्चा सिर्फ इस सदन में ही नहीं हुई, एनडीए के बीच में भी हुई है। हमारे तमाम गठबंधन साथियों के बीच भी यह चर्चा हुई है। यकीन मानिए कि यह इजाज़त, इतनी लिबर्टी हमें सिर्फ और सिर्फ इसी गठबंधन में मिली है, इस गठबंधन के नेतृत्व से मिली है, जहां पर हम जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सरोकारों को हम खुल कर सरकार के सामने रख सकें। हमने ऐसा किया भी है। उपाध्यक्ष जी, किसानों की भूमि का हमारे देश में क्या महत्व है, यह कोई बहस का विषय नहीं है, इस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि भारत हकीकत में गांवों में बसता है और किसान हमारे भारत की आत्मा है। किसान कोई वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए किसान हमारा अन्नदाता है। जो चीज़ किसानों के पक्ष में नहीं है, वह हमारे पक्ष में नहीं है, वह सरकार के पक्ष में नहीं है, वह विपक्ष के पक्ष में नहीं है, वह किसी के पक्ष में नहीं है। इसीलिए हम लोगों की भी कुछ चिंताएं थीं, जिनको हमने खुल कर सरकार के सामने रखा। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी एक छोटी पार्टी होने के बावजूद, भले ही संख्या बल में हम लोग कम हैं, उसके बावजूद सरकार ने जो हमारे सुझावों को सम्मान दिया है, उसके लिए मैं इस सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। उसी के फलस्वरूप आज कुछ संशोधन सामने आए हैं। उन संशोधनों में यह वादा दिखता है कि चाहे कुछ भी हो किसान भाइयों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। स्वयं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो कि खुद एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने खुद उस दिन इस संसद में खड़े होकर सम्बोधित करते वक्त इस बात को बहुत स्पष्टता से रखा कि हमारा एनडीए का गठबन्धन, हमारी सरकार कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी, जो किसानों के हित में न हो, जो गरीबों के हित में न हो। उनकी इस बात का मैं अपने दल की तरफ से पुरजोर तरीके से स्वागत करता हूं।

महोदय, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा हमारी सरकार पर है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर है। यकीन मानिए जब हम लोग इस गठबन्धन का हिस्सा नहीं भी थे, इस गठबन्धन में आने की बहुत बड़ी वजह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं। मैंने इस बात को खुलकर हर मंच पर स्वीकारा भी है। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से जुड़ने की मेरी चाह हमेशा से रही है। जिस तरीके से वे विकास की राह पर हमारे देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उस सोच के साथ जुड़ने की हमारी आशा शुरू से रही है। आज भी हमारा यह विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी पर है कि कोई भी ऐसा कार्य हमारी सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा जिसमें किसानों की या गरीबों की अनदेखी हो और यह उम्मीद कभी नहीं टूटेगी, यह भी हमारा विश्वास है।

महोदय, उद्योग और कृषि विकास रथ के दो पहिये के समान हैं और इन दोनों का एक-साथ, एक जैसा विकास होना बहुत जरूरी है। कृषक हमारे देश के विकास के रथ को आज यहाँ तक खींचते हुए आगे लेकर आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में उद्योग भी हमारी जरूरतें हैं। औद्योगीकरण भी हमारी जरूरतों में से एक है। मैं युवा हूं, मैं युवाओं से जुड़ी हुई सबसे गम्भीर समस्या को समझ सकता हूं, जो कि रोजगार की समस्या है। अगर हम रोजगार के अवसर, जिसके बारे में हम लगातार चुनावी वादों में कहते रहे हैं, अगर हम युवाओं के साथ जुड़ी हुई इस समस्या पर एक अंकुश डालना चाहते हैं तो उद्योगीकरण को बढ़ावा मिलना बहुत जरूरी है, उद्योगों का खुलना बहुत जरूरी है। एक दुष्प्रचार चल रहा है और लगातार हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी भी इस बारे में कहते रहे हैं कि उद्योग कोई बुरा शब्द नहीं है। मैं इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि उद्योग कोई बुरा शब्द नहीं है पर हाँ, किन शर्तों पर यह उद्योगीकरण हो रहा है, किन बुनियादों पर हो रहा है, कहीं किसी का इसमें आहित तो नहीं हो रहा है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम तमाम सदस्य, जो इस सदन के सदस्य हैं, हम यहाँ पर एकत्रित होकर बैठे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि जब हम विकास की राह पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, विकास के इस रथ के दोनों पहिओं को आगे लेकर चलने की बात करते हैं तो कहीं उनमें से कोई एक पहिआ पीछे तो नहीं छूट रहा है। कहीं किसी एक पहिए के विकास का प्रभाव हमारे दूसरे पहिए के विकास पर भारी तो नहीं पड़ रहा

है। इस बात आश्वासन मुझे इस सरकार के द्वारा मिला है कि इस विकास की राह पर जितने प्रभावशाली तरीके से हम उद्योगीकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं, उतनी ही हमारी प्राथमिकता किसान भाइयों के लिए भी रहेगी।

महोदय, मैं इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों का कोई आहित नहीं होगा और जिस तरीके से इस बिल के मूल ढ़ाँचे में संशोधन किए गए हैं, जिस तरीके से जो-जो सुझाव हम लोगों ने अपने दल की तरफ से दिए थे, मैं दोबारा इस बात के लिए हमारी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो हम लोगों की चिन्ताएं थीं, जिस तरीके से उन चिन्ताओं को, हमारे कन्सर्न को एड्रेस किया गया है और उसके बाद इन संशोधनों को सामने लाया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं।

महोदय, अंत में, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी जैसे सक्षम नेतृत्व में कभी किसानों के साथ, गरीबों के साथ कोई आहित नहीं होगा, इस बात पर विश्वास करते हुए मैं चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**कुँवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर)**: महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता आधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आधिकतम बिन्दुओं पर इस सदन में योग्य सदस्यों और पूर्व वक्ताओं द्वारा चर्चा हो चुकी है। मैं केवल तीन बिन्दुओं पर चर्चा कर सरकार और आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं।

महोदय, यहाँ पर सभी उपस्थित सदस्य किसानों के आधिकारों के लिए चिन्तित हैं। हम किसान की बढ़ती हुई लागत और फसल के उचित मूल्य न मिल पाने की समस्या को भली-भाँति समझते हैं। मेरे क्षेत्र में मवाना चीनी मिल में पिछले तीन वर्ष से गन्ना भुगतान का बकाया है। ऐसी परिस्थिति में किसान के पास आज केवल अपनी भूमि ही है जिसकी कीमत और उसकी पूँजी बढ़ती जा रही है और उसे इसका सहारा है। यदि हम इस सदन में कठिन नियम बना दें जिससे किसान की भूमि का कोई खरीददार ही न बचे तो क्या यह किसान के हित में होगा? हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने भी अनेक चिन्ताएँ व्यक्त की हैं मगर केवल चिन्ताओं की बात करके और किसानों को दिग्भ्रमित करके क्या हम उनकी सहायता कर रहे हैं? क्या यह किसान के हित में है? जितना मौलिक ढाँचे का विकास होगा, जितना इनफ्रास्ट्रक्चरल डैवलपमैंट होगा, उतना ही किसान की भूमि के दाम बढ़ेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती हुई किसान की जमीन का एक ही उपाय है कि किसानों के बेटों को अच्छे वेतन का रोज़गार मिले। यह केवल औद्योगीकरण से ही संभव है। जितनी आधिक औद्योगिक ईकाइयाँ भूमि को खरीदना चाहेंगी, उतनी ही किसान की भूमि की कीमत बढ़ेगी। किसान का हित उसके जमीन के दाम बढ़ने में है। यदि हम ऐसे विधेयक पारित करें जिससे केवल भूमि-अर्जन नियमों के मकड़जाल में उलझकर केवल उन परिवारों का ही लाभ होगा जिनके हाथ और पाँवों की पहुँच कानून से भी लंबे हों या किसानों की भूमि सस्ते दामों पर किसी बड़े परिवार का दामाद खरीद ले, तो क्या इससे किसानों का लाभ होगा? पिछले दस वर्षों में हरियाणा में 18 हज़ार एकड़ भूमि का चेन्ज इन लैंड यूज़ हुआ है। इसमें हज़ारों लाख करोड़ों रुपये का घोटला

है। मेरा आपके द्वारा सरकार से अनुरोध है कि इस घोटाले की जाँच की जाए। किसान को केवल उचित प्रतिकार और पारदर्शिता चाहिए जो इस संशोधन विधेयक में निहित है।

महोदय, प्रतिपक्ष के साथियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिन पर मैं माननीय मंत्री जी का पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में मगरपट्टा माडल है जिसमें किसानों को भूमि आधिग्रहण के पश्चात् हिस्सेदारी दी गई है। आंध्र प्रदेश के माडल में किसान, ज़मींदार और भूमि अर्जनकर्ता - तीनों के लाभ पर ध्यान दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों माडल्स का अध्ययन कर माननीय मंत्री जी इन्हें सम्मिलित करें।

महोदय, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बैंच की सख्त आवश्यकता है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की ज़रूरत है। भीड़ और यातायात से सड़कों पर जाम लगा रहता है। रेलवे लाईन और नए रेलवे स्टेशनों की मांग है। हवाई अड्डे की ज़रूरत है और इन सब प्रोजैक्ट्स को पूर्ण होने में पाँच वर्ष से आधिक समय लगता है। यह पाँच वर्ष से आधिक सीमा की मांग जो बार-बार प्रतिपक्ष के योग्य साथी कर रहे हैं, क्या यह उचित है? सामाजिक प्रभाव आकलन पर बहुत सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। भट्टा परसौल का उदाहरण दिया गया है। मैं अपने योग्य साथियों को जानकारी देना चाहता हूं कि भट्टा परसौल में 5(क) किसान की आपत्ति सुनना, का प्रकाशन नहीं किया गया था। चेन्ज इन लैन्ड यूज़ औद्योगिक के लिए की गई थी, किन्तु बाद में उसे आवासीय बना दिया गया। किसानों से भूमि के लिए विकास का कर्ज़ पहले जमा करने को कहा गया था, तथा किसानों को जमीन उचित प्रतिकर नहीं दिया। विवाद इन दो बिन्दुओं को लेकर हुआ था। यह विवाद पुनः न उठे, इसकी चिन्ता उचित प्रतिकर और पारदर्शिता आधिकार संशोधन में सम्मिलित की गई है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि भट्टा परसौल के किसानों की समस्या के निराकरण हेतु सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से किसानों का संवाद स्थापित है। आज शाम ही को हम माननीय मंत्री जी से भी मिल रहे हैं।

महोदय, कृषि योग्य भूमि और सिंचित भूमि अर्जन न होने की कुछ प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने सिफारिश की है। अभी-अभी दिनेश त्रिवेदी जी भी इसी बात को कह रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये लोग हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को विकास से वंचित रखना चाहते हैं? इस क्षेत्र की जनसंख्या अत्यधिक

घनत्व में है, अतः रोज़गार की सबसे ज्यादा आवश्यकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घाटे में चल रही चीनी मिलों के आतिरिक्त कोई भी उद्योग नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का यह निश्चित मत है कि जनता को सरकारी तंत्र, गवर्नमेंट से आधिक सुशासन की, गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है। भट्टा पारसौल और हरियाणा में एक प्रभावी परिवार के दामाद का भूमि घोटाला केवल कुशासन और भ्रष्टाचार का परम उदाहरण है।

मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि एन.डी.ए. सरकार में इस भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता आधिकार (संशोधन), विधेयक, 2015 से इन सब घोटालों पर पूर्ण विराम लगेगा।

**श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार):** सभापति महोदय, आपने मुझे भूमि आधिग्रहण बिल पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जब चौधरी देवीलाल इस देश के कृषि मंत्री थे तो उन्होंने इस सदन में कहा था कि मैं किसान हूं, किसानों का दर्द समझता हूं। आज दिक्कत किसान को आ रही है और सांसें मेरी रुक रही हैं। आज इस सदन में बैठा हुआ हर किसान का बेटा या आज जो खेती करता है, वह बैठकर यही सोच रहा है कि किस तरह से इस बिल से निजात दिलाई जाये, पर कई साथियों की मजबूरी है कि वे सत्ता पक्ष में हैं, इसलिए वे इस बिल के विरोध में वोट नहीं डाल सकते।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भूमि आधिग्रहण की बात की जाती है, आज जहां यह पार्लियामेंट है, जहां राष्ट्रपति भवन है, यहां पहले रायसीना गांव था। 1911 के अन्दर वायसराय ने एक ऊंची पहाड़ी देखी और वहां पर अपने लिए राष्ट्रपति भवन जैसे बड़े आलीशान बंगले को बनाने की शुरूआत की। उन किसानों को, जो रायसीना हिल पर रहते थे, उठाकर सोनीपत जिले में भेजा गया। आज यहां पर अरबों रुपये एकड़ की जमीन है और सोनीपत वाला किसान, जो यहां से 100 साल से भी पहले सोनीपत भेजा गया था, आज वह केवल लाखों रुपये एकड़ की जमीन का मालिक है। लैंड एक्वीजीशन किसानों की यह हालत कर देती है कि जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है, उनको उठाकर भेजा जाता है तो उनको सोसायटी के अन्दर जगह बनाने में भी दोबारा दिक्कत आती है। सरकार कहती है, मेक इन इंडिया प्रोजैक्ट के लिए, स्पेशल कोरीडोर के लिए लैंड एक्वीजीशन बहुत जरूरी है, पर क्या वह लैंड एक्वीजीशन हमारे एन.सी.आर. के अन्दर आती है, क्या वह लैंड एक्वीजीशन हमारे मैट्रोज़ के पास ही आती है? लैंड एक्वीजीशन को सिर्फ यहीं रखा जाता है।

कल हमारे बड़े भाई साहब कीर्ति आजाद जी ने जब इस बिल का स्वागत किया तो वे कह रहे थे कि दरभंगा के अन्दर फैक्टरियां लगेंगी। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, अगर ये विश्वास दिलायें कि हरियाणा के सभी 21 जिलों के अन्दर बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का डैवलपमेंट होगा, जब मैं 11 महीने का था तो चौधरी देवीलाल जी ने 21.5 एकड़ रेतीली जमीन मेरे नाम पर करवाई थी। आज मैं सरकार को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर इण्डस्ट्रियल डैवलपमेंट लम्बी के पास आएगी तो वहां रेलवे लाइन भी है, हाईवे भी है तो मैं सरकार को वह

जमीन मुफ्त में देने को तैयार हूं, लेकिन सरकार हमारे लोगों को वहां पर एम्प्लायमेंट और इंडस्ट्रीज़ लाकर डैवलपमेंट का विश्वास दिलाने का काम करे।

जहां कल कीर्ति आजाद जी कह रहे थे कि लोगों को स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए सरकार को जमीन की जरूरत है। मैं हरियाणा का वाकया भी नहीं लेता, पिछले दिनों मुझे दिल्ली चुनाव में नजफगढ़ के रौशनपुरा गांव में जाने का मौका मिला। वहां पर ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझे बताया कि 17 एकड़ जमीन आज से 17 साल पहले, जब दिल्ली के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ग्राम पंचायत ने दिल्ली सरकार के नाम पर रजिस्टर करवाई कि वहां पर स्कूल खोला जाये। 17 सालों में से 15 साल इनकी सरकार रही, दो साल इनकी सरकार रही, पर वहां पर आज तक लोगों को कालेज नसीब नहीं हुआ और वह 17 एकड़ जमीन आज भी बंजर पड़ी है।

आज सरकार कहती है कि एफोर्डेबल हाउसिंग हमने लेकर आना है, हम किस तरह के एफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं। आज गुड़गांव को उठाकर देखिये, यह दिसम्बर, 2013 की रिपोर्ट है कि अकेले गुड़गांव के अन्दर नौ लाख फ्लैट्स और घर खाली पड़े हैं। अगर आपने एफोर्डेबल हाउसिंग लेनी है तो उन पूंजीपतियों के फ्लैट्स पर जाकर कब्जा कीजिए, जिन्होंने अपने नाम पर 20-20 फ्लैट्स लेकर गुड़गांव में छोड़ रखे हैं और गरीबों को वे फ्लैट्स देने का काम कीजिए। मगर सरकार तो यह देखती है कि किस तरीके से, जहां मल्टी क्रॉप्स निकलती हैं, उस भूमि को लेकर हम आगे प्रोपर्टी डीलरों को बेचें। वहां चार एकड़ जमीन में से एक एकड़ में वह एफोर्डेबल हाउसिंग बनाएगा और तीन एकड़ में 50-50 लाख रुपये के फ्लैट्स बनाकर बेचने का काम करेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ यह बिल लाया जाता है और बिल के अंदर सेक्शन-197 की बात की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस देश का इतिहास उठा लें और देखिए कि जब से सी.आर.पी.सी. बना है, उस समय से सेक्शन-197 के तहत एक भी आधिकारी के खिलाफ नोटिस सैंक्शन तक नहीं हुआ है, इंक्वायरी और इंवेस्टीगेशन तो बहुत दूर की बात है। गरीब किसानों की जमीनें छीनने का काम किया है।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** अभी जो जेल में दो आई.ए.एस. पड़े हैं, वे आपकी ही स्टेट के हैं।

**श्री दुष्यंत चौटाला:** माननीय मंत्री जी, यहां लैण्ड एक्वीजीशन की बात की जा रही है। कल तथागत जी बोल रहे थे कि हरियाणा के अंदर दस सालों में 65,000 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी। वे अभी यहां नहीं हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 65,000 एकड़ नहीं, बल्कि 70,000 एकड़ जमीन दस सालों में एक्वायर हुई। माननीय मंत्री जी, आप भी उसी सरकार का हिस्सा थे। आपने भी विधान सभा में इसका समर्थन किया था और इसके संबंध में रूल पारित करके जमीन दिलाने का कार्य किया था। आज आप उस तरफ आकर इस बिल को दुबारा इस सदन में पेश करने का काम कर रहे हैं। वह 70,000 एकड़ जमीन तो दस सालों में एक्वायर की गई, लेकिन अगर आपकी यह पॉलिसी आ गई तो हरियाणा प्रदेश की अगली दो पीढ़ियों के बाद हरियाणा के अंदर जमीन नहीं बचेगी। आप पूरे हरियाणा को एक्वायर कर लेंगे।

मैं सर छोटू राम का एक वाकया इस सदन में लाना चाहूंगा। सर छोटू राम जी संभल गए थे। जब वे संभल गए तो उन्होंने देखा कि वहां महिलाएं मंच की ओर अपनी पीठ दिखा कर बैठी हैं। उन्होंने पूछा कि इन महिलाओं के ऊपर वस्त्र क्यों नहीं है, ये पीठ दिखा कर क्यों बैठीं हैं? सर छोटू राम जी को बताया गया कि इनके पास जमीन नहीं है। उन्होंने उनके आधिकारों की लड़ाई लड़ी और किसानों, गरीबों, मज़दूरों को जमीन का आधिकारिक मालिक बनाने का काम किया। आज उन्हीं के वंशज उनके आधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं।

मैं सरकार के समक्ष सर छोटू राम जी का एक वाकया लाना चाहूंगा और उन्हें कोट करूंगा कि "हिन्दुस्तान की सभी प्रकार की सरकारों को कहना चाहता हूं कि वे किसान को इस कदर तंग न करें कि वह उठ खड़ा हो। इस भोलेनाथ को इतना तंग न करो कि वह तांडव नृत्य पर उतर आए। दूसरे लोग जब सरकार का विरोध करते हैं तो कानून तोड़ते हैं, मगर जब किसान सरकार का विरोध करता है तो वह कानून नहीं, सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है।"

मैं आज सरकार को बोलना चाहूंगा कि किसान रूपी जो हमारी ज़मात है, यह किसी जाति विशेष से नहीं आती। आज 36 बिरादरी के लोग खेतों के अंदर काम करते हैं। आज आप उस किसान की पीठ तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं सदन के एक-एक साथी से अपील करूंगा कि उस किसान को आप बचाने का काम करें।

हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल इस बिल का पूर्ण तौर पर विरोध करती है और सरकार से यह मांग करती है कि इस बिल को दुबारा स्टैण्डिंग कमेटी तक भेज कर फिर से किसानों के आधिकारों के बारे में सोचा जाए, उनकी सहमति के बारे में सोचा जाए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में सोचा जाए। यह फिर से सोचा जाए कि किस तरीके से हम गरीबों को मकान दे पाएंगे, मगर उससे किसान को नुकसान न पहुंचे।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस बिल का विरोध करता हूं और सरकार से यही आग्रह करता हूं कि इस बिल को दुबारा स्टैण्डिंग कमेटी में भेज किसानों की समस्याओं पर विचार करने का काम करे।

**श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर)**: सभापति महोदय, भारत एक ऐसा देश है, जहां 70% लोग आज भी खेती-किसानी पर अपनी आजीविका चलाते हैं और इन 70% लोगों में बहुतायत रूप से देश के कमज़ोर, दलित, पिछड़े समुदाय के लोगों की आबादी शामिल है। ये वह तबका है, जिसकी निर्भरता जल, जंगल और जमीन पर सामान्य वर्ग के लोगों से सबसे ज्यादा है। शायद इसीलिए आज जब हमारी सरकार भूमि आधिग्रहण अध्यादेश लेकर आयी है तो यह पूरा सदन और पूरा देश तमाम सवालों, आशंकाओं और चिंताओं से घिर गया है। ऐसा माहौल बन रहा है कि लगता है कि जब एन.डी.ए. सरकार इस कानून को संशोधित करके लाई है, तभी ये तमाम चिंताएं पैदा हुई हैं। लेकिन, यह सच नहीं है। वर्ष 2013 का जो कानून बना था, उसमें भी कमियां थीं। उन कमियों को भी दूर करने की जरूरत थी।

मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि वर्ष 2011 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं तत्कालीन मंत्री श्री जयराम रमेश जी को इस कानून का विरोध करते हुए पत्र लिखा था। महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने ही मुआवजे की कीमत को 4 गुना से घटाकर 2.2 गुना करने का काम किया था। इतना ही नहीं केरल कांग्रेस की सरकार ने भी इस बात को पब्लिकली एडमिट किया था कि जो कानून यूपीए सरकार द्वारा बनाया गया है, उससे विकास असम्भव प्रतीत होता है। कमियां तब भी थीं, कमियां आज भी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने, जो तमाम आपत्तियां विपक्ष के साथियों ने या सहयोगी दलों ने दर्ज कराई हैं, उस पर विचार किया है और तमाम संशोधन भी लाई है।

सबसे बड़ी आपत्ति या सबसे बड़ी चिन्ता बहुफसली जमीनों के आधिग्रहण को लेकर थी, जिस पर सरकार ने संशोधन किया है। हमारे तमाम साथियों ने कहा कि अगर कृषि प्रधान देश के अन्दर बहुफसली जमीनों का आधिग्रहण किया जाएगा तो इस देश की खाद्य सम्प्रभुता को खतरा पहुंचेगा। हमारे देश की बहुत सारी जमीनों का आधिग्रहण वर्ष 1894 से लेकर 2013 के बीच में हुआ। हमारे देश का किसान बधाई का पात्र है कि इतने आधिग्रहण के बावजूद भी देश के अन्दर किसी भी कीमत पर खाद्यान्न का संकट नहीं आने दिया। यह गौर करने लायक बात है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि जो खाद्य का उत्पादन होता है,

वह सिर्फ क्षेत्रफल पर नहीं, बल्कि हम खेती के कौन से तौर-तरीके इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। हमारी सरकार ने बहुफसली जमीनों के आधिग्रहण के प्रति जो चिंता व्यक्त की गई, उसको संज्ञान में लेते हुए दो अहम संशोधन किए हैं। पहला संशोधन यह किया गया कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वह किसी भी परियोजना के लिए एक सीमा तय करेगी कि कम से कम कितनी जमीन की आवश्यकता है और उतनी ही जमीन का आधिग्रहण किया जाएगा। भविष्य में विस्तार के नाम पर एक्सेज जमीन का आधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो तमाम सरकारें हैं, वे अनुपजाऊ भूमि का सर्वेक्षण करेंगी और उसका रिकार्ड बनाएंगी। केवल ऐसी ही परिस्थितियों में बहुफसली जमीनों का आधिग्रहण होगा, जब किसी भी राज्य के अन्दर जो वेस्टेज लैंड है, जो अनुपजाऊ भूमि है, वह उपलब्ध नहीं है। निश्चित रूप से सरकार ने ये जो दो संशोधन किए हैं, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

जहां तक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का सवाल है, इसको लेकर भी सदन में बहुत सारे साथियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। इसमें दोनों के प्रति चिंता है। जो किसान जमीन मालिक है, उसके प्रति भी चिंता है। उस जमीन पर जो अन्य लोग निर्भर हैं, जैसे पशु चराने वाले, घास काटने वाले, मजदूर, बटाईदार, ये तमाम लोग हैं, उनकी भी चिंता है। मैं सरकार से यह जरूर कहना चाहती हूं कि आप किसानों को मुआवजा दे देते हैं, किसान परिवार को आप नौकरी भी देंगे, ये दोनों बातें अच्छी हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे किसानों को जमीन हैंडलिंग तो आती है, लेकिन मनी हैंडलिंग नहीं आती है। मुआवजे की जो धनराशि किसान को मिलती है, उसे उसका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है। इसलिए वह धनराशि एक-दो साल में खत्म हो जाती है और उसके बाद किसान का परिवार भूखा मरता है। सरकार को अपने प्रावधानों में यह व्यवस्था जरूर करनी होगी कि किसान को जो मुआवजा दिया जाता है, उस मुआवजे की कुछ धनराशि को जो परियोजनायें या उद्योग लगाए जा रहे हैं, उसको शेयर के रूप में लगाया जाए, किसान को शेयर होल्डर बनाया जाए। अगर किसान को मालिकाना हक मिलेगा, किसान शेयर होल्डर बनेगा, तो कहीं न कहीं आधिग्रहण के नाम पर जो तमाम लोकल ईश्यूज आते हैं, स्थानीय प्रोटेस्ट होते हैं, ऐसी समस्याओं का सामना किसान को नहीं करना पड़ेगा। जो तमाम

अन्य लोग हैं, बटाईदार मजदूर हैं, उनके लिए सरकार ने संशोधन करके व्यवस्था की है कि ऐसे प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करती हूं।

इस सदन में जो तीसरी चिंता रखी गई है, वह सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं के नाम पर निजी अस्पतालों और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए जमीन आधिग्रहण करने की है। इस संबंध में भी मुझे यह अवगत हुआ है कि सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है और निजी अस्पताल और निजी शिक्षण संस्थान के नाम पर सरकार किसी भी प्रकार का आधिग्रहण नहीं करेगी। हमारे विपक्ष के साथियों की इस चिंता का भी समाधान हुआ है। आधिनियम का उल्लंघन करने वाले आधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने के संबंध में जो बात थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी भी इस बात को कह रहे थे कि सरकार ने संशोधन किया है कि सरकार के पूर्व सैंक्शन के बाद कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां हों कि जो हमारे आधिकारी हैं, वे राजनेताओं के साथ साठगांठ कर लें या जैसा कि हमारे भाई प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि सिंचित भूमि के आगे 'अ' लिखकर उसे आसिंचित कर दें, लैंड यूज बदल दें तो इन प्रावधानों को और भी स्ट्रेंजेंट करने की जरूरत है। जिससे हमारे जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रैट्स हैं, वे किसानों के आधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न कर सकें। मैं सरकार से इसकी अपील करती हूं। किसानों के संबंध में जो शिकायतें हैं उनके निस्तारण की व्यवस्था, जो सरकार अध्यादेश लायी थी, उसमें नहीं थी, उसमें भी सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। जिला स्तर पर जूडिशियल ट्रिब्यूनल की व्यवस्था दी गई है जिससे उन तमाम शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। ये तमाम संशोधन जो सरकार ने किये हैं, उनके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं।...(व्यवधान) मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं।

आज हमारे देश में एस.ई.जेड. के नाम पर, सेना, सिंचाई, पी.डब्ल्यू.डी. रेलवेज, वन विभाग, ग्राम सभा, नगरपालिका के पास पहले से ही बहुतायत जमीन खाली पड़ी हुयी है, पहले उसको उपयोग में लाने की जरूरत है। सरकार ने जो पांच श्रेणियां बतायी हैं कि उन पांच श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए, जैसे - डिफेन्स, रूरल

इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्डस्ट्रीयल कॉरिडोर्स हैं, उनके लिए जब आप जमीन का आधिग्रहण करेंगे तो पहले हमारे पास जो सरप्लस जमीन है उसका इस्तेमाल होना चाहिए और उसके बाद अन्य श्रेणियों के लिए जमीन का आधिग्रहण होना चाहिए। उसके लिए भी सरकार सोशल इमपैक्ट असेसमेन्ट और सरकार ने राज्य सरकारों को जो ऑप्शन दिया है तो यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है और राज्य सरकारें इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें, इसकी व्यवस्था भी केन्द्र सरकार को करनी है।

मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो सुझाव दिये जा रहे हैं, क्योंकि आज भी इस बिल में उतनी कमियां हैं, जैसे वे पहले थीं, जैसे सरकार ने 9 संशोधन करके तमाम कमियों को दूर किया है, वैसे ही जो अन्य सुझाव दिये जा रहे हैं, जितना संभव हो उन्हें इसमें शामिल किया जाए। यह किसानों के हक और आधिकार की बात है। ...(व्यवधान) उनके लिए बहुत ही संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है।

**श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल):** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी पार्टी जे.एम. एम. की तरफ से इस लैण्ड बिल का पूरजोर तरीके से अपोज करता हूं क्योंकि यह कहीं न कहीं किसानों और आदिवासियों के हितों के खिलाफ जा रहा है। सरकार बहुत योजनाओं के लिए जो जमीन ली जानी है, उसका वर्ष 2013 के लैण्ड बिल में कोई विरोध नहीं हो रहा था। अगर देश के हित में जमीन का इस्तेमाल हो तो कहीं उसका विरोध नहीं है, लेकिन कितनी जमीन की जरूरत है? जिस तरह से इस लैण्ड बिल को लाया गया है, उससे सिर्फ उद्योगपतियों का भी फायदा होने वाला है। मैं क्लाउज बाई क्लाउज चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य उन पर बोल चुके हैं। उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से क्लाउज बाई क्लाउज और अमैण्डमेन्ट पर डिस्कशन किया है।

हमारे क्षेत्र के आदिवासियों और किसानों से बातें उठ कर आ रही हैं, मैं उन्हें सदन में रखना चाहता हूं। यह एक ऐसा मेजर बिल है जो कहीं न कहीं हर आदमी को अफेक्ट कर रहा है। यह किसानों को अफेक्ट कर रहा है, जो हमारे देश की रीढ़ है। इसे बहुत जल्दबाजी में लाया जा रहा है। वर्ष 2013 की बिल पर बहुत डिस्कशन हुयी थी और आज यह बिल बहुत तेजी से लाया जा रहा है, कौन-सी ताकतें हैं, जो इसे तेजी से लाना चाह रही हैं? जब देश हित की बात की जा रही है तो इसे पूरे सिस्टमैटिक ढंग से डिस्कशन के लिए फ्लोर पर क्यों नहीं लाया जा रहा है? यहां पर यह सवाल बहुत जरूरी है। मैं बाइबल के कुछ शब्दों को यहां पर कोट करना चाहूंगा

"एक आदमी को क्या लाभ होता है अगर वह पूरी दुनिया हासिल करता है लेकिन अपनी आत्मा खो देता है।" बी.जे.पी. का मूल मंत्र है - 'सबका साथ, सबका विकास।' मैंने जो बाइबल के शब्द कोट किये हैं उनसे मैं तुलना करना चाहता हूं कि जब 'सबका साथ, सबका विकास' की बात आप कर रहे हैं, तो इस देश की आत्मा हमारे गांवों में बसती है। आज जब किसानों के हित की बात आ रही है तो हम इसे बहुत हड़बड़ी में क्यों कर रहे हैं, इसे चर्चा में क्यों नहीं ला रहे हैं? ...(व्यवधान) चर्चा करने की बात जरूर हो रही है लेकिन यह हड़बड़ी में बहुत हो रही है। ...(व्यवधान) इसे स्टैण्डिंग कमेटी में भी ले जाने की जरूरत है। ...(व्यवधान) यह आप भी स्वीकार करेंगे।...(व्यवधान)

**अपराह्न 4.00 बजे**

झारखंड में कुछ समय पहले इलैक्शन हुआ था। उस वक्त प्रधान मंत्री जी आए थे और उन्होंने अपना भाषण दिया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई माई का लाल आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता। मैं इस सदन द्वारा आज उन्हीं बातों को उन तक पहुंचाना चाहता हूं। आज इस विधेयक को लेकर झारखंड और पूरे देश के किसान, आदिवासी जमीन पर उतरे हुए हैं। आप कृपया अपनी कही हुई बातों को फिर से जरूर याद कीजिए। शैडयूल एरियाज़ में मैक्सिमम मिनरल माइन्स हैं। इस कानून से आदिवासियों का आधिकार छीना जाएगा। आदिवासी या किसान बहुत शान्त प्रवृत्ति के होते हैं। जब उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी तो ब्रिटिशर्स को भी अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। वे सब जगह जीत पाए थे और आदिवासियों के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े थे। चाहे सिधु कानू हो, तिलका मांझी हों या बिरसा मुंडा हों, इन सबके सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े थे। वही बातें आज फिर से हो रही हैं। हमारे देश के किसानों, आदिवासियों के हित को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही सीमित साधन और कम आय में आदिवासी लोग खुशी से रह सकते हैं। यहां जिस तरह लैंड बिल लाया जा रहा है, यह सीधे तौर पर पूंजीपतियों को फायदा देने वाला है, किसान और आदिवासियों को फायदा देने वाला नहीं है।

हम आतंकवादियों की बात करते हैं। उनकी बंदूक, गोलियों या बमों से कितने लोग मरते हैं, 10, 20, 50, 100, 500. यह करोड़ों आदिवासियों, किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस बिल पर डिसकशन करने की जरूरत है, इसे जल्दबाजी में पारित करने की जरूरत नहीं है। आप भारतवासी हैं और यहां के लोगों के हितों के लिए सोचना आपका कर्म बनता है।

इसमें जो संशोधन लाए जा रहे हैं, वे आम आदमी और किसानों के विरुद्ध हैं। इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की जरूरत है। झारखंड में नक्सलवाद की समस्या है। इस तरह के कानून बनने से कहीं न कहीं नक्सलवाद को बढ़ावा मिलेगा। अगर इस तरह उन लोगों की लैंड ली गई तो आने वाले समय में हमारे यहां के लोग नक्सली बन जाएंगे। वे लोग नक्सली न बनें, इसके लिए जरूरत है कि लैंड बिल पर एक बार फिर से बढ़िया डिसकशन

की जाए। यह पार्लियामैंट हमारे कौन्सटीट्याूशन का मंदिर है। अगर यहां हमारे लोगों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती तो हमें भी नक्सलियों के साथ खड़े होकर लोगों के दुख-दर्द और हक के लिए लड़ना पड़ेगा। इतना कहकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।

**श्री दिलीप सिंह भूरिया (रतलाम):** सभापति महोदय, मैं लैंड बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आजादी के 68 साल बाद हम देश के किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था, उस समय इसकी आबादी 36 करोड़ थी। उस वक्त हम बाहर से अनाज मंगवाते थे। आज भारत की आबादी 125 करोड़ है। हम 125 करोड़ लोगों को खिलाने के बाद दुनिया के बहुत से देशों में अपने देश का अनाज भेजते हैं और उनका पेट भरते हैं।

सभापति महोदय यह क्यों हुआ, विज्ञान डेवलप हुआ, किसान को क्या चाहिए, किसान को पानी और बिजली चाहिए। जब मैं सातवीं लोक सभा में चुन कर आया था उस समय पार्लियामेंट के सामने चार गाड़ी खड़ी रहती थी, हम उस समय सिटी बस में आते थे। आज हम साढ़े सात सौ एम.पीज के पास गाड़ियां हैं। गाड़ियों को रखने की जगह नहीं है। ...(व्यवधान) अगर आप गाड़ियों में घुमेगें और वोटरों से कहेंगे कि मेरे पास गाड़ियां नहीं हैं। क्या वह हमें पसंद करेंगे। आप बताइए कि हम गाड़ियां नहीं लेंगे, गाड़ियां नहीं रखेंगे। जब हमारी आबादी 36 करोड़ थी तब हमारा पेट नहीं भरता था, आज हम 125 करोड़ हैं। आप किसानों को भ्रमित मत कीजिए। आप खुद भ्रमित हैं, किसान भ्रमित नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में 10 साल तक कांग्रेस का राज था। बिजली कहीं नहीं मिलती थी। आज मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है। ...(व्यवधान) यहां कमल नाथ जी बैठे हुए हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है और मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चरल ग्रोथ 25 प्रतिशत है जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। यह सब क्यों हुआ? आदरणीय कमल नाथ जी बैठे हुए हैं। जब नर्मदा की बात आई, हमने उस पर बांध बनाया, किसानों के खेतों में पानी गया, बिजली दी, यह विकास है। अगर आप किसानों को भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं तो आपको वोट मिलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में नगर निगम

का चुनाव हुआ, कमल नाथ जी बैठे हैं। 14 सीटों में से 14 जीत गए। किसान आप से भ्रमित नहीं है। यही स्थिति पंचायत चुनाव की भी है। आप स्टैंडिंग कमिटी की बात कर रहे हैं। हम यहां 550 एम.पीज बैठे हैं, आप चर्चा कीजिए, सरकार चाहती है कि हम अच्छे से अच्छा बिल लाएं, मोदी सरकार गरीब और किसानों का भला करने वाली सरकार है। ...(व्यवधान) आप क्या चाहते हैं।

**माननीय सभापति**: प्लीज बैठ जाइए। प्लीज कन्टीन्यू। अगर ऑब्जेक्शनेबल होगा, उसे डिलीट कर देंगे।

**श्री दिलीप सिंह भूरिया**: सभापति जी, अभी ये आदिवासी और ट्राइबल्स की बात कर रहे थे। वर्ष 1996 में आदिवासियों के लिए कानून बना है। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था। पीसा कानून द्वारा आदिवासियों को यह हक दिया है कि जब तक ग्राम सभा द्वारा तय न हो आदिवासियों की जमीन न ली जाए। मगर ओडिशा में क्या हो रहा है? आप शिड्याूल एरिया की बात कर रहे हैं। वहां की सरकार और चीफ मिनिस्टर खदानों के लिए जमीन मांग रही है। पहले आप गरीब के लिए कानून बनाइए, यह सरकार गरीबों की सरकार है। यह सरकार किसानों की सरकार है।

हम चाहते हैं कि भारत दुनिया में नम्बर वन देश बने। ...(व्यवधान) भारत विकसित हो, तो वह कहां से विकसित बनेगा? हम सड़कें नहीं बनायेंगे, तो क्या वह विकसित होगा? जैसे मैंने पहले की पार्लियामैंट की बात कही कि हम पैदल आते थे। अब हम गाड़ी में आते हैं। हम फोर लेन्स बना रहे हैं, तो क्या उसके लिए जगह नहीं लेगी? ...(व्यवधान) सिक्स लेन्स बना रहे हैं, तो क्या उसके लिए जगह नहीं लगेगी?...(व्यवधान) हमने बड़े-बड़े डैम्स बनाये हैं। अभी देवेगौडा जी कह रहे थे कि कावेरी और कृष्णा नहीं बनती, तो तमिलनाडु और कर्नाटक की क्या स्थिति होती, आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति होती? ...(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

**<u>अपराह्न 4.11 बजे</u>** (श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए*)

मैं सभापति महोदय से कहूंगा कि पूरा आपोजिशन भ्रमित है। ये देश का विकास नहीं चाहते। ये किसानों के खिलाफ हैं। ...(व्यवधान) किसान अपने बच्चों को पढ़ाये। ...(व्यवधान) किसान अपने बच्चों को डाक्टर,

इंजीनियर, वकील या नेता बनाये, क्योंकि वह भी आजाद हिन्दुस्तान का नागरिक है। वह क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? ...(व्यवधान) मैं खुद आदिवासी हूं, किसान हूं। हम क्यों नहीं अपना विकास करेंगे? हम देश के साथ चलेंगे। ...(व्यवधान) ये सारी चीजें हैं। आप भ्रमित न हों, किसान भ्रमित न हों। अगर किसान भ्रमित होगा तो वह खत्म हो जायेगा।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** अब, श्री थोटा नरसिम्हम।

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति:** कृपया बैठ जाइए।

श्री थोटा नरसिम्हम।

**श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा):** माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं अपने दल, तेलुगु देशम पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक भूमि अधिग्रहण के लिए उपायों की प्रावधानिकता प्रदान करता है साथ ही पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था के लिए। यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का स्थान लेगा। औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन के लिए चर्चा लगभग तीन दशकों तक लगातार सरकारों के तहत जारी रही। इसी अवधि के दौरान नागरिक समाज में भी व्यापक स्तर पर सम्मेलन और चर्चा आयोजित की गई। इन सभी प्रयासों का प्रतिफल भूमि अर्जन, पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक के रूप में सामने आया।

भारत में एक प्रमुख समस्या यह है कि भूमि स्वामित्व से संबंधित अभिलेखों की पुष्टि करना सरल नहीं है। इससे भूमि खरीद के पश्चात विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। उद्योगिक प्रतिष्ठान इस स्थिति का हवाला देकर यह तर्क देते हैं कि सरकार को उनके लिए भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए।

वर्ष 2008 से हमारी लक्षित आर्थिक नीतियों की पर्याप्त विकास दर प्राप्त करने में विफलता का मुख्य कारण कारपोरेट निवेश में कमी आना है। इनके तीन मुख्य कारण पर्यावरणीय कानून और मंजूरी, भूमि अधिग्रहण में समस्याएं और समय पर प्रभावी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। क्योंकि इन्हीं कारणों से भूमि अर्जन, पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013, फिर से सुर्खियों में आया। वर्तमान संशोधन सरकारी कानूनों और नीतियों को संतुलित करने और पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किए गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा।

भूमि अधिग्रहण का अर्थ केवल ज़मीन और आवास की हानि नहीं है, बल्कि यह लोगों की आजीविका, समुदाय और सांस्कृतिक परंपराओं तथा जीवन के पूरे ढांचे का भी विनाश है। यह एक अत्यंत संवेदनशील और पीड़ादायक अनुभव होता है। इसलिए, भूमि अधिग्रहण के दौरान सरकार को इन सभी सामाजिक और मानवीय पहलुओं का पूरा सम्मान और ध्यान रखना अनिवार्य है।

भारत में अधिकांश किसान अपनी भूमि से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। कई किसान सीमित भूमि के मालिक हैं और अपनी आजीविका का मुख्य स्रोत उसी जमीन पर निर्भर करते हैं। ये संपत्तियाँ उन्हें उनके पूर्वजों से विरासत में मिली हैं, इसलिए वे अपनी भूमि से गहरे जुड़ाव का अनुभव करते हैं। इसलिए, किसी भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में न केवल उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी आजीविका पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

सरकार की नीतियाँ किसानों, छोटे कृषकों और आम जनता के हितों की सुरक्षा करते हुए देश की आर्थिक प्रगति को भी प्रोत्साहित करें। ऐसी नीतियाँ किसानों के अनुकूल, आम जन के हित में और विकासोन्मुख होनी चाहिए। इन सभी पक्षों के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। तभी समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित

किया जा सकता है। विकास को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है, किन्तु इसके साथ ही यह भी अवश्य समझा जाना चाहिए कि कैंसर भी एक प्रकार का असामान्य विकास है। ऐसे कैंसरजन्य विकास की किसी भी स्वस्थ एवं उभरती हुई समाज के लिए, जैसे कि भारत के लिए, स्वीकार्यता नहीं हो सकती। पूर्व सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के नाम पर इस महत्वपूर्ण विषय की अनदेखी की थी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान सरकार इस प्रकार की दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगी।

महोदय, हमने आंध्र प्रदेश में अपनी राजधानी के लिए भूमि अधिग्रहण का काम 'लैंड पूलिंग' नामक एक अभिनव विचार के माध्यम से शुरू किया है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू गारू ने इस अभिनव पहल को प्रतिष्ठापूर्वक अपनाया है। यह किसान और सरकार दोनों के लिए दोहरे लाभ वाला कार्यक्रम है। भूमि अधिग्रहण की तुलना में इस प्रणाली से प्रत्येक किसान खुश है।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि भूमि का उपयोग रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। जब भूमि अधिग्रहण अपरिहार्य है, तो उस भूमि पर निर्भर किसानों को बेरोजगार नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्हें कहीं और भूमि से जुड़े किसी प्रकार के रोजगार में शामिल करना चाहिए।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में एक सामाजिक प्रभाव आकलन सर्वेक्षण, अधिग्रहण की मंशा, अधिग्रहण की घोषणा और एक निश्चित समय सीमा के भीतर मुआवजा देने के बारे में प्रारंभिक अधिसूचना शामिल है। सभी अधिग्रहणों के लिए यह आवश्यक है, कि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान किया जाए। न्यूनतम सीमा के बिना प्रत्येक अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता से कुछ सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देरी हो सकती है। इसलिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एक न्यूनतम सीमा तय की जा सकती है।

महोदय, भू-स्वामियों के लाभ के लिए विधेयक में कुछ सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। अधिग्रहित भूमि के स्वामियों को ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्रों के मामले में दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। निजी कंपनियों या सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले

में, विस्थापित लोगों में से 80 प्रतिशत की सहमति की आवश्यकता होगी। तथापि सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में ऐसी कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है। निजी कंपनियों द्वारा भूमि के बड़े टुकड़ों की खरीद के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन के प्रावधान की आवश्यकता होगी।

किसानों के उस जमीन के अधिकार से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर वे अपनी आजीविका कमाते हैं। उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस विधेयक में आवश्यक संशोधन सम्मिलित करने के लिए खुले मन से पहल की। यह एक सराहनीय और सकारात्मक कदम है। मैं अपने सभी सहयोगी सदस्यों से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि वे हमारी मातृभूमि की समृद्धि के लिए इस विधेयक को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपने मूल्यवान सुझाव प्रदान करें।

महोदय, कल इस विषय पर चर्चा करते हुए, वाई.सी.पी. के मेरे सम्मानीय मित्र ने यह टिप्पणी की कि हमारी आंध्र प्रदेश सरकार किसानों से जबरन भूमि अधिग्रहण कर रही है। मैं अपने सम्मानित मित्र को स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ राजनेता असंतुष्ट हो सकते हैं, परंतु अधिकांश किसान इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। उन्होंने स्वेच्छा से आगे आकर अपनी भूमि की पासबुक राजस्व अधिकारियों को सौंप दी। अधिग्रहण के दौरान कोई बल अथवा दबाव अनुप्रयुक्त नहीं किया जाता है। ग्राम सभाएं आयोजित की गईं और किसानों की सहमति प्राप्त की गई। हम किसानों को अच्छा पैकेज दे रहे हैं। इसलिए अधिकांश किसान स्वेच्छा से आगे आए। हमने किसानों की इच्छा और सहमति के साथ भूमि पूलिंग के पहले चरण के 90 प्रतिशत से अधिक को पूरा किया। हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि हम किसानों की पूरी इच्छा से शत-प्रतिशत लैंड पूलिंग पूरी कर लेंगे। यह हमारे राज्य में तेलुगू देशम पार्टी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है।

माननीय सभापति महोदय, टी.आर.एस. पार्टी के मेरे एक अन्य विद्वान सहयोगी ने कल यह उल्लेख किया कि वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एवं चंद्रबाबू नायडू जी ने हैदराबाद में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया

है। देशवासी अच्छी तरह जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी ने हैदराबाद के लिए क्या कार्य किया। आई.टी. सेक्टर हैदराबाद में किसने स्थापित किया? हैदराबाद को आई.टी. हब बनाने की पहल किसकी रही? माधापुर में हाईटेक सिटी और शमशाबाद में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किसके प्रयासों का परिणाम था? अधिग्रहित भूमि के माध्यम से, चंद्रबाबू नायडू गारू ने संयुक्त आंध्र प्रदेश में हैदराबाद का विकास किया। उन्होंने हैदराबाद को एक प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में स्थापित किया। वर्तमान में यह क्षेत्र तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। तेलंगाना के लोग चंद्रबाबू नायडू द्वारा किए गए विकास कार्यों का आनन्द ले रहे हैं, फिर भी कुछ लोग हमारे नेता की आलोचना कर रहे हैं। विश्व स्तर पर उनकी प्रशंसा हुई है, किंतु कुछ नेता इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। मैं इस विषय को उनकी विवेकपूर्ण समझ पर छोड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हम सरकार को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से उनके साथ खड़े रहेंगे, जिसके कारण गरीब लोगों को बहुत गरीबी का सामना करना पड़ रहा है।

**श्री संतोष कुमार (पूर्णिया):** माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी जनता दल (यू) की ओर से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता आधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पूरी एक सदी की लंबी जद्दोजहद के बाद जब देश में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार विधेयक, 2013" कानून बना तो लगा कि इस कानून के अमल में आते ही देश भर में अब किसान से जबरन जमीन हथियाने के खेल पर रोक लगेगी। किसानों की जमीन उनसे बिना इजाजत के अब कोई नहीं छीन पाएगा। बहरहाल कानून ठीक ढंग से अमल में आ पाता उससे पहले ही केन्द्र की भाजपा सरकार ने इसमें बदलाव करने का फैसला कर लिया। एक अध्यादेश के जरिए भूमि आधिग्रहण कानून में व्यापक संशोधन कर दिया। अध्यादेश ने कानून के मूल सिद्धांत को ही बदल कर रख दिया।

दिसम्बर, 2013 में सर्वसम्मति के बाद हमारी संसद ने जो भूमि आधिग्रहण कानून पारित किया था उसमें सरकार और पूंजीपतियों से किसानों की जमीन बचाने के लिए कई क्रांतिकारी प्रावधान किए गए थे। सरकारी, गैर-सरकारी किसी भी परियोजना के लिए भूमि आधिग्रहण में संबंधित क्षेत्र के भू-स्वामियों की कुल आबादी के 70 फीसदी लोगों की सहमति को आनिवार्य बनाया गया था, लेकिन इस अध्यादेश में इस महत्वपूर्ण प्रावधान को खत्म कर दिया है। उस कानून में सिंचित कृषि भूमि के आधिग्रहण पर रोक लगाई गई थी। अध्यादेश में संशोधन के जरिए यह पाबंदी भी हटा दी गई है।

महोदय, मौजूदा सरकार ने, जो दिसम्बर, 2014 को भूमि आधिग्रहण से जुड़ा अध्यादेश पारित किया, जिसे कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए उसे इस सदन में लेकर आई है, उसके विरुद्ध देश भर में किसान संगठनों, विभिन्न संघों से लेकर सामाजिक संगठनों तथा राजनीतिक दल आन्दोलन कर रहे हैं। मैंने पूरे बिल का अध्ययन किया है, वास्तव में इसमें कई खामियां हैं, इसलिए इस तरह के आन्दोलन हो रहे हैं। आधिकांश राज्य सरकारें इस अध्यादेश के खिलाफ हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोक सभा में राष्ट्रपति के आभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब के दौरान संसद में पहली बार भूमि आधिग्रहण पर विपक्ष के सहयोग की अपील की थी और यह भी कहा था कि किसानों के खिलाफ यदि एक भी चीज़ होगी तो मैं उसे बदलने के लिए तैयार हूं।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोगों का एक मात्र जीविकोपार्जन का मुख्य साधन खेती है। जो भूमि आधिग्रहण बिल लोक सभा में पेश किया गया है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। सरकार किसानों की कीमती भूमि का आधिग्रहण कर उन्हें बेदखल करना चाहती है, जो गैर-कानूनी और असंवैधानिक भी है। भारत सरकार जब भी किसी परियोजना जैसे-पावर प्लांट, रक्षा उपकरण, एन.एच., रेलवे या किसी उद्योग-धंधे के लिए किसानों से जमीन का आधिग्रहण करती है, तो उसका उचित मुआवजा दिए जाने की बात करती है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता है और किसानों को उसके लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से उन्हें न्याय मिलता है। लेकिन इस बिल में किसानों से वह आधिकार भी छीन लिया गया है। इस बिल में भूमि आधिग्रहण से पहले उसके सामाजिक प्रभाव का आकलन करना जरूरी नहीं बताया गया है जबकि इसके पूर्व के बिल में यह प्रावधान था कि भूमि आधिग्रहण से पहले उसके सामाजिक प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है।

महोदय, वर्तमान बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और ग्रामीण क्षेत्र के प्रोजेक्ट के लिए उपजाऊ भूमि का भी आधिग्रहण किए जाने की बात कही गई है जबकि पुराने बिल में बहुफसली और उपजाऊ भूमि का किसी विशेष परिस्थिति में ही आधिग्रहण करने पर विचार किए जाने का प्रावधान किया गया था। पूर्व के बिल में यह प्रावधान था कि किसानों की आधिग्रहण की गई जमीन पर यदि पांच साल में प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए तो किसानों को जमीन वापस कर दी जाएगी। यह सरकार जो नया बिल ले कर आई है और उसे कानूनी अमलीजामा पहनाना चाहती है, उसमें आधिग्रहण की गई जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू करने की कोई समय-सीमा तय नहीं की है। इससे प्राइवेट कंपनियों को आधिग्रहण की गई जमीन पर अपने प्लान के मुताबिक बड़े आराम से काम करने की सहूलियत होगी।

महोदय, सरकार ने तो सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा को ही बदल दिया है जिसके तहत सरकार की ओर से ली गई जमीन के दायरे में प्राइवेट अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और प्राइवेट होटलों को शामिल किया गया है जबकि इस एक्ट के मूल प्रावधानों में प्राइवेट अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और प्राइवेट होटलों के लिए सरकार की तरफ से जमीन के आधिग्रहण पर रोक लगाई गई थी। इस बिल के मुताबिक सरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के नाम पर प्राइवेट खिलाड़ियों के लिए जमीन का आधिग्रहण कर सकेगी। सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के दबाव के आगे झुक गई है। आधिग्रहण की गई जमीन पर कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं किया जाना उद्योगपतियों को खुली छूट देना है।

इस बिल में भूमि आधिग्रहण के मामले से पीड़ित किसान, न्याय पाने हेतु बिना सरकार की अनुमति के कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, उस पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है।

महोदय, हमारी पार्टी इस बिल का पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि इस बिल को लोक सभा की ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थायी समिति के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री ओम बिरला (कोटा):** सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण बिल पर सदन में चर्चा हो रही है। भूसम्पत्ति कानून 1894 के बाद अब 120 साल बाद देश के अंदर किसानों के हित के लिए कानून बनाने की चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान की असली आजादी तब मानी जाएगी, जब संसद के अंदर हम ब्रिटिश हुकूमत के सारे कानून समाप्त करके अपने देश के हित के लिए कानून बनाएंगे, तब हिंदुस्तान आजाद होगा। इस कानून को वर्ष 2013 में लाया गया था। 13 अलग-अलग अध्यादेशों से देश के अंदर भूमि आधिग्रहण की जा रही थी। 13 अध्यादेशों को मिलाकर एक कानून लाया गया, कानून को चाहे कोई भी दल की सरकार लाई हो क्योंकि कोई भी सरकार हो वह देश के किसान के हित में कानून लाती है, देश के विकास के हित में कानून लाती है। मेरे कांग्रेस के साथी चर्चा कर रहे थे कि हम तो किसान के हित में कानून लाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संशोधन कानून ला रही है, वह पूंजीपति और भूमाफियाओं के पक्ष में कानून ला रही है। हमारे एक सम्मानित सदस्य ने कई माननीय सदस्यों की चर्चा की है कि उन्होंने संसद में यह बात कही थी। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बताया था कि आपके राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, आपके वरिष्ठ नेताओं ने संसद में और संसद के बाहर इस कानून के बारे में कहा था कि इस कानून से देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा।

जो लोग किसान हित की बात कर रहे हैं, अगर किसान हित के असली रखवाले होते तो क्या आज इस देश के किसान की ऐसी हालत होती? आज देश में किसान बदतर स्थिति में है। जो लोग सड़कों पर बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भूमि के दलाल हो गए हैं, वे लोग इस कानून को ध्यान से पढ़ लें। यह कानून देश के विकास का कानून है। आज देश विकास मांग रहा है, आज देश नरेन्द्र मोदी के सपनों का देश मांग रहा है, जिसमें हर गांव के किसान को बिजली मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर देश का चहुंमुखी विकास हो, देश के नौजवानों को रोजगार मिले। क्या आज हमें परेशानी नहीं होती है? गांवों में बिजली हो, सड़क हो, रेल हो, आज भी इन बुनियादी सवालों के लिए हम तड़पते रहते हैं। आज किसान चाहता है कि मेरे खेत में पानी पहुंचे, नहरें पहुंचें, बांध बनें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो देश के विकास को आधार मिलेगा। इस कानून की चर्चा करते हुए माननीय सदस्यगण राजनीतिक दायरे में इसका विरोध जरूर कर लें, लेकिन इस

कानून की एक-एक धारा और धारा के बाद इसमें लाए गए संशोधनों को देखें। हम देशहित में कानून बनाते हैं। यह कानून इस बात को साबित करता है कि जहां देश का किसान खुशहाल होगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम देश के विकास की नई राह बनाना चाहते हैं। इस कानून में कहां लिखा है कि हम किसी होटलवाले को जमीन देंगे या निजी अस्पताल को जमीन देंगे, इस कानून में कहां लिखा है कि हम भूमाफिया को जमीन देकर उसकी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। हमने जमीन की बात की है तो रेल के लिए की है, देश के अंदर आज भी मलिन बस्तियों में जो लोग रहते हैं, जिस तरह की वे जिन्दगी गुजार रहे हैं, उनके लिए अच्छे मकान बनाने के लिए जमीन की हमने बात की है। जिस गांव में सड़क नहीं पहुंची है, हमने वहां सड़क पहुंचाने की बात की है। जिस गांव के खेत में पानी नहीं पहुंचा, उस खेत में पानी पहुंचाने के लिए बांध बने, नहरें पहुंचें।

कई माननीय सदस्य सड़कों पर आन्दोलन करते हैं कि देश में बांध नहीं बनने चाहिए, नहरें नहीं बननी चाहिए। यहां बैठे लोग चाहते हैं कि अगर देश और किसान को खुशहाल बनाना है, खेत में पानी पहुंचाना है तो वह काम बांध और नहरों से ही किया जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब यह कानून संसद के अंदर है, सारा देश सुन रहा है तो कानून की परिभाषा होनी चाहिए, हर सरकार चाहती है कि कानून बेहतर बने, लोगों की जिन्दगी को बेहतर बनाए। हमारे प्रधानमंत्री जी पांच साल के अंदर गांव के उस अंतिम व्यक्ति तक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह कानून लाए हैं। यह कानून इसलिए नहीं लाया गया है कि चार-छः उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जाए। मेरा दूसरा तर्क यह है कि अगर कोई कारखाना या उद्योग देश में लगेगा तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर विकास की कल्पना करेंगे। हम चीन की चर्चा करते हैं। हम मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया बनाने के लिए उद्योगों को लाना पड़ेगा, उद्योगों को सुविधा देनी पड़ेगी। अगर एक गांव में कोई इंडस्ट्री आती है तो उसके आस-पास के गांवों में लोगों की जिन्दगी बेहतर हो जाती है। क्या उद्योगों का विरोध करके हम गांवों और शहरों के विकास को रोकना चाहते हैं, हम देश के विकास को अवरूद्ध करना चाहते हैं? संसद को इस कानून को पूरा पढ़ना चाहिए।

कई सम्मानित सदस्यों ने यहां तक चर्चा कर डाली कि यह कानून काला कानून है। सभापति महोदय, यह कानून देशहित का कानून है, इस कानून के आधार पर जहां देश का किसान खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि पूरी संसद को इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए जिससे इस देश का किसान कह सके कि सारी संसद किसानों के हित में काम कर रही है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी (राजमपेट):** धन्यवाद, महोदय। हम, वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी, इस विधेयक पर अपना दृढ़ रुख पुनः व्यक्त करते हैं। प्रथम, हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत बहु-फसलीय सिंचाई योग्य भूमि के अधिग्रहण का पूर्णतः विरोध करते हैं। द्वितीय, हम यह मांग करते हैं कि सामाजिक प्रभाव आकलन खंड को उसकी वर्तमान स्थिति में अपरिवर्तित रखा जाए।

महोदय, खाद्य सुरक्षा की चिंता के अलावा, सबसे अधिक प्रभावित वे किसान होंगे जिनकी जमीनें चली जाएंगी। किसानों के अलावा इस जमीन पर आश्रित मजदूर भी इससे बहुत प्रभावित होंगे।

हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में, हंड्री-नीवा योजना सहित विभिन्न लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के माध्यम से शुष्क भूमि की सिंचाई पर प्रति एकड़ 3.5 लाख से 4 लाख रुपये तक का व्यय करना न्यायसंगत माना जाता है। दूसरी ओर, सरकार उसी भूमि को अधिग्रहित करने के लिए लाखों रुपये प्रति एकड़ खर्च करने का प्रस्ताव रख रही है। साथ ही, हमारे राज्य के राजधानी क्षेत्र में लगभग 50,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें से 10,000 एकड़ बहु-फसलीय सिंचित भूमि शामिल है। यह उचित नहीं है कि एक तरफ हम भूमि की सिंचाई के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय एवं राज्य सरकारें भूमि सिंचाई के लिए भारी मात्रा में वित्तीय संसाधन आबंटित करती हैं, इसलिए इस प्रकार का अधिग्रहण राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी है।

महोदय, सामाजिक प्रभाव आकलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि उचित सामाजिक प्रभाव आकलन उपधारा को शामिल नहीं किया गया, तो यह पूरा विधेयक कमजोर हो जाएगा और इसका वह लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इसके प्रारंभिक उद्देश्य में निहित है।

महोदय, हम एक और मुद्दा उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं, कि पूरा देश एक समान भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत आए। हमारे राज्य, आंध्र प्रदेश में, सरकार लैंड पूलिंग योजना का पालन कर रही है, जिसमें किसानों की भूमि एक रुपये का भुगतान किए बिना सरकार द्वारा ली जाती है और उन्हें विकसित वाणिज्यिक भूमि के रूप में उनकी 30 प्रतिशत भूमि वापस दी जाती है। इस प्रक्रिया में बहुत अस्पष्टता है, क्योंकि जिन किसानों की जमीन की कीमत 20 लाख रुपये है और जिन किसानों की जमीन की कीमत करोड़ों रुपये है, उन्हें एक ही धनराशि का मुआवजा मिल रहा है और उन्हें यकीन नहीं है, कि उन्हें यह जमीन कहाँ से मिलेगी।

एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारा राज्य पहले ही गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। राज्य का राजस्व घाटा अत्यंत विशाल है और इस संदर्भ में राजधानी के विकास के लिए आवश्यक धनराशि की उपलब्धता संदिग्ध है। इसके बावजूद, सरकार बिना किसी स्पष्ट योजना या पारदर्शिता के उपजाऊ भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण कर रही है। इस अस्पष्टता से बचने के लिए आवश्यक है कि इस विषय पर व्यापक चर्चा की जाए और भूमि अधिग्रहण के लिए एक समेकित एवं स्पष्ट केंद्रीय अधिनियम लागू किया जाए।

यदि हमारी चिंताओं का उचित ढंग से समाधान नहीं किया गया, तो हम निश्चित रूप से इस विधेयक का विरोध करेंगे। धन्यवाद।

**श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद):** महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मैं सहमत हूं, जिन्होंने इस विधेयक का विरोध करते हुए अपने विचार रखे हैं।

महोदय, मैं सत्ता पक्ष से एक बात जानना चाहूंगा। पारित किए गए मूल अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद, उच्चतम न्यायालय ने इसे बरकरार रखते हुए विभिन्न निर्णय दिए थे। उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिनियम को अपनाया था। उच्चतम न्यायालय ने इसे *अधिकारातीत* अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं पाया। पुणे नगर निगम मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 24(2) को बरकरार रखा। रेडिकैप फाइनेंस मामले में भी, उच्चतम न्यायालय ने धारा 24(2) को बरकरार रखा और कहा कि यह एक वैधानिक अधिकार है। बालाजी नगर, शिवराज, वेलासन कुमार मामलों में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। सरकार के पास संशोधन लाने का कोई कारण या तर्क नहीं है। यह और कुछ नहीं बल्कि सरकार का तानाशाही रवैया है कि वह बिना किसी कारण के ऐसा कानून ला रही है। ये विकास की आवश्यकता के बारे में अस्पष्ट दावों पर आधारित हैं।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यदि सामाजिक प्रभाव आकलन मांगा गया, तो यह पड़ोसी देश द्वारा सबोटेज का कारण बन सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार का अहंकार और अज्ञानता है कि आप रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) की अनुमति देते हैं, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जाता, किंतु जब सामाजिक प्रभाव आकलन की बात आती है, तो वित्त मंत्री कहते हैं, कि इसे पड़ोसी देश द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

महोदय, सरकार ने सुझाव मांगे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे मुझे विश्व के किसी भी लोकतंत्र का उदाहरण दें, जहां इस प्रकार का कानून हो; जहां किसानों और जनता से उनकी जमीन जबरन छीनी जाती

हो, मछुआरों के संसाधनों को उनसे ले लिया जाता हो और उन्हें निजी व्यक्तियों को सौंप दिया जाता हो। विश्व में ऐसा कोई भी लोकतंत्र नहीं है जहां इस तरह का कानून लागू किया गया हो।

यदि आप भूमि विकास चाहते हैं, तो इसे कौन रोक रहा है? इसके अतिरिक्त, जहां तक औद्योगिक विकास न होने की बात की जा रही है, मैं माननीय प्रधान मंत्री को यह तथ्यात्मक रूप से अवगत कराना चाहूंगा कि विगत 66 वर्षों में देश में निश्चित रूप से विकास हुआ है। यह एक अलग विषय है कि वह विकास उस स्वरूप में नहीं हो सका, जिसकी अपेक्षा या परिकल्पना की गई थी। तथापि, यह कहना कि कोई विकास नहीं हुआ है, और यह मान लेना कि कोई *अलाउद्दीन* का चिराग है जिसे रगड़ते ही समस्त परिवर्तन हो जाएगा — न तो यथार्थपरक है, और न ही किसी उत्तरदायी शासन दृष्टिकोण के अनुरूप।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम सरकार से यह अनुरोध क्यों नहीं कर सकते कि वह निजी स्तर पर भूमि खरीद की प्रक्रिया अपनाए? कोच्चि हवाई अड्डा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां परामर्श और सहमति के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किया गया। इस पर आईआईएम अहमदाबाद ने एक अध्ययन भी किया है। तो फिर पट्टे (लीज) पर भूमि क्यों नहीं दी जा सकती? यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 — समानता के अधिकार — के विरुद्ध है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? यह इसलिए कि यह किस प्रकार की पक्षपातपूर्ण व्यवस्था है कि जब औद्योगिक गलियारा के लिए भूमि अधिग्रहण की बात आती है, तब उसे उचित ठहराया जाता है, लेकिन यदि मैं वन्यजीव संरक्षण के लिए भूमि अधिग्रहित करना चाहूं, तो वह वैध नहीं माना जाता? वन्यजीव संरक्षण का क्या? इसी कारण यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 — समानता के अधिकार — के विरुद्ध है। आपके द्वारा लाए गए संशोधन असंवैधानिक हैं और विधि की कसौटी पर टिक नहीं पाएंगे, जबकि मूल अधिनियम न्यायिक परीक्षण में खरा उतरा है।

सरकार 'सर्वोच्च अधिकार' के सिद्धांत का हवाला देती है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है, लेकिन इसका प्रयोग उच्चतम न्यायालय के कामेश्वर सिंह मामले में दिए गए निर्णय के अनुरूप होना चाहिए। न्यायमूर्ति महाजन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भले ही संविधान में यह विशेष रूप से

उल्लेख न हो, फिर भी 'सार्वजनिक उद्देश्य' की उपस्थिति 'सर्वोच्च अधिकार' के प्रयोग की आवश्यक शर्त है। यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में दोहराई है। अतः इस सिद्धांत का उपयोग मनमाने या पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं किया जा सकता। इसलिए यह ज़रूरी है कि सरकार जब भी सार्वजनिक उद्देश्य के नाम पर किसी की ज़मीन ले, तो वह संविधान में दिए गए समानता के अधिकार और सच्चे जनहित के अनुरूप हो।

अंत में, अपने विचार समाप्त करने से पहले मैं यह कहूंगा—शायद मैं गलत भी हो सकता हूं—कि हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने गलती की कि हमने क्यों संविधान के अनुच्छेद 44 को शामिल किया? अनुच्छेद 44 को लाने का उद्देश्य क्या था? हमने अनुच्छेद 31 में संशोधन क्यों किया? क्या हमने 44वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 31 इसीलिए लागू किया ताकि हमारे संसाधन केवल संपन्न लोगों को दिए जाएं?

मैं मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। तेलुगु देशम पार्टी ने अभी हैदराबाद के संदर्भ में चर्चा की। तेलुगु देशम और अन्य सरकारों के शासनकाल के दौरान कुल 88,419 एकड़ भूमि निजी व्यक्तियों को आबंटित की गई थी। कैग की रिपोर्ट में उल्लेख है कि लगभग 88,000 एकड़ भूमि केवल 1,000 व्यक्तियों को दी गई थी, तथा इस रिपोर्ट में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि इस भूमि आबंटन से कोई सार्वजनिक हित पूरा नहीं हुआ। क्या यह वही है जिसे आप स्वीकार करना चाहते हैं, जहां हमारे संसाधनों को निजी उपयोग के लिए हथिया लिया जाता है? मैं महाराष्ट्र के वरसगाँव बांध का एक दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहूंगा, जहां 161 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी। वर्तमान में, लवासा परियोजना के अंतर्गत उस बांध के आसपास आवासीय निर्माण हो चुका है। अतः इस स्थिति में सार्वजनिक उद्देश्य की अवधारणा कहाँ रह जाती है?

यह संशोधन और यह विधेयक भारत के लोगों का शोषण करने का तरीका है। इसका मकसद सिर्फ यह है कि बड़े व्यापारिक समूह हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लें। इसलिए, मैं इस विधेयक और सरकार के सारे संशोधनों का विरोध करता हूं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ हैं।

अंत में, यह सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलती है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस सिद्धांत का विरोध करता हूं, लेकिन उनके सिद्धांत में भूमि और जंगल के संरक्षण का विशेष उल्लेख है। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी विचारधारा के सिद्धांत कहां हैं? आप अपने विचारधाराओं के सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं करते? धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

**श्री पी.पी. चौधरी (पाली):** सभापति महोदय, मैं इस बिल का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसानों की बात करते हुए यह कहा गया है कि यह बिल किसानों के खिलाफ है। यह कहा गया है कि जो वर्ष 2013 का एक्ट है, वह किसानों के पक्ष में है। अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि पूरे विश्व में इस तरह से प्रॉपर्टी राइट लेने का कहीं आधिकार नहीं है।

**अपराह्न 4.44 बजे** (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जब संविधान बना था, तब राइट टू प्रॉपर्टी एक फण्डामेंटल राइट था। इस फण्डामेंटल राइट को हटा कर और जगह आप लोगों ने ही रखा है। अभी खड़गे साहब भी विराज रहे हैं, जहां तक वर्ष 2013 के एक्ट की बात है आप यह कह रहे हैं कि जो सोशल इम्पैक्ट का मामला है चैप्टर-2 और चैप्टर-3 वह अप्लायी होगा। आपने सैक्शन 2 में पब्लिक परपज़ दर्शाए हैं। आपने यह भी कहा है कि कंसेंट की जरूरत है। आपने यह भी कहा कि कंसेन्ट की जरूरत है। लेकिन चैप्टर 2 और सैक्शन 2 में जो आपने इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बताई है, वह आपने कहीं नहीं लिखा है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 सैक्शन 2 के लिए लागू होगा। आपने बहुत ही स्पेसिफिक लिखा है, जो सैक्शन 2ए कहता है, "भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।" इसका मतलब यह है कि सैक्शन 2 के लिए जो भी पब्लिक परपज दर्शाये गए हैं, उनके लिए चैप्टर दो और तीन का कहीं हवाला नहीं है कि चैप्टर दो

और तीन सोशल इम्पैक्ट और डिटरमिनेशन ऑफ पब्लिक परपज लागू होंगे। आपने स्पेसिफिक यह दर्शाया है कि सिर्फ पब्लिक परपज के लिए अगर लैंड ली जायेगी, तो चैप्टर 4, 5, 6, 7 और 8 भी लागू होगा, लेकिन चैप्टर 2 और 3 की बात कहीं नहीं कही है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सैक्शन 10ए लाकर इस पोजीशन को इस बिल के द्वारा क्लेरिफाई किया है। अगर यह होता तो इसका मतलब यह है कि जितने भी पब्लिक परपज सैक्शन दो में दर्शाये गए हैं, उन सभी के लिए चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को इग्नोर किये बिना आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं, यह आपने एक्ट बनाया है। यही नहीं आपने सैक्शन 7 जो लिखा है, सैक्शन 7 में सैक्शन 4,5,6 और 7 सारा का सारा सोशल इम्पैक्ट और डिटरमिनेशन ऑफ पब्लिक परपज के संबंध में हैं, उसके बारे में आपने एक प्रोवाइजो डालकर तीन लाइन में डाइल्यूट कर दिया, उसमें आपने प्रोवाइजो डाला कि अगर यह सारा होने के बाद में. सोशल इम्पैक्ट का डिटरमिनेशन होने के बाद में, पब्लिक परपज का डिटरमिनेशन होने के बाद में अगर एप्रोपरिएट गवर्नमैन्ट अगर यह चाहती हो कि यह जमीन हमें चाहिए तो सारी रिपोर्ट को इग्नोर करके वह ले सकती हैं। यह आपने एक्ट बनाया है और आप कहते हैं कि यह हमने किसानों के फेवर में बनाया है।

सैक्शन 10 ए उन प्रोजैक्ट्स के लिए लाया गया है, जो प्रोजैक्ट्स नेशनल इम्पॉर्टेन्स के लिए हैं, जो प्रोजैक्ट्स किसानों के लिए हैं। आज किसान हमें कहता है कि नदियों से नदियों को जोड़ने का प्रोजैक्ट कब होगा, आज किसान कहता है कि मेरे खेत में पानी कब आयेगा, आज किसान कहता है कि मुझे 24 घंटे बिजली कब मिलेगी, आज किसान कहता है कि मेरे खेत के सामने रोड कब मिलेगी? ये सब कोई हवा में नहीं होता है, ये सब जमीन पर होता है। लेकिन इसके लिए आपने यह कहा कि अफैक्टिड फैमिलीज से पूछा जायेगा। चैप्टर 2 और 3 में आपने प्रावधान किया कि अगर हिमालय में बांध बनाना है और पानी राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में पहुंचाना है तो उन फैमिलीज को पूछा जायेगा कि वहां पानी देने के लिए या बिजली देने के लिए आप सहमति देते हैं या नहीं देते हैं, कौन सहमति देगा तो इस तरह के आपने प्रोविजन बनाये हैं। फिर आप कहते हैं कि य़ह किसानों के पक्ष में हैं, लेकिन यह किसानों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आप उन्हें पूछ

रहे हैं। पब्लिक परपज यह है कि अगर पूरे देश में आज किसान चाहता है कि बांध बनने से जो हमारे प्रधान मंत्री जी और पूर्व प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी जी ने भी यह बीड़ा उठाया कि नदियों से नदियां जुड़ें और हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, उसके लिए नदियों से नदियों को जोड़ने के लिए जमीन लेनी पड़ती है। जहां तक मुआवजे की बात है, मुआवजा चार गुणा है। जहां तक सैटलमैन्ट और रीहैबिलिटेशन की बात है, उसे कोई टच नहीं किया गया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि जहां तक कम्पैनेसेशन की बात है, कई बार यह मुद्दा आया था कि कम्पैनसेशन क्या होगा, सर्किल रेट होगा या क्या होगा। एक्ट में हमने कोई टच नहीं किया है, वह अनअफैक्टिड हैं। कम्पैनसेशन के बारे में सैक्शन 26 में साफ लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू होगी और उस मार्केट वैल्यू का डिटरमिनेशन या तो सर्किल रेट होगा या उस एरिया की जो सेल डीड होगी या निगोशिएशन प्राइज होगा और उसके बाद जो भी हायर होगा, वही उसका कम्पैनसेशन होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कल भी मैंने एक ऐसा नोटिस प्रस्तुत किया था, जो समस्त सदन के सामने भ्रम उत्पन्न कर रहा है। अतः कृपया मुझे दो मिनट अतिरिक्त समय प्रदान करने की कृपा करें।

सबसे पहले, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं विद्वान अधिवक्ता श्री पी.पी. चौधरी का भाषण सुनकर आश्चर्यचकित था। श्री चौधरी जी ने अपने भाषण का समापन यह कहकर किया कि यह कानून किसानों के पक्ष में है। मैं इस सभा के विद्वान सदस्य श्री पी.पी. चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस संशोधित विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान बताएंगे जो किसानों को 2013 के अधिनियम की तुलना में कोई अतिरिक्त लाभ दे रहा हो। मैं विधेयक की मुख्य बातों की ओर आ रहा हूं।

भूमि का मुद्दा मुख्य मुद्दा है। जहां तक हमारे देश या समग्र समाज के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और यहां तक कि सांस्कृतिक विकास का सवाल है, यह प्रमुख मूल मुद्दा है। महाभारत युद्ध के दिनों से ही भूमि संघर्ष चला आ रहा है। हम नक्सलवादी आंदोलन, वामपंथी उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद के साथ-साथ माओवादी आंदोलन के बारे में भी जानते हैं। हम नंदीग्राम, सिंगूर और पोस्को भूमि मुद्दे के बारे में जानते हैं। हम इन सभी मुद्दों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अब जब हम वर्ष 2013-14 के आंकड़ों पर जाएं, तो पता चलता है कि 161 जिलों में 250 भूमि विवाद हुए। इसे ध्यान में रखते हुए यू.पी.ए. सरकार ने 2013 अधिनियम बनाया है। मेरे अनुसार, यह हमारे देश के संसदीय अनुभव में ऐतिहासिक कानून है। इससे देश के गरीब किसानों को लाभ मिल रहा है। यदि हम अधिनियम को भी देखें, तो यह उचित मुआवजा दे रहा है; यह न्यायसंगत मुआवजा प्रदान कर रहा है। पुनर्वास की बात तो है ही, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता की बात भी 2013 के अधिनियम में है। जहां तक विधायी प्रक्रिया का संबंध है यह अत्यंत शानदार विधेयक था। इसमें कोई संदेह नहीं है। कल श्रीमती सुप्रिया सुले ने भी यही मुद्दा उठाया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उनके द्वारा वर्ष 2013 में लिए गए निर्णय को बदलने के पीछे क्या कारण है। इस विधेयक को भाजपा ने पूरे दिल से समर्थन दिया। श्रीमती सुषमा जी, श्री राजनाथ सिंह जी और संसदीय स्थायी समिति के पैनल की अध्यक्षता कर रहे वर्तमान अध्यक्ष ने 2013 विधेयक और इसके संशोधन का जोरदार समर्थन किया। तो अब क्या कारण और किस दबाव में यह नया संशोधन अध्यादेश के माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है?

यह संशोधन 2013 के अधिनियम के सभी महत्वपूर्ण और लाभकारी पहलुओं को समाप्त कर देता है। इन संशोधनों के माध्यम से 2013 के अधिनियम की मूल भावना ही नष्ट कर दी गई है। माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने दावा किया कि इस संशोधन का उद्देश्य उद्योग और किसानों के बीच संतुलन बनाना है। उद्योग और किसानों के बीच संतुलन क्या है? यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। वे वर्ष 2013 के कानून के जरिए देश में भूमि न्याय दिलाने के आंदोलन से पीछे हट रहे हैं। निश्चित रूप से, यह वर्ष 2013 के विधान की संपूर्ण भावना को खत्म कर रहा है। मैं इस विधेयक का पूरा विरोध करता हूं।

जहां तक संशोधन संख्या 1 जो सहमति तथा सामाजिक प्रभाव आकलन से संबंधित है, सहमति से उनका क्या अभिप्राय है? मौजूदा अधिनियम से 'सहमति' शब्द हटाने का क्या असर होगा? यदि मूल अधिनियम से सहमति की जरूरत हटा दी जाती है, तो इससे जमीन का जबरन अधिग्रहण और अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण को बढ़ावा मिलेगा। यह वास्तव में जमीन मालिकों की सहमति छीनने के बराबर होगा, जो उनकी सौदेबाजी की ताकत है। अतः इस विधेयक में 'सहमति' को इसका हृदय माना गया है, जबकि 'सामाजिक प्रभाव आकलन' इसे उसकी आत्मा कहा जा सकता है। सामाजिक प्रभाव आकलन का अर्थ क्या है? संपत्ति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? भूमि अधिग्रहण के कारण किसानों को जो नुकसान और क्षति होती है, उसका आकलन कैसे किया जाता है? इसका मतलब है कि सामाजिक प्रभाव आकलन सीधे मुआवजे की कीमत तय करने पर असर डालता है। श्री चौधरी जी ने कहा कि इस संशोधन से मुआवज़े की कीमत बरकरार रखी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। सामाजिक प्रभाव आकलन वह आधार है जिसके द्वारा भूमि स्वामियों को दिए जाने वाले मुआवजे को निर्धारित किया जाता है। इसलिए, मुआवज़े का निर्धारण खत्म हो जाता है या यह कम हो रहा है। प्रभाव का आकलन समाप्त हो गया है और किसानों की मोल-भाव करने की क्षमता भी समाप्त हो गई है।

एक और संशोधन भूमि वापसी से संबंधित है, जो अधिग्रहण के पाँच वर्ष बाद लागू होता है। इसमें क्या गलत है? सरकार को यह समझना चाहिए कि वह अनावश्यक रूप से कॉरपोरेट घरानों का पक्ष नहीं कर रही है। ऐसा क्यों होना चाहिए? यदि अधिग्रहित भूमि का पाँच वर्ष तक सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता, तो उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। यहाँ 'उपयोग' का मतलब केवल परियोजना पूरा होना नहीं है। सभी औपचारिकताएँ पूरी करने और भूमि पर अधिग्रहण के बाद, यदि आप पाँच वर्ष तक भूमि पर कुछ नहीं करते हैं, परियोजना शुरू नहीं करते हैं, तो वह भूमि वापस कर दी जाएगी। यह यू.पी.ए. सरकार द्वारा महोदया सुषमा स्वराज जी के आग्रह पर प्रस्तुत किया गया एक संशोधन है। अब महोदया सुषमा जी की क्या राय है और किस दबाव के कारण आपको पाँच वर्ष का यह प्रावधान हटाना पड़ा? विधेयक में पाँच वर्ष के बजाय 'किसी परियोजना की स्थापना के लिए निर्दिष्ट अवधि या पाँच वर्ष या जो भी हो' कहा गया है।

तीसरे संशोधन के संबंध में, मैं निजी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को हटाने के लिए माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। विपक्ष के इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए मंत्री जी और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।

मुद्दा निजी कंपनी और निजी इकाई के संदर्भ में है। यदि आप निजी इकाई की परिभाषा देखें, तो इसके अंतर्गत सभी संस्थाएं आ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि निजी कंपनी को निजी इकाई में बदल दिया गया है। इसमें साझेदारियां, एनजीओ, और अन्य सभी शामिल हो जाएंगे। यह संशोधन केवल कॉरपोरेट और बड़े व्यापारिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।

मेरा अगला मुद्दा कल माननीय मंत्री द्वारा अपने हस्तक्षेप के दौरान कही गई बात से संबंधित है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया जी, हम उनका बहुत आदर करते हैं, कल यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि यह विधेयक किसानों को अतिरिक्त लाभ दे रहा है। कैसे? माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी सभा के बाहर कहा कि इससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। आइए धारा 105 की समीक्षा करें। माननीय श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा दिया गया तर्क, जिसमें मंत्री जी ने कहा कि अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची 4 में 13 नए अधिनियम जोड़े गए हैं, पूरी तरह गलत है। यह सदन को भ्रामक जानकारी देना है। यह 2013 अधिनियम की अनुसूची 4 है। अनुसूची 4 में सभी 13 अधिनियमों को शामिल किया गया है। यह धारा 105 का परिणाम है और एन.डी.ए. सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा आप धारा 105 के खंड (3) को हटा रहे हैं और धारा 105 में एक नया खंड शामिल कर रहे हैं। आइए हम दो प्रावधानों, संशोधित प्रावधान और मूल प्रावधान का परीक्षण और तुलना करें। चूँकि अधिक समय नहीं है इसलिए मैं पूरी धारा नहीं पढ़ पा रहा हूं। लेकिन चूँकि यह विधायी प्रक्रिया है इसलिए मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

धारा 105 के खंड (3) में कहा गया है: "इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसमें इस अधिनियम के उन प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाएगा जो मुआवजे के निर्धारण, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची से संबंधित हैं... तथा अंत में ऐसे अपवाद और संशोधन

जो मुआवजे को कम नहीं करते या इस अधिनियम के मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित प्रावधानों को कमजोर नहीं करते, जिन्हें अधिसूचना में आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट किया जा सकता है"।

इसका मतलब है कि धारा 105, खंड (3) के मौजूदा प्रावधान के तहत, आप केवल मुआवज़ा, पुनर्वास लाभ और पुनर्स्थापन को बढ़ा सकते हैं; आप मुआवज़ा कम नहीं कर सकते। कल माननीय मंत्री जी ने सरकार की ओर से तर्क दिया कि यह एक अतिरिक्त लाभ है जो अनुसूची 4 के अंतर्गत 13 अधिनियमों को एकीकृत करके तथा खंड (3) को प्रतिस्थापित करके किसानों को प्रदान किया जा रहा है। यह सदन को पूरी तरह से गुमराह करने वाला है। इस संशोधन के माध्यम से कोई अतिरिक्त लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।

मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि 2013 के अधिनियम की पूरी भावना से समझौता किया गया है। मैं इतने लम्बे समय के बाद ऐसा ऐतिहासिक कानून बनाने के लिए तत्कालीन यू.पी.ए. सरकार की सराहना करता हूं और बधाई देना चाहता हूं।

**<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>**

यह 1894 का औपनिवेशिक कानून था। हमने इसे बदलकर एक संप्रभु कानून संसद में लाया है। संप्रभु कानून बनाने के बाद भी आप फिर से उस औपनिवेशिक कानून की ओर लौट रहे हैं। यह केवल कॉर्पोरेट और व्यापारिक घरानों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। मैं इस विधेयक का कड़ाई से विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार)**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता आधिकार आधिनियम, 2013 के संशोधन विधेयक 2015 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, देखा जाए तो मुझे आश्चर्य होता है कि उधर से जो बात आ रही है, कई बार कहते हैं कि हज़ार असत्य बोलो तो वह भी सच में बदलने की कोशिश होती है। लगातार यह कहा जा रहा है कि यह विधेयक जैसे

किसानों के विरोध में आ रहा है। केवल और केवल किसानों के विरोध की बात हो रही है। उसके सभी पक्षों पर विचार करके उसको ग्रहण करने की बात जहां होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। मैं कहता हूं कि खंड 2 की उपधारा 3 जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि सामाजिक प्रभाव का आकलन करने की बात होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। श्रीमन्, ढाँचागत विकास का है, रक्षा का है, विद्युतीकरण का है, गरीबों के लिए आवास का है। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, ढाँचागत विकास और गरीबों के लिए मकान और सड़क के पक्ष में आप नहीं हैं? आखिर भूमि का आधिग्रहण तो होगा। चर्चा हो रही थी कि पहले भी भूमि का आधिग्रहण होता था। अभी जब धारा में हमने पाँच वर्ष का प्रावधान किया कि पाँच वर्ष से बढ़कर हो, तो यह कहा जा रहा था कि पहले भी तो यह आधिग्रहण होता था। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि 2011-12 में देश में सबसे बड़ी 20 परियोजनाएँ आईं। उसमें आठ परियोजनाएँ आज तक भी आधिग्रहण के कारण लंबित पड़ी हुई हैं जिनकी लागत 1,65,000 करोड़ है। श्रीमन्, देश सफर कर रहा है। यह जो आर्थिक और सामाजिक विकास की बात की जाती है, मुझे अफसोस होता है कि केवल किसान की खेती जाएगी। मुझे लगता है कि मेरे एक सदस्य मित्र ने कहा कि शायद आप नहीं चाहते हैं कि किसान का बेटा भी पढ़े। यदि औद्योगिक क्षेत्र में हो तो वह गाड़ी ले, अपनी दुकान चलाए, अच्छा पढ़े। क्योंकि आज वे लोग किसानों के हितों की बात कर रहे हैं जिनके समय में किसान ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। कब किसानों के बारे में चिन्ता की? एक विधेयक आया और वह भी सामूहिक रूप में विकास की दृष्टि से आया तो उसका ऐसा प्रचार करने की कोशिश हो रही है जैसे कि हम किसानों के विरोधी हों। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार ही किसानों की हितैषी है, उनके बच्चों की हितैषी है, उनके भविष्य की हितैषी है। यह एक्ट भी किसानों का परिवर्तन करने के लिए आया है। ये दोनों पक्ष जानने चाहिए। जहां बड़े औद्योगिक विकास हुए हैं, उसके इर्द-गिर्द देखिए 10-20 किलोमीटर तक वहां की आर्थिक स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है, इसका आकलन और अध्ययन करें। यदि आप मुझे अनुमति देते तो मैं प्रमाणों के साथ आपको 50 ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जहां पहले औद्योगिक क्षेत्र में विकास नहीं था, ऐसी भूमि थी जो बेकार भूमि थी और आज वह सोने की तरह लोगों को विकास की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा की बार-बार बात आ रही है। ज़मीनों की स्थिति यह है कि झारखंड में केवल 4.5 प्रतिशत सिंचित भूमि है, छत्तीसगढ़ में 27.6 प्रतिशत, राजस्थान में 26.4 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 44 प्रतिशत, कर्नाटक में 28.5 प्रतिशत, ओडिशा में 33.6 प्रतिशत और महाराष्ट्र में केवल 16.8 प्रतिशत सिंचित भूमि है। क्या हमने कभी यह विचार किया कि जो बहुत बड़ी मात्रा में आसिंचित भूमि है, उसको हम सिंचित करें। आज सिंचाई के अभाव में किसान दम तोड़ रहा है। क्या जहां सिंचाई की बड़ी परियोजनाएँ होंगी, वहां जमीन का आधिग्रहण नहीं होगा? श्रीमन्, जमीन का आधिग्रहण होगा, इस कानून के लिए मैं सरकार को और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि समयबद्ध तरीके से जो मुआवज़ा वर्षो में नहीं मिलता था, व्यक्ति भटकता रहता था लेकिन उसको मुआवज़ा नहीं मिलता था, इस आधिनियम के तहत एक समय-सीमा के अंदर उसको मुआवज़ा मिलेगा, उसको प्रतिकर मिलेगा और उचित मिलेगा, चार गुना ज़्यादा मिलेगा, यह इस आधिनियम में आया है। मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार यह कहा जा रहा है कि सहमति नहीं ली जायेगी और केवल औद्योगिक क्षेत्र को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि औद्योगिक गलियारा भी बनेगा तो सरकारी गलियारा बनेगा, संयुक्त उपक्रम का बनेगा, वह उद्योगपतियों के लिए नहीं बनेगा। यदि वह संयुक्त रूप में बनेगा तो इस बात का क्यों विरोध हो रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट की बात बार-बार आ रही है। इस आधिनियम में साफ है कि किसान न्यायालय में जा सकते हैं तो कृपा करके देश की जनता को गुमराह मत करें। इसमें सहमति का भी प्रावधान है, मुआवजे का भी प्रावधान है और पुनर्स्थापना का प्रावधान है। जो आधिकारी, जो दलाल इसमें गड़बड़ करेंगे, उनके लिए ऐसा कानून लाया गया है कि वे जेल के शिकंजों में रहेंगे। ...(व्यवधान) आपको क्यों परेशानी हो रही है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो नोएडा है, ये नोएडा का उदाहरण दे रहे हैं, ये पचासों उदाहरण दें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं नोएडा और अन्यों के उदाहरण में नहीं जाना चाहता हूं। वहां जिस तरीके से जमीनों का खुर्द-बुर्द हुआ है, उस खुर्द-बुर्द से किसानों को बचाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है और

इसलिए मैं मंत्री जी को और सरकार को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि इससे सामाजिक उत्थान होगा, किसानों का हित होगा और देश प्रगति के शिखर पर जायेगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन से बहस सुन रहा हूं। किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं, विकास के नाम पर किसानों की जमीन आधिग्रहीत होनी चाहिए, इस तरह के विचार अनेक सदस्यों ने यहां रखे हैं।

मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब विनोबा जी ने भूमिहीन किसानों को जमीन दान करने के लिए किसानों से जमीन मांगी थी, तब इस देश के हजारों किसानों ने मुफ्त में उनको जमीन का दान दिया था। इस देश का यह इतिहास है। मैं महाराष्ट्र के कई समाज सुधारकों को जानता हूं, जिन्होंने गरीबों के बच्चों को स्कूल और अस्पताल बनवाने के लिए किसानों से मुफ्त में जमीन ले ली थी। किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान के पास से जमीन कौन मांग रहा है, यह सवाल है। अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई किसान की जमीन छीनना चाहेगा तो किसान हरगिज जमीन नहीं देगा।

मैं सदन से और सरकार से भी यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी जमीन किसानों से ली गई, उसका हिसाब कोई देगा? आप एक व्हाइट पेपर निकालिये कि किस मुद्दे पर, किस नाम पर आपने जमीन किसान से ले ली, उसका यूज़ चेंज हुआ कि नहीं, उस जमीन का क्या हुआ? होली के दिन मैं गांव गया था, तब कई किसान मेरे पास आये और उन्होंने कुछ सवाल मुझसे पूछे और उन्होंने कहा कि ये सवाल आप सदन में पूछो। सांगली जिले का सूर्यवंशी नाम का एक दलित किसान मेरे पास आया। उसने कहा कि 1994 में सिंचाई के नाम पर उसकी दो एकड़ जमीन सरकार ने आधिग्रहीत की और दस साल बाद वही जमीन सरकार ने नीलामी में बेच दी। उसको उस जमीन के 65 हजार रुपये दिये और दस साल के बाद वही जमीन सरकार ने 32 लाख रुपये में बेच दी। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी

सत्ता में आई है, शिवाजी महाराज ने पुणे में सोने का हल हाथ में लेकर जमीन में चलाया था। उसी चांकन खेड़ एरिया में सात साल पहले सेज़ के नाम पर भारत फोर्ज ने सत्रह लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के दाम पर जमीन खरीदा और आज भारत सरकार को वहां एयरपोर्ट बनाना है। वहां सेज़ तो नहीं बना, लेकिन वही जमीन वह चार करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बेचने को तैयार हो गया। वहां किसानों के लिए जो पैकेज का एलान किया गया था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास एन.डी.टी.वी. की एक रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सेज़ के नाम पर जो 5,72,000 हेक्टेयर भूमि का आधिग्रहण हुआ है, उसमें से 2,55,000 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब 45% जमीन वैसी की वैसी पड़ी है। किसानों की जमीन जब आधिग्रहित होती है तो उसे सालों-साल उसके मुआवज़े के लिए दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है। फिर भी उन्हें पैसा नहीं मिलता है। इसी तरह से, अगर उनके साथ विश्वासघात होता है तो किसान जमीन क्यों देगा? कोई सवाल पूछ रहा है कि अगर भूमि आधिग्रहण नहीं होगा तो सिंचाई के प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे? मैं कहता हूं कि सिंचाई का प्रोजेक्ट करना है तो उसमें किसानों का हिस्सा रखें। बी.ओ.टी. के तहत आप सड़क बना रहे हैं। किसी निजी कंपनी को सड़क बनाने के लिए टेन्डर दे रहे हैं। उसे टॉल वसूलने के लिए परमिशन दे रहे हैं। उस टॉल में किसानों का हिस्सा रखिए। फिर किसान सड़क के लिए जमीन देगा। लेकिन, विकास के नाम पर हमारे किसानों की ज़मीनें छीनने की कोशिश की जा रही है। सरकार दलाल नहीं है, सरकार सब की है।

मैं सदन का और खासकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब चुनाव लड़ रहे थे तो सरकार के नेता ने वादा किया था कि लागत मूल्य से 50% आधिक का मुआवजा देकर हम समर्थन मूल्य देंगे। वह तो आपने नहीं दिया। फिर अगर किसानों की जमीन छीनने की कोशिश होगी तो मैं चेतावनी देता हूं कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन हम एक इंच भी जमीन नहीं देंगे।

मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला):** डिप्टी स्पीकर सर, मैं 'द राइट टू फेयर कम्पेनसेशन एण्ड ट्रांसपैरेंसी इन लैण्ड एक्वीजीशन, रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसेटलमेन्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2015' के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, जब से इन नौ महीनों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था ने चीन की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़ा है और हम अग्रणी देश बनने की ओर अग्रसर हुए हैं तो ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, इनके पेट में तब से मरोड़ें उठने शुरू हो गए कि यह जो सरकार है, यह तो नौ महीने में ही बहुत तेजी से विकास के पथ पर चल पड़ी है। इसलिए इस बिल के बहाने आज इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे 'अलादीन का चिराग़' इनके हाथ लग गया है और हम इसका उपयोग करके सरकार को घेर लेंगे। यह इनका भ्रम है। ये दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार विकास के मामले में कोई भी साहसिक कदम नहीं उठा सकती।

मैं बताना चाहता हूं कि मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं। हरियाणा प्रदेश में किसानों से 80,000 एकड़ से भी ज्यादा की बेशकीमती जमीनें छीन ली गयीं और जिन्हें वे दी गयीं, उन्हें भी सारा देश जानता है। मैंने यू.पी.ए. सेकेंड के शासन काल में वेलेंटाइन डे को एक बड़ा ही व्यंगात्मक जोक अखबार में पड़ा कि इन हरियाणा सी.एल.यू. इज मोर इंपोर्टेंट दैन आई.एल.यू., चेंज ऑफ लैंड यूज एंड आई लव यू। हरियाणा प्रदेश के अन्दर जिस तरह से किसानों के ऊपर जुल्म ढाए गए, आज वे किस तरह की बातें कर रहे हैं। नन्दीग्राम में, सिंगूर में, उत्तर प्रदेश के अन्दर मायावती जी ने जो किया, आज वे हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं। " हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता "। यू.पी.ए. शासनकाल में दस वर्षों के अन्दर 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं कीं, क्या वे इस बिल के कारण हुई थीं?

जब देश आजाद हुआ, हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 65 प्रतिशत था, लेकिन आज यह घटते-घटते 15 परसेंट पर आ गया। क्या इसके लिए भी मोदी सरकार जिम्मेदार है? तब किसानों का शोषण किसने किया? आजादी के बाद 67 वर्ष तक जितना शोषण इन लोगों ने किसानों का किया, इतना शोषण आज तक नहीं हुआ। आज इस बिल के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब मोदी जी ने वर्ष 2022

तक हिन्दुस्तान के पाँच करोड़ गरीबों, दलितों और आदिवासियों के लिए घर बनाने की बात कही है तो इनको लगने लगा है कि कुछ तो सिन्हासन वर्ष 2014 में खिसक गया और कहीं ऐसा न हो कि वर्ष 2019 आते-आते इस देश के अन्दर तुम्हारा नाम लेने वाला न हो। ...(व्यवधान) तुम गरीबों की बात कर रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो बेनकाब हो चुका है। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के रक्षा संस्थानों के लिए जो मेक इन इंडिया की बात हुई है, क्या यह आवश्यक नहीं है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, अपना जगुआर विमान बनाए, अपनी पनडुब्बियाँ बनाए? मैंने पहले भी सदन में कहा था कि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमने अमेरिका से कम्प्यूटर चिप्स की बात कही थी, लेकिन उन्होंने हमारे हाथ में अंकल चिप्स पकड़ा दिया। आज जिन संस्थानों के लिए भूमि ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** आपका समय समाप्त हो गया है। हमें इस विधेयक को पारित करना होगा। मंत्री जी सायं 5.30 बजे उत्तर देंगे। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

**श्री रत्न लाल कटारिया:** महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। मैं इनको पिछले 40 साल से जानता हूं। सर छोटू राम जी, जिन्होंने किसानों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई इनके नाना जी ने लड़ी, यह कैसे हो सकता है कि इस महान सदन के अन्दर ये कोई किसान विरोधी बात करें। मैं इनका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

**एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की):** धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के कारण हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 पारित किया गया था। जहां तक किसान का प्रश्न है, जमीन केवल उनकी आजीविका कमाने का साधन नहीं है। यह एक परिसंपत्ति है। ग्रामीण भारत में भूमि ही सब कुछ है। वहां आपकी सामाजिक स्थिति भूमि पर निर्भर करती है। किसी की वित्तीय स्वतंत्रता भूमि पर निर्भर करती है; सब कुछ भूमि पर निर्भर है। इस विधेयक के उपबंधों के द्वारा किसानों से उनकी जमीन छीनने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इससे उनके जीवनयापन के विकल्पों पर प्रभाव पड़ेगा। पहले, संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेद 31 था। इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन उस अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा छीन लिया गया है। अब, हमारे पास संपत्ति के अधिकार की गारंटी के लिए अनुच्छेद 300क है। यह संवैधानिक अधिकार है। हमारे पास अनुच्छेद 21, आजीविका का अधिकार भी है। हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शन है, हमारी बाइबिल, हमारी गीता और हमारी कुरान के समान है। संविधान के अनुसार, जीवन यापन का अधिकार सभी नागरिकों के लिए संरक्षित है।

किसानों के मामले में, इस संशोधन के द्वारा सरकार उस अधिकार को छीनना चाहती है, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है। 2013 के अधिनियम के अध्याय 2 के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन और परामर्श का उपबंध किया गया है। लेकिन अब सरकार इन दोनों उपबंधों को समाप्त करना चाहती है। इन दोनों उपबंधों की समाप्ति के उपरांत 2013 के अधिनियम का मूल उद्देश्य और भावना समाप्त हो जाएगी। यदि हम सचमुच गरीब किसानों के हित में हैं, तो सभा को सरकार द्वारा लाए गए इस संशोधन को पूरी तरह खारिज करना चाहिए।

इस संशोधन का उद्देश्य अधिनियम की धारा 101 को कमजोर करना है, जो राज्यों को अधिग्रहण के बाद पाँच वर्ष की अवधि तक भूमि के इस्तेमाल न होने की स्थिति में भूमि मालिकों को वापस करने का अधिकार देती है। इधर, प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि इस्तेमाल न किए जाने का अनुभव हमारे पास है। एक बार प्रारंभिक अधिसूचना जारी हो जाने पर भूमि पर अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है तथा भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए इसे गिरवी नहीं रख सकता; कोई भी व्यक्ति इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सकता; यहां तक कि कोई भी व्यक्ति उस भूमि पर मकान का निर्माण या दोबारा र्निमाण भी नहीं कर सकता। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक मामला है जहां अंगमाली-सबरी रेलवे लाइन बिछाने के लिए वर्ष 2000 में एक अधिसूचना जारी की गई थी। उस अधिसूचना के अनुसार, हज़ारों लोगों की ज़मीनें जब्त कर ली गई थीं और वे अपनी संपत्ति पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं हैं।

किसान अपनी मर्जी से भूमि अर्जित कर रहे हैं; बड़ी आशाओं के साथ भूमि पर कब्ज़ा कर रहे हैं और सपनों के साथ खेती कर रहे हैं। क्या सरकार अधिक अनाज चाहती है या गरीब किसानों के सपनों को कुचलना चाहती है? मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि यदि यह विधेयक पारित हो गया, तो सरकार अपनी पसंद की राष्ट्र केवल गरीब किसानों की कब्रों के ऊपर ही बना पाएगी।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री दीपेन्द्र हुड्डा - मंत्री जी सायं 5.30 बजे उत्तर देंगे। इसलिए कृपया संक्षिप्त में अपनी बात रखें।

[हिन्दी]

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को संक्षिप्त में बोलने का प्रयास करूंगा। आज मैं अपनी दल की ओर से सरकार द्वारा लाये गए इस बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो दिनों से बहुत से टी.वी. चैनलों पर और मीडिया में अलग-अलग तरह की चर्चायें चल रही हैं, यह भी बात सामने आ रही है कि शायद बातचीत चल रही है। मैं आपके माध्यम से, इस सभा के माध्यम से पूरे देश के किसानों से अपनी दल की ओर से कहना चाहता हूं कि इस बिल के मामले में हम सरकार से कोई भी समझौता करने लिए तैयार नहीं है। हम किसानों के साथ खड़े हैं। ...(व्यवधान) इस बिल की क्या पृष्ठभूमि है? मैं दो दिनों से सदन में चर्चा सुन रहा हूं। क्या कारण है कि सारे दल, सारे विपक्षी पार्टियां, जो अभी तक एक नहीं हो पायीं, इस बिल ने उन सबको एक कर दिया। क्या कारण है कि सत्ता पक्ष के दल में भी एक दरार दिखायी दे रही है? अभी राजीव शेट्टी जी बोल रहे थे। वह सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं। वह इस बिल के विरोध में बोल रहे थे। शिवसेना ने खुलकर इस बिल का विरोध किया है। क्या कारण है कि ये दरारें उत्पन्न हुईं और क्या कारण है कि पूरा विपक्ष एक हुआ? इसके पीछे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है और कानून कैसे बना, उसकी भी पृष्ठभूमि है। राजनीतिक पृष्ठभूमि यह है कि जब से यह सरकार आई है, इसकी एक छवि बनती जा रही है। पूरे देश में एक हवा बनी थी और उसके आधार पर लोग इस सरकार को यहां लेकर आए थे। उसके बाद एक छवि बनती जा रही है कि यह सरकार किसानों के विरोध में चल रही है और बड़े उद्योगपतियों, कारपोरेट घरानों के हक में चल रही है। एक के बाद एक किसानों के लिए जो फैसले आए, जब किसान की फसल मंडियों में आई तो फसल पिटी, धान पिटा, कपास पिटा, सरसों पिटा। उसके बाद जब किसान यूरिया लेने गया तो वह खुद पिटा। संशय है कि अब किसानों की भूमि के आधिकार को पीटने का काम भी यह सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है। दूसरी ओर एक वातावरण यह भी बनता जा रहा है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों, कारपोरेट को बड़ा फायदा पहुंचाना चाहती है।...(व्यवधान) बजट आया तो उसमें कारपोरेट टैक्स में कटौती की बात आई। रेलवे को प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से बढ़ाने की बात आई। वैल्थ टैक्स की बात आई। अब इस बिल के

माध्यम से एक वातावरण बन रहा है। मैं समझता हूं कि देश सर्वोपरि है। नई सरकार है। देश में इनकी सरकार कम से कम चार साल तक रहेगी। मैं समझता हूं कि ऐसा माहौल बनाकर यह प्रभावी रूप से सरकार की गाड़ी खींच पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। दिल्ली में जो हुआ, उससे आपको सबक लेना चाहिए। ...(व्यवधान) मैं आपका शुभचिंतक नहीं हूं, देश का शुभचिंतक हूं। मैं चाहता हूं कि आप प्रभावी तरीके से सरकार चलाएं। आपको लोगों ने जनादेश दिया है। देश को आगे ले जाने के लिए आपको काम करने होंगे।

जहां तक कानून की पृष्ठभूमि की बात है, जैसे बहुत से सदस्यों ने बताया, 120 साल के बाद वर्ष 2013 में इस कानून को बदला गया।

**<u>अपराह्न 5.27 बजे</u>** (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*)

120 साल पहले 1894 में ब्रितानिया सरकार इस कानून को लेकर आई थी। उसके बाद लगातार चाहे ब्रिटिश सरकार राज की बात हो, उसके बाद देश आजाद हुआ, प्रजातांत्रिक तरीके से विभिन्न सरकारें बनीं। इस कानून के आधार पर देश के विकास के नाम पर किसानों की जमीनें ली गईं। इसमें दो-तीन बार वर्ष 1962, 1967 और 1984 में अमैंडमेंट्स भी हुए, लेकिन हमेशा एक बात महसूस की गई कि यह किसानों के लिए बराबरी का कानून नहीं है।

आपके सदस्यों ने कई बार कहा कि 60 सालों से आपकी सरकार है। देश में 60 साल से हमारी सरकार नहीं है, इस देश के लोगों की सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है। उसमें से 13 साल के करीब आपकी सरकार रही है और 49 साल हमारी सरकार रही है। हम 49 साल तक सत्ता में रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं रहे, डंडे के जोर पर नहीं रहे, लोगों की मर्जी से रहे हैं, लोगों ने हमें यहां इतने साल तक रखा। आने वाले कुछ सालों के बाद आप भी यह कह पाएं, ऐसी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा, लोगों को विश्वास में रखना पड़ेगा। आपकी जो छवि बन रही है, उसके आधार पर आप इस देश में इतना लम्बा नहीं रह पाएंगे, मैं यह भी कहना चाहता हूं।

कानून एक बहुत लम्बी प्रक्रिया के बाद बदला गया। इस संसद में तकरीबन 15 घंटे उस पर बहस हुई। 65 सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया। तकरीबन साढ़े सात महीने तक स्थायी कमेटी ने इसका निरीक्षण किया। अध्यक्ष महोदया, आप स्वयं उसकी चेयरमैन थीं। स्टैंडिंग कमेटी के जितने सुझाव आए, उन्हें माना गया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय सुषमा जी भी यहां निराजमान हैं। इन्होंने भी उस बहस में हिस्सा लिया और उसका पूरा समर्थन किया। मैं उनको क्वोट नहीं करना चाहूंगा। 65 सदस्यों ने उस बहस में हिस्सा लिया था। अभी हमारा समय 10-15 मिनट बचा हुआ है। दूसरी बात, ये लोग अमेंडमेंट बहुत लेट लेकर आए हैं उस पर भी मुझे बोलना है। अमेंडमेंट पर बोलने का मौका नहीं मिला, इतनी जल्दबाजी में यह कानून बन रहा है। नौ अमेंडमेंट आज ही सुबह लेकर आए हैं। हमारे दल को उस पर विचार व्यक्त करने का मौका नहीं मिला है। मैं जल्दी से अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतनी जल्दी इसको बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पिछले 10 महीने से जो सरकार है क्या उसने कहीं इसे लागू करके देखा है? क्या देश में सोशल इम्पैक्ट की स्टडी हुई? क्या इस कानून के आधार पर आपने किसानों से उनकी स्वीकृति लेकर भूमि आधिग्रहण करने का प्रयास किया? एक जगह भी नही किया। जैसे ही इनकी सरकार बनी, 27 जून को दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई कि इस कानून में क्या बदलाव होना चाहिए। इनका से बदलाव करने का मन था, यह ठीक नहीं है। तीन मुख्य बात इस कानून में है। कन्सेंट को लेकर देश में एक कन्फ्यूजन क्रियट किया गया है। क्या किसान से यह पूछना की आपकी धरती ली जाए या नहीं ली जाए, क्या यह किसान के हक में है या नहीं है? सभी ने कहा कि यह किसान के हक में है। मगर सरकारी कामों के लिए जैसे सड़क बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, बाध्यकारी है। सेक्शन 2 का फर्स्ट क्लॉज और सेंकड क्लॉज की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कन्सेंट की जरूरत नहीं है, अगर सरकार खुद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस बनाती है, सड़क बनाती है, नहर बनाती है, पोर्ट बनाती है और एयरपोर्ट बनाती है तो किसान से सहमति की जरूरत नहीं है, यह हमारे कानून में प्रावधान था। रक्षा में भी सहमति की जरूरत नहीं है। सहमति की जरूरत दो चीजों में है, अगर सरकार प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन लेती है, वहां सहमति की जरूरत है, सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए जमीन लेती है वहां सहमति की जरूरत है।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** दीपेन्द्र जी अब खत्म कीजिए। आपने अच्छे से बोला है।

[हिन्दी]

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा**: यह कानून की आत्मा है, पहली बार इस देश में इस तरह का कानून बना। जिसमें किसान से पूछने का प्रावधान हुआ और सभी ने उसका समर्थन किया। आज आर्डिनेंस के माध्यम से बहुमत के घमंड में उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। किसान से उसका आधिकार वापस लेने का प्रयास हो रहा है। देश देख रहा है, किसान को पहली बार 120 साल के बाद अपना विचार व्यक्त करने का मौका मिला था। उसे अपना आधिकार मिला था, उसे इस तरीके से खंडित किया गया और इसे खंडित किस चीज के लिए किया जा रहा है। प्राइवेट प्रोजेक्ट और पब्लिक प्राइवेट पाटनरशिप प्रोजेक्ट के लिए किए जा रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी ने भी राज्य सभा में बहस में हिस्सा लिया था। उस बहस में यूपीए सरकार द्वारा लाए इस कानून की भूरी-भूरी प्रशंसा की थी। मगर मैं उनको क्वोट नहीं करना चाहता। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। आपने कहा था कि केवल 70 प्रतिशत कन्सेंट से काम नहीं चलेगा। मैं आपको शब्दश: उद्धृत कर रहा हूं। मंत्री जी ने राज्य सभा में हिस्सा लेते हुए एक साल पहले कहा था इसलिए, मैं यह चाहता हूं, कि यदि वे 80 प्रतिशत या 70 प्रतिशत परिवार तथा वे लोग जिनके पास 70 प्रतिशत भूमि है, ऐसी बात के लिए सहमत हो जाएं, तो यह ठीक है। उन्होंने कहा था कि केवल परिवार के साथ काम नहीं चलेगा। जिनके पास 70-80 प्रतिशत भूमि है उनकी भी सहमति लेनी चाहिए, यह भी आपने एक सुझाव दिया था। ...(व्यवधान) आप हमारी बात को दबा नहीं पाएंगे, हमारा समय भी पूरा नहीं हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आर्डिनेंस लेकर आए हैं, 120 साल के बाद सब की सहमति से कानून बदला था, संसद की पवित्रता होती है, संसद की सहमति से कानून बना था। उस बारे में अब हमें अच्छी तरह से विचार भी व्यक्त नहीं करने दिया जा रहा है। मैडम, लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा करना आपका दायित्व है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, राव इन्द्रजीत सिंह जी बैठे हैं। अभी पीछे भावल में, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरीडोर में एक लोजेस्टिक्स हब्स

बन रहा है। उसके लिए 3 हजार एकड़ जमीन एक्वायर हो रही थी। वहां के किसान आये। ...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि हमें जमीन एक्वायर नहीं करनी है। आपने सिफारिश की कि इसे एक्वायर नहीं करनी चाहिए। ...(व्यवधान) सरकार ने फैसला लिया कि उसे एक्वायर नहीं करनी चाहिए। उसके 20 किलोमीटर दूर के किसानों ने आकर कहा कि हमारी जमीन एक्वायर कीजिए। ...(व्यवधान) 20 किलोमीटर दूर के किसान इसके लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) इसमें किसान की सहमति से काम हो सकता है। ...(व्यवधान) किसान की सहमति से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। ...(व्यवधान) इस देश में किसान को विकास विरोधी बताया जा रहा है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। ...(व्यवधान) इसका एक और सैक्शन 24 (बी) है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** दीपेन्द्र जी, आप कितना समय और लेंगे? आपको कितना समय चाहिए?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा**: सैक्शन 24(2) में, अभी पूनम म्युनिसिपल कार्पोरेशन वर्सेज हरचंद लाल सोलंकी केस को कोट किया गया। यह सही कोट किया गया। सुप्रीम कोर्ट की सात जजमेंट आयी हैं, जिसमें इस कानून के आधार पर हजारों एकड़ जमीन उन किसानों को वापस दी गयी, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हुई है और पिछले पांच साल से जिस जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। हजारों एकड़ जमीन उन किसानों को वापस देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सही माना है, मगर उस क्लाज को आज यह खत्म कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जिस देश में पांच सौ केसेज सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। जहां किसान इस कानून के तहत अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं, आज इस कानून के बाद उन किसानों को जमीन वापस नहीं मिलेगी, मैं यह भी बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

इस कानून का दूसरा मूल सिद्धांत सोशल इम्पैक्ट स्टडी है। सोशल इम्पैक्ट स्टडी को पूरी तरह से ...(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सोशल इम्पैक्ट स्टडी को पूरी तरह से नकारने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि सोशल इम्पैक्ट स्टडी इस कानून का एक मूल सिद्धांत है, इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाये। जहां तक कम्पेनसैशन की बात है, तो मैं समझता हूं कि पूरे सदन के दबाव में आकर जो चार गुना और दो गुना कम्पेनसैशन मार्केट रेट के आधार पर रखने का फैसला हुआ था, वह इन्होंने मान लिया है, मगर उसे प्रदेशों पर छोड़ने की बात हो रही है। यह बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि प्रदेशों को यह आधिकार प्राप्त था, तभी हरियाणा में दिसम्बर में जो नोटीफिकेशन आया, उसमें चार गुना और दो गुना के बजाय एक गुना मार्केट रेट जितना कम्पेनसैशन देने का फैसला सरकार ने किया। ...(व्यवधान) यह नोटीफिकेशन हरियाणा सरकार का है। यह प्रदेशों पर कतई न छोड़ा जाये, ऐसी हम मांग करते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, अंत में, मैं दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक यह है कि जिन किसानों ने पिछले 60 सालों से विभिन्न सरकारों में, प्रदेश सरकारों में अपनी जमीन देकर इस देश का निर्माण करने का काम किया है, उनके लिए केन्द्र सरकार की नौकरियों में कम से कम दो प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए, ताकि उनके परिवार ...(व्यवधान) जिन्होंने इस देश को बनाने में अपनी धरती मां का बलिदान दिया, उनके लिए नौकरियों में दो प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए। ...(व्यवधान) जनता इसे देख रही है। हम आज जो बात कह रहे हैं, उसे लोग देख रहे हैं। ...(व्यवधान) आप किसान की बात को कितना सुन रहे हैं, यह भी लोग देख रहे हैं। उसके साथ-साथ मैं समझता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान) मेहनतकश जग वालों से ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** ठीक है, आप अपनी बात कम्पलीट कीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा**: मैं किसान की बात को कनक्लूड कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

हम मेहनतकश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे,
एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे,
ये पर्वत-पर्वत हीरे हैं या सागर-सागर मोती हैं,
ये सारा माल हमारा है, हम पूरा खजाना मांगेंगे।

आप किसान का हक छीनने का काम न करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खंडवा):** अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां देश में सवारधिक भूमि आधिग्रहण हुआ है। इंदिरा सागर बांध, जिसमें 280 गांवों की जमीन, 280 डूबे हैं वहां सरकार ने जमीन आधिग्रहित की। ओंकारेश्वर बांध, जिसमें 37 गांव डूबे हैं, वहां के किसानों ने राष्ट्र, प्रदेश के हित में अपनी जमीनें दीं और सरकार ने जो मुआवजा दिया, वह मुआवजा लिया। आज मेरे खंडवा लोक सभा क्षेत्र की हालत बदल चुकी है। पहले हमारे यहां के किसानों के बच्चे शहरों में मजदूरी करने जाते थे, सिक्योरिटी गार्ड बनकर काम करते थे। आज लाखों एकड़ जमीन सिंचित हुई है और वे सब लौटकर आए हैं। वे सिंचित जमीन में अपने परिवार के साथ फसल पैदा करके राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में साढ़े सात लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित होती थी। जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, प्रदेश में जमीन आधिग्रहित हुई तो किसानों ने खुशी-खुशी जमीन दी। आज मध्य प्रदेश में 30 लाख हैक्टेयर धरती सिंचित हो रही है। पंजाब और हरियाणा को भी मध्य प्रदेश ने उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, स्टेट हाईवेज़ बन रहे हैं। विकास के लिए धरती चाहिए। सूखे की धरती में एक किसान के सब बच्चे नहीं पल सकते हैं। इरीगेटिड लैंड के लिए सिचांई योजना लानी होगी। यदि सिंचाई योजना लानी है तो भूमि आधिग्रहण करना होगा तभी देश और समाज के व्यापक हित में काम आगे बढ़ेगा।...(व्यवधान)

महोदया, जिस तरह से पापुलेशन बढ़ रही है, अब धरती में सबको पालने की क्षमता नहीं रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण हमारी आंखों के सामने है। विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई और इसके पीछे कारण यह है

कि वहां इरीगेटिड लैंड नहीं है, सूखी जमीन है इसलिए विदर्भ के किसान खेती करने में घाटे में हैं। जहां इरीगेशन होता है वहां किसान की तरक्की होती है। ये उद्योगों की बात कह रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा निकाल लें, तो पता चलेगा कि अभी तक हिंदुस्तान में जितनी जमीन आधिग्रहित हुई होगी, उसमें उद्योगों के लिए ज्यादा से ज्यादा दस परसेंट या बीस परसेंट हुई होगी, ज्यादातर जमीन इरीगेशन स्कीम्स, राष्ट्रीय राजमार्गों, बिजली के कारखानों के लिए हुई है। यदि बिजली नहीं बनेगी तो किसान सिंचाई कैसे करेगा? हम किसानों के हितों की बात कहने के लिए खड़े हुए हैं। किसानों के खेतों की सिंचाई बगैर बिजली के नहीं हो सकती है, बगैर बांध के जमीन सिंचित नहीं हो सकती है। इस बिल में यह कहा गया है कि सरकार जिन किसानों की जमीन लेगी, उन्हें बाजार भाव से चार गुना ज्यादा दाम देगी। अगर किसान को चार गुना ज्यादा दाम मिलेगा तो वह खुशी से सरकार को जमीन देगा। इसमें कोर्ट में जाने का भी प्रावधान रखा गया है। यदि किसान चाहे तो वह कोर्ट में जा सकता है, कहीं रुकावट नहीं है। इन्होंने प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट एजुकेशन संस्थाओं के बारे में शंका जताई है। इसमें जमीन का आधिग्रहण नहीं किया जाएगा। रियल एस्टेट के लिए भी जमीन का आधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इतनी स्पष्टता के साथ बिल में सारी बातें रखी गई हैं। ये किसानों का नाम ले रहे हैं लेकिन किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि यहां कोई है तो उधर बैठे हुए लोग हैं। ...(व्यवधान) ये नहीं चाहते हैं कि यहां नॉन इरीगेटिड लैंड सिंचित हों, किसानों के दरवाजे पर खुशहाली पहुंचे। ...(व्यवधान) किसान इरीगेटिड लैंड के भरोसे बहु फसलें उगा सके, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, कमर्शियल क्राप उगा सके, यदि यह सब किसान को चाहिए तो उसकी धरती को पानी चाहिए। धरती को पानी चाहिए तो सिंचाई योजनाओं के लिए जमीन भी चाहिए। यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप नहीं होगा तो दुनिया की दौड़ में हिंदुस्तान पिछड़ जाएगा।

महोदया, आज हम चीन से बराबरी की बात कह रहे हैं। क्या चीन से बराबरी ऐसे होगी? यदि हम चीन के बराबर खड़ा होना चाहते हैं तो राष्ट्र हित में रोड बनाने होंगे, रेलवे लाइनें बनानी होंगी, कारखाने भी खड़े करने होंगे। जो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, जिन प्रौजेक्ट के लिए जमीन ली जाएगी, यदि वहां का किसान भूमिहीन हो रहा है तो बिल में क्लॉज है उसके परिवार के एक व्यक्ति को उस प्रौजेक्ट में नौकरी दी जाएगी। यह किसानों के लिए सबसे

बड़ा बेनिफिट है। आज यह जो बिल आया है, यह राष्ट्र के विकास का बिल है, यह राष्ट्र का रोड मैप तय करने वाला बिल है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और यहाँ पर इस बिल को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, इससे किसका लाभ होगा और किसका नुकसान होगा? यदि सबसे आधिक नुकसान होगा, तो वह देश का नुकसान होगा और जिन किसानों की बात ये कह रहे हैं, उनका नुकसान होगा। आज निमाड़ में जितनी संपन्नता आयी है, उसके पीछे कारण यह है कि वहां पर किसानों की जो जमीनें ली गई हैं और जो इरिगेशन स्कीम्स बनें, मध्य प्रदेश में पहले साढ़े सात लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, आज वहां 30 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है और कहीं से भी किसानों ने जमीन देने में विरोध नहीं किया। आज इस तरीके से इस बिल को लेकर यहाँ पर जो राजनीति हो रही है, वह राष्ट्र के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। यहाँ आज हम सब बैठे हैं, देश को दुनिया की एक ताकत बनाने का संकल्प लेकर बैठे हैं, दुनिया की एक शक्ति बनाने का संकल्प लेकर बैठे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजली के लिए, रेलवे के लिए जमीन जरूरी है और भरपूर पैसे देकर सरकार जमीन लेने का बिल लायी है, मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह):** माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने भी नौ संशोधन प्रस्तुत किए हैं। यह इसलिए कि अब मुझे जवाब देना है और अधिकांश सदस्यों ने उन संशोधनों पर पहले ही बोल दिया है; लेकिन औपचारिक रूप से यदि मुझे इन्हें प्रस्तावित करना हो, तो मैं अभी इन्हें प्रस्तावित कर सकता हूं और उसके बाद अपना जवाब दे सकता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** आप पहले अपनी बात रखेंगे।

...(व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना):** महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**माननीय अध्यक्षा:** यह क्या है?

...(व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया:** यह नियम 79 के अंतर्गत है – खंड में संशोधन की सूचना...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** वे तो रिप्लाई दे रहे हैं। मैं उनको वही बता रही हूं कि आपको पहले उत्तर देना होगा।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपको पहले रिप्लाई देना है, फिर आपको मूव करना है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष**: उन्होंने उत्तर की माँग की थी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपको पहले उनका उत्तर देना होगा।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वे रिप्लाई दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** सांसद महोदय, हिन्दी या अंग्रेजी में बोलने की बात नहीं है। आप चाहते हैं तो मैं हिंदुस्तानी में बोलूंगा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया दोनों तरफ शांति रखिए, आठ घंटे अच्छी चर्चा हुई है। अब मंत्री जी को रिप्लाई करने दीजिए। आपस में क्रास बातचीत मत कीजिएगा।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** महोदया, भूमि आधिग्रहण बिल वर्ष 2013 में यू.पी.ए. सरकार ने पास किया था। उसके बाद हम 31 दिसम्बर, 2014 को आर्डिनेंस के माध्यम से उसमें कुछ अमेंडमेंड्स करके लाए थे और जब सत्र शुरू हुआ तो उन्हें ज्यों का त्यों सदन के सभा पटल पर रखना उचित समझा। आज इस बिल पर हो रही चर्चा में तीन दर्जन से ज्यादा सदस्यों ने भाग लिया। इस चर्चा में उत्तेजना भी थी, तर्क भी था और कई बातें ऐसी भी कही गईं, जो हमारे ध्यान में भी आईं तथा हमारे साथियों ने भी आपसे बहुत-सी बातें कहीं जो आपके भी ध्यान में आने योग्य थीं।

महोदया, मैं अपनी बात इस प्रकार से शुरू करता हूं कि आज जो पार्टी सबसे ज्यादा हंगामा इस बिल के संशोधनों के बारे में कर रही है, जैसा हमारे साथियों ने कहा कि 67 साल की स्वतंत्रता के इतिहास में अगर पांच दशक से ज्यादा कोई शासक दल के रूप में कोई राजनीतिक दल रहा है, तो मेरे सामने बैठे साथी हैं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वेणुगोपाल जी, कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** महोदया, यही तो विडम्बना है कि आप में सही बात को सही कहने की हिम्मत नहीं है। गुलामी की बात को आप पसंद करते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

महोदया, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज किसान की वकालत करने वाले लोग पचास साल से सत्ता में बैठे थे। वर्ष 1972 के अंदर एक प्रस्ताव आया और उसमें यह कहा गया कि किसान की अपर लैंड

सीलिंग निधाररित की जाए। दिमाग में यह था कि देश में हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे किसान हैं जिनको फ्यूडल का नाम दिया गया कि इनके पास हजारों एकड़ जमीन है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने पहला चुनाव वर्ष 1972 में लड़ा था। शायद सदन में बहुत कम लोग होंगे जो वर्ष 1972 में चुनाव लड़े होंगे। खड़गे जी की बात मैं कह नहीं सकता, लेकिन अन्य सदस्यों के बारे में मैं यह बात कह सकता हूं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन दिनों शिरोमणि अकाली दल ने एक प्रस्ताव पास किया था और उस प्रस्ताव का आभिप्राय यह था कि अगर किसान के लिए अपर लैंड सीलिंग तय करते हैं तो मेहरबानी करके लोअर लैंड सीलिंग भी फिक्स करो, ताकि जिस जमीन पर वह मेहनत करता है उसकी मेहनत व्यर्थ न जाए और खेती उसके लिए घाटे का सौदा न हो। घाटे का सौदा बनने के बाद खेती के लिए किसान के मन में निराशा आएगी और वह गरीबी से नहीं निकल पाएगा। आपने और हमारे सदस्यों ने भी कहा कि आजादी प्राप्त करने के बाद जब पहला बजट आया था, तो उसमें 52 प्रतिशत से ज्यादा जीडीपी का शेयर कृषि पर आधारित था और आज हालत यह हो गई कि 52 परसेंट की बात छोड़िए 15 परसेंट से भी नीचे आ गया है। उस समय हम कहते थे कि 70 से 75 प्रतिशत लोगों के हाथ कृषि करते हैं, वे प्रतिशत आज 60 हो गया है। अगर आप इन बातों पर सोचेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कृषि का जी.डी.पी. 15 परसेंट आता है तो कृषि पर जो हाथ आधारित थे, वे भी 25 प्रतिशत आने चाहिए थे। यह विडम्बना है, लेकिन आपने यह कभी नहीं सोचा। आपने दो साल पहले कम्पनीज एक्ट पास किया। क्या आपने कभी यह सोचा कि हजारों एकड़ जमीन कारपोरेट कंपनी के नाम से खरीदी जाती है, कई जगह एक्वायर भी की गयी। आपने एसईजेड का जिक्र किया कि एसईजेड की जमीन का क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने इस बात का विरोध किया कि किसान की साढ़े 18 एकड़ जमीन पर सीलिंग लगा दो और उद्योगपतियों को आप दो हजार एकड़ जमीन दीजिए और उसका कोई हिसाब भी न हो।...(व्यवधान) आप सुनिए। सिंधिया जी, मैं आपको ही कह रहा हूं, आप कह रहे थे कि इस अमेंडमेंट ने इस एक्ट की आत्मा निकाल दी। आत्मा निकालने का काम आपने किया था, हम इसमें आत्मा डाल रहे हैं।...(व्यवधान) सुनिए, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपकी आत्मा की कांसेप्ट जानता हूं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस करके बोलिए।

...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह**: नहीं मैडम, मैं जवाब देता हूं। मैं किसी से घबराकर जवाब नहीं देता, सही जवाब दूंगा। मैं किसान का बेटा हूं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह**: बैठिए, आपको एक-एक चीज का जवाब मिलेगा।...(व्यवधान) हां, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और अब सुनने को तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया बैठ जाएं। यह क्या है?

*...(व्यवधान)...* [6*]

**माननीय अध्यक्ष:** ये दोनों तरफ से क्या हो रहा है? अनुराग जी, प्लीज बैठिए। आप सभी लोग बैठिए। पीछे आप लोग क्यों खड़े हैं?

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी सक्षम हैं, आप सब लोग सुनिए। मंत्री जी सक्षम हैं। कोई खड़ा नहीं होगा। प्लीज, आप सभी लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** प्लीज, शांति से बात सुनिए। सिंधिया जी, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

[6*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी जो कहेंगे उसके अलावा कोई बात कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)...* [7*]

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** यह क्या हो रहा है? मैं बोल रही हूं। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह**: ये लोग ऐसे मेरी तरफ उंगली नहीं कर सकते।...(व्यवधान) इस तरह अपनी उंगली मत दिखाएँ। मैं सहन नहीं करूँगा। *...(व्यवधान)* यही तरीका है इनका।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप लोग बैठ जाइए।

**शहरी विकास मंत्री**, **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (**श्री एम**. वैंकैय्या नायडू):** मैडम, वे लोग उंगली दिखा रहे हैं, यह अच्छा नहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी जो कहेंगे उसके अलावा कोई बात कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)...* *

[हिन्दी]

---

[7*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**माननीय अध्यक्ष:** इस तरीके से नहीं होता है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री एम. वेंकैया नायडू:** कृपया इस तरह के इशारे न करें। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** यह क्या हो रहा है? आप लोग शान्ति से बैठिए। समझदारी दिखाइए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** चुप रहिए। मैं देखूंगी। प्लीज, आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी जो कहेंगे उसके अलावा कोई बात कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...(व्यवधान)... [8*]

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** प्लीज बैठिए। इतना गुस्सा नहीं करते। मैं बता रही हूं। प्लीज बैठिए।

---

[8*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

**सायं 6.00 बजे**

**माननीय अध्यक्ष**: मंत्री जी आप चेयर को सम्बोधित करते हुए विषय से संदर्भित जितनी बात है, उतनी बात कहें।

[अनुवाद]

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** मैं केवल अध्यक्षपीठ को संबोधित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष**: आप भी गुस्सा न करें। आप तो समझदार हैं। जी, शांत हो जाइये।

...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह**: मैडम, अभी यह एक आम धारणा बनी कि जो संशोधन लाए गए हैं, वे विपक्ष को भी पसंद नहीं, कई साथियों ने ऐसा कहा। कइयों ने कहा कि हमारे साथियों को भी पसंद नहीं और कुछ ने यह कहा कि प्रेस को भी पसंद नहीं। मैं आज के "इंडियन एक्सप्रेस" में और अन्य अखबारों में जो छपा है, वह बताना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रयास की प्रशंसा की है कि ऐसी व्यवस्था में...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष**: आप चेयर को सम्बोधित करके अपना भाषण रिकार्ड करवाएं।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह**: भाषण तो तब दूंगा, जब ये मुझे डिस्टर्ब करना बंद करेंगे, वरना मैं कैसे दूंगा।...(व्यवधान) मैं आपसे नहीं डर सकता...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष**: अधीर रंजन जी, आप बैठ जाएं। आप लोगों ने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** महोदया, आज के द *इंडियन एक्सप्रेस* में एक लेख छपा है जिसका शीर्षक है, "किसकी जमीन? भूमि अधिग्रहण पर नागरिकों के लिए मार्गदर्शिका" लेखक संजय चक्रवर्ती द्वारा। इसमें उल्लेख है:

जहां तक हमें ज्ञात है, हर देश में भूमि अधिग्रहण का कोई न कोई कानून या प्रक्रिया होती है। इसका औचित्य यह होता है कि सार्वजनिक हित को निजी स्वार्थों पर प्राथमिकता दी जाए... "

**श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया:** महोदया, वे एक समाचार पत्र का हवाला क्यों दे रहे हैं?

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष**: बोलकर कोट कर रहे हैं। सबने बोलकर कोट किया है, आपने भी अपने भाषण में कोट किया है। अब आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री एम. वेंकैया नायडू:** वे उद्धृत कर सकते हैं...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** महोदया, इसमें लिखा है:

> "जहां तक हमें ज्ञात है, प्रत्येक देश में भूमि अधिग्रहण का कोई न कोई कानून या प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित को निजी स्वार्थों पर प्राथमिकता देना होता है, ताकि 'अनिच्छुक विक्रेता' सार्वजनिक कल्याण की रचना में बाधा न डाल सकें। भारत में इसके अलावा दो अन्य कारण भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला, भारत में भूमि बहुत टुकड़ों में बंटी हुई है (औसत भूमि का आकार लगभग तीन एकड़ है, जबकि यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों एकड़ होता है)। इसके परिणामस्वरूप, बड़े परियोजनाओं में हजारों भूमि मालिक शामिल हो सकते हैं, और प्रत्येक से व्यक्तिगत बातचीत करना बहुत मुश्किल, अगर असंभव नहीं, हो जाता है।दूसरा, इनमें से कई भूमि मालिकों के पास अपनी जमीन का स्पष्ट स्वामित्व (टाइटल) नहीं होता, जिसका मतलब है कि बाद में मुकदमेबाजी और विवाद हो सकते हैं। भारत का भूमि अधिग्रहण कानून दोनों समस्याओं का समाधान करता है: भूमि के टुकड़ों में बंटवारे और अस्पष्ट स्वामित्व।"

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री महोदय, कृपया एक मिनट रुकें।

माननीय सदस्यगण, यह बिल पास होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाता है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** हम विधेयक पारित करेंगे।

जी, मंत्री महोदय, कृपया अपना वक्तव्य जारी रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी के जवाब के समय कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

[अनुवाद]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। अब, सायं के 6 बज चुके हैं। सभा की कार्यवाही बिना समय बढ़ाए जारी है। आपको सबसे पहले सदन की अनुमति लेनी होगी...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष**: मैंने अभी कहा है कि इस बिल के पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है। आप इतना शोर करते हैं कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसलिए कृपया शांत होकर बैठें।

[अनुवाद]

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** माननीय अध्यक्ष महोदया, श्री सत्पथी जी ने एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया जिसे पूरे सभा के ध्यान में लाया जाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि गत अनेक वर्षों में हमारे देश के

विभिन्न राज्यों में लगभग सात लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उसमें से, इसमें 65,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हरियाणा में किया गया है। ...(व्यवधान) आप एक ही वक्त में दो विरोधाभासी बातें नहीं कर सकते। यही मैं कहना चाहता हूं।

महोदया, कभी-कभी केवल किसानों का समर्थन पाने के लिए *भट्टा परसौल* मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। लेकिन जब हरियाणा में किसानों का शोषण हो रहा है और 65,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा रही है, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। इस प्रकार की राजनीति से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेंगे।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** आप लोग बैठ जाइए। वेणुगोपाल जी, हर बात में खड़ा होना ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** 65,000 एकड़ में से लगभग 24,000 एकड़ भूमि निजी स्वामियों को आबंटित की गई है। यही वर्तमान स्थिति है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है कि आप खड़े हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** ऐसा नहीं होता है कि आप डिक्टेट करेंगे। जब आपने भाषण दिया था तो आपको पूरा समय दिया गया था। मंत्री जी तथागत जी के भाषण का जवाब दे रहे हैं। यही होता है और हर चीज पर खड़ा नहीं हुआ जाता है। आप थोड़ा तो समझिए। कोई भी माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलेगा, जब तक मंत्री जी का भाषण समाप्त नहीं हो जाता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** पूरे देश की तुलना में हरियाणा का भूभाग 2 प्रतिशत से भी कम है। तत्कालीन सरकार 6 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर रही थी। यह क्या है? ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप सुनने की क्षमता रखिए, अभी आपको बहुत समय सदन में बिताना है।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं। मुझे पता है कि हरियाणा में क्या हुआ था। लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान, मैं कोई भी ऐसा विषय या गलती उजागर करना नहीं चाहता जो उनके खिलाफ हो।

एक बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। यह सांविधिक संकल्प लाने वाले सी.पी.आई. पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा कि इस अध्यादेश को लाने में बहुत देरी हुई।

महोदया, यह अधिनियम वर्ष 2013 में लागू हुआ। यह 1 जनवरी, 2014 से प्रभावी हो गया और फरवरी 2014 में, यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान, एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। अधिकांश सुझाव यह थे कि वर्तमान में लागू अधिनियम पर गहन विचार-विमर्श और पुनर्विचार की आवश्यकता है तथा इसे बड़े पैमाने पर संशोधित किया जाना चाहिए। तब माननीय श्री गडकरी ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी थे। 27 जून को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 32 ने भाग लिया। उन 32 राज्यों के सैक्रेटरीज़ ने और रैवेन्यु मिनिस्टर ने जो-जो कहा, अगर मैं उसे बताऊं तो हमारे साथी और मुलायम सिंह जी के भतीजे बहुत खुश होकर बोल रहे थे, कि हमने बहुत स्मूथ किया है। मैं सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं, कि जब उन्होंने उस एक्सप्रेस हाईवे के लिए 3600 एकड़ भूमि अधिग्रहण की बात कही थी, तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही 31 दिसंबर को शुरू हुई थी और 31 दिसंबर को ही समाप्त हुई थी। इसी प्रकार यह किया गया।...(व्यवधान) किसानों का दम भरने वाले लोगों से मैं यह कहता हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मेरे

दादाजी के बारे में चार बार उल्लेख किया गया था कि वे एक *किसान* नेता थे और बीरेन्द्र सिंह किसानों के हित के खिलाफ होने वाली किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह मेरी प्रतिबद्धता है।

महोदया, एक बात और वो कहते थे ए भोले किसान, दो बात मेरी मान ले, एक बोलना ले सीख, एक दुश्मन को पहचान ले। उन्हें अभी भी यह पहचानना बाकी है, कि *किसान* बिरादरी का दुश्मन कौन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 27 जून की मीटिंग में उत्तर प्रदेश सरकार कहती है, कि कंसेन्ट का क्लाज अच्छा नहीं है, खत्म कर दो।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया ध्यान दें, वह अभी अपना वक्तव्य समाप्त नहीं कर रहे हैं। कृपया उन्हें अवसर प्रदान किया जाए।

[हिन्दी]

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह**: और जब भट्टा पारसौल के लोगों ने यह कहा कि हमारे यहां जमीन का चार गुणा मुआवजा देंगे और जब उन्हें यह पता लगा कि रीसैटलमैन्ट और रीहैबिलिटेशन के लिए कुछ नहीं हो रहा है, [अनुवाद] अब वे हमारे पास आकर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भूमि का अधिग्रहण किया गया, वह सरकार द्वारा एक धोखाधड़ी थी, और वे अपने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहते। यही वास्तविक स्थिति है।

[हिन्दी]

यह दीपेन्द्र नौजवान है और मैं यह चाहता हूं कि जो मैं कहूं, वह यह कम से कम सुन ले, बाकी अमल करना या न करना तुम्हारी मर्जी है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** नहीं, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल मंत्री जी का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)[9*]

**माननीय अध्यक्ष:** यह क्या हो रहा है? आपने यही चलाना है या बिल पास कराना है?

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** रियाणा से एक मजबूत नौकरशाहों का प्रतिनिधिमंडल उस बैठक में मौजूद था। वे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री की ओर से हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि 'सहमति' संबंधी प्रावधान और 'सामाजिक प्रभाव आकलन' संबंधी प्रावधान यथावत् रहे, तो हम एक इंच भूमि का भी अधिग्रहण नहीं कर पाएंगे। ...(व्यवधान) यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित है। "पी.पी.पी. परियोजनाओं के तहत, भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होता है। इसलिए, सहमति की आवश्यकता को समाप्त किया जाना चाहिए।" ये बात हरियाणा सरकार ने कही है।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** मुख्यमंत्री ने उनको खारिज कर दिया। मुद्दा क्या है? यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** मैं किसान का एक पक्ष और रखना चाहता हूं, उसको आप भी सोचें और हम भी सोचें...(व्यवधान) पप्पू साहब, आप मुझे बोलने दीजिए, अब आप पप्पू नहीं हो लट्टू हो।...(व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** महोदया, मंत्री जी को यह बात कहना शोभा नहीं देता, वह एक माननीय सदस्य के बारे में ऐसा कह रहे हैं।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** वह मेरे मित्र हैं। आप तो अपनी आत्मा की बात करो, आपके पास और कुछ नहीं है।...(व्यवधान) मैं आपसे ही बात करूंगा, मैं दूसरी तरफ नज़र उठाऊंगा ही नहीं। ...(व्यवधान) मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग आज किसान की वकालत करते हैं, कहते हैं कि उनकी जो भूमि है, उसके लिए हम कुर्बान हो जाएंगे, टच नहीं होने देंगे, इन्होंने एक मिथ्या प्रचार किया है कि बीजेपी की यह सरकार ऐसा

[9*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कानून ले कर आ रही है कि इसके आते ही सब जमीनें एक्वायर हो जाएंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कब तक किसान को इस कदर रखोगे? आज मेरे किसान को रोज़गार की तलाश है। उसकी बहुत सी जमीनें, मैं यह कह सकता हूं कि 70 प्रतिशत से आधिक किसान ऐसे हैं, जिनकी लैण्ड होल्डिंग आधा एकड़, पौना एकड़, एक एकड़, सवा एकड़ तक सीमित है और उसकी हालत यह है कि वह कहीं भी जाता है, तो कहता है कि मेरे बेटे को चपरासी लगवा दो, मेरे बेटे को कंडक्टर लगवा दो, मेरे बेटे को ड्राईवर लगवा दो, मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती करवा दो। सेनाओं की रक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा हम करें, लॉ एण्ड ऑर्डर को हम मेंटेन कर के रखें और जिस तरह से ये कौमा फ्लैज करते हैं कि किसान को इससे आगे मत बढ़ने दो, हमने इसमें प्रोविजन किया है कि किसान को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उसको भी वह आधिकार है। आप उनको आने वाले समय में इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं कि उनकी जमीनें अगर रहेंगी तो वे खुशहाल रहेंगे। आपने कहां खुशहाली छोड़ी है? आपने कॉरपोरेट सैक्टर को तो सब कुछ दे दिया है। कहा कि आपका कंपनी लॉ ठीक है। आपने कंपनी एक्ट में यह कहा है। यह प्रस्ताव आया है। ...(व्यवधान) आपने कंपनी एक्ट में यह कहा है कि किसी उद्योगपति को, किसी कॉरपोरेट को, किसी कंपनी को उसके शेयर तक की लाएबिलिटी तो है और किसान के बारे में जब बात आई, तो 50 साल राज़ करने के बाद भी इनको यह महसूस नहीं हुआ कि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्यों उसके लिए सारी लाएबिलिटी और कॉरपोरेट के लिए उनके शेयर तक लाएबिलिटी महफूज़ रखे? इस किस्म की व्यवस्था अगर रहेगी तो किसान क्या करेगा? एक माननीय सदस्य ने कहा, जब मैं बी. ए. में पढ़ता था तो मैंने भी अंग्रेज़ी में वह पोयम पढ़ी थी 'कुदाल वाला आदमी' वह यह कहती है कि इसको इतना मत सताओ, इसको इतना मजबूर न करो कि वह जिस दिन उठ खड़ा हुआ तो कोई उसको फिर आगे रोकने वाला नहीं मिलेगा। 50 साल के शासन में ...(व्यवधान) मैं कांग्रेस को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। ...(व्यवधान) 50 साल के शासन में इन्होंने किसान को ऐसा कर के रखा कि इनको टुकड़े तो डालते रहो, ताकि ये मरे न, लेकिन इनको आगे बढ़ने का मौका मत दो। यह इनकी नीति रही है। ...(व्यवधान) ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** केवल मंत्री जी का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** सौगत राय जी, बैठ जाइए। [अनुवाद] उन्होंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** हाँ मंत्री जी, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** मैं जो कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि वे मेरी विवेकपूर्ण आवाज सुनेंगे।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** केवल वही बातें कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित होंगी जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** यह मेरी समस्या है क्योंकि मैं उनके तरीके से बात नहीं कर सकता...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया इस अधिनियम के पारित होने के बाद स्वाभाविक रूप से राज्य सरकारों को नियम बनाने थे और मुआवजे का प्रावधान भी करना था, जो शहर या कस्बे से किसी विशेष इलाके की लंबाई या दूरी के अनुसार निर्धारित किया जाना था। 14 महीने से अधिक पुराने इस अधिनियम के बाद अब तक केवल छह राज्यों ने मुआवजे के निर्धारण के लिए या तो नियम बनाए हैं या कुछ निश्चित माप निर्धारित किए हैं। एक राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां अधिसूचना 20.11.2014 को जारी की गई थी। हरियाणा ने इसे 4.12.2014 को जारी किया। महाराष्ट्र द्वारा इसे 13.07.2014 को जारी किया गया था। मध्य प्रदेश ने इसे 29.09.2014 को जारी किया। तेलंगाना ने इसे 20.12.2014 को जारी किया। कई राज्यों ने तो इसकी सूचना भी नहीं दी। बल्कि कोई नियम भी नहीं बनाए।

ऐसे में कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। जब हम मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के रूप में निर्णय लेते हैं, तो हमारी दृष्टि और जिम्मेदारी व्यापक होती है। इसलिए, जिन लोगों की भूमिका उस समय नीति निर्धारण में नहीं थी, उनकी यह राय थी कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। हमने उनकी इस चिंता के साथ-साथ अन्य समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार किया। जैसा कि मैंने कहा, पिछले छह महीनों में – मेरे पास जुलाई तक के पिछले छह महीनों का डेटा है – कोई अधिग्रहण नहीं किया गया क्योंकि कोई नियम नहीं थे। अगर हमें प्रगति करनी है, तो नियत तथ्यों के लिए हमें कुछ करना होगा।

जब हम अवसंरचना की बात करते हैं, तो कुछ लोग तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यह केवल निजी परियोजनाओं के लिए है। जबकि वास्तव में, अवसंरचना का अर्थ केवल निजी कार्य नहीं होता। इसमें सिंचाई, सड़कों जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी शामिल होती हैं।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कौन सी सड़क कितने दिन में बनेगी, यह आज के दिन आप बताएं, आपने 15 साल दिल्ली में राज किया, साफ हो गए, कहीं नजर ही नहीं आते, आप 9 परसेंट वोट पर आकर रूक गए।...(व्यवधान) हमें अपने दृष्टिकोण में उदारता रखनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सदस्यों द्वारा जो कुछ ऐतराज उठाए गए, उनको लेकर मैं यह कहना चाहता हूं, कि हमने शुरू में वर्ष 2013 के एक्ट में आठ अमेंडमेंट्स रखीं और उनमें से चार पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। चार में ऐसा था, जैसे कहा गया, कि आपने इंडस्ट्रियल कोरीडोर को परिभाषित नहीं किया है। हमने इसमें दूसरी अमेंडमेंट जो आज पेश की है, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा, कि इसमें इंडस्ट्रियल कोरीडोर में एक्वीजिशन भी सरकार की तरफ से होगी या सरकार की कोई एजेंसी, कोई कॉरपोरेशन या कोई स्टेच्युट्री बॉडी या कोई बोर्ड करेगा और उसका एक-एक किलोमीटर दूरी तक ही उसको इंडस्ट्रियल कोरीडोर माना जाएगा। यह नहीं है कि उसको अंदर तक ले जाकर भी कहें, कि यह भी इंडस्ट्रियल कोरीडोर है।...(व्यवधान) महोदय, एक तो यह है और इस पर बहुत से साथियों ने अपनी सहमति भी जताई है। ...(व्यवधान)

दूसरा, जैसे प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि मुझे खुशी है कि निजी अस्पतालों और निजी शिक्षण संस्थानों से संबंधित खंड को हटा दिया गया है। इसी तरीके का एक अमैंडमैंट हम लेकर आए हैं। मैं सदन में यह बात भी रखना चाहता हूं, कि कोई भी एक्वीज़ीशन इसलिए नहीं होगा, कि हम किसी प्राइवेट आदमी को दे रहे हैं। सारी जितनी भी एक्वीज़ीशन है, वह सरकारी तौर पर हैं, सरकार का उससे ताल्लुक है। मैं सिंधिया जी को यह भी कहना चाहूंगा, ये मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, यदि इनको कोई अच्छा सुझाव याद आए, या दिमाग में आए, या किसी से पूछ लो, तो वह मुझे बता देना, उसको भी कर लेंगे। ...(व्यवधान) हम यह करेंगे। ...(व्यवधान) यह हल्के स्वर में है। नाराज मत होना। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप सुझाव तो दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** दूसरी बात यह है कि हमने जो पाँच चीज़ों को इनक्लूड किया है, उसमें डिफैन्स के लिए था, नेशनल सिक्यूरिटी के लिए था, हाउसेज़ फॉर पूअर थे, अफोर्डेबल हाउसेज़ थे, इनफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलैक्ट्रिफिकेशन, इनफ्रास्ट्रक्चर फॉर रोड्ज़ भी था। ...(व्यवधान) एक चीज़ जो उसमें थी, वह इनफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इनफ्रास्ट्रक्चर जो था, उसमें से 'सोशल इनफ्रास्ट्रक्चर' को हमने निकाल दिया है, यह सोचकर कि यह

न समझा जाए कि सोशल में फिर वही प्राइवेट हास्पिटल या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्याूशन आ सकते हैं। आज किसान के मन में यह बात गई है। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं यहाँ मिनिस्टर हूं, मुझे उनकी मानस का पता है। वह कंपनसेशन की बात नहीं है। उनके मन में जो एक बात थी कि हमारे हितों को किसी दूसरे के पास गिरवी न रखा जाए, वह हमारी सरकार ने करके दिया है और आज उनको यह संदेश गया है। ...(व्यवधान)

हमने यह प्रावधान रखा था कि जो जमीन पाँच साल के बाद जिस काम के लिए रखी गई है, उस पर यदि काम नहीं होता तो उसको वापस किसान को दे दिया जाए।

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया**: वह हमने रखा था, आपने नहीं रखा था। ...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** अभी तो आप कह रहे थे कि मैं वहां था। तो मैंने रखा था, आपने नहीं रखा था, वह मेरा सुझाव था। ...(व्यवधान)

सैक्शन 24 में यह प्रावधान लाना ज़रूरी था कि अगर किसी कोर्ट के स्टे-आर्डर की वजह से या इंजंक्शन की वजह से अगर पाँच साल का पीरियड, सपोज़ 10 साल हो गए और प्रोजैक्ट शुरू नहीं हुआ तो उसमें छः साल इस बात के बीत गए कि कोर्ट से स्टे था, तो वह प्रोजैक्ट शुरू हो ही नहीं सकता था। इस सिचुएशन से निकलने के लिए यह तय किया गया कि अगर पाँच साल लिटिगेशन है तो बेशक कोर्ट में हो, लेकिन उसमें स्टे और इंजंक्शन नहीं है, तो पाँच साल कम्यूट होंगे और पाँच साल गिने जाएँगे। अदरवाइज़ अगर लंबा समय है तो उसमें से अगर वह समय निकाल दिया जाए और फिर पाँच साल बचते हैं तो वह जमीन वापस होगी, यह पुराने एक्ट के तहत मैं कह रहा हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, इसी के तहत एक अकाउंट की बात कही गई थी, कि कुछ ट्रिब्यूनल के केसेज़ हैं, उनमें यदि किसी खाते में धनराशि जमा की हुई है, तो हमने यह बदला है। हमने कहा कि अकाउंट जो होगा वह डैज़िग्नेटेड अकाउंट होगा, इसको इस उद्देश्य के लिए बनाए रखा गया है। यदि खाता विशेष रूप से उसी उद्देश्य के लिए नामित और संचालित किया गया है, तो उसमें जमा की गई राशि को मुआवजा दिया गया माना जाएगा।

हमने यह प्रावधान किया है। इसके साथ-साथ एक नया सैक्शन आज के बिल में हमने डाला है, वह सैक्शन 6(ए) है। इसमें यह था कि व्याख्या तो रिहैबिलिटेशन और रीसैटिलमेंट की थी, लेकिन उसमें जो इफैक्टिड फैमिलीज़ थीं, उनको और प्रीसाइज़ करने के लिए, ताकि इफैक्टिड फैमिलाज़ को दिक्कत न हो, मैं पढ़कर सुना देता हूं:

[अनुवाद]

> "मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) और खण्ड (ज) में 'प्रभावित परिवार' शब्दों के पश्चात 'जिसमें ऐसे प्रभावित परिवारों के कम से कम एक कृषि मज़दूर सदस्य को अनिवार्य रूप से रोजगार दिया जाना शामिल होगा।' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।"

[हिन्दी]

ताकि उस गरीब का जो बच्चा खेत में काम करता था, उसकी नौकरी पक्की हो। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):** क्या वे कोई संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री एम. वेंकैया नायडू:** यह किसने कहा? उन्होंने कहा कि वे केवल इसे पढ़ेंगे। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** अभी वह स्टेज आएगी, लेकिन बात नहीं कर सकते क्या?

**एक माननीय सदस्य**: वही तो पढ़कर सुनाया है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अभी तो वे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में मूव करेंगे। अभी वे मूव कहां कर रहे हैं? बात भी नहीं कर सकते क्या? अभी वे मूव नहीं कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। प्लीज़, बैठिये।

[अनुवाद]

**श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया:** महोदया, यदि वे संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते क्या? [अनुवाद] वे कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

**श्री एम. वेंकैया नायडू:** महोदया, ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। जब आप कोई संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हों, [अनुवाद] हम एक एमेंडमेंट लाने वाले हैं, ऐसा बताने में कोई आपत्ति नहीं है, इतना क्रूशियल और कॉमनसेंस का पाइंट है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वे बोल सकते हैं। यह भी कोई बात है?

...(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** महोदया, संशोधन प्रस्तुत किए बिना वे इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? उन्हें संशोधन प्रस्तुत करना होगा और फिर उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। ...(व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया:** यह उचित नहीं है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वे यह कह रहे हैं, कि वे इसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वह तो हो सकता है।

*...(व्यवधान)*

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** वास्तव में, यह पहले से ही अधिसूचना में दिया गया है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** आप थोड़ा हम पर भी विश्वास रखिये।

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह**: जो नोटिफिकेशन में है, उसको जो चेंज करने की बात है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** जो शामिल नहीं किया गया है, उसके बारे में वे कैसे बात कर सकते हैं?

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** इसकी जानकारी आपको कार्यसूची और उपलब्ध दस्तावेज़ों से मिल जाएगी।

मैडम स्पीकर, एक हमने जो प्रावधान , वह सैक्शन 101 में है और उसमें जो 5 ईयर वर्ड है, उसको 'पांच साल या परियोजना की अवधि' किया है, लेकिन परियोजना की अवधि उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित नहीं की जाएगी, जो परियोजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है। इसे प्रस्तुत किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। [हिन्दी] क्योंकि, कुछ ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं, जिनमें यह सम्भव हो ही नहीं सकता कि पांच साल में उसको खत्म करने की कोई बात हो, क्योंकि हो सकता है, कि उसमें सात साल लगें, दस साल

लगें, इसलिए ऐसा प्रावधान हमने किया है और जिसमें लेंथ ऑफ प्रोजैक्ट पांच साल है, उसको रखा है, ताकि वह जमीन उसको वापस हो जाये।

इसी तरीके से सैक्शन 105 है, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। अगर मैं यह कहूं कि यह सबसे बड़ा प्रावधान है कि जो एक्ट 2013 में बना था, उसमें यह कमी थी कि 13 ऐसे सैण्ट्रल एक्ट्स, जिनको इस भरोसे छोड़ दिया गया था कि एक साल के बाद इनका क्रियान्वयन होगा, अगर कोई...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: पहले में यह प्रावधान था। नहीं था?...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह**: नहीं है। [अनुवाद] कोई एक साल तक इंतजार क्यों करे? कहाँ लिखा है?

माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने यह प्रावधान किया है कि 2013 के अधिनियम में शामिल नहीं किए गए सभी 13 अधिनियमों को इसमें शामिल किया जाएगा तथा उचित मुआवजा धनराशि, अर्थात चार गुना तक, तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित सभी धाराएं इन सभी 13 अधिनियमों पर लागू होंगी। ...(व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया:** महोदया, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह प्रावधान उस बिल में रखा गया था कि एक साल की अवधि में...(व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** मैं यही कह रहा हूं। मैं प्रो. सौगत राय जी और अन्य सहित सभी माननीय सदस्यों से पुनः कहना चाहता हूं कि यदि उन्हें अभी भी लगता है कि कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है तो हम उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम उनके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह कहकर कार्य में बाधा उत्पन्न न करें कि हमें इसका विरोध करना है या हमें इसका समर्थन करना है। माननीय सदस्यों का यह रवैया नहीं होना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी बात किसानों के पक्ष में होगी, हम ऐसे सभी प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार हैं।

[हिन्दी]

हम आपको इंश्योर करते हैं कि किसान के हक़ में कोई भी बात होगी, हम आपकी बात मानने को तैयार होंगे, उसे कंसीडर करेंगे। मैंने यह सभी सदस्यों को कहा है। मैं इस बात को भी समझता हूं कि अगर हमें तरक्की करनी है, तरक्की का मतलब यह नहीं कि ज्यादा फैक्टरियां लग जाएं, बल्कि मैं तरक्की उस बात की कर रहा हूं जिसका मैंने ज़िक्र किया, अगर किसान को उस गरीबी से निकालना है और उसे भी अच्छी दुनिया का हक़दार बनाना है तो आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस करना पड़ेगा।

धन्यवाद।

**श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर):** महोदया, माननीय मंत्री के रोचक भाषण के बाद, मैं अभी भी अपने प्रस्ताव पर जोर दे रहा हूं और मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विधेयक को अधिक चर्चा और संशोधन के लिए स्थायी समिति को भेजा जाए।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** यह नहीं होता है। आप अपनी बात कहिए।

[अनुवाद]

**श्री सी.एन. जयदेवन:** कल जब मैं इस विधेयक पर अपना विचार प्रकट कर रहा था, तो एक कम्युनिस्ट होने के नाते मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि हूं। यद्यपि मैं इस सदन में इस पार्टी का एकमात्र सदस्य हो सकता हूं, फिर भी यह याद रखना आवश्यक है कि कभी भाजपा के सदस्य भी यहाँ केवल दो ही थे। मैं माननीय मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे भूमि सुधार के संबंध में एक व्यापक और मूलभूत विधेयक प्रस्तुत करें। क्या वे एक मूलभूत भूमि सुधार विधेयक लेकर आ सकते हैं? ऐसा विधेयक जमींदारों को केवल 15 एकड़ भूमि रखने की अनुमति देगा। केरल में पहले कई बड़े जमींदार थे, जैसे मुरिक्कन, नीलाम्बुर कोविलाकम, अलथूर स्वामी, मांकुम्बिल पट्टारु, पराई थरक्कन आदि। आज केरल में कोई जमींदार नहीं हैं, सभी किसान हैं। क्या वे भारत में अमीर जमींदारों, सामंती शासकों और कुलाकों की भूमि जब्त कर सकते हैं? उनके पास कई एकड़ जमीन है। सबसे पहले, उन्हें उन जमीनों पर कब्जा करना होगा और उन्हें गरीबों, भूमिहीनों में वितरित करना होगा। उन्हें जमीन लेनी होगी। सबसे पहले गरीब कृषि मजदूरों, भूमिहीन किसानों को जमीन मिलनी चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय बड़े ही हास्यपूर्ण अंदाज में बोल रहे थे। मैं पूरी श्रद्धा के साथ कहता हूं कि मैं 'हिज़ मास्टर्स वॉइस' सुन रहा था — अर्थात् विश्व के बड़े कॉरपोरेट घरानों और भारत के एकाधिकारियों की आवाज़। यह स्पष्ट रूप से कॉरपोरेट्स का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यद्यपि मेरी उम्र अधिक है, लेकिन इस सभा में मेरा अनुभव नया और तरोताजा है।

श्री नायडू यहाँ बैठे हैं। मैं कल उनका भाषण सुन रहा था। वे कह रहे थे: "मेरी सरकार, मोदी सरकार गरीबों के साथ है, महिलाओं के साथ है, युवाओं के साथ है और किसानों के साथ है।" हो सकता है यह सच हो। लेकिन अगर यह सच है, तो उन्होंने नौ महीने के भीतर भारत के गरीबों, किसानों, महिलाओं के लिए क्या कार्रवाई की है? यह कोई लंबी अवधि नहीं है। मैं सहमत हूं कि नौ महीने कोई लंबी अवधि नहीं है। लेकिन क्या पिछले नौ महीनों में भारत में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कोई कार्रवाई हुई है?

**माननीय अध्यक्ष:** श्री जयदेवन जी, क्या आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

**श्री सी.एन. जयदेवन:** नहीं, मैं प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूं। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।"

**श्री सी.एन. जयदेवन:** मैं मत-विभाजन चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घाएं खाली कर दी जायँ।

## स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग प्रणाली के बारे में घोषणा

**माननीय अध्यक्ष:** अब दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

**महासचिवः** माननीय सदस्यों को स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक बार मत-विभाजन शुरू होने से पहले, प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी सीट पर बैठे और सिस्टम को केवल उस सीट से संचालित करे। जब माननीय अध्यक्षा 'अब मत-विभाजन' कहेंगी, तो महासचिव मतदान बटन को सक्रिय कर देंगे, जिस पर माननीय अध्यक्षा की कुर्सी के दोनों ओर प्रदर्शन बोर्डों के ऊपर लाल बल्ब चमकेंगे और एक 'गोंग' की आवाज एक साथ सुनाई देगी। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल 'गोंग' की ध्वनि के बाद ही, और मैं पुनः कहता हूं, केवल 'गोंग' की ध्वनि के बाद, मतदान हेतु अपने सामने फोन प्लेट के शीर्ष पर स्थित लाल मतदान बटन और अपनी सीट की मेज पर स्थित निम्नलिखित बटनों में से किसी एक को एक साथ दबाएं।

'पक्ष में' के लिए, हरे रंग का बटन

'विपक्ष में' के लिए, लाल रंग का बटन

'मतदान में भाग न लेने' के लिए, पीले रंग का बटन

दूसरे 'गोंग' को सुनने और प्लाज्मा डिस्प्ले पर लाल बल्ब बंद होने तक दोनों बटन दबाए रखना आवश्यक है। माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें, कि यदि बटन को पहले 'गोंग' ध्वनि से पहले दबाया जाता है और यदि दोनों बटन को दूसरे 'गोंग' तक एक साथ दबाया नहीं जाता है, तो मत पंजीकृत नहीं होंगे। माननीय सदस्य अपने मत माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड पर देख सकते हैं। यदि मद पंजीकृत नहीं होता है, तो वे पर्चियों के माध्यम से मतदान के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री सी.एन. जयदेवन, क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं?

**श्री सी.एन. जयदेवन:** महोदया, मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस नहीं ले रहा हूं। मैं मत-विभाजन चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई है।

प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित भूमि अर्जन, पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।"

*लोक सभा में मत विभाजन हुआ :*

**मत विभाजन** **पक्ष में** **सायं 6.41 बजे**

[10*]अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

अहमद, श्री सुल्तान

अली, श्री इदरीस

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन, श्री बिजय चन्द्र

भोसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

बोस, प्रो. सुगाता

[10*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौटाला, श्री दुष्यंत

*चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

चौधरी श्री ए. एच. ख़ान

*चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

डे (नाग), डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

देवगौड़ा, श्री एच.डी.

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

जॉर्ज, एड. जोएस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोगोई, श्री गौरव

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

हंसदांक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद. असरारूल

हाजरा, डॉ. अनुपम

[11*] हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

*इनोसेंट, श्री

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

जयदेवन, श्री सी.एन

करुणाकरन, श्री पी.

*खान, श्री सौमित्र

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

[11*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

महतो, डॉ. मृगांका

मंडल, डॉ. तपस

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मंडल, श्री सुनील कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाइक, श्री बी.वी.

नाथ, श्री कमल

नूर, श्रीमती मौसम

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पाला, श्री विनसेंट एच.

पासवान, श्री रामचंद्र

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

*राजू, श्री सी.एस. पुत्ता

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

रेड्डी, श्री गुथा सुकेंदर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी.वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेनुका, श्रीमती बुत्ता

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती संध्या

रूआला, श्री सी.एल.

साहू, श्री ताम्रध्वज

[12*]संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन, डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शर्मा, श्री राम कुमार

शेट्टी, श्री राजू

सिंह, प्रो. साधू

[12*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री रवनीत

सिन्हा, श्रीमती रेणुका

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

@थॉमस, प्रो. के.वी.

तिर्की, श्री दशरथ

त्रिवेदी, श्री दिनेश

*उद्दीन, श्री तस्लीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

[13*]यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

*यादव, श्रीमती डिम्पल

एल्लैया, श्री नंदी

[13*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**<u>विपक्ष में</u>**

[14*]आदित्यनाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस. एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

[14*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

*बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

[15*]ब्रह्मपुरा, श्री रणजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

[15*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[16*]छोटेलाल, श्री

चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

$चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रमेन

देवी, श्रीमती रमा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

[16*] पर्ची के माध्यम से विपक्ष में होने की शुद्धि की गई।

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

एलुमलाई, श्री वी.

फतेपरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

[17*]गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गोपाल, डॉ. के.

*गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

*गौड़, डॉ. बूरा नरसैया

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरि, श्री जी.

[17*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जिगाजिनागी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

[18*]कल्वाकुंतला, श्रीमती कविता

[18*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

[19*]क्रिष्टप्पा, श्री एन.

* श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

$कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

[19*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

$ पर्ची के माध्यम से विपक्ष में होने की शुद्धि की गई।

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्द्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

महेन्द्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरगथम, श्रीमती के.

[20*]मरुदराजा, श्री आर.पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोडमल

[20*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*नागराजन, श्री पी.

नागेश, श्री गोदाम

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय , श्री हरि ओम

पाण्डेय , श्री राजेश

पाण्डेय य, श्री रविन्द्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री दलीप

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

[21*]पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

[22*]राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

---

[21*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[22*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजा, श्री ए. अनवर

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रवीन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

[23*]रेड्डी, श्री जे.सी. दिवाकर

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री चन्दूलाल

साहू, श्री लखन लाल

[23*] पर्ची के माध्यम से विपक्ष में होने की शुद्धि की गई।

[24*]साय, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री रामस्वरूप

[24*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नैपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

[25*]सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

[25*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

[26*]श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

[26*] पर्ची के माध्यम से विपक्ष में शुद्धि की।

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

[27*]वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

*वासंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

[28*]वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

*वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

---

[27*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[28*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**<u>भाग नहीं लिया</u>**

अडसुल, श्री आनंदराव

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

[29*]गायकवाड़, प्रो. रवींद्र विश्वनाथ

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री प्रतापराव

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

[29*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

विचारे, श्री राजन

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि के अध्यधीन[30*] मत विभाजन का परिणाम है:

पक्ष में : 99

विपक्ष में: 294

भाग नहीं लिया:15

*प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष;** अब, प्रश्न यह है**:**

"कि भूमि अर्जन, पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

30* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया /शुद्धि की :

**पक्ष में: 099 +** सर्वश्री शिशिर कुमार अधिकारी, अशोक शंकरराव चव्हाण, अधीर रंजन चौधरी, दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, इनोसेंट, सौमित्र खान, सी.एस. पुट्टा राजू, डॉ. ए. संपत, प्रो. के.वी. थॉमस, सर्वश्री तसलीम उद्दीन, तेज प्रताप सिंह यादव, श्रीमती डिम्पल यादव - सर्वश्री छोटेलाल, बाबूलाल चौधरी, अश्विनी कुमार, जे.सी. दिवाकर रेड्डी, केसिनेनी श्रीनिवास **= 106**

**विपक्ष में: 294 +** योगी आदित्यनाथ, सर्वश्री रमेश बिधूड़ी, रनजीत सिंह ब्रह्मपुरा, छोटेलाल, बाबूलाल चौधरी, सतीश कुमार गौतम, सी. गोपालकृष्णन, डॉ. बूरा नरसैय्या गौड़, श्रीमती कविता कल्वकुंतला, सर्वश्री फग्गन सिंह कुलस्ते, अश्विनी कुमार, एन. क्रिष्टप्पा, आर.पी. मरुथराज, पी. नागराजन, कपिल मोरेश्वर पाटील, टी. राधाकृष्णन, जे.सी. दिवाकर रेड्डी, विष्णु देव साय, श्री बृजभूषण शरण सिंह, केसिनेनी श्रीनिवास, श्रीमती आर. वनरोजा, श्रीमती एम. वसन्ती, सर्वश्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, चिंतामन नवाशा वनगा**=318**

**मतदान में भाग नहीं लिया: 015 +** प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्री चन्द्रकांत खैरे **= 017**

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, विधेयक पर खंडवार विचार करने से पहले मैं सभा को सूचित करना चाहूंगी, कि श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने नियम 80 (झ) के निलंबन के लिए सरकारी प्रस्ताव संख्या 61 और 62 को प्रस्तुत करने पर आपत्तियां उठाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

किसी विधेयक के केवल कुछ मौजूदा खंड में ही संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। सरकारी संशोधन संख्या 58 और 59 विधेयक के किसी भी खंड में संशोधन नहीं कर रहे हैं। इन दोनों संशोधनों का उद्देश्य विधेयक में नए खंड 6क और 7क जोड़ना है, जिससे विधेयक का दायरा बढ़ जाएगा। इसलिए, संशोधन संख्या 58 और 59 नियम 80(झ) के निलंबन के बाद ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

इसे देखते हुए, माननीय मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति व्यक्त करने का कोई अर्थ नहीं है।

**माननीय अध्यक्ष:** अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। अब खंड 2

**खंड 2 संपूर्ण अधिनियम में कतिपय अभिव्यक्ति का प्रतिस्थापन**

**माननीय अध्यक्ष:** श्री जय प्रकाश नारायण यादव, क्या आप खंड 2 में संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका):** हां, अध्यक्ष महोदया, जो बिल आया है और जिस पर मत विभाजन हो रहा है, सारा मुल्क जान रहा है, कि यह बिल किसान विरोधी है, जन विरोधी है। किसान की आत्मा को निकाला जा रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 3,

शब्द 'प्राइवेट इकाई' के स्थान पर

शब्द 'सरकारी एकक' प्रतिस्थापित किया जाए।" (7)

*संशोधन प्रस्तुत किया गया और उसे अस्वीकृत कर दिया गया।*

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष**: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 3** **धारा 2 का संशोधन**

**माननीय अध्यक्ष:** अब, माननीय मंत्री जी खंड 3 में संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत कर सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया:** महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं। ...(व्यवधान)

नियम 79 (1) बहुत स्पष्ट रूप से कहता है:

> “यदि विधेयक के किसी खंड या अनुसूची में संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पहले नहीं दी गई है, जिस दिन विधेयक पर विचार किया जाना है, तो कोई भी सदस्य ऐसे संशोधन को प्रस्तुत करने पर आपत्ति व्यक्त कर सकता है और ऐसी आपत्ति तब तक मान्य होगी, जब तक अध्यक्ष संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देते हैं:”

हम इस संशोधन को प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति जताएंगे। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैंने अनुमति दे दी है।

*...(व्यवधान)*

**श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया:** महोदया, कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इसे आज परिचालित किया गया है। अध्यक्ष महोदया, अगर इस तरीके से प्रजातंत्र चलेगा तो किस आधार पर...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैंने इसकी अनुमति दे दी है। मंत्री जी अब खंड 3 में संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत कर सकते हैं।

*संशोधन किए गए:*

"पृष्ठ 1, पंक्ति 10 और 11 का लोप किया जाए।" (52)

*(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रोफेसर सौगत राय, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** महोदया, मेरा संशोधन सहमति खंड से संबंधित है। विधेयक की धारा 2 की उपधारा 2 में इसका उल्लेख किया गया है। द्वितीय परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्, बशर्ते कि धारा 10(क) में सूचीबद्ध परियोजनाओं और उस पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भूमि के अधिग्रहण को प्रथम परंतुक के प्रावधानों से छूट दी जाएगी ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अभी आप नहीं बोल सकते। क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

**प्रो. सौगत राय:** महोदया, मैंने विधेयक पर कुछ नहीं कहा है। मुझे इस विषय पर एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए। यह एकमात्र संशोधन है, जिस पर मैं बोलूंगा। कृपया मुझे दो मिनट बोलने का अवसर दीजिए। ...(व्यवधान)

यह सहमति खंड से संबंधित है। वास्तव में, 2013 के विधेयक में, 112 साल में पहली बार किसान को इस अर्थ में सम्मान दिया गया कि अगर सरकार किसी निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहित करती है। 80 प्रतिशत किसानों की सहमति आवश्यक थी; और यदि वह एक पीपीपी परियोजना होती, तो 70 प्रतिशत सहमति की आवश्यकता होती। उस समय भी हमने इसका विरोध किया था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के अनुसार, 100 प्रतिशत किसानों की सहमति अनिवार्य है। ...(व्यवधान)

हमने सिंगूर में इस मुद्दे पर संघर्ष किया, जहां टाटा के लिए भूमि जबरन अधिग्रहित की गई थी। नंदीग्राम में भी हमने इसका विरोध किया, जहां पुलिस की गोलीबारी में हमारे 14 सदस्य शहीद हुए। अब एक ही झटके

में सहमति की उस शर्त को समाप्त किया जा रहा है। हम इसका पूरे सामर्थ्य से विरोध कर रहे हैं।...(व्यवधान) आप किसान की गरिमा छीन रहे हैं। आप किसानों की जमीन उनकी सहमति के बिना कैसे ले सकते हैं?

महोदया, वे सुझाव मांग रहे थे। मेरा सुझाव है कि आप जो करना है करें लेकिन किसानों को सम्मान और गरिमा दें। उनकी मर्जी के बिना उनकी जमीन न छीनें। अचानक आप निर्णय लेते हैं कि अमुक निजी कंपनी, अंबानी या अडानी के लिए आप जमीन अधिग्रहण करेंगे और फिर रातों-रात वह जमीन छीन ली जाएगी। किसान के पास कुछ नहीं बचेगा।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** तो, क्या आप इसे प्रस्तावित कर रहे हैं?

[हिन्दी]

**प्रो. सौगत राय**: आप लोग दिल्ली में हार गया तब भी शर्म नहीं आता है, मेरे साथ चिल्लाते हैं, ...(व्यवधान) मेरे साथ आओ लड़ो, किसान के खिलाफ किसी भी कदम का तृणमूल कांग्रेस विरोध करेगी। मैं चाहता हूं कि पूरा देश इस विरोध को देखे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय जी, क्या आप खंड 3 में संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

**प्रो. सौगत राय: महोदया**, मैं खंड 3 में अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 5 तक का लोप किया जाए।" (3)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 3 को सदन में मतदान के लिए रखूंगी।

**प्रो. सौगत राय:** महोदया, मैं मत-विभाजन चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं। नियम भी सभी को मालूम है उसे बताने की जरूरत नहीं है।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 5 तक का *लोप* किया जाए। "

*लोक सभा में* मत-*विभाजन हुआ :*

**मत-विभाजन संख्या 1** **पक्ष में** **सायं 6.52 बजे**

[31*]अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

*अहमद, श्री सुल्तान

*एन्टोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन,श्री बिजय चन्द्र

भोसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

बोस, प्रो. सुगाता

[31*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

चौधरी, श्री ए. एच ख़ान

*चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

डे (नाग),डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

*देवगौड़ा, श्री एच.डी.

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

[32]*गीता, श्रीमती कोथापल्ली

[32]*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जॉर्ज, एड. जोएस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोगोई, श्री गौरव

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

हाँसदाक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद. असरारूल

हाजरा, डॉ. अनूपम

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

*इनोसेंट, श्री

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

जयदेवन, श्री सी.एन

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

करुणाकरन, श्री पी.

खान, श्री सौमित्र

* खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

महतो, डॉ. मृगांका

मंडल, डॉ. तपस

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मंडल, श्री सुनील कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

[33*]नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए. एस. आर.

[33*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नाइक, श्री बी.वी.

नाथ, श्री कमल

नूर, श्रीमती मौसम

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पाला, श्री विनसेंट एच.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

राजू, श्री सी.एस. पुत्ता

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

रेड्डी, श्री गुथा सुकेंदर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुट्टा

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती संध्या

रूआला, श्री सी.एल.

साहू, श्री ताम्रध्वज

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन, डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शेट्टी, श्री राजू

[34*]सिंह, कुँवर हरिवंश

*सिंह, प्रो. साधु

[34*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री रवनीत

सिन्हा, श्रीमती रेणुका

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थॉमस

तिर्की, श्री दशरथ

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उद्दीन, श्री तस्लीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

श्री नंदी एल्लैया

**<u>विपक्ष में</u>**

[35*]आदित्यनाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

*अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

[35*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

[36*]चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रमेन

[36*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

देवी, श्रीमती रमा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

एलुमलाई, श्री वी.

फतेपरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

[37*]गडकरी,श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

[37*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

*गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

@गौड़, डॉ. बूरा नरसैया

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनागी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

[38*]कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

[38*] पर्ची के माध्यम से विपक्ष में होने की शुद्धि की गई।

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

[39*]क्रिष्टप्पा, श्री एन.

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

[39*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्द्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, श्री विद्युत बरन

*महेंद्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरगथम, श्रीमती के.

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

[40*]मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोडमल

@नागराजन, श्री पी.

[40*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

*नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

*ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय , श्री हरि ओम

पाण्डेय , श्री राजेश

पाण्डेय य, श्री रविन्द्र कुमार

[41*]पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

*पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री दलीप

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

[41*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

*पाटिल, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

[42*]राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजा, श्री ए. अनवर

*राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

*राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

[42*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी  श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रवीन्द्र कुमार

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रिजीजू, श्री किरेन

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री चन्दूलाल

साहू, श्री लखन लाल

साय, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

[43*]शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिन्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नैपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

[43*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

[44*]श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

[44*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**<u>भाग नहीं लिया</u>**

अडसुल, श्री आनंदराव

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री प्रतापराव

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

विचारे, श्री राजन

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि के अध्यधीन[45*]मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में: 094

विपक्ष में: 296

भाग नहीं लिया: 17

*प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचंद्रन खंड 3 में संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करेंगे।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** महोदया, मैं यहाँ उपस्थित हूं।

**माननीय अध्यक्ष**: मुझे ज्ञात है कि आप प्रतिदिन गलत स्थान पर बैठते हैं।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** महोदया, मैं आपकी अनुमति से वहां बैठता हूं।

महोदया, मेरा संशोधन सहमति तथा सामाजिक प्रभाव आकलन से संबंधित है। माननीय मंत्री महोदय ने अत्यंत उदारता के साथ यह स्पष्ट किया है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित वे संशोधन, जो उन्हें स्वीकार्य हैं, उन्हें वे स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं। विपक्ष की ओर से कई सदस्यों ने पहला संशोधन प्रस्तुत किया है, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है और इसके बजाय एक आधिकारिक संशोधन लाया गया

---

[45*] निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की:

**पक्ष में: 094+** सर्वश्री शिशिर अधिकारी, एंटो एन्टोनी, सुल्तान अहमद, अधीर रंजन चौधरी, एच.डी. देवगौड़ा, श्रीमती कोथापल्ली गीता, सर्वश्री इन्नोंसेंट, मल्लिकार्जुन खड़गे, गोडम नागेश, कुंवर हरिवंश सिंह, प्रो. साधु सिंह = **105**

**विपक्ष में: 296 +** योगी आदित्यानाथ, सर्वश्री एस.एस. अहलुवालिया, पी.पी. चौहान, नितिन गड़करी, श्रीमती मेनका संजय गांधी, डॉ. बूरा नरसैय्या गौड़, डॉ. रामशंकर कठेरिया, सर्वश्री एन. क्रिष्टप्पा, सी. महेन्द्रन, दद्दन मिश्रा, पी. नागराजन, अशोक महादेवराव नेते, जुएल ओराम, वी. पन्नीरसेल्वन, चिराग पासवान, संजय काका पाटिल, टी. राधाकृष्णन, हरिनारायण राजभर, गोकाराजू गंगा राजू, डॉ. महेश शर्मा, श्री बी. श्रीरामुलु **=317**

**मतदान में भाग नहीं लिया: 017 +** चन्द्रकांत खैरे - डॉ. रामशंकर कठेरिया**= 17**

है। मैं इस संशोधन पर अधिक ज़ोर दे रहा हूं, क्योंकि यह 2013 के अधिनियम की मूल भावना का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे इस विधेयक के माध्यम से समाप्त किया जा रहा है। इसलिए, मैं खंड 3 में संशोधन सं 18 को प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 1, पंक्ति 10 और 11 के स्थान पर,—

'उप-धारा (1) में खंड (ख) में, उप-खंड (1) में "निजी अस्पताल, निजी शैक्षणिक संस्थान और" शब्दों के स्थान पर "निजी अस्पताल, निजी शैक्षणिक संस्थान और निजी कंपनियों की ऐसी अन्य गतिविधियों और" शब्द *प्रतिस्थापित* किए जाएं।" (18)

**माननीय अध्यक्ष**: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 3 में संशोधन संख्या 18 को सदन में मतदान के लिए रखूंगी।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** महोदया, मैं मत विभाजन चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 1, पंक्ति 10 और 11 के स्थान पर,—

'उप-धारा (1) में खंड (ख) में, उप-खंड (1) में "निजी अस्पताल, निजी शैक्षणिक संस्थान और" शब्दों के स्थान पर "निजी अस्पताल, निजी शैक्षणिक संस्थान और निजी कंपनियों की ऐसी अन्य गतिविधियों और" शब्द *प्रतिस्थापित* किए जाएं।"

*लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:*

**मत-विभाजन संख्या 2** **पक्ष में** **सायं 6.55 बजे**

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

अहमद,श्री सुल्तान

अली, श्री इदरीस

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

*बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन,श्री बिजय चन्द्र

भोसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

बोस, प्रो. सुगाता

[46*]चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

डे (नाग), डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

*देवगौड़ा, श्री एच.डी.

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

जॉर्ज, एड. जोएस

घोष, श्रीमती अर्पिता

[46*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गोगोई, श्री गौरव

गौडा, श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे

हाँसदाक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद. असरारूल

हाजरा, डॉ. अनूपम

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

[47*]इन्नोसेंट, श्री

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

कलवकुन्तला, श्रीमती कविता

करुणाकरन, श्री पी.

खान, श्री सौमित्र

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री संतोष

[47*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री शैलेश

महतो, डॉ. मृगांका

मंडल, डॉ. तापस

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, श्री बी.वी.

नाथ, श्री कमल

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पाला, श्री विनसेंट एच.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

रेड्डी, श्री गुथा सुकेंदर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेणुका, श्रीमती बुत्ता

राय, श्रीमती संध्या

रूआला, श्री सी.एल.

साहू, श्री ताम्रध्वज

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन, डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शेट्टी, श्री राजू

सिंह, प्रो. साधू

सिन्हा, श्रीमती रेणुका

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थॉमस

तिर्की, श्री दशरथ

त्रिवेदी, श्री दिनेश

[48*]उद्दीन, श्री तसलीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

श्री जय प्रकाश नारायण यादव

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

*यादव, श्रीमती डिम्पल

श्री नंदी एल्लैया

[48*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**<u>विपक्ष में</u>**

[49*]आदित्यनाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

*अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

[49*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह

चौधरी, श्री सी.आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

[50*]चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

*छोटेलाल, श्री

[50*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चिन्ननैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रमेन

देवी, श्रीमती रमा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्र

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

*एलुमलाई, श्री वी.

फतेपुरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

[51]*गडकरी,श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

[51]*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्त, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

[52*]जौनापुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनागि, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रहलाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

*कस्वां, श्री राहुल

[52*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

*कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन.

[53*]श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

*कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्द्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

[53*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

महेन्द्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मरगथम, श्रीमती के.

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्र, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

[54*]मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोडमल

नागराजन, श्री पी.

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

*नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

[54*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय य, श्री हरि ओम

पाण्डेय य, श्री राजेश

पाण्डेय य, श्री रवीन्द्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री दिलीप

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

[55*]राज, श्रीमती कृष्णा

राजा, श्री ए. अनवर

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

[55*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

*राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी  श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

[56*]राय, श्री विष्णु पद

राय, श्री रवीन्द्र कुमार

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री चन्दूलाल

साहू, श्री लखन लाल

साय, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

[56*] पर्ची के माध्यम से विपक्ष में शुद्धि की।

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नैपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

[57*]सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

[57*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

*सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वराज, श्रीमती सुषमा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**<u>भाग नहीं लिया</u>**

अडसुल, श्री आनंदराव

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री प्रतापराव

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

विचारे, श्री राजन

**सायं 7.00 बजे**

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि के अध्यधीन[58*], मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में: 088

विपक्ष में: 295

भाग नहीं लिया:17

*प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्री बी. महताब जी, क्या आप खंड 3 में संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करेंगे?

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** महोदया, मुझे इस पर कुछ शब्द कहने की अनुमति दी जाए।

मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन और विशेषकर इस खंड से संबंधित संशोधन का स्वागत करता हूं, जो सरकार का एक सराहनीय कदम है। हमने सरकार से मांग की थी कि यह आवश्यक है। निजी अस्पतालों और निजी शैक्षणिक संस्थानों को सहमति खंड से हटा दिया जाना चाहिए। बीजू जनता दल को इस बात की खुशी है, कि सरकार ने उस सुझाव को स्वीकार किया तथा आज संशोधन प्रस्तुत किया है।

इसलिए, मैं अपना प्रस्तुत किया गया संशोधन आगे नहीं बढ़ा रहा हूं।

**माननीय महोदया:** श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, क्या आप खंड 3 में संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करेंगे?

---

[58*] निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की:

**पक्ष में: 088 +** सर्वश्री प्रसून बनर्जी, बी.एन. चंद्रप्पा, एच.डी. देवगौड़ा, इन्नोसेंट, तस्लीम उद्दीन, श्रीमती डिम्पल यादव **= 094**

**विपक्ष में: 295 +** योगी आदित्यानाथ, सर्वश्री एस.एस. अहलुवालिया, पी.पी.चौहान, छोटेलाल, वी. एलुमलाई, नितिन गडकरी, सुखबीर सिंह जौनापुरिया, राहुल कस्वां, डॉ. रामशंकर कठेरिया, सर्वश्री फग्गन सिंह कुलस्ते, शांता कुमार, करिया मुंडा, अशोक महादेवराव नेते, श्रीमती कृष्णा राज, सर्वश्री गोकाराज गंगा राजू, विष्णु पद राय, बृजभूषण शरण, लल्लू सिंह **= 314**

**मतदान में भाग नहीं लिया: 017 +** श्री चन्द्रकांत खैरे - श्री विष्णु पद राय **= 17**

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

" पृष्ठ 2, पंक्ति 3 से 5 तक, *लोप* किया जाए -

"बशर्ते कि अध्याय 3क की धारा 10क के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए, यदि वह निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हो, तो प्रभावित व्यक्तियों की 80 प्रतिशत सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जानी होगी; तथा अन्य परियोजनाओं के लिए, जिनमें सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से संचालित परियोजनाएं भी शामिल हैं, प्रभावित व्यक्तियों की 70 प्रतिशत सहमति आवश्यक होगी, और यह सहमति उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व सूचित प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जानी होगी।" (45)

[हिन्दी]

यह इस एक्ट की आत्मा है और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वे आत्मा की आवाज पर इस पर वोटिंग करें कि किसान की सहमति आधिग्रहण से पहले होनी चाहिए या प्राइवेट लोगों के लिए आधिग्रहण होना चाहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय महोदया:** अब मैं श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 45 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** महोदया, मैं मत-विभाजन चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई है।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 3 से 5 तक, *लोप* किया जाए, -

"बशर्ते कि अध्याय 3क की धारा 10क के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए, यदि वह निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हो, तो प्रभावित व्यक्तियों की 80 प्रतिशत सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जानी होगी; तथा अन्य परियोजनाओं के लिए, जिनमें सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से संचालित परियोजनाएं भी शामिल हैं, प्रभावित व्यक्तियों की 70 प्रतिशत सहमति आवश्यक होगी, और यह सहमति उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व सूचित प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जानी होगी।"

*लोक सभा में मत-विभाजन:*

**मत-विभाजन संख्या 3** **पक्ष में** **सायं 6.59 बजे**

*अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

अहमद, श्री सुल्तान

अली, श्री इदरीस

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन, श्री बिजय चन्द्र

भोंसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

बोस, प्रो. सुगाता

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

चौधरी, श्री ए. एच. ख़ान

चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

डे (नाग), डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

[59*]देवेगौड़ा, श्री एच.डी.

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

[59*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जॉर्ज, एड. जोएस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोगोई, श्री गौरव

गौड़ा, श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे

हाँसदाक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद. असरारूल

हाजरा, डॉ. अनुपम

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

[60*]इन्नोसेंट, श्री

जाधव, श्री प्रतापराव

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

*जयदेवन, श्री सी. एन.

कलवकुन्तला, श्रीमती कविता

करुणाकरन, श्री पी.

[60*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खान, श्री सौमित्र

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

महतो, डॉ. मृगांका

मंडल, डॉ. तपस

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोकचोम

*मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मंडल, श्री सुनील कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाइक, श्री बी.वी.

[61*]नाथ, श्री कमल

नूर, श्रीमती मौसम

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पाला, श्री विनसेंट एच.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

राजू, श्री सी.एस. पुत्ता

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

रेड्डी, श्री गुथा सुकेंदर

[61*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुत्ता

*रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती संध्या

रूआला, श्री सी.एल.

साहू, श्री ताम्रध्वज

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन, डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शेट्टी, श्री राजू

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

[62*]थॉमस, प्रो. के.वी.

तिर्की, श्री दशरथ

*त्रिवेदी, श्री दिनेश

उद्दीन, श्री तस्लीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

[62*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

एल्लैया, श्री नंदी

**विपक्ष में**

आदित्यानाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

*अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

[63*]अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

[63*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

[64*]ब्रह्मपुरा, श्री रणजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह

श्री सी.आर. चौधरी

[64*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

[65*]चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

*छोटेलाल, श्री

चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

*चौधरी, श्री बाबूलाल

*चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

[65*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रमेन

देवी, श्रीमती रमा

[66*]देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

एलुमलाई, श्री वी.

[66*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

फतेपरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गोपाल, डॉ. के.

*गोपालकृष्णन, श्री सी

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

*गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

[67*]हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

[67*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया गया।

जिगाजिनागी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

[68*]खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन.

[69*]श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

---

[68*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया गया।

[69*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्द्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

महेन्द्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरगथम, श्रीमती के.

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्र, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

*मिश्र, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोडमल

नागराजन, श्री पी.

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

[70*]नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

[70*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय , श्री हरि ओम

पाण्डेय , श्री राजेश

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री दलीप

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

[71*]राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रवीन्द्र कुमार

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री पी.वी. मिधुन

रिजीजू, श्री किरेन

[71*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री चन्दूलाल

साहू, श्री लखन लाल

साय, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

[72*]शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नैपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

[72*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

[73*]सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

[74*]सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

---

[73*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[74*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**<u>भाग नहीं लिया</u>**

अडसुल, श्री आनंदराव

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

विचारे, श्री राजन

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि अध्यधीन[75*] मत विभाजन का परिणाम है:

हाँ: 098

नही: 299

भाग नहीं लिया:16

*प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

---

[75*] निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने मत भी दर्ज/सही किए:

**पक्ष में: 098 +** सर्वश्री शिशिर कुमार अधिकारी, एच.डी. देवगौड़ा, इनोसेंट, सी.एन. जयदेवन, एम. वीरप्पा मोइली, कमल नाथ, चरनजीत सिंह रोड़ी, प्रो. के.वी. थॉमस, सर्वश्री दिनेश त्रिवेदी **= 107**

**विपक्ष में: 299 +** सर्वश्री एस.एस. अहलुवालिया, ए. अरूणमणिदेवन,, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, पी.पी. चौहान, छोटेलाल, बाबूलाल चौधरी, बीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्रीमती वीणा देवी, श्री सी. गोपालकृष्णन, डी.वी. सदानन्द गौड़ा, श्रीमती हेमामालिनी, श्रीमती रक्षाताई खडसे, सर्वश्री फग्गन सिंह कुलस्ते, कलराज मिश्र, अशोक महादेवराव नेते, रामसिंह राठवा, राम कुमार शर्मा, भरत सिंह, बृजभूषण शरण सिंह **= 318**

**भाग नही लिया:016**

**खंड 4** **धारा 3 का संशोधन**

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** जय प्रकाश नारायण जी, आप खंड संख्या 4 की अमेंडमेंट संख्या 9 मूव कीजिए।

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

'पृष्ठ 2, पंक्ति 16 से 21 का लोप किया जाए।" ...(व्यवधान)

मैं किसानों की बात कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अमेंडमेंट के संदर्भ में बोलिए।

*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव**: माननीय अध्यक्ष जी, मैं डिवीजन चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई है।

*लोक सभा में मत-विभाजन:*

**मत-विभाजन संख्या 4** **पक्ष में** **सायं 07.01 बजे**

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

[76*]अहमद, श्री सुल्तान

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन,श्री बिजय चन्द्र

भोसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

[76*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बोस, प्रो. सुगाता

[77*]चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

*चौधरी, श्री ए.एच. खान

चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

डे (नाग), डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

देवेगौड़ा, श्री एच.डी.

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

[77*] हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से सही किया गया।

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

जॉर्ज, एड. जोएस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोगोई, श्री गौरव

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

हाँसदाक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद. असरारूल

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

[78*]इनोसेंट, श्री

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

जयदेवन, श्री सी.एन

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

करुणाकरन, श्री पी.

खान, श्री सौमित्र

[78*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

मंडल, डॉ. तपस

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मंडल, श्री सुनील कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, श्री बी.वी.

नाथ, श्री कमल

नूर, श्रीमती मौसम

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पाला, श्री विनसेंट एच.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

राजू, श्री सी.एस. पुत्ता

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

रेड्डी, श्री गुथा सुकेंदर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुट्टा

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती संध्या

रूआला, श्री सी.एल.

[79*]साहू, श्री ताम्रध्वज

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन,डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शेट्टी, श्री राजू

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

सिन्हा, श्रीमती रेणुका

[79*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

[80*]सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थॉमस

तिर्की, श्री दशरथ

[81*]त्रिवेदी,श्री दिनेश

उद्दीन, श्री तस्लीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

*वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

---

[80*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[81*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

श्री नंदी एल्लैया

**<u>विपक्ष में 'ना' वाले</u>**

आदित्यानाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

[82*]अहलुवालिया,श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

[82*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

[83*]चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

*चौधरी, श्री सी.आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

[83*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

[84*]डेका, श्री रमेन

*देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

[85*]धर्मवीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

एलुमलाई, श्री वी.

फतेपरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

---

[84*] पर्ची के माध्यम से विपक्ष में होने की शुद्धि की गई।

[85*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गोपाल, डॉ. के.

*गोपालकृष्णन, श्री सी

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

[86*]हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

*हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

*जौनापुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनागी, श्री रमेश

[86*]पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

*कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

[87*]खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

[88*]कोली,श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन.

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

*कुमार, श्री अश्विनी

---

[87*] पर्ची के माध्यम से विपक्ष में होने की शुद्धि की गई।

[88*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्द्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

*श्री विद्युत बरन महतो,

महेन्द्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

[89*]मराबी, श्री कमल भान सिंह

मरगथम, श्रीमती के.

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

[89*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोडमल

नागराजन, श्री पी.

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय , श्री हरि ओम

पाण्डेय , श्री राजेश

पाण्डेय य, श्री रविन्द्र कुमार

[90*]पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

*परसुरामन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

*पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री दलीप

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

[90*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रवीन्द्र कुमार

[91*]रेड्डी, श्री सी. मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री पी.वी. मिधुन

[91*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री चन्दूलाल

साहू, श्री लखन लाल

साय, श्री विष्णु देव

*सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

*शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

[92*]सिंह, डॉ. नैपाल

[92*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

[93*]यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**<u>भाग नहीं लिया</u>**

अनन्त गंगाराम गीते

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री प्रतापराव

[93*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

विचारे, श्री राजन

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि के अध्यधीन[94*], मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 096

विपक्ष में: 298

भाग नहीं लिया:17

*प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** खंड 4 के संबंध में संशोधन संख्या 37, श्री भर्तृहरि महताब।

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** महोदया, मैं खंड 4 में संशोधन सं 37 को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

---

[94*]निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की :
**पक्ष में: 096 +** सर्वश्री सुल्तान अहमद, बी.एन.चंद्रप्पा, ए.एच. खान चौधरी, इनोसेंट , ताम्रध्वज साहू, कोडिकुन्नील सुरेश, दिनेश त्रिवेदी, के.सी. वेणुगोपाल - रमेन डेका **= 103**

**विपक्ष में: 298 +** श्री एस.एस. अहलुवालिया, श्रीमती विजया चक्रवर्ती, सर्वश्री सी.आर. चौधरी, रमेन डेका, श्रीमती रमा देवी, सर्वश्री धर्मबीर, सी. गोपालाकृष्णन, जी. हरि, श्रीमती हेमामालिनी, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, डॉ. रामशंकर कठेरिया, सर्वश्री विनोद खन्ना, बहादुर सिंह कोली, अश्विनी कुमार, विद्युत बरन महतो, कमल भान सिंह मराबी, वी. पन्नीरसेल्वम, के. परसुरमन, चिराग पासवान, च. मल्ला रेड्डी, राज कुमार सैनी, गोपाल शेट्टी, डॉ. नैपाल सिंह , श्री राम कृपाल यादव - श्री बी.एन. चंद्रप्पा **= 321**

**मतदान में भाग नहीं लिया: 017 -** श्री विनोद खन्ना **= 16**

**खंड 5 नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन**

**माननीय अध्यक्ष:** अब, सरकारी संशोधन। माननीय मंत्री जी

*संशोधन प्रस्तुत किए गए*:

पृष्ठ 2, पंक्ति 17, --"10क" *के स्थान पर* "10क(1)" (53) *प्रतिस्थापित* करें

पृष्ठ 2, पंक्ति 24 के *स्थान* पर,-

"(घ) उपयुक्त सरकार और उसके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक गलियारे (जिस स्थिति में ऐसे औद्योगिक गलियारे के लिए निर्दिष्ट रेल लाइन अथवा सड़कों के दोनों तरफ एक किलोमीटर तक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा) और" (54) *प्रतिस्थापित* करें

पृष्ठ 2, पंक्ति 25, "और सामाजिक अवसंरचना ढांचा" का *लोप* किया जाए। (55)

पृष्ठ 2, पंक्ति 27, के *पश्चात्* -

“बशर्ते कि उपयुक्त सरकार अधिसूचना जारी होने से पहले, ऐसी परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए भूमि की सीमा सुनिश्चित करेगी।

(2) उपयुक्त सरकार शुष्क भूमि सहित अपनी बंजर भूमि का सर्वेक्षण करेगी और ऐसी भूमि का ब्यौरा युक्त अभिलेख ऐसे रीति से बनाए रखेगी, जैसा उपयुक्त सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।” अंत:स्थापित किया जाए (56)

*(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)*

**माननीय अध्यक्ष:** खंड 5 में संशोधन संख्या 4, प्रो. सौगत राय।

*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, सिर्फ अमेंडमेंट की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

**प्रो. सौगत राय (दम दम):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 19, -

"और अध्याय 3" का *लोप* किया जाए (4)

यह पंक्ति कहती है कि अध्याय 2 को हटाया जाए, क्योंकि संशोधन द्वारा वे अधिनियम के दायरे से अध्याय 3 को बाहर कर रहे हैं। अध्याय 3 क्या है? यह खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। इसका पहला खंड क्या है? यह कहता है: "जैसा कि उपधारा 2 में अन्यथा उपबंध किया गया है, इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई सिंचित बहु-फसल भूमि अर्जित नहीं की जाएगी।" मंत्री जी पूछ रहे थे कि सरकार रेलवे गलियारों का निर्माण कैसे कर पाएगी। अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यह धारा उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी जो रेखीय प्रकृति की हैं, जैसे कि रेलवे, राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, सिंचाई नहरें, विद्युत लाइनें आदि। अतः सिंचाई नहरों का होना कोई समस्या नहीं है, रेलवे लाइनों का होना भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम बहु-फसल भूमि को सुरक्षित रखना चाहते थे। यही सिंगूर में हमारा संघर्ष था। ...(व्यवधान)

माननीया अध्यक्ष महोदया, आपको स्मरण होगा कि ऐसा ही परिदृश्य देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिला। टाटा समूह द्वारा धान की फसलें काटी जा रही थीं और उस समय कुमारी ममता बनर्जी वहां धरने

पर बैठी थीं। यही कारण है कि अध्याय 3, जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो स्वयं को *किसान* बताते हैं, उसी अध्याय को हटाने की बात कर रहे हैं, जो खाद्य सुरक्षा की रक्षा करता है। यह अत्यंत चिंताजनक है। ...(व्यवधान) वे उस बहुफसली भूमि को लेना चाहते हैं, जिसकी वास्तव में उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे या नहीं?

*...(व्यवधान)*

**प्रो सौगत राय**: यह बड़ी दुखद बात है, इसलिए मैं अमेंडमेंट को मूव करता हूं। इसीलिए, मैंने खंड 5 में अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत किया है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 4 को सदन में मतदान के लिए रखूंगी।

*संशोधन प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत कर दिया गया*

**माननीय अध्यक्ष:** अब, खंड 5 में संशोधन संख्या 5 को प्रो. सौगत राय प्रस्तुत करेंगे।

*...(व्यवधान)*

**प्रो. सौगत राय:** हम खंड 5 में संशोधन संख्या 4 पर मत विभाजन चाहते हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** हम पहले ही खंड 5 से संबंधित संशोधन संख्या 5 तक आ चुके हैं।

[हिन्दी]

**प्रो. सौगत राय:** पहले जिस अमेंडमेंट पर मैंने बोला, ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वह हो गया, आप ध्यान नहीं देते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**प्रो. सौगत राय:** हम मत विभाजन चाहते हैं। हम भावी मामलों के लिए अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं। कृपया हमें अनुमति दें। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय, हम पहले ही संशोधन संख्या 5 तक आ चुके हैं।

*...(व्यवधान)*

**प्रो. सौगत राय:** हम खंड 5 में संशोधन संख्या 4 के लिए एक मत विभाजन चाहते हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** खंड 5 में संशोधन संख्या 4 समाप्त हो गई है।

*...(व्यवधान)*

**प्रो. सौगत राय**: हम एक मत विभाजन चाहते हैं। मत विभाजन की मांग करना हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपना विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मुझे इस बात का खेद है। आपने मत विभाजन की मांग उचित समय पर नहीं की है।

*...(व्यवधान)*

**प्रो. सौगत राय:** यदि आप मंत्री को विचार-विमर्श से एक दिन पूर्व ही 20 संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं, तो क्या केवल आपके कहने भर से मुझे एक मत विभाजन की अनुमति नहीं दी जा सकती? यदि न्याय मुझे आपसे भी प्राप्त नहीं होगा, तो फिर न्याय कहाँ है? मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 4 पर मत विभाजन की मांग करता हूं। *...(व्यवधान)*

**माननीय अध्यक्ष:** आपने मत विभाजन की मांग उचित समय पर नहीं की है।

*...(व्यवधान)*

**माननीय अध्यक्ष:** नहीं, हम पहले ही खंड 5 में संशोधन संख्या 5 तक आ चुके हैं।

*...(व्यवधान)*

**प्रो. सौगत राय:** मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 5 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 4 पर मत विभाजन चाहता हूं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 5 के बारे में पूछ रही हूं। संशोधन संख्या 4 हेतु मतदान पहले ही समाप्त हो चुका है।

*...(व्यवधान)*

**प्रो. सौगत राय:** नहीं, मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 4 पर मत विभाजन चाहता हूं। *...(व्यवधान)* [हिन्दी] जो मेरा अमेंडमेंट नम्बर चार है, उस पर मैं डिवीज़न मांगता हूं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपने उस समय तो नहीं मांगा, ऐसा थोड़े ही होता है।

*...(व्यवधान)*

**माननीय अध्यक्ष:** उन्होंने नहीं बोला था, आपने बोला था।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष**: हम वापस नहीं जा सकते।

*...(व्यवधान)*

**माननीय अध्यक्ष:** मैं बोलूँगी कि आगे से सभी इसका ध्यान रखें, ऐसा बार-बार न हो। सौगत राय जी, मैं अलाऊ कर रही हूं।

*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया मेरी बात सुनें। मैं इस बार अनुमति दे रही हूं, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। आपने मत विभाजन की मांग उचित समय पर नहीं की है। वे तो अनुरोध कर रहे थे, लेकिन आपको ही उसके लिए कहना चाहिए था — यही प्रश्न था। कृपया आगे से ऐसा न करें। इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए।

अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत किए गए खंड 5 में संशोधन संख्या 4 को सदन के मतदान के लिए रखती हूं। प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 19, -

*"*और अध्याय 3" का *लोप* किया जाए (4)

**प्रो. सौगत राय:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे मत विभाजन चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घाएं पहले ही खाली हो चुकी है।

आप सभी लोग यह ध्यान में रखें कि मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपको खड़े होकर यह कहना होगा।

*...(व्यवधान)*

**माननीय अध्यक्ष:** यह बैठे-बैठे नहीं होता है।

*...(व्यवधान)*

*लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:*

**मत-विभाजन संख्या 5** **पक्ष में** **सायं 7.10 बजे**

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

अहमद,श्री सुल्तान

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन,श्री बिजय चन्द्र

भोसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

बोस, प्रो. सुगाता

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

डे (नाग),डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

[95*]देवेगौड़ा, श्री एच.डी.

देवी, श्रीमती वीणा

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

जॉर्ज, एड. जोएस

[95*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

घोष, श्रीमती अर्पिता

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

हाँसदाक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद असरारूल

हाजरा, डॉ. अनूपम

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

[96*]इनोसेंट, श्री

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

*जयदेवन, श्री सी. एन.

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

करुणाकरन, श्री पी.

खान, श्री सौमित्र

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

[96*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

महतो, डॉ. मृगांका

मंडल, डॉ. तपस

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मंडल, श्री सुनील कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाइक, श्री बी.वी.

नाथ, श्री कमल

नूर, श्रीमती मौसम

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पाला, श्री विनसेंट एच.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

राजू, श्री सी.एस. पुत्ता

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

रेड्डी, श्री गुथा सुकेंदर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी.वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुट्टा

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

*राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती संध्या

रूआला, श्री सी.एल.

[97*]साहू, श्री ताम्रध्वज

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन, डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शेट्टी, श्री राजू

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

[97*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिन्हा, श्रीमती रेणुका

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थॉमस

तिर्की, श्री दशरथ

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उद्दीन, श्री तस्लीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

श्री जय प्रकाश नारायण यादव

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

श्री नंदी एल्लैया

**<u>विपक्ष में</u>**

आदित्यानाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरीस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

[98*]बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

[98*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रमेन

देवी, श्रीमती रमा

[99*]धर्मवीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

एलुमलाई, श्री वी.

फतेपरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गडकरी, श्री नितिन

[99*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

*गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

[100*]जायसवाल,डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

*जौनापुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनागी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रल्हाद

---

[100*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूडी, मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन.

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्द्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

[101*]लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

महेन्द्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

[101*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मरगथम, श्रीमती के.

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

[102*]मिश्र, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

[102*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नागर, श्री रोडमल

नागराजन, श्री पी.

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

*ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय , श्री हरि ओम

पाण्डेय , श्री राजेश

पाण्डेय य, श्री रविन्द्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री दलीप

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजा, श्री ए. अनवर

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रवीन्द्र कुमार

[103*]रेड्डी, श्री सी. मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

[104*]साहू, श्री चंदुलाल

साहू, श्री लखन लाल

---

[103*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[104*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

साय, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

*सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नैपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

[105*]तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

[105*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*उसेन्दी, श्री विक्रम

*वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**<u>भाग नहीं लिया</u>**

अडसुल, श्री आनंदराव

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री प्रतापराव

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

विचारे, श्री राजन

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि के अध्यधीन[106*], मत विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष में: 101

विपक्ष में: 304

भाग नहीं लिया:17

*प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय, क्या आप खंड 5 में संशोधन संख्या 5 को प्रस्तुत करेंगे?

**प्रो. सौगत राय:** मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री जय प्रकाश नारायन यादव जी, क्या आप खंड 5 में संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करेंगे?

[हिन्दी]

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका):** अध्यक्ष जी, यह बोलें कि अच्छे दिना लायेंगे,...(व्यवधान) अच्छे दिन तो आये नहीं,...(व्यवधान) लेकिन बुरा दिन आ गया।...(व्यवधान)।

मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 3, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, -

---

106* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने मतदान किया/शुद्धि की :
**पक्ष में: 101** + सर्वश्री एच.डी. देवगौड़ा, इनोसेंट, सी.एन. जयदेवन, प्रो. सौगत राय, सर्वश्री ताम्रध्वज साहू = **106**

**विपक्ष में: 304** + श्री ओम बिरला, धर्मबीर, शेर सिंह गुबाया, डॉ. संजय जायसवाल, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, सर्वश्री कलराज मिश्र, जुएल ओराम, च. मल्ला रेड्डी, चन्दुलाल साहू, डॉ. जितेन्द्र सिंह, सर्वश्री रामदास सी. तडस, विक्रम उसेन्दी, श्रीमती आर. वनरोजा = **319**

**भाग नहीं लिया:017**

'परंतु यह कि निजी परियोजनाओं और सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत परियोजनाओं के मामले में प्रभावित व्यक्तियों के कम से कम अस्सी प्रतिशत और सत्तर प्रतिशत की सहमति आनिवार्य होगी' (10)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं। दीर्घाएं पहले ही ख़ाली कार दी गई हैं।

[हिन्दी]

प्रश्न यह है:

'पृष्ठ 3, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, -

'परंतु यह कि निजी परियोजनाओं और सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत परियोजनाओं के मामले में प्रभावित व्यक्तियों के कम से कम अस्सी प्रतिशत और सत्तर प्रतिशत की सहमति आनिवार्य होगी' (10)'

*लोक सभा में मत विभाजन हुआ:*

**मत-विभाजन संख्या 6** **पक्ष में** **सायं 7.13 बजे**

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

अहमद,श्री सुल्तान

अली, श्री इदरीस

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन, श्री बिजय चन्द्र

भोसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

बोस, प्रो. सुगाता

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

[107*]चौधरी, श्री ए. एच. खान

*चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

डे (नाग),डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

*देवगौड़ा, श्री एच.डी.

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

[107*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जॉर्ज, एड. जोएस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोगोई, श्री गौरव

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

हाँसदाक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद. असरारूल

हाजरा, डॉ. अनूपम

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

*इनोसेंट, श्री

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

[108*]श्री सी. एन जयदेवन,

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

करुणाकरन, श्री पी.

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

[108*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया गया।

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

*महातो, डॉ. मृगांका

मंडल, डॉ. तपस

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मंडल, श्री सुनील कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, श्री बी.वी.

नाथ, श्री कमल

नूर, श्रीमती मौसम

पाला, श्री विनसेंट एच.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

राजू, श्री सी.एस. पुत्ता

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

[109*]रेड्डी, श्री गुत्था सुकेंद्र

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुट्टा

राय, प्रो. सौगत

[109*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया गया।

राय, श्रीमती संध्या

रूआला, श्री सी.एल.

साहू, श्री ताम्रध्वज

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन,डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शेट्टी, श्री राजू

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

सिन्हा, श्रीमती रेणुका

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थॉमस

[110*]तिर्की, श्री दशरथ

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उद्दीन, श्री तस्लीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

[110*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया गया।

यादव, श्रीमती डिम्पल

श्री नंदी एल्लैया

**<u>विपक्ष में</u>**

आदित्यानाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

[111*]अहलुवालिया,श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

[111*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

[112*]चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

*चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

*चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रमेन

देवी, श्रीमती रमा

[112*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

देवी, श्रीमती वीणा

[113*]धर्मवीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

एलुमलाई, श्री वी.

फतेपरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

[113*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

*गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनागी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूडी, मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन.

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्द्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

[114*]श्री विद्युत बरन महतो

महेन्द्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरगथम, श्रीमती के.

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

[114*] पर्ची के माध्यम से विपक्ष में होने की शुद्धि की गई।

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

[115*]मिश्र, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोडमल

नागराजन, श्री पी.

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

[115*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय , श्री हरि ओम

पाण्डेय , श्री राजेश

पाण्डेय य, श्री रविन्द्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री दलीप

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

[116*]पाटील, श्री ए. टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के. आर. पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

[116*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राज, श्रीमती कृष्णा

राजा, श्री ए. अनवर

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी  श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रवीन्द्र कुमार

[117*]रेड्डी, श्री सी. मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री पी.वी. मिधुन

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री चन्दूलाल

साहू, श्री लखन लाल

[117*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*साय, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नैपाल

[118*]सिंह, डॉ. सत्य पाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

[118*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

[119*]श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

[119*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**भाग नहीं लिया**

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री प्रतापराव

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

विचारे, श्री राजन

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि के अध्यधीन[120*], मत विभाजन का परिणाम इस प्रकारहै:

हाँ: 094

नही: 309

भाग नहीं लिया:16

*प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।*

**मानीया अध्यक्ष:** श्री एच.डी. देवगौड़ा, क्या आप खंड 5 में अपनी संशोधन संख्या 11 को प्रस्तुत करेंगे?

**श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 27, *के पश्चात्* --

"बशर्ते कि अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त परियोजनाओं का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से लेखा परीक्षण किया जाए। *अंतःस्थापित* किया जाए" (11)

**माननीय अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

पृष्ठ 2, पंक्ति 27, *के पश्चात्*--

---

[120*] निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने मत भी दर्ज/सही किए:

**पक्ष में: 094 +** सर्वश्री ए.एच. खान चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, एच.डी. देवगौड़ा, इनोसेंट, सी.एन. जयादेवन, डॉ. मृगांका महतो, गुत्था सुकेंद्र रेड्डी, दशरथ तिर्की - श्री विद्युत बरन महतो **= 101**

**विपक्ष में: 309 +**सर्वश्री एस.एस. अहलुवालिया, पी.पी.चौहान, अश्विनी कुमार चौबे, बाबूलाल चौधरी, धर्मबीर, शेर सिंह गुबाया, विद्युत बरन महतो, कलराज मिश्र, ए.टी. नाना पाटील, च. मल्ला रेड्डी, विष्णु देव साय, डॉ. सत्य पाल सिंह, श्री मलयाद्रि श्रीराम **= 322**

**भाग नहीं लिया:016**

"बशर्ते कि अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त परियोजनाओं का भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से लेखा परीक्षण किया जाए। *अंतःस्थापित किया जाए"* (11)

*संशोधन प्रस्तुत किया गया और उसे अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 5 में संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करेंगे?

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 18,--

"अनुप्रयोग से निम्नलिखित परियोजनाएं" के *स्थान* पर,

"अनुप्रयोग से सरकार की निम्नलिखित परियोजनाओं" *को प्रतिस्थापित* किया जाए।

(14)

मेरा संशोधन खंड 5 में है। मैं कहना चाहता हूं कि उपयुक्त सरकार, जनहित में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी परियोजना को छूट दे सकती है:

मैं 'सरकार की निम्नलिखित परियोजनाओं' को यहाँ जोड़ना चाहूंगा। इसका मतलब है, 'केवल सरकारी परियोजनाओं' के लिए ये पाँच श्रेणियों को छूट दी जाएगी; निजी परियोजनाओं के लिए 'नहीं'। यह मेरा संशोधन है। इसे स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन में भी 'उपयुक्त सरकार है'। इसलिए, यदि माननीय मंत्री जी विपक्ष के रचनात्मक प्रस्तावों को स्वीकार करने हेतु इतने उदार हैं, तो कृपया इस संशोधन प्रस्ताव को भी वे स्वीकार करें।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में संशोधन संख्या 14 को सदन के मतदान के लिए रखती हूं।

*संशोधन प्रस्तुत किया गया और उसे अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** अब, खंड 5 में अपनी संशोधन संख्या 15। श्री प्रेमचन्द्रन, क्या आप प्रस्तुत करेंगे?

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 25 से 27 तक" का लोप किया जाए

मेरी संशोधन संख्या 15 पृष्ठ 2 में है, जो पंक्ति 25 से 27 तक का लोप करता है। मैं इस संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि 'पंक्ति 25 से 27' अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाएं हैं, जिनमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के अन्तर्गत परियोजनाएं शामिल हैं, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास निहित है। मेरा प्रस्तावित संशोधन इस खंड को हटाने के लिए है, जो निजी भागीदारी अवसंरचनात्मक ढांचे से संबंधित है। मैं संशोधन को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को सदन के मतदान हेतु प्रस्तुत करती हूं।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** मुझे मत विभाजन चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई है।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 25 से 27 तक" का *लोप* किया जाए

*लोक सभा में मत विभाजन:*

**मत-विभाजन सं. 7** **पक्ष में** **सायं 7.17 बजे**

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

अहमद,श्री सुल्तान

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन,श्री बिजय चन्द्र

भोसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

बोस, प्रो. सुगाता

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

[121*]चौधरी, श्री ए.एच. खान

चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

डे (नाग),डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

*देवगौड़ा, श्री एच.डी.

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

जॉर्ज, एड. जोएस

घोष, श्रीमती अर्पिता

[121*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गोगोई, श्री गौरव

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

हाँसदाक, श्री विजय कुमार

[122*]हक, श्री मोहम्मद। असरारूल

*हाजरा, डॉ. अनुपम

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

*इनोसेंट, श्री

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

*जयदेवन, श्री सी. एन.

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

करुणाकरन, श्री पी.

खान, श्री सौमित्र

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

[122*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

*मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाइक, श्री बी.वी.

नाथ, श्री कमल

नूर, श्रीमती मौसम

पाला, श्री विनसेंट एच.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

राजू, श्री सी.एस. पुत्ता

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

रेड्डी, श्री गुथा सुकेंदर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुट्टा

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती संध्या

साहू, श्री ताम्रध्वज

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन,डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शेट्टी, श्री राजू

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

सिन्हा, श्रीमती रेणुका

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थॉमस

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उद्दीन, श्री तस्लीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

श्री जय प्रकाश नारायण यादव

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

श्री नंदी एल्लैया

**विपक्ष में**

आदित्यानाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

[123*]आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

[123*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रमेन

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

एलुमलाई, श्री वी.

फतेपरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

[124*]गडकरी,श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

[124*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती)

जयसवाल, डॉ. संजय हरिभाऊ

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनागी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूडी , मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन.

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

[125*]कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्द्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

[125*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

महेन्द्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरगथम, श्रीमती के.

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

[126*]मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोडमल

नागराजन, श्री पी.

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे. जे. टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

[126*] पर्ची के माध्यम से विपक्ष में होने की शुद्धि की गई।

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय , श्री हरि ओम

पाण्डेय , श्री राजेश

पाण्डेय य, श्री रविन्द्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

[127*]पासवान, श्री राम चंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री दलीप

[127*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

*प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजा, श्री ए. अनवर

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी  श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रवीन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चमकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री पी.वी. मिधुन

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री चन्दूलाल

साहू, श्री लखन लाल

साय, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नैपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

[128*]सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

[128*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

[129*]तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

[129*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

*वासंती, श्रीमती एम..

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**भाग नहीं लिया**

अडसुल, श्री आनंदराव

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री प्रतापराव

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

विचारे, श्री राजन

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि के अध्यधीन[130*], मत विभाजन का परिणाम है:

पक्ष में: 090

विपक्ष में: 313

भाग नहीं लिया:19

*प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** अब, श्री राजू शेट्टी - क्या आप खंड 21 में संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करेंगे?

[हिन्दी]

**श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले):** अध्यक्ष महोदया, किसानों की सहमति लिए बिना उनकी जमीन आधिग्रहण करना अन्याय है, इसलिए मैं संशोधन मूव कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 से 35 का और
पृष्ठ 3, पंक्ति 1 से 4 का
लोप किया जाए। (21)

---

130* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने मतदान किया/शुद्धि की :
**पक्ष में: 090 +** सर्वश्री ए.एच. खान चौधरी, एच.डी. देवगौड़ा, मोहम्मद। असरारुल हक, डॉ. अनुपम हाजरा, सर्वश्री इनोसेंट, सी.एन. जयादेवन, भगवंत मान = **097**

**विपक्ष में: 313 +** सर्वश्री कीर्ति आज़ाद, नितिन गडकरी, मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंडारिया, करिया मुंडा, राम चंद्र पासवान, डॉ. भागीरथ प्रसाद, श्री बृजभूषण शरण सिंह, कामाख्या प्रसाद तासा, श्रीमती एम. वसन्ती = **322**

**मतदान में भाग नहीं लिया: 019 -** श्री करिया मुंडा **= 018**

*प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।*

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** श्री तथागत सत्पथी - क्या आप खंड 5 के संबंध में अपनी संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करेंगे?

**श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल):** मेरे संशोधनों की अधिकांश मांगें माननीय मंत्री द्वारा पूरी कर दी गई हैं तथा अत्यंत खेद के साथ मैंने उन्हें प्रस्तुत न करने का निर्णय लिया है।

**माननीय अध्यक्ष:** अब, हम खंड 5 में संशोधन संख्या 39 और 40 पर विचार करते हैं। श्री बी. महताब।

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति दी जाए। यह अध्याय 3 को हटाए जाने से संबंधित है; यह संबंधित खंड के बारे में है; यह इस देश के नागरिक के अधिकार से संबंधित है; यह किसानों की गरिमा से संबंधित है। इसलिए, उस संबंध में मैं कहूंगा कि बीजू जनता दल ने जो सुझाव दिए थे उसके कुछ पहलुओं को सरकार ने पूरा किया है।

इसमें पाँच विशिष्ट मुद्दे थे, जिन्हें 13 मुद्दों में जोड़ा जाना था। यह वर्ष 2013 में यू.पी.ए. -सरकार द्वारा किया गया था। वे पाँच मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आवासन अथवा गरीबों के लिए किफायती आवास, औद्योगिक गलियारों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित सामाजिक अवसंरचना परियोजनाएं थे। इन पाँच मुद्दों में से हमारे पास रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक औद्योगिक गलियारों का संबंध है, यह सुझाव दिया गया है, कि आप इसे परिभाषित करें और इसे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन में पहले ही परिभाषित किया जा चुका है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जुड़ा यह मुद्दा अभी भी अस्पष्ट बना हुआ है। ग्रामीण अवसंरचना, जिसमें विद्युतीकरण भी शामिल है, के संदर्भ में हमारे समक्ष एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अब विद्युत आपूर्ति केवल सेवा क्षेत्र की गतिविधि नहीं रही, बल्कि यह एक आर्थिक गतिविधि का रूप ले चुकी है।

हमारे घोषणापत्र के पृष्ठ 43 पर, बीजू जनता दल ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि जहां कहीं भी भूमि का अधिग्रहण आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा, वहां भूमि देने वाले व्यक्ति को उस गतिविधि में भागीदार बनाया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* महोदया, मुझे यहाँ अपने दल की स्थिति स्पष्ट करनी है। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। हमारे दल का दृष्टिकोण हमारे नेता श्री तथागत सत्पथी जी द्वारा बताया गया है।

हम सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी और भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जब माननीय मंत्री ने यह कहा है कि भविष्य में कुछ और संशोधन किए जा सकते हैं,...*(व्यवधान)* मैं कहूंगा कि अध्याय 3 में आप उस नागरिक के अधिकार को छीन रहे हैं, जो पिछले अधिनियम में उसे प्रदान किया गया था। इस संशोधन द्वारा नागरिकों के उस अधिकार को वापस लिया जा रहा है। मैं यहाँ केवल यह उल्लेख कर सकता हूं कि जब वर्ष 2013 में सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो इस पर सभी दलों ने सहमति व्यक्त की थी। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया कि सहमति का खंड होना चाहिए और भूस्वामी अथवा कृषक के अधिकार को अर्जित करते समय उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। मैं कहूंगा कि क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है और सभी पाँच मुद्दों में से केवल दो को संबोधित किया गया है, इसलिए बीजू जनता दल सभा-भवन से बाहर जा रहा है और इस मतदान में भाग नहीं ले रहा है। धन्यवाद।

**<u>सायं 7.29 बजे</u>**

*इस समय श्री भर्तृहरि महताब और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।*

**माननीय अध्यक्ष:** खंड 5 में संशोधन संख्या 43। श्री के.सी. वेणुगोपाल, क्या आप प्रस्तुत करेंगे?

**श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):** महोदया, वास्तव में यह कानून जबरन अधिग्रहण करने की बात करता है और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम आपकी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों का भी उल्लेख कर रहे हैं। स्थायी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए किसी भी सरकारी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। मैं इस बात पर ज़ोर देता हूं। इस विधेयक के दो प्रमुख स्तंभ हैं - एक सहमति

है और दूसरा सामाजिक प्रभाव आकलन है - और दोनों को सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तुत खंड 5 में संशोधन संख्या 43 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

**श्री के.सी. वेणुगोपाल:** महोदया, मुझे मत विभाजन चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई है।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 24 से 27 का लोप किया जाए।"

*लोक सभा में मत विभाजन हुआ :*

**मत-विभाजन संख्या 8** **पक्ष में** **सायं 7.25 बजे**

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

अहमद,श्री सुल्तान

अली, श्री इदरीस

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन,श्री बिजय चन्द्र

भोसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

बोस, प्रो. सुगाता

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

चौधरी, श्री ए. एच. ख़ान

चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

[131*]दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

देव, कुमारी सुष्मिता

देवेगौड़ा, श्री एच.डी.

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

जॉर्ज, एड. जोएस

घोष, श्रीमती अर्पिता

[131*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गोगोई, श्री गौरव

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

हाँसदाक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद असरारूल

हाजरा, डॉ. अनूपम

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

इनोसेंट,श्री

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

[132*]जयदेवन, श्री सी.एन.

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

करुणाकरन, श्री पी.

खान, श्री सौमित्र

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

[132*] पक्ष में होने के लिए पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

मंडल, डॉ. तपस

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मंडल, श्री सुनील कुमार

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाइक, श्री बी.वी.

नाथ, श्री कमल

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पाला, श्री विनसेंट एच.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

राजू, श्री सी.एस. पुत्ता

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

रेड्डी, श्री गुथा सुकेंदर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुट्टा

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती संध्या

रूआला, श्री सी.एल.

साहू, श्री ताम्रध्वज

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन,डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शेट्टी, श्री राजू

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

[133*]सिन्हा, श्रीमती रेणुका

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

[133*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थॉमस

तिर्की, श्री दशरथ

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उद्दीन, श्री तस्लीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

श्री नंदी एल्लैया

**<u>विपक्ष में</u>**

आदित्यानाथ, योगी

[134*]आडवाणी,श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

[134*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

[135*]छोटेलाल,श्री

चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रमेन

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

[136*]धर्मवीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

---

[135*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[136*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

एलुमलाई, श्री वी.

फतेपरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

*गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनागी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूडी, मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन.

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्द्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

महेन्द्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरगथम, श्रीमती के.

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोडमल

नागराजन, श्री पी.

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय , श्री हरि ओम

पाण्डेय , श्री राजेश

पाण्डेय य, श्री रविन्द्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री दलीप

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री टी.

[137*]राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

[137*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी  श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रवीन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चमकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री पी.वी. मिधुन

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री चन्दूलाल

साहू, श्री लखन लाल

साय, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

[138*]शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

[138*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नैपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**<u>भाग नहीं लिया</u>**

अडसुल, श्री आनंदराव

*बारणे, श्री श्रीरंग अप्पा

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

[139*]गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री प्रतापराव

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

विचारे, श्री राजन

[139*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि के अध्यधीन[140*], मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 098

विपक्ष में: 315

भाग नहीं लिया:15

*प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी जी क्या आप खंड 4 में संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करेंगे?

**श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले):** मैं खंड 4 में संशोधन संख्या 46 को वापस ले रहा हूं। लेकिन, मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 27 *के पश्चात्, -*

"बशर्ते कि इस धारा में निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए बहु फसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि इस धारा में निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले उसका सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाएगा। " *अंत:स्थापित* किया जाए (47)

---

[140*] **पक्ष में: 098 +** सर्वश्री शंकर प्रसाद दत्त, सी.एन. जयदेवन, श्रीमती रेणुका सिन्हा **= 101**

**विपक्ष में: 315 +** सर्वश्री एल.के. अडवाणी, छोटेलाल, धर्मबीर, डॉ. के.गोपाल, सर्वश्री नित्यानंद राय, गजेंद्र सिंह शेखावत - श्री सी.एन. जयादेवन **= 320**

**मतदान में भाग नहीं लिया: 015 +** श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली **= 17**

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई है। अब मैं श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 को सदन के मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:

पृष्ठ 2, पंक्ति 27, *के पश्चात्,-*

"बशर्ते कि इस धारा में निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए बहु फसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि इस धारा में निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले उसका सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाएगा।" *अंत:स्थापित* किया जाए

*लोक सभा में मत विभाजन:*

**मत विभाजन 9** **पक्ष में** **सायं 7.28 बजे**

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

अहमद,श्री सुल्तान

अली, श्री इदरीस

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

भोसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

बोस, प्रो. सुगाता

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

चौधरी, श्री ए. एच. ख़ान

चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

देव, कुमारी सुष्मिता

देवेगौड़ा, श्री एच.डी.

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

जॉर्ज, एड. जोएस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोगोई, श्री गौरव

गौड़, डॉ. बूरा नरसैय्या

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

हाँसदाक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद. असरारूल

हाजरा, डॉ. अनूपम

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

इनोसेंट,श्री

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

जयदेवन, श्री सी.एन

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

करुणाकरन, श्री पी.

खान, श्री सौमित्र

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

[141*]नाइक, श्री बी.वी.

*नाथ, श्री कमल

नूर, श्रीमती मौसम

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पाला, श्री विनसेंट एच.

[141*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

राजू, श्री सी.एस. पुत्ता

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

रेड्डी, श्री गुथा सुकेंदर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री पी.वी. मिधुन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुट्टा

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

[142*]राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती संध्या

रूआला, श्री सी.एल.

साहू, श्री ताम्रध्वज

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन,डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शेट्टी, श्री राजू

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

सिन्हा, श्रीमती रेणुका

सुले, श्रीमती सुप्रिया

[142*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सुमन, श्री बाल्का

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थॉमस

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उद्दीन, श्री तस्लीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

श्री नंदी एल्लैया

**<u>विपक्ष में</u>**

आदित्यानाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

[143*]भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

[143*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.।

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

[144*]चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

[145*]चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रमेन

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

---

[144*] पर्ची के माध्यम से विपक्ष में होने की शुद्धि की गई।

[145*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

एलुमलाई, श्री वी.

फतेपरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनागी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूडी, मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन.

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

[146*]कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

*कुशवाहा, श्री रविन्दर

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

[146*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

महेन्द्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरगथम, श्रीमती के.

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

[147*]मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोडमल

नागराजन, श्री पी.

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

[147*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय , श्री हरि ओम

पाण्डेय , श्री राजेश

पाण्डेय य, श्री रविन्द्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री दलीप

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राज़ा, श्री ए. अनवर

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रवीन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चमकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री चन्दूलाल

साहू, श्री लखन लाल

साय, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

[148*]सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

*सिंह, डॉ. नैपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

[148*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

[149*]वसन्ती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

[149*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**भाग नहीं लिया**

अडसुल, श्री आनंदराव

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री प्रतापराव

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

विचारे, श्री राजन

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि के अध्यधीन[150*], मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 101

विपक्ष में: 311

भाग नहीं लिया: 18

*प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।*

---

[150*] निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से अपने मतदान किया /शुद्धि की:
**पक्ष में: 101** + सर्वश्री बी.वी. नाइक, कमल नाथ, प्रो. सौगत राय = **104**

**विपक्ष में: 311** + सुश्री उमा भारती, सर्वश्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन, अश्विनी कुमार चौबे, शांता कुमार, रविंद्र कुशवाहा, जनार्दन मिश्र, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, डॉ. नैपाल सिंह , श्रीमती एम. वसन्ती = **320**

**मतदान में भाग नहीं लिया: 018 -** श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन **= 017**

**माननीय अध्यक्ष:** श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, क्या आप खंड 5 में संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करेंगे?

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक):** मैं संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 27, *के पश्चात्,* -

"बशर्ते कि मूल अधिनियम के चार्टर 2 के प्रावधानों के अनुरूप पहले सामाजिक प्रभाव आकलन किए बिना ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसा मूल अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत 'आपात प्रावधानों' के अन्तर्गत न हो।" *अंतःस्थापित* किया जाए

(48)

[हिन्दी]

मैडम, जैसे कि अभी कहा गया कि इस एक्ट के दो मुख्य स्तंभ हैं, एक किसानों की स्वीकृति...(व्यवधान)

किसानों की स्वीकृति की आवश्यकता और दूसरा सोशल इम्पैक्ट स्टडी। पहले को सरकार ने खारिज कर दिया कि किसानों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि दीपेन्द्र मेरे से छोटे हैं, मेरी बात मानेंगे, मैं भी उनसे इस बात के लिए कहूंगा कि वे मुझ से बड़े हैं और इसमें शायद वे मेरी बात मानें। ...(व्यवधान) एक अमैन्डमैन्ट में सोशल इम्पैक्ट स्टडी, एक प्रावधान ज्यादा जमीन एक्वायर न हो, उसके लिए आप अमैन्डमैन्ट लाये हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसके साथ-साथ हमने दो-तीन बातें और रखी थीं, जिनमें सोशल इम्पैक्ट स्टडी का जो मुख्य बिन्दु है, वह यह है कि अगर अलाइनमैन्ट में बदलाव की आवश्यकता हो या वहीं जैसे बावल का मैंने उदाहरण दिया, आसपास की जमीन में अगर संभव हो सके तो वह भी सरकार को देखने का प्रावधान होना चाहिए तो इस पर भी आप गंभीरता से विचार करेंगे। बड़ा होने के नाते मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा।

[अनुवाद]

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह**: मैं आदरणीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सामाजिक प्रभाव आकलन करना राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। यदि कोई राज्य सरकार अभी भी सामाजिक प्रभाव आकलन के साथ जाना चाहती है, तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दूसरी बात आपने कहा था कि जिस भूमि पर खेती नहीं हो सकती, उस पर विचार किया जाना चाहिए। हमने पहले ही उस प्रावधान को प्रस्तावित कर दिया है। संशोधन में यह स्पष्ट रूप से शामिल है कि अनुपजाऊ या गैर-कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसे, आप कह सकते हैं, एक जमीन के भंडार के रूप या 'लैंड बैंक' के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। यदि ऐसी भूमि उपलब्ध हो, तो फिर उपजाऊ तथा बहुफसली भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। *...(व्यवधान)*

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** मैं उत्तर की सराहना करता हूं, लेकिन हम सामाजिक प्रभाव आकलन की मांग कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** जी हाँ। मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर की सराहना करता हूं। लेकिन हम सामाजिक प्रभाव आकलन को शामिल करने हेतु प्रस्ताव कर रहे हैं और मैंने खंड 5 में संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत किया है।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 27, *के पश्चात्*--

> “बशर्ते कि मूल अधिनियम के अध्याय 2 के प्रावधानों के अनुरूप पहले सामाजिक प्रभाव आकलन किए बिना ऐसी कोई छूट तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि वह मूल अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत 'आपात प्रावधानों' के अन्तर्गत न हो।” *अंत:स्थापित किया जाए*

*...(व्यवधान)*

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** महोदया, मैं मत विभाजन चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं --

अब, दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 27, *के पश्चात्*--

“बशर्ते कि मूल अधिनियम के अध्याय 2 के प्रावधानों के अनुरूप पहले सामाजिक प्रभाव आकलन किए बिना ऐसी कोई छूट तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि वह मूल अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत 'आपात प्रावधानों' के अन्तर्गत न हो। ” *अंत:स्थापित* किया जाए

*लोक सभा में मत-विभाजन:*

**मत विभाजन 10** **पक्ष में** **सायं 7.32 बजे**

अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अहमद,श्री सुल्तान

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन,श्री बिजय चन्द्र

भोसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

बोस, प्रो. सुगाता

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

[151*]चौधरी, श्री ए.एच. खान

चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

डे (नाग),डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

देवेगौड़ा, श्री एच.डी.

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीता, श्रीमती कोथापल्ली

जॉर्ज, एड. जोएस

घोष, श्रीमती अर्पिता

[151*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गोगोई, श्री गौरव

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

हाँसदाक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद. असरारूल

हाजरा, डॉ. अनूपम

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

इनोसेंट,श्री

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

जयदेवन, श्री सी.एन

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

करुणाकरन, श्री पी.

खान, श्री सौमित्र

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाइक, श्री बी.वी.

नाथ, श्री कमल

नूर, श्रीमती मौसम

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पाला, श्री विनसेंट एच.

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

राजू, श्री सी.एस. पुत्ता

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

रेड्डी, श्री गुथा सुकेंदर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुट्टा

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती संध्या

रूआला, श्री सी.एल.

साहू, श्री ताम्रध्वज

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन,डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शेट्टी, श्री राजू

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

सिन्हा, श्रीमती रेणुका

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थॉमस

तिर्की, श्री दशरथ

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उद्दीन, श्री तस्लीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

श्री नंदी एल्लैया

**<u>विपक्ष में</u>**

आदित्यानाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

[152*]भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

[152*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चन्द्राकाशी, श्री एम.

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

*छोटेलाल, श्री

चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

[153*]चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रमेन

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

[154*]धर्मवीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

---

[153*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[154*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

एलुमलाई, श्री वी.

फतेपरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती)

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनागी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन.

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्द्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

[155*]माडम, श्रीमती पूनमबेन

[155*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

महेन्द्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरगथम, श्रीमती के.

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोडमल

नागराजन, श्री पी.

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय , श्री हरि ओम

पाण्डेय , श्री राजेश

पाण्डेय य, श्री रविन्द्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री दलीप

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

[156*]राज, श्रीमती कृष्णा

राजा, श्री ए. अनवर

राजभर, श्री हरिनारायण

*राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

[156*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी  श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रवीन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चमकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री पी.वी. मिधुन

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

[157*]साहू, श्री चंदुलाल

साहू, श्री लखन लाल

*साय, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

[157*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नैपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

[158*]सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

[158*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

श्रीराम, श्री मलयाद्रि।

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**भाग नहीं लिया**

अडसुल, श्री आनंदराव

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

चौटाला, श्री दुष्यंत

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री प्रतापराव

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

विचारे, श्री राजन

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि के अध्यधीन[159*], मत विभाजन का परिणाम इस प्रकारहै:

पक्ष में: 101

विपक्ष में: 311

भाग नहीं लिया:18

*प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा, क्या आप खंड 5 में संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करेंगे?

[हिन्दी]

**श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब):** मैडम स्पीकर, मैंने जो अमैन्डमैन्ट दी थी, हमारी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कुछ सुझाव थे, जो किसानों के हित में थे। माननीय मंत्री जी ने उनमें से 95 परसैन्ट स्वीकार कर लिये, मैं उन्हें बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं तथा मैं यह उम्मीद भी करता हूं कि जो एकाध

---

159* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया//शुद्धि की :

**पक्ष में: 101** + श्री ए.एच. खान चौधरी = **102**

**विपक्ष में: 311** + सुश्री उमा भारती, सर्वश्री छोटेलाल, अश्विनी कुमार चौबे, धर्मबीर, राजेश कुमार दिवाकर, श्रीमती पूनमबेन माडम, श्रीमती कृष्णा राज, सर्वश्री एस. राजेन्द्रन, चन्दूलाल साहू, विष्णु देव साय, पशुपति नाथ सिंह = **322**

**भाग नहीं लिया:018**

रह गया है, जो कंसैन्सज का है, उसकी प्रोटैक्शन हमने आप ही कर ली। हमारे सदस्य यहां जो बोले हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसान की सहमति कि बिना पंजाब में एक इंच जमीन एक्वायर नहीं करने दी जायेगी, इसलिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए इसे वापस लेता हूं और मैं इसे मूव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष;** अब, प्रश्न हैः

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 5 , संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 6 धारा 24 का संशोधन**

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी अब खंड 6 में संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत कर सकते हैं।

*संशोधन किए गए:*

पृष्ठ 2, पंक्ति 34 और 35, के स्थान पर "या इस प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी भी खाते में" *के स्थान पर* "या इस प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी भी निर्दिष्ट खाते में" *प्रतिस्थापित* किया जाए

*(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 6 , संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 6 , संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**नियम 80 (1) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव**

**ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को उस सीमा तक निलंबित करती है, जहां तक यह अपेक्षित है कि संशोधन विधेयक के दायरे में होगा तथा उस खंड की विषय-वस्तु से संगत होगा, जिससे वह संबंधित है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 में सरकार के संशोधन संख्या 58 पर इसके लागू होने के संबंध में और यह संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को उस सीमा तक निलंबित करती है, जहां तक यह अपेक्षित है कि संशोधन विधेयक के दायरे में होगा तथा उस खंड की विषय-वस्तु से संगत होगा, जिससे वह संबंधित है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 में सरकार के संशोधन संख्या 58 पर इसके लागू होने के संबंध में और यह संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**नया खंड 6अ**

*संशोधन किए गए:*

पृष्ठ 2, पंक्ति 35, *के पश्चात्*-

"6क. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ज) में, 'प्रभावित परिवारों' शब्दों के पश्चात्, 'ऐसे प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को अनिवार्य रोजगार सहित कृषि मजदूर' शब्द *अंत:स्थापित* किया जाए (58)

*(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)*

**माननीय अध्यक्ष:** श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा को नए खंड 6क में सरकारी संशोधन संख्या 58 में संशोधन संख्या 63 प्रस्तुत करेंगे।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** मैं माननीय मंत्री से इस विषय पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं। उन्होंने संशोधनों की सूची क्रमांक 13 में क्रम संख्या 58 के अंतर्गत एक संशोधन प्रस्तावित किया है। जब यह कहा जाता है कि 'ऐसे कृषि मजदूर के प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को अनिवार्य रोज़गार' मैं उन सभी लोगों के लिए

'सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण' शामिल करने की मांग करता हूं, जिन्होंने अपनी भूमि खो दी है। निजी कंपनियां हालांकि इस प्रकार का प्रावधान करती हैं लेकिन रोजगार नहीं दे सकती हैं। इसलिए, जो किसान अपनी सारी जमीन खो देते हैं, उनके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें राज्य और केंद्र सरकार दोनों में सरकारी नौकरी हेतु 2 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार करें। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की सूची संख्या 13 में क्रम संख्या 58 के रूप में मुद्रित संशोधन में,-

"ऐसे कृषि मजदूर के प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को अनिवार्य रोजगार" *के पश्चात्*

"जिन लोगों की ज़मीनें इस प्रकार अधिग्रहित की गई हैं, उन सभी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण।" *अंत:स्थापित* किया जाए (63)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा खंड 6क में प्रस्तावित संशोधन संख्या 63 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

*संशोधन प्रस्तुत किया गया और उसे अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 6क विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*नया खंड 6क विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**नियम 80 (1) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव**

**ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल तथा स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को उस सीमा तक निलंबित करती है, जहां तक यह अपेक्षित है कि संशोधन विधेयक के दायरे में होगा तथा उस खंड की विषय-वस्तु से संगत होगा, जिससे वह संबंधित है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 में सरकार के संशोधन संख्या 59 पर इसके लागू होने के संबंध में और यह संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

**माननीय अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को उस सीमा तक निलंबित करती है, जहां तक यह अपेक्षित है कि संशोधन विधेयक के दायरे में होगा तथा उस खंड की विषय-वस्तु से संगत होगा, जिससे वह संबंधित है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 में सरकार के संशोधन संख्या 59 पर इसके लागू होने के संबंध में और यह संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**नया खंड 7अ**

*संशोधन किए गए:*

पृष्ठ 2, *के पश्चात* पंक्ति 37, *अंत:स्थापित किया जाए—*

"नई धारा 67क का अंतःस्थापन शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए जिला अथवा जिलों में प्राधिकरण द्वारा सुनवाई की जाएगी।

7क. मूल अधिनियम में, धारा 67 के *पश्चात*, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

67क. प्राधिकरण, धारा 64 के अन्तर्गत संदर्भ प्राप्त करने के बाद और संबंधित सभी पक्षों को इस तरह के संदर्भ की सूचना देने के बाद, उस जिले में सुनवाई करेगा जिसके संदर्भ में उठाई गई आपत्तियों के निपटान के लिए भूमि अधिग्रहण हुई है... ” (59)

*(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि नया खंड 7क विधेयक का अंग बने।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*नया खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 8** **धारा 46 का संशोधन**

*संशोधन किए गए:*

"पृष्ठ 2, पंक्ति 42 से 44, "कोई भी न्यायालय उपयुक्त सरकार की पूर्व संस्वीकृति के बिना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 में उपबंधित रीति से ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। ", *के स्थान पर* "न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान लेगा बशर्ते कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में निर्धारित प्रक्रिया, 1973 का पालन किया जाए।" *प्रतिस्थापित* करें

(60)

*(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)*

**माननीय अध्यक्ष:** श्री तथागत सत्पथी - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

खंड **9** **नई धारा 67(क) का अत:स्थापन**

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय जी, क्या आप खंड 9 में संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करेंगे।

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** महोदया, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं, लेकिन उस पर मतदान की मांग नहीं कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 46, -

"या पांच वर्षों के लिए, जो भी बाद में हो," के *स्थान* पर

“अधिकतम छह वर्षों तक” *प्रतिस्थापित* करें। ”

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सदन में मतदान के लिए रखूंगी।

*संशोधन प्रस्तुत किया गया और उसे अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्री पी. करूणाकरन, क्या आप खंड 9 में संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करेंगे?

**श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 46, -

"किसी भी परियोजना की स्थापना के लिए अथवा पाँच वर्षों के लिए निर्दिष्ट अवधि, जो भी बाद में हो," के *स्थान* पर

"दो वर्ष से अधिक की अवधि नहीं" को *प्रतिस्थापित* करें। ” (28)

महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। सरकार कहती है कि किसी भी परियोजना की स्थापना के लिए निर्दिष्ट समय की अवधि पाँच वर्ष और उससे अधिक होती है। इसका अर्थ है कि कॉरपोरेट को पाँच वर्षों

का समय मिल सकता है और पाँच वर्षों बाद ही हम देख सकते हैं, कि भूमि का उपयोग हुआ अथवा नहीं। इसलिए, यह वास्तव में सरकार और राष्ट्र के लिए भी एक नुकसान है।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री पी. करुणाकरन द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन सं.28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

**श्री पी. करुणाकरन:** महोदया, मैं मत विभाजन चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई है।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 46, -

"किसी भी परियोजना की स्थापना के लिए अथवा पाँच वर्षों के लिए निर्दिष्ट अवधि, जो भी बाद में हो," के *स्थान* पर

"दो वर्ष से अधिक की अवधि नहीं" को *प्रतिस्थापित* करें। "

*लोक सभा में* मत *विभाजन:*

**मत विभाजन 11** **पक्ष में** **सायं 7.42 बजे**

[160*]अधिकारी, श्री शिशिर कुमार

अधिकारी, श्री सुवेन्दू

अहमद,श्री सुल्तान

अली, श्री इदरीस

एंटोनी, श्री एंटो

अनवर, श्री तारिक

बाइटे, श्री थांगसो

बनर्जी, श्री अभिषेक

बनर्जी, श्री कल्याण

बनर्जी, श्री प्रसून

बर्मन,श्री बिजय चन्द्र

भोसले, श्री छ. उदयनराजे

बीजू, श्री पी. के.

[160*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बोस, प्रो. सुगाता

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव

चौधरी, श्री ए. एच. ख़ान

*चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्ता,श्री शंकर प्रसाद

डे (नाग),डॉ. रत्ना

*देवगौड़ा, श्री एच.डी.

इंगती, श्री बीरेन सिंह

फ़ैज़ल, मोहम्मद

[161]*गीता, श्रीमती कोथापल्ली

[161]* पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जॉर्ज, एड. जोएस

घोष, श्रीमती अर्पिता

गोगोई, श्री गौरव

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

हाँसदाक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद. असरारूल

हाजरा, डॉ. अनूपम

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

इनोसेंट,श्री

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

जयदेवन, श्री सी.एन

करुणाकरन, श्री पी.

खान, श्री सौमित्र

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शैलेश

मान, श्री भगवंत

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

नाइक, श्री बी.वी.

नाथ, श्री कमल

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पाला, श्री विनसेंट एच.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

राजू, श्री सी.एस. पुत्ता

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्री राजेश

रंजन, श्रीमती रंजीत

रेड्डी, श्री गुथा सुकेंदर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुट्टा

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

[162*]राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती संध्या

रूआला, श्री सी.एल.

साहू, श्री ताम्रध्वज

संपत, डॉ. ए.

[162*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

संघमिता, डॉ. ममताज़

सरेन, डॉ. उमा

सातव, श्री राजीव

सिंधिया, श्री ज्योदिरादित्य एम.

शेट्टी, श्री राजू

सिंह, प्रो. साधू

सिंह, श्री रवनीत

*सिन्हा, श्रीमती रेणुका

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थॉमस

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उद्दीन, श्री तस्लीम

वर्मा, श्रीमती देव

वेलगापल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री तेज प्रताप सिंह

यादव, श्रीमती डिम्पल

**<u>विपक्ष में</u>**

आदित्यानाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अहीर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बनसोडे, एडवोकेट शरदकुमार मारुति

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

[163*]चन्द्राकाशी, श्री एम.

चन्दूमाजरा, श्री प्रेम सिंह।

---

[163*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

चौहान, श्री पी.पी.

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नैयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

*चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चुडासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रमेन

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

*दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

एलुमलाई, श्री वी.

फतेपरा, श्री देवजीभाई जी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गडकरी, श्री नितिन

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

[164*]गांधी,श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिरी, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गोपाल, डॉ. के.

[164*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हेमामालिनी, श्रीमती)

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनागी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

क्रिष्टप्पा, श्री एन.

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

[165*]कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्द्र

कुशवाहा, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

महेन्द्रन, श्री सी.

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

[165*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरगथम, श्रीमती के.

मरुदराजा, श्री आर. पी.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

[166*]मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोहन, श्री एम. मुरली

[166*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोडमल

नागराजन, श्री पी.

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटले, श्रीमती कमला

*पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय य, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डेय , श्री हरि ओम

पाण्डेय , श्री राजेश

पाण्डेय य, श्री रविन्द्र कुमार

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री दलीप

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

[167*]राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री टी.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजा, श्री ए. अनवर

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

[167*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रामचंद्रन, श्री के.एन.

राव, श्री कोनाकल्ला नारायण

राव (अवंती), श्री मुथमसेटी  श्रीनिवास

राव, श्री रायपति संबासिवा

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रवीन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चमकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

[168*]साहू, श्री चंदुलाल

साहू, श्री लखन लाल

साय, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सांपला, श्री विजय

संगमा, श्री पूर्णो अगितोक

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

[168*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नैपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

[169*]सिंह,श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

[169*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

[170*]सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीनिवास, श्री केसिनेनी

श्रीरामुलु, श्री बी.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

*स्वराज, श्रीमती सुषमा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

[170*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तंबिदुरै, डॉ. एम.

तिवारी, श्री मनोज

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

वनरोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

*वासंती, श्रीमती एम..

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विजय कुमार, श्री एस.आर.

वनगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

**<u>भाग नहीं लिया</u>**

अडसुल, श्री आनंदराव

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गवली, श्रीमती भावना

गीत, श्री अनंत गंगाराम

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

जाधव, श्री प्रतापराव

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

खैरे, श्री चंद्रकांत

कीर्तिकर, श्री गजानन

लोखंडे, श्री सदाशिव

[171*]राउत, श्री विनायक भाउराव

*सावंत, श्री अरविंद

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

*विचारे, श्री राजन

[171*] पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**माननीय अध्यक्ष:** शुद्धि के अध्यधीन[172*], मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में: 89

विपक्ष में: 308

भाग नहीं लिया:14

*प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 10 धारा 87 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन**

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी क्या आप खंड 10 में संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करेंगे?

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 3, पंक्ति 7 और 8,-

---

[172*] निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की :

**पक्ष में: 089 +** सर्वश्री शिशिर कुमार अधिकारी, अधीर रंजन चौधरी, एच.डी. देवगौड़ा, श्रीमती कोथापल्ली गीता, प्रो. सौगत राय, श्रीमती रेणुका सिन्हा = **095**

**विपक्ष में: 308 +** सर्वश्री एम. चन्द्राकाशी, अश्विनी कुमार चौबे, राजेश कुमार दिवाकर, श्रीमती मेनका संजय गांधी, सर्वश्री शांता कुमार, अर्जुन लाल मीणा, जगदम्बिका पाल, पोन राधाकृष्णन, चन्दूलाल साहू, भरत सिंह, श्रीमती नीलम सोनकर, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती एम. वसन्ती = **321**

**मतदान में भाग नहीं लिया :014 +** सर्वश्री विनायक भाउराव राउत, अरविंद सावंत, राजन विचारे **= 017**

"1 जनवरी, 2015" के *स्थान* पर,
"31 दिसंबर, 2014" को *प्रतिस्थापित* करें"।" (16)

महोदया, मेरा संशोधन बहुत ही सरल है। मैं केवल माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण की मांग कर रहा हूं। इस विधेयक में अन्य सभी प्रावधान 31 दिसंबर, 2014 से प्रभावी हो गए हैं, लेकिन इस धारा के अनुसार मुआवजे की तारीख का निर्धारण 1 जनवरी, 2015 से प्रभावी होगा। क्या कारण है कि इसे एक दिन पश्चात किया गया है? यही वह एकमात्र स्पष्टीकरण है, जो मैं चाहता हूं। यदि सरकार स्पष्ट कर देती है, तो मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करूँगा।

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री महोदय, यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें अपना संशोधन प्रस्तुत करने दीजिए।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** सरकार उत्तर नहीं दे रही है, इसलिए मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

**माननीय अध्यक्ष**: अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन प्रस्तुत किया गया और उसे अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** अब, खंड 10 में संशोधन संख्या 41, श्री महताब उपस्थित नहीं हैं। अब, मैं खंड 10 में संशोधन संख्या 51 पर आती हूं। श्री प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करेंगे?

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** मैं इस संशोधन को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले ही सरकारी संशोधन आ चुका है। इसलिए खंड 4 की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 11 धारा 105 का संशोधन**

**माननीय अध्यक्ष:** श्री प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप खंड 11 में संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करेंगे?

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 3, पंक्ति 13 और 14 का लोप किया जाए।"

मैं चाहता हूं कि पंक्ति 13 और 14 का लोप किया जाए जो दो वर्षों के संबंध में है।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 11 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

*संशोधन प्रस्तुत किया गया और उसे अस्वीकृत कर दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

**माननीय अध्यक्ष:** श्री विनसेंट पाला, क्या आप खंड 1 में संशोधन संख्या 1 तथा 2 प्रस्तुत करेंगे?

**श्री विनसेंट एच. पाला (शिलौंग):** मैं खंड 1 में संशोधन संख्या 1 तथा 2 को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**माननीय अध्यक्ष:** अब मंत्री जी यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

*...(व्यवधान)*

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।”

**श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड):** उन्होंने हमारी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया है। हम विधेयक का पुरजोर विरोध करते हैं। यह विधेयक केवल कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुँचाने वाला है।...*(व्यवधान)*

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** महोदया, उन्होंने हमारे द्वारा प्रस्तुत एक भी संशोधन स्वीकार नहीं किया है। हमने पहले ही उन्हें सुझाव दिया था कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। वे इसे स्थायी समिति को भेजने से भी इनकार कर रहे हैं। इसलिए, हम विरोध करते हैं और हम सभा भावन से बाहर जा रहे हैं।

**<u>सायं 7.48 बजे</u>**

*इस समय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।*

*...(व्यवधान)*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** अब, दीर्घाएं खोली जा सकती हैं।

माननीय सदस्यगण, नौ सरकारी संशोधनों को स्वीकृत किया गया है जिसमें दो नए खंड शामिल हैं जिन्हें विधेयक में जोड़ा गया है।

इसलिए मैं यह निर्देश देती हूं कि बाद के खंडों को फिर से क्रमांकित किया जाए तथा मंत्री महोदय, तदनुसार और जहां भी आवश्यक हो, परिणामी परिवर्तन किए जा सकते हैं।

अब सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**<u>सायं 7.50 बजे</u>**

*तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार,11 मार्च, 2014 / 20 फाल्गुन,1936 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

## लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

**© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित